सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

## २०२२-२०२३

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व
मत्स्यव्यवसाय विभाग

१

## कृषी

शासकीय मुद्रणालय, कोल्हापूर
२०२२

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

## २०२२-२०२३

## कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

## १

## कृषी

| कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचा क्रमांक | कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचे नाव |
|---|---|
| १ | कृषी व पदुम विभाग (कृषी) |
| २ | कृषी व पदुम विभाग (पशुसंवर्धन) |
| ३ | कृषी व पदुम विभाग (दुग्धव्यवसाय विकास) |
| ४ | कृषी व पदुम विभाग (मत्स्यव्यवसाय) |
| ५ | कृषी व पदुम विभाग (फलोत्पादन) |

## अनुक्रमणिका


| | | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| १. | प्रस्तावना ... ... ... ... ... | V |
| २. | कृषी धोरण दृष्टीक्षेप ... ... ... ... ... | १ |
| ३. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड अभियान) ... ... ... | ३ |
| ४. | राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसित करणेचा कार्यक्रम सन २०२०-२१ ... ... | १२ |
| ५. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम सन २०२१-२२ ... ... | १५ |
| ६. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास योजना-२०२१-२२ ... ... | १६ |
| ७. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ... ... ... ... | १८ |
| | अ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य ... ... ... .. | १९ |
| | ब) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य उत्पादन कार्यक्रम ... ... ... | २६ |
| | क) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात मासिक प्रगती अहवाल व कृती आराखडा ... ... | २९ |
| | ड) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू मासिक प्रगती अहवाल व कृती आराखडा ... ... | ३३ |
| | इ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) वार्षिक कृती आराखडा ... | ३७ |
| | फ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रम ... | ३८ |
| ८. | कृषि क्षेत्रात लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प ... ... ... ... | ३९ |
| ९. | कृषि विद्यापीठाकडील कार्यक्रम | |
| | अ) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सन २०१८ मध्ये विकसित केलेले पिकांचे वाण ... ... ... | ४० |
| | ब) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, जि. अकोला ... ... | ४७ |
| | क) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी ... ... ... | ४९ |
| | ड) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली ... ... ... | ५३ |
| १०. | कृषी सांख्यिकी | |
| | अ) कृषी उत्पादन ... ... ... ... ... | ६० |
| | ब) कृषिविषयक माहितीच्या आकडेवारीचे प्रतीवृत्त वेळेवर देण्याची योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना... ... | ६१ |
| | क) पिकाचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना ... ... ... | ६२ |
| | ड) महाराष्ट्र राज्यातील शेतमाल उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा निर्माण करण्याची कायमस्वरुपी योजना ... ... | ६३ |
| | इ) पीक सर्वेक्षण योजना-महाराष्ट्र राज्यातील पिकांच्या उत्पन्नाचा अंदाज व आढावा काढण्याची योजना ... ... | ६३ |
| | फ) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ... ... ... ... ... | ६४ |
| | ज) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ... ... ... ... | ६५ |
| ११. | जागतिक कृषी गणना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना ... ... ... ... | ६६ |
| १२. | सनियंत्रण व मूल्यमापन कक्ष ... ... ... | ६९ |
| १३. | तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र योजनेत्तर योजना (१०० टक्के राज्य पु. यो.) ... ... ... | ७० |
| १४. | केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय विस्तार व तंत्रज्ञान (एनएमएईटी) अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान (नवीन योजना) ... | ७० |
| १५. | वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ... ... ... | ७१ |
| १६. | राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रीय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणाचा व क्षमताबांधणीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे ... ... | ७१ |
| १७. | राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ... ... | ७२ |

**अनुक्रमणिका--**(समाप्त)


| | | |
|---|---|---|
| १८. | गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ... ... ... | ७२ |
| १९. | राज्याच्या कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ... ... | ७३ |
| २०. | राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध कृषि पुरस्कार ... ... ... | ७३ |
| २१. | शेतकरी मासिक ... ... ... ... | ७५ |
| २२. | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ... .. ... ... | ७६ |
| २३. | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ... ... ... ... | ७७ |
| २४. | केंद्र पुरस्कृत कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान २०२०-२१ ... ... | ७८ |
| २५. | राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम ... ... ... ... | ७९ |
| २६. | योजनांसाठी नियतव्यय मागणी ... ... ... ... | ८० |
| २७. | पैदासकार, पायाभूत व प्रमाणित बियाणे उत्पादन ... ... ... ... | ८१ |
| २८. | सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान अंतर्गत बिज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवण केंद्र उभारणी ... ... | ८२ |
| २९. | पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) ... ... ... ... | ८२ |
| ३०. | जैविक कीडनियंत्रक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण कार्यक्रम २०२१-२०२२ ... ... ... | ८३ |
| ३१. | राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा बळकट करणे ... ... ... ... | ८४ |
| ३२. | मृद सर्वेक्षण व मृदचाचणी योजना | |
| | अ) मृद चाचणी योजना ... ... ... ... ... | ८५ |
| | ब) जमीन आरोग्यपत्रिका योजना ... ... ... ... ... | ८६ |
| | क) मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना ... ... ... ... ... | ८६ |
| | ड) इतर कार्ये ... ... ... ... ... | ८७ |
| ३३. | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती) ... ... ... | ८९ |
| ३४. | डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन ... ... ... ... | ८९ |
| ३५. | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ... ... ... ... ... | ९० |
| ३६. | केंद्र शासन सहाय्यित प्रधान मंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ... ... ... | ९४ |
| ३७. | मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ... ... ... ... | ९५ |
| ३८. | रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करणे ... ... ... ... | ९५ |
| ३९. | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत | |
| | अ) राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (RAD) ... ... ... ... | ९६ |
| | ब) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) ... ... ... ... ... | ९६ |
| ४०. | नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) ... ... ... ... | ९८ |
| ४१. | मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प .. .. .. | ९९ |
| ४२. | सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांचा तपशील ... ... ... ... | १०१ |
| ४३. | अंतर्गत लेखापरीक्षणाच्या कृती आराखड्याचा गोषवारा ... ... ... ... | १०२ |
| ४४. | वित्तीय तक्ते | |
| | अनिवार्य (Committed) ... ... ... ... | १०३ ते १०५ |
| | कार्यक्रम (राज्य) Scheme (State) ... ... ... ... ... | १०६ ते ११० |
| | कार्यक्रम (केंद्र) Scheme (Central) ... ... ... ... ... | १११ ते ११३ |
| | अनिवार्य (Committed) वैधानिक मंडळनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती अविभाज्य भागांसह ... ... | ११४ |
| | कार्यक्रम (Scheme) वैधानिक मंडळनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती अविभाज्य भागांसह ... ... | ११५ |


---

# प्रस्तावना

कृषि व संलग्न कार्य हे क्षेत्र नेहमीच अर्थव्यवस्थेच्या व सामाजिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. राज्यातील बहुतांशी लोकसंख्या उपजीविकेसाठी या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. हवामान बदल आणि उपजाऊ जमिनीचा कमी होत जाणारा कस यामुळे या क्षेत्राला नेहमीच आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अनियमित पाऊस, साधन सामुग्रीचा वाढता खर्च, बाजारभावातील अनिश्चितता, हवामानातील बदल इत्यादी बाबी या क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणेच्या उद्देशाने राज्यामध्ये कृषी विभागाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर कृषी क्षेत्रात जसजशी प्रगती होत गेली तसतशी कृषी विभागामध्ये रचनात्मक स्थित्यंतरे होत गेली. सुधारित कृषी तंत्रज्ञान प्रसारासाठी कृषी विस्तार व प्रशिक्षण विभाग, नैसर्गिक साधनसामुग्रीच्या व्यवस्थापनासाठी मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग, शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठांची उपलब्धता करून देण्यासाठी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग, शेतमालाच्या प्रक्रियेत प्रोत्साहनासाठी कृषी प्रक्रिया विभाग व शेतमालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहनासाठी कृषी प्रक्रिया व निर्यातक्षम शेती विभाग तसेच कृषिविषयक सांख्यिकी माहितीचे संकलन व संस्करण करण्यासाठी सांख्यिकी विभाग सुरू करण्यात आले. फलोत्पादनामध्ये क्रांतीकारक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सुरू झाले. शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यापार व मूल्यवृद्धीसाठी प्रकल्पांना मार्गदर्शन व वित्तीय व्यवस्थापनाचा सल्ला देण्याच्या दृष्टीने लहान शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापारसंघ स्थापन करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या शेतावर घेण्यात येणाऱ्या विविध पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या सुधारित तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने भौगोलिक परिस्थितीनुसार पीक नियोजन, सुधारित वाणांचा वापर, जमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना, जमिनीच्या पोतानुसार खतांचा संतुलित वापर, जैविक उपाययोजनांद्वारे कीड व रोगांचे नियंत्रण, ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब, बीजप्रक्रिया इत्यादी बाबीवर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची बियाण्याची गरज स्थानिक पातळीवरच भागविण्याच्या दृष्टीने बिजोत्पादन कार्यक्रम, सुधारित तंत्रज्ञान प्रसारासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, शेतकऱ्यांच्या शेतीशाळा राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या अन्नद्रव्याची माहिती करून देण्यासाठी व त्यानुसार खतांचा संतुलित वापर होण्यासाठी जमिनीची आरोग्यपत्रिका वितरणाचा महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना जैविक खते व जैविक कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्यासाठी जैविक प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली आहे. शेती व्यवसाय किफायतशीर होण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविण्यात येत आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये, गळीधान्ये, ऊस व कापूस पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविले जाते.

कृषी क्षेत्रात महिलांचा अधिकाधिक सक्रीय सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये त्यांना प्राधान्याने सामावून घेतले जाते. याव्यतिरिक्त शेतकरी प्रशिक्षण, अधिक उत्पादनासाठी पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी अभ्यासदौरे इत्यादी कार्यक्रमात महिलांना अधिकाधिक सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. उत्कृष्ट महिला शेतकऱ्यांना जिजामाता कृषी भूषण पुरस्कारही कृषी विभागामार्फत दिला जातो.

अनुसूचित जाती व जमातींच्या शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यासाठी स्वतंत्र राज्य योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याशिवाय इतर योजनांचे वैयक्तिक लाभ या शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या संसाधनांच्या प्रमाणात देण्यात येतात.

---

# १. कृषी धोरण दृष्टिक्षेप

महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांशी लोकांचे जीवन कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे. शेती हे अन्नधान्य, रोजगार व उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. राज्यातील शेतकरी समर्थ व स्वावलंबी व्हावा यासाठी शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून शेतीचे उत्पादन व शेतकऱ्याचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी शासनाने कृषी धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे आणि त्यानुसार कृषी धोरण राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

**उद्दिष्टे :-**

१. राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा कार्यक्षम वापर करून उत्पादन वाढीचा दर वाढविणे.

२. राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करणे.

३. राज्यातील मर्यादित जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर करणे.

४. निविष्ठांचे उत्पादन व वेळेवर वितरण व्यवस्था उपलब्ध करणे.

५. पिकांकरिता पुरेसा व वेळेवर पतपुरवठा उपलब्ध करणे.

६. नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन देणे.

७. पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमाची तसेच कोरडवाहू कृषी तंत्रज्ञान कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

८. राज्यातील पडीक जमिनीची धूप थांबवून ती फळबाग, वनशेती व कुरण विकासाखाली आणून रोजगार निर्मिती करणे.

९. कृषी विद्यापिठातील संशोधनाचे कार्य सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.

१०. पीक विमा योजना व्यापक प्रमाणात राबविणे.

११. शेती व्यवसायात कुशल व अकुशल रोजगार निर्मिती करणे.

१२. कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविणे.

१३. आदिवासी, मागासवर्गीय आणि अल्प/अत्यल्प शेतकऱ्यांच्या शेती विकासावर भर देणे.

१४. शेतीसाठी रस्ते, दूरसंचाराच्या सोयी, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

१५. शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी काढणीनंतर हाताळणी व साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया व्यवस्था व निर्यातीसाठी मूलभूत सोयी निर्माण करणे.

१६. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदा व कार्यपद्धतीत आवश्यक ती सुधारणा करणे.

१७. अन्नधान्याची सुरक्षितता करणे तसेच पोषणाचा दर्जा सुधारणे.

**विशेष कार्यक्रम**

**भरडधान्य (मका) व पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) कार्यक्रम :** मनुष्याच्या आहारामधील पौष्टिक तृणधान्यातील पोषण तत्त्वे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने "न्युट्री सिरीयल वर्ष" म्हणून सन २०१८-१९ व २०१९-२० राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भरडधान्य पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाची दिनांक ५-२-२०१८ रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. त्यानुसार पूर्वीचे राष्ट्रीय अन सुरक्षा अभियान-भरडधान्यचे रुपांतर करून राष्ट्रीय अन सुरक्षा अभियान-भरडधान्य (मका) व राष्ट्रीय अन सुरक्षा अभियान-पौष्टिक तृणधान्य (न्युट्री सिरीअल)-(ज्वारी, बाजरी व रागी) या पिकांसाठी स्वतंत्र अभियाने सुरू केली आहेत. त्यामध्ये पिक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण, प्रमाणित बियाणे उत्पादन, एकात्मिक अनद्रव्ये व कीड व्यवस्थापन तसेच फ्लेक्झी घटकांतर्गत कृषी औजारे, शेतकरी प्रशिक्षणे, मूल्यवर्धनासाठी प्रक्रिया युनिट, कार्यशाळा व प्रचार प्रसिद्धी या घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये पौष्टिक तृणधान्य पिकांसाठी एकूण २६ जिल्हे (ठाणे पालघरसह) व भरडधान्य (मका) अंतर्गत एकूण ७ जिल्ह्यांचा समोवश करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने पौष्टिक तृणधान्यांच्या पोषक तत्वाबाबत जनजागृती जिल्हा व राज्य स्तरावर आरोग्य तसेच अन्य विभागांमार्फत करण्यात येत आहे.

**महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने करणे**

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत राज्य शासनाच्या उपाययोजना :-

पार्श्वभूमी -

महाराष्ट्र राज्यातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. त्यामुळे पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम पीक उत्पादकता व शेतकऱ्याचे उत्पन्नावर होतो. सन २०११ पासून अवर्षण ग्रस्त परिस्थिती, पूर, वादळे, गारपीट अशा सतत २०१३-१४ पर्यंत नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे दृष्टीने काही उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्यासाठी पर्जन्यमानावर प्रामुख्याने अवलंबून असल्याने उत्पादन खर्च कमी करणे हा महत्त्वाचा पर्याय आहे.

**उद्दिष्टे :-**

१. उत्पादकता वाढ.

२. उत्पादन खर्च कमी करणे.

३. मृद व जलसंधारण उपाययोजना. (पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन).

४. आपत्ती व्यवस्थापन.

५. एकात्मिक शेती धोरण.

६. मूल्यवर्धनासाठी काढणीपश्चात तंत्रज्ञान.

७. समूह शेतीस चालना.

८. कृषी मालाचे निर्यातीस चालना देणे.

९. मूल्यवर्धीत साखळी विकास.

**राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान ( NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)**

राज्यातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. यामध्ये पेरणीयोग्य क्षेत्रापैकी ८३% क्षेत्र कोरडवाहू असून ४०% अन्नधान्य उत्पादन कोरडवाहू क्षेत्रातून होते. अन्नधान्याच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील उत्पादकतेत हवामान बदलाशी सुसंगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वतता आणणे तसेच या क्षेत्रामध्ये आपत्ती काळातील नुकसान भरपाईसाठी कृषी आधारित उपजिविका साधनामध्ये विविधता आणणे महत्त्वाचे ठरते. कोरडवाहू क्षेत्र विकास या घटकामध्ये पिके, फळपिके, पशुधन, मत्स्य, वने यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक शेती पद्धती विकसीत करून त्यास स्थैर्य निर्माण करणे व आपत्ती काळात उपजिविकेच्या पर्यायी संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

**कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)**

कापूस व ऊस ही नगदी पिके, भात, ज्वारी व मका ही तृणधान्य वर्गीय पिके सोयाबीन सारखी तेल बिया पिक तसेच तूर व हरभरा ही कडधान्य वर्गीय पिके शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. सदर पिकांवर उद्‌भवणाऱ्या कीड रोगांच्या प्रादूर्भावामुळे उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळता यावे, यासाठी कृषी विभागामार्फत पिकावरील कीड रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) राबविण्यात येत असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना कीड रोगाविषयी सर्वेक्षणाच्या आधारे करावयाच्या पीक संरक्षण उपाययोजना याबाबतचे संदेश देणे, शेतकऱ्यांमध्ये कीड रोगांच्या प्रादूर्भावाबाबत जागरुकता निर्माण करणे व पुढील संभाव्य नुकसान टाळून उत्पादनात वाढ करणे, इ. उपाययोजना करण्यात येतात.

**कृषी विद्यापीठ**

कृषी विद्यापिठांकडे निरनिराळ्या स्तरावर कृषी शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. त्याबरोबर उपयुक्त शास्त्र व तंत्रज्ञान ह्यांचे संशोधन करण्याबाबत कृषी विद्यापीठे कार्यान्वित आहेत. कृषी आयुक्तालयामार्फत ह्या तंत्रशास्त्राचा प्रसार शेतकऱ्यांमार्फत पोहचविला जातो. वरील संशोधनविषयक प्रसारित केलेल्या व शिफारस केलेल्या बाबीसंबंधी आणि त्यांचा योग्य तो पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टिने शेतकरी ह्या तंत्रज्ञानाचा खात्रीपूर्वक वापर करतील ह्याकरिता कृषी खात्यामार्फत निरनिराळे कार्यक्रम की ज्यायोगे निविष्ठा व कृषिविषयक सेवा शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे कार्यक्रम हाती घेतले जातात.

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३०८ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रांपैकी सुमारे १९४.३४ लाख हेक्टर क्षेत्र निव्वळ पिकाखाली आहे. तसेच २२८.१३ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखाली आहे. जमीन व हवामानाची राज्यातील निरनिराळ्या विभागात मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे. जवळजवळ १/३ क्षेत्र अवर्षणग्रस्त क्षेत्राखाली आहे. परिणामी दरवर्षी कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येतो. महाराष्ट्र राज्यातील पिकाखाली एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र खरीप हंगाम पिकाखाली व उरलेले क्षेत्र रब्बी हंगाम पिकाखाली तर अत्यल्प क्षेत्र उन्हाळी हंगामाखाली आहे.

---

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - (गळीत धान्य व तेलताड)

सन २०१४-१५ पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय गळीतधान्य आणि तेलताड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असून सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने सदर अभियान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड अभियान) म्हणून अंतर्भूत केले आहे. सदर अभियानांतर्गत खालील तीन अभियाने राबविली जातात.

सदर अभियानात केंद्र व राज्य हिश्याचे प्रमाण ६०:४० आहे.

१) अभियान क्र. १ : गळीतधान्य पिके २) अभियान क्र. ३ : वृक्षजन्य तेलबिया पिके ३) अभियान क्र. ४ : भातपड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्य लागवड कार्यक्रम (TRFA : Oilseed)

**अ) समाविष्ट पिके व अभियान निहाय निवडण्यात आलेले जिल्हे :-**

**अभियान क्र. १ गळीतधान्य -** केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार ज्या जिल्ह्यांचे संबंधित पिकाचे व्याप्त क्षेत्र जास्त परंतु उत्पादकता राज्याच्या उत्पादकतेच्या तुलनेत कमी आहे अशा जिल्ह्यांची उत्पादकता वाढीसाठी निवड करण्यात आलेली असून ज्या जिल्ह्यांचे क्षेत्र कमी परंतु उत्पादकता सरासरीपेक्षा जास्त आहे अशा जिल्ह्यांची क्षेत्र वृद्धीसाठी निवड करण्यात आलेली आहे.

**अभियान क्र. ३ वृक्षजन्य तेलबिया -** करंज, कोकम व महुआ या वृक्षजन्य पिकांच्या क्षेत्रवृद्धीस वाव असणाऱ्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे.

**अभियान निहाय समाविष्ट जिल्ह्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.**

| अभियान क्र. १ गळीतधान्य | | | अभियान क्र. ३ वृक्षजन्य तेलबिया | |
|---|---|---|---|---|
| **अ. क्र.** | **पीक** | **जिल्ह्यांचे नाव** | **पीक** | **जिल्ह्यांचे नाव** |
| १ | **सोयाबीन** | अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर. (१४ जिल्हे) | **करंज** | ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नंदुरबार (५ जिल्हे) |
| २ | **भुईमूग** | नाशिक, धुळे, पुणे, सांगली. (४ जिल्हे) | **कोकम** | रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. (३ जिल्हे) |
| ३ | **करडई** | अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी. (४ जिल्हे) | **महुआ** | ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नंदुरबार. (५ जिल्हे) |

**अभियान क्र. ४- (TRFA : गळीत धान्य) ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा, गोंदीया व गडचिरोली**

**ब) समाविष्ट बाबी / घटक :**

**अभियान क्र. १ गळीतधान्य -**

१. बियाणे घटक : मूलभूत बियाणे खरेदी, प्रमाणित/पायाभूत बियाणे उत्पादन, प्रमाणित बियाणे वितरण.
२. तंत्रज्ञान प्रसार घटक : पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी शेतीशाळा / विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण.
३. उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा : पिके संरक्षण औषधे / तणनाशके, एन. पी. व्ही. पुरवठा, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन, पॉवर चलित सुधारित कृषी औजारे व पाईप्स पुरवठा.
४. फ्लेक्झी निधी : शेततळी, गोदाम बांधकाम व डिझेल, छोटी तेल घाणी, इलेक्ट्रीक पंप पुरवठा.
५. प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च

**अभियान क्र. ३ वृक्षजन्य तेलबिया -**

१. वृक्ष लागवड व देखभाल : नर्सरींचा एकात्मिक विकास व वृक्ष लागवड व देखभाल.
२. प्रशिक्षण : शेतकरी / विस्तार अधिकारी / निविष्ठा विक्रेते प्रशिक्षण.
३. फ्लेक्झी निधी : शेततळी व पंप.

**अभियान क्र. ४ (TRFA : गळीत धान्य) -**

१. पिक प्रात्यक्षिके (भुईमूग, करडई, तीळ व जवस) २. एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन, ३. कृषि यांत्रिकीकरण ४. प्रशिक्षणे.

**आर्थिक तपशील :-** (रु. लाख)

| अ. क्र. | अभियान | सन २०१९-२० | | | सन २०२०-२१ | | | सन २०२१-२२ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूर कार्यक्रम | उपलब्ध निधी | खर्च | मंजूर कार्यक्रम | उपलब्ध निधी | खर्च | मंजूर कार्यक्रम | उपलब्ध निधी | खर्च माहे डिसेंबर २०२१ अखेर |
| १. | अभियान क्र. १ (गळीतधान्य) | ५१६०.१८ | ४६६३.५२८ | २७९३.४१ | ४५८३.९६ | ४४५३.५० | ३०२८.६० | ६९८४.०७ | १३८८.०३ | १२८०.७२ |
| २. | अभियान क्र. ३ (वृक्षजन्य तेलबिया) | ११२.६८ | ७१.२६ | ३८.०० | ११.११ | ११.११ | ११.०९ | ७८.७८४ | १८.३२ | ६.९३ |
| ३. | TRFA (गळीत धान्य) | १०८.७१ | ८९.८३ | ८०.०० | ११६.६७ | ९७.५९ | ८३.८१ | ११६.६७ | ०.०० | ०.०० |
| | **एकूण** | ५३८१.५७ | ४८२४.६२ | २९११.४११ | ४७११.७४ | ४५६२.२० | ३१२३.५० | ७१७९.५२ | १४०६.३५ | १२८७.६५ |

## विवरणपत्र - १

## सन २०२०-२१ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियान क्र. १ (गळीतधान्य)

## अंतीम प्रगती अहवाल माहे मार्च, २०२१ अखेर

(रु. लाख)

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **१. प्रशासकीय मंजुरी :** | | | |
| अ) केंद्र शासन पत्र क्र. F. No. 2-15/2020/NFSM(OS), दि. १४-५-२०२० | ३८६७.८३० | २५३५.२३० | ६४०३.०६० |
| ब) राज्य शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र. ३३/ ४-अे, मंत्रालय, मुंबई दि. १६-६-२०२० व दि. ८-१०-२०२०, दि. २६ मार्च, २०२१ | २७६५.६६० | १८२९.४१० | ४५९५.०७० |

| | पुनर्जिवीत निधी (दि. १९-५-२०) | पहिला हप्ता (दि. १९-५-२० व दि. १-६-२०) | एकूण |
|---|---|---|---|
| **२. केंद्र शासनाची वित्तीय मान्यता (केंद्र हिस्सा)** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | ७०४.००८ | १५०१.१४० | २२०५.१४८ |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग | ४४२.०६० | २२४.७९० | ६६६.८५० |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग | २२७.०६८ | १७९.०७० | ४०६.१३८ |
| **एकूण** | **१३७३.१३६** | **१९०५.०००** | **३२७८.१३६** |

**३. कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत पत्र जा. क्र. कृआ./विप्र. २/राअसुअ-गळीत/मा.सु./प्र.क्र. ५/२०२०/१४३५०, दिनांक १६ जून, २०२०**

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **४. राज्य शासनाची वित्तीय मान्यता शा. नि. क्र.** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग (शा.नि. दि. २६/०८, ०६/१०, ०४/१२/२०, ०८/०३/, २४/०३, २६/०३/२१) | २२०६.०६० | १४३६.४० | ३६४२.४६ |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग (शा.नि. ०२/१२/२०२०) | ३४३.६११ | २२९.२३ | ५७२.८३८ |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग (शा.नि. १/१/२०२१ व दि. २६/०३/२०२१) | २५५.८१५ | १६८.३२ | ४२४.१३० |
| **एकूण** | **२८०५.४९** | **१८३३.९४** | **४६३९.४३** |

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **५. आयुक्तालयस्तरावरून क्षेत्रीय वितरीत निधी*** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | २२०६.०६ | १४३६.४० | ३६४२.४६ |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग | ३४३.६१ | २२९.२३ | ५७२.८४ |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग | १४३.४७० | १०२.८४० | २४९.३१० |
| **एकूण** | **२६९६.१४** | **१७६८.४७** | **४४६४.६१** |

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांकज | साध्य |
| **अ) नियमित कार्यक्रम सन २०२०-२१ (अभियान क्र. १ (गळीत धान्य)** | | | | | | |
| **१) *बियाणे घटक** | | | | | | |
| अ) | मूलभूत बियाणे खरेदी (@ बियाणे पूर्ण किंमत) | क्विंटल | ३३० | ३३१.८ | ३८.७६ | ३८.७९ |
| ब) | पायाभूत बियाणे उत्पादन (@ रु. २५००/प्र.क्विं.) | क्विंटल | ७६३६ | ८२३२ | १८७.३७ | १९२.०६ |
| क) | प्रमाणित बियाणे उत्पादन (@ रु. २५००/प्र.क्विं.) | क्विंटल | २४९९८ | २३७३५ | ६२४.९३ | ५५९.९६ |
| | **एकूण** | | .. | .. | **८५१.०६** | **७९०.८१** |

## विवरणपत्र - १--(चालू)

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांकज | साध्य |
| **२)** | **तंत्रज्ञान प्रसारक घटक : गट प्रात्याक्षिके** | | | | | |
| अ) | सोयाबीन | हेक्टर | ३६८० | १७०२ | १५३.१६ | ८९.४६ |
| ब) | करडई | हेक्टर | | २२०० | | ३७.३६ |
| | **एकूण (२)** | | **३६८०** | **३९०२** | **१५३.१६** | **१२६.८२** |
| **३)** | **उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा** | | | | | |
| अ) | स्वयंचलित सुधारीत कृषि औजारे (अनुदान SMAM प्रमाणे) | संख्या | १२६० | ५७७ | ९४५.०० | २२४.८० |
| ब) | पाईप्सचा पुरवठा (@ रु. १५०००/६०० मी. संच) | मीटर | ९५०००० | ६५७५० | ४७५.०० | ३४.८८ |
| | **एकूण (३)** | | .. | **६६३२७** | **१४२०.००** | **२५९.६८** |
| **४)** | **फ्लेक्झीफंड (गरजेनुरुप उपक्रम)** | | | | | |
| अ) | शेततळे | संख्या | १९८ | २१ | ९९.०० | १०.२२ |
| ब) | डीझेल पंपसंच (@ रु. १००००/संच) | संख्या | १५७० | ५३ | १५७.०० | ४.८१ |
| | **एकूण (४)** | | .. | .. | **२५६.००** | **१५.०३** |
| **५)** | **अभियान व्यवस्थापन खर्च** | | | | | |
| अ) | तांत्रिक सहाय्यता गट मानधन | संख्या | ४० | ३१ | ११४.८२ | ८४.३७ |
| ब) | संकीर्ण | संख्या | .. | .. | ९.४२ | ६.९८ |
| | **एकूण (५)** | .. | .. | .. | **१२४.२४** | **९१.३५** |
| | **एकूण नियमीत कार्यक्रम** | .. | .. | .. | **२८०४.४५** | **१२८३.६९** |
| **ब)** | **प्रलंबित दायित्व** | | | | | |
| १) | अभियान क्र. १ (गळीतधान्य) | .. | .. | .. | १७७९.५० | १७४४.५१ |
| २) | अभियान क्र. ३ (वृक्षजन्य तेलबिया) | .. | .. | .. | ११.११ | ११.०९ |
| | **एकूण प्रलंबित दायित्व-ब (१) व (२)** | .. | .. | .. | **१७९०.६२** | **१७५६.००** |
| | **एकूण एकंदर (अ + ब)** | .. | .. | .. | **४५९५.०७** | **३०३९.६९** |
| | **एकूण केंद्र हिस्सा** | .. | .. | .. | २७६५.६७ | १८३८.७० |
| | **एकूण राज्य हिस्सा** | .. | .. | .. | १८२९.३९ | १२०१.०० |

विवरण पत्र - १--चालू

**राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) सन २०२०-२१ अंतर्गत "भातपड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्य कार्यक्रम :TRFA-Oilseeds**

**अंतीम प्रगती अहवाल माहे मार्च, २०२१ अखेर**

(रु. लाख)

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **१. प्रशासकीय मंजुरी :** | | | |
| अ) केंद्र शासन पत्र क्र. F. No. 2-15/2020/NFSM(OS), दि. २०/८/२०२० व दि. ०८-०१/२०२१ (Rev.) | ७०.००० | ४६.६७० | ११६.६७० |
| ब) राज्य शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र. ६५/४-अे, मंत्रालय, मुंबई दि. ५/१०/२०२० व २८/१/२०२१ (सुधा.) | ७०.००० | ४६.७०० | ११६.७०० |

| | पुनर्जिवीत निधी (दि. १५-९-२०२०) | पहिला हप्ता (दि. १५-९-२०२०) | एकूण |
|---|---|---|---|
| **२. केंद्र शासनाची वित्तीय मान्यता (केंद्र हिस्सा)** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | ५.८९० | ४२.१६० | ४८.०५० |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग | ७.७०० | ६.३१० | १४.०१० |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग | २.९१० | ५.०३० | ७.९४० |
| **एकूण** | **१६.५०** | **५३.५०** | **७०.००** |

**३. कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत पत्र कृआ./विप्र. २/TRFA Oilseed/मा.सु./प्र.क्र. १०/२५३१२, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२०**

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **४. राज्य शासनाची वित्तीय मान्यता शा. नि. क्र.** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | ४८.०५ | ३२.०३ | ८०.०८ |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग | ८.०१ | ५.३४ | १३.३५० |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग | ७.९४ | ५.२९ | १३.२३ |
| **एकूण** | **६४.००** | **४२.६७** | **१०६.६७** |

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **५. आयुक्तालयस्तरावरून क्षेत्रीय वितरीत निधी** | | | |
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | ४८.०५ | ३२.०३ | ८०.०८ |
| ब) अनुसूचित जाती प्रवर्ग | ८.०१ | ५.३४ | १३.३५ |
| क) अनुसूचित जमाती प्रवर्ग | २.४९ | १.६६ | ४.१५ |
| **एकूण** | **५८.५५** | **३९.०३** | **९७.५९** |

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांकज | साध्य |
| **अ) नियमित कार्यक्रम सन २०२०-२१** | | | | | | |
| **१) पिक प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| i) | जवस | रु. ३०००/हे. | २८४ | ७० | ८.५२ | २.१० |
| ii) | करडई | रु. ३०००/हे. | १०० | ३०० | ३.०० | ७.६८ |
| iii) | तीळ | रु. ३०००/हे. | १०० | .. | ३.०० | .. |
| iv) | भुईमुग | रु. १००००/हे. | ६०० | ५३० | ६०.०० | ४३.७६ |
| | **एकूण-१** | | **१०८४** | **९००** | **७४.५२** | **५३.५४** |

## विवरण पत्र - १--चालू

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांकज | साध्य |
| **२** | **उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा** | | | | | |
| **अ)** | **एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन** | | | | | |
| | i) सूक्ष्म मूलद्रव्ये | रु. ५००/हे. | ३५० | १५० | १.७५ | ०.०८ |
| | ii) जैविक कीटकनाशके | रु. ५००/हे. | ४३६ | १५० | २.१८ | ०.११ |
| | **एकूण-२ (अ)** | | **७८६** | **३००** | **३.९३** | **०.१८** |
| **ब)** | **कृषि औजारे ट्रॅक्टर चलित** | | | | | |
| | i) पेरणी यंत्र (Seed Drill) | SMAM प्रमाणे | ५ | .. | १.०० | .. |
| | ii) रोटावेटर | | ८ | .. | ३.६० | .. |
| | **एकूण-२ (ब)** | | **..** | **..** | **४.६०** | **..** |
| **३** | **प्रशिक्षणे** | | | | | |
| | i) शेतकरी प्रशिक्षण | रु. २४०००/प्रशिक्षण | १७ | १९ | ४.०८ | ३.०८ |
| | ii) अधिकारी प्रशिक्षण | रु. ३६०००/प्रशिक्षण | ४ | ३ | १.४४ | १.०८ |
| | **एकूण-३** | | **..** | **..** | **५.५२** | **४.१६** |
| | **एकूण नियमीत कार्यक्रम-अ (१ ते ३)** | | **..** | **..** | **८८.५७** | **५७.८८** |
| **ब)** | **प्रलंबित दायित्व (सन २०१९-२०)** | | **..** | **..** | २८.१० | २५.९३ |
| | **एकूण एकंदर (अ+ब)** | | **..** | **..** | **११६.६७** | **८३.८१** |
| | **एकूण केंद्र हिस्सा** | .. | .. | .. | ५८.५५ | ५०.२८ |
| | **एकूण राज्य हिस्सा** | .. | .. | .. | ३९.०३ | ३३.५२ |

## विवरणपत्र - १

### सन २०२१-२२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियान क्र. १ (गळीतधान्य)
### मासिक प्रगती अहवाल माहे डिसेंबर, २०२१ अखेर

(रु. लाख)

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **१. प्रशासकीय मंजुरी :**<br>अ) केंद्र शासन पत्र क्र. F.No. २-१५/२०२१-NFSM (OS) दि. ९-६-२०२१ (गळीतधान्य)<br>ब) राज्य शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र. ३८/४-अे, मंत्रालय, मुंबई, दि. १८/६/२०२१ | ४२१०.००० | २७७४.०७० | ६९८४.०७० |

| **२. केंद्र शासनाची वित्तीय मान्यता ( केंद्र हिस्सा)** | पुनर्जिवीत निधी (दि. २०-१२-२०२१) | पहिला हप्ता (दि. ७-७-२०२१) | एकूण |
|---|---|---|---|
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | ६६१.६७० | ५५४.६१० | ११६६.२८० |
| ब) अनुसूचीत जाती प्रवर्ग | ४४३.४६० | ... | ४४३.४६० |
| क) अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग | ३५०.५८० | ... | ३५०.५८० |
| **एकूण** | **१४०५.७१०** | **५५४.६१०** | **१९६०.३२०** |

**३. कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत पत्र जा.क्र. कृआ/विप्र. २ /राअसुअ-गळीत/मा.सु. /प्र.क्र. २/२०२१/१९५२८, दिनांक २२ जून, २०२१**

| **४. राज्य शासनाची वित्तीय मान्यता शा.नि.क्र.** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **...** | **...** | **...** |

| **५. आयुक्तालयस्तरावरुन क्षेत्रीयस्तरावर वितरीत निधी** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **८३२.८२** | **५५५.२१** | **१३८८.०३** |

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | | भौतिक साध्याप्रमाणे अपेक्षित खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांक | साध्य | |
| **१)** | **बियाणे घटक** | | | | | | |
| अ) | मूलभूत बियाणे खरेदी (@ बियाणे पूर्ण किंमत) | क्विंटल | ६४५ | ३५३ | ४८.८९ | ०.०० | ४२.६२ |
| ब) | पायाभूत बियाणे उत्पादन (@ रु. २५००/- प्र.क्विं.) | क्विंटल | ६४०० | ९७७३ | १६०.०० | ०.०० | २४४.३३ |
| क) | प्रमाणित बियाणे उत्पादन (@ रु. २५००/- प्र.क्विं.) | क्विंटल | ५५३६० | ५२०८८ | १३८४.०० | ०.०० | १३०२.२१ |
| ड) | प्रमाणित बियाणे वितरण (@ रु. २५००/- प्र.क्विं.) | क्विंटल | ४२००० | २७२१६ | ५०४.०० | १३४.९० | ३२६.५९ |
| | **एकूण (१)** | | **..** | **..** | **२०९६.८९** | **१३४.९०** | **१९१५.७४** |
| **२)** | **तंत्रज्ञान प्रसारण घटक** | | | | | | |
| **अ)** | **गट प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| १) | भुईमूग (@ रु. १००००/प्रति हे.) | हेक्टर | ५९३ | .. | ५९.३० | .. | .. |
| २) | सोयाबीन (@ रु. ६०००/प्रति हे.) | हेक्टर | २८२०० | २८१८१ | १६९२.०० | ७९२.३९ | १६७४.०० |
| ३) | तीळ (@ रु. ३०००/प्रति हे.) | हेक्टर | २५१ | ६० | ७.५३ | ०.२० | १.८० |
| ४) | करडई (@ रु. ३००००/प्रति हे.) | हेक्टर | १००० | १४३० | ३०.०० | २.५८ | ४२.९० |
| ५) | जवस (@ रु. ३०००/प्रति हे.) | हेक्टर | १०० | ३० | ३.०० | .. | ०.९० |
| | **एकूण गट प्रात्यक्षिके २ (अ)** | | **३०१४४** | **२९७०१** | **१७९१.८३** | **७९५.१७** | **१७१९.६०** |

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक | | आर्थिक (रु. लाख) | | भौतिक साध्याप्रमाणे अपेक्षित खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्षांक | साध्य | लक्षांक | साध्य | |
| ब) | शेतकरी शेतीशाळा (@ रु. १४०००/प्रति शेतशाळा) | संख्या | ३०४ | २८२ | ४२.५६ | ९.१३ | ३९.४८ |
| क) | शेतकरी प्रशिक्षण (@ रु. २४०००/प्रति प्रशिक्षण) | संख्या | १५४ | ११४ | ३६.९६ | २.५३ | २७.३६ |
| ड) | विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण (@ रु. ३६०००/प्रति प्रशिक्षण) | | ३८ | १९ | १३.६८ | ०.६९.. | ६.८४ |
| | **एकूण २** | | .. | .. | **१८८५.०३** | **८०७.५१** | **१७९३.२८** |
| **३)** | **उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा** | | | | | | |
| अ) | जिप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट/गंधक (@ रु. ७५०/प्र.शे.) | हेक्टर | १४००० | २५१९ | १०५.०० | ०.४० | १८.८९ |
| ब) | जैविक खते (@ रु. ३००/प्र.हे.) | हेक्टर | २०००० | ४५१८ | ६०.०० | ३.६३ | १३.५५ |
| क) | पिक संरक्षण औषधे (@ रु. ५००/प्र.हे.) | हेक्टर | २३००० | १८०९८ | ११५.०० | १४.०३ | ९०.४९ |
| ड) | जैविक किड नियंत्रण (@ रु. ५००/प्र.हे.) | हेक्टर | १२५०० | ४०४ | ६२.५० | १.०० | २.०२ |
| इ) | सुधारित कृषि औजारे (@ रु. ३००/प्र.हे.) | | | | | | |
| | i) मनुष्यचलित (किंमतीच्या ५०% रु. १०००० मर्यादेत) | संख्या | २७५ | २ | २७.५० | .. | १८.८९ |
| | ii) बैल/ट्रॅक्टर चलित (अनुदान SMAM प्रमाणे) | संख्या | १५६६ | ४८६ | ११७४.५० | १९६.८० | २४२.७५ |
| उ) | पाईप्सचा पुरवठा (@ रु. १५०००/प्र. ६०० मी. संच) | संख्या | १०९९९८८ | ६९९५३ | ५४९.९९ | २१.४३ | ३४.९८ |
| | **एकूण (३)** | | .. | .. | **२०९४.४९** | **२३७.२९** | **४०२.८९** |
| **४)** | **फ्लेक्झीफंड (गरजेनुरुप उपक्रम)** | | | | | | |
| अ) | छोट तेल घाणा सयंत्र | संख्या | १९ | .. | ३४.२० | .. | .. |
| ब) | डीझेल पंपसंच (@ रु. १००००/ संच) | संख्या | २३१५ | १४६ | २३१.५० | १३.९१ | १४.६० |
| क) | शेततळे | संख्या | ३९० | ३ | १९५.०० | ०.८५ | १.५० |
| ड) | गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता @ रु. १२.५० लाख) | संख्या | १९ | १ | २३७.५० | ६.४१ | ६.४१ |
| | **एकूण (४)** | | .. | १५० | **६९८.२०** | २१.१७ | **२२.५१** |
| **५)** | **अभियान व्यवस्थापन खर्च** | | | | | | |
| अ) | राज्य/जिल्हास्तरीय तंत्र सहाय्यता गट व्यवस्थापन | संख्या | ४२ | ३७ | १५९.९४ | ७१.३१ | ७१.३१ |
| ब) | भाडे तत्त्वावर वाहन घेणे | संख्या | २० | .. | ३०.५२ | २.९१ | २.९१ |
| क) | संकीर्ण खर्च | संख्या | ०० | .. | .. | ५.६४ | ५.६४ |
| | **एकूण (५)** | .. | .. | **३७** | **२०९.४६** | **७९.८५** | **७९.८५** |
| | **एकूण एकंदर** | | .. | .. | ६९८४.०७ | १२८०.७८ | ४२१४.२७ |
| | **केंद्र हिस्सा** | | .. | .. | ४२१०.०० | ७६८.४३ | २५०५.६१ |
| | **एकूण राज्य हिस्सा** | | .. | .. | २७७४.०७ | ५१२.२९ | १६६८.६६ |

## विवरणपत्र - १

## सन २०२१-२२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियान क्र. ३ (वृक्षजन्य तेलबिया) मासिक प्रगती अहवाल माहे डिसेंबर, २०२१ अखेर

(रु. लाख)

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **१. प्रशासकीय मंजुरी :** | | | |
| अ) केंद्र शासन पत्र क्र. F.No. ३-४/२०२१-(OP) (SB), E-९८२०२ दि. १७/६/२०२१ | ४७.०८८ | ३१.३९६ | ७८.४८४ |

| **२. केंद्र शासनाची वित्तीय मान्यता (केंद्र हिस्सा)** | पुनर्जिवीत निधी | पहिला हप्ता | एकूण |
|---|---|---|---|
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | १०.९९० | ४.२८० | १५.२७० |
| ब) अनुसूचीत जाती प्रवर्ग | १८.१४० | ... | १८.१४० |
| क) अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग | ४.६०० | ... | ४.६० |
| **एकूण** | **३३.७३०** | **..** | **३८.०१०** |

**३. कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत पत्र जा.क्र. कृआ/विप्र. २ /राअसुअ-वृ. तेल/बा. कार्य, मा.सु. /प्र.क्र. २/२०२१/१९९८७, दिनांक २५ जून, २०२१**

| **४. राज्य शासनाची वित्तीय मान्यता शा.नि.क्र.** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **...** | **...** | **...** |

| **५. आयुक्तालयस्तरावरुन क्षेत्रीय वितरीत निधी** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **...** | **...** | **...** |

| अ.घटक/बाबपरिमाण क्र. | परिमाण | भौतिक लक्षांक | भौतिक साध्य | आर्थिक (रु. लाख) लक्षांक | आर्थिक (रु. लाख) साध्य | भौतिक साध्याप्रमाणे अपेक्षित खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अ. क्षेत्र विस्तार घटक** | | | | | | |
| i) करंज (@ रु. २०,०००/हे.) | हेक्टर | ७५ | ३ | १५.०० | .. | ०.६० |
| ii) कोकम (@ रु. १५,०००/हे.) | हेक्टर | १८० | ६० | २७.०० | ४.४४ | ९.०७ |
| iii) महुआ (@ रु. १५,०००/हे.) | हेक्टर | ५० | १५ | ७.५० | ०.५४ | २.२५ |
| **एकूण** | | **३०५** | **७८** | **४९.५०** | **४.९८** | **११.९२** |
| **ब. वृक्षजन्य तेलबिया लागवडी पश्चात देखभाल** | | | | | | |
| i) करंज (@ रु. २,०००/हे.) | हेक्टर | १०२ | .. | २.०४ | .. | .. |
| ii) कोकम (@ रु. २,०००/हे.) | हेक्टर | ७०० | ९९.४३ | १३.९९ | ०.८० | १.१९ |
| iii) महुआ (@ रु. २,०००/हे.) | हेक्टर | ६३ | १५.०० | १.२५ | ०.०८ | ०.३० |
| | | **८६५** | **११४.४३** | **१७.२८** | **०.८८** | **२.२९** |
| **२) तंत्रज्ञान प्रसार घटक** | | | | | | |
| अ) शेतकरी प्रशिक्षण (@ रु. २४,०००/प्रशिक्षण) | संख्या | ६ | ३ | १.४४ | ०.४८ | ०.७२ |
| ब) विस्तार कर्मचारी/अधिकारी/निविष्ठा विक्रेते प्रशिक्षण (@ रु. ३६,०००/प्रशिक्षण) | संख्या | १ | १ | ०.३६ | .. | ०.३६ |
| **३) फ्लेक्झी निधी** (शेततळी/डिझेल पंपसंच) | | .. | .. | ७.९१ | ०.५९ | ०.५९ |
| ४) अभियान व्यवस्थापन खर्च संकीर्ण | | .. | .. | २.०० | .. | .. |
| **एकूण एकंदर** | | **..** | **..** | **७८.४८४** | **६.९३** | **१५.८७** |
| **केंद्र हिस्सा** | .. | .. | .. | ४७.०८८ | ४.१६ | ९.५२ |
| **राज्य हिस्सा** | .. | .. | .. | ३१.३९६ | २.७७ | ६.३५ |

## विवरणपत्र - १

### राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) सन २०२१-२२ अंतर्गत "मातपड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठीकार्यक्रम : TRFA-Oilseeds"

**मासिक प्रगती अहवाल माहे डिसेंबर, २०२१ अखेर** (रु. लाखात)

| | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **१. प्रशासकीय मंजुरी :** | | | |
| अ) केंद्र शासन पत्र क्र. F.No. २-३९/२०२१-NFSM (OS), दि. १३/०८/२०२१ | ७०.००० | ४६.६७० | ११६.६७० |
| ब) राज्य शासन निर्णय क्र. राअसुअ-२०२१/प्र.क्र. ७५/४-अे, दि. १३/०८/२०२१ | | | |

| **२. केंद्र शासनाची वित्तीय मान्यता (केंद्र हिस्सा)** | पुनर्जिवीत निधी | पहिला हप्ता | एकूण |
|---|---|---|---|
| अ) सर्वसाधारण प्रवर्ग | .. | .. | .. |
| ब) अनुसूचीत जाती प्रवर्ग | .. | .. | .. |
| क) अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग | .. | .. | .. |
| **एकूण** | **..** | **..** | **..** |

**३. कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत पत्र जा.क्र. विप्र. २ /राअसुअ-गळीत ब. कार्य, मा.सु. /प्र.क्र. १०/२०२१/२९२१३, दिनांक ०६/०९/ २०२१**

| **४. राज्य शासनाची वित्तीय मान्यता शा.नि.क्र.** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **...** | **...** | **...** |

| **५. आयुक्तालयस्तरावरुन क्षेत्रीय वितरीत निधी** | केंद्र | राज्य | एकूण |
|---|---|---|---|
| **एकूण** | **...** | **...** | **...** |

| अ. क्र. | घटक/बाब | परिमाण | भौतिक लक्षांक | भौतिक साध्य | आर्थिक (रु. लाख) लक्षांक | आर्थिक (रु. लाख) साध्य | भौतिक साध्याप्रमाणे अपेक्षित खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अ.** | **क्षेत्र विस्तार घटक** | | | | | | |
| | १) मोहरी (रु. ३,०००/हे.) | हेक्टर | ८० | .. | २.४ | .. | .. |
| | २) जवस (रु. ३,०००/हे.) | हेक्टर | ६०० | .. | १८ | .. | .. |
| | ३) करडई (रु. ३,०००/हे.) | हेक्टर | ३५० | ९२० | १०.५ | .. | २७.६० |
| | ४) भूईमुग (रु. १०,०००/हे.) | हेक्टर | ६७२ | २५ | ६७.२ | .. | २.५ |
| | **एकूण (अ)** | | **१७०२** | **९४५** | **९८.१** | **..** | **३०.१०** |
| **ब.** | **एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन** | | | | | | |
| | १) सूक्ष्म मुलद्रव्ये (रु. ५००/हे.) | हेक्टर | ३७० | ३२१ | १.८५ | .. | १.६१ |
| | २) जैविक कीटकनाशके (Bio Pesticide) | हेक्टर | ४२० | ३५९ | २.१ | .. | १.८० |
| | **एकूण (ब)** | | **७९०** | **६८०** | **३.९५** | **..** | **३.४०** |
| **क.** | **सिंचन साधने** | | | | | | |
| | १) पाईप्सचा पुरवठा (रु. २० ते ५०/प्रती मीटर) | मीटर | ३५०० | .. | १.७५ | .. | ०.०० |
| | **एकूण (क)** | | **३५००** | **..** | **१.७५** | **..** | **०.००** |
| **ड** | **कृषि यंत्रसामग्री (ट्रॅक्टरचलित अवजारे)** | | | | | | |
| | i) सीड ड्रील (SMAM प्रमाणे) | संख्या | २ | .. | ०.४ | .. | ०.०० |
| | ii) रोटाव्हेटर (SMAM प्रमाणे) | संख्या | १२ | .. | ५.४ | .. | ०.०० |
| | **एकूण (ड)** | | **१४** | **..** | **५.८** | **..** | **०.००** |
| **इ)** | **प्रशिक्षण** | | | | | | |
| | १) शेतकरी प्रशिक्षण (रु. २४,०००/प्रशिक्षण) | संख्या | २५ | २३ | ५.९९ | .. | ३.२२ |
| | २) अधिकारी प्रशिक्षण (रु. ३६,०००/प्रशिक्षण) | संख्या | ३ | २ | १.०८ | .. | ०.७२ |
| | **एकूण (इ)** | | **२८** | **२५** | **७.०७** | **..** | **३.९४** |
| | **एकूण एकंदर (अ+ब+क+ड+इ)** | | **..** | **..** | **११६.६७** | **०.००** | **३७.४४** |
| | **केंद्र हिस्सा** | .. | .. | .. | ७०.०० | .. | २२.४६ |
| | **राज्य हिस्सा** | .. | .. | .. | ४६.६७ | .. | १४.९८ |

## राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसित करणेचा कार्यक्रम सन २०२०-२१

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात हे अभियान राज्यात एकूण आठ जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या जिल्ह्या व्यतिरिक्त ९ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसित करणेचा कार्यक्रम राबवायचा आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, अहमदनगर व नंदुरबार या ९ जिल्ह्यांची भात पिकाची सरासरी उत्पादकता राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. तथापि, या जिल्ह्यांमध्ये भात पिकाची उत्पादकता वाढीस अजून ही मोठा वाव आहे. तसेच या भात क्षेत्रात भात पिकानंतर बहुतांशी दुसरे पीक घेतले जात नाही. या क्षेत्रामध्ये जर भात पीक पद्धतीची प्रात्याक्षीके घेतल्यास भात पिकाची उत्पादकता वाढीस मदत होईल. सुधारित वाणाचे बियाणे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीकोनातून बियाणे उत्पादन व बियाणे वितरण या बाबींचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. तसेच शेतकरी शेतीशाळा या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

**उद्देश --**

- राज्यातील भात पिकाचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढविणे.
- बियाणे उत्पादन / बियाणे वितरण याद्वारे नविन भात पीक वाणाचे क्षेत्र वाढविणे.

**समाविष्ट जिल्हे --** ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर व कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.

---

## राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसित करणेचा कार्यक्रम सन २०२०-२०२१ मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च २०२१ अखेर

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | जिल्हा | बियाणे वितरण | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १० वर्षाच्या आतील | | | | १० वर्षाच्या वरील | | | | संकरित वाण | | | | एकूण | | | |
| | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | | साध्य | |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | ठाणे | २१० | ४.२०० | ७१.७५ | १.४३५ | ९० | ०.९०० | २०.०० | ०.२०० | ९.०० | ०.९०० | .. | .. | ३०९ | ६.००० | ९१.७५ | १.६३५ |
| २ | पालघर | ३१० | ६.२०० | २८०.०० | ५.६०० | १३० | १.३०० | ९०.०० | ०.९०० | १३.०० | १.३०० | .. | .. | ४५३ | ८.८०० | ३७०.०० | ६.५०० |
| ३ | रायगड | ४४० | ८.८०० | ८.१४ | १६.२८० | १९० | १.९०० | १९०.०० | १.९०० | १९.०० | १.९०० | .. | .. | ६४९ | १२.६०० | १००४.०० | १८.१८० |
| ४ | रत्नागिरी | २७० | ५.४०० | ३१.०० | ०.६२० | १२० | १.२०० | १९.०० | ०.१९० | १२.०० | १.२०० | १.०० | ०.१०० | ४०२ | ७.८०० | ५१.०० | ०.९१० |
| ५ | सिंधुदुर्ग | २७० | ५.४०० | .. | .. | १२० | १.२०० | .. | .. | १२.०० | १.२०० | .. | .. | ४०२ | ७.८०० | .. | .. |
| | **ठाणे विभाग** | **१५००** | **३०.०००** | **११९७** | **२३.९३५** | **६५०** | **६.५००** | **३१९** | **३.१९०** | **६५** | **६.५००** | **१** | **०.१००** | **२२१५** | **४३.००** | **१५१७** | **२७.२२५** |
| ६ | नंदुरबार | ८० | १.६०० | .. | .. | ४० | ०.४०० | ५.०० | ०.०५० | ३.०० | ०.३०० | .. | .. | १२३ | २.३०० | ५.०० | ०.०५० |
| | **नाशिक विभाग** | **८०** | **१.६००** | **..** | **..** | **४०** | **०.४००** | **५.००** | **०.०५०** | **३.००** | **०.३००** | **..** | **..** | **१२३** | **२.३००** | **५.००** | **०.०५०** |
| ७ | अहमदनगर | ४० | ०.८०० | .. | .. | २० | ०.२०० | ५.०० | ०.००० | २.०० | ०.२०० | .. | .. | ६२ | १.२०० | ०.०० | ०.००० |
| | **पुणे विभाग** | **४०** | **०.८००** | **..** | **..** | **२०** | **०.२००** | **५.००** | **०.०००** | **२.००** | **०.२००** | **..** | **..** | **६२** | **१.२००** | **०.००** | **०.०००** |
| ८ | सांगली | ६० | १.२०० | .. | .. | ३० | ०.३०० | .. | .. | ३.०० | ०.३०० | .. | .. | ९३ | १.८०० | .. | .. |
| ९ | कोल्हापूर | ४२० | ८.४०० | .. | .. | १६० | १.६०० | .. | .. | १७.०० | १.७०० | .. | .. | ५९७ | ११.७०० | .. | .. |
| | **कोल्हापूर विभाग** | **४८०** | **९.६००** | **..** | **..** | **१९०** | **१.९००** | **..** | **..** | **२०** | **२.००** | **..** | **..** | **६९०** | **१३.५००** | **..** | **..** |
| १० | विकृसंके. कर्जत-रायगड | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ११ | कृसंके. शिरगाव, ता. रत्नागिरी | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | को.कृ.वि. दापोली | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | **एकूण एकंदर कार्यक्रम** | **२१००** | **४२.०००** | **११९७** | **२३.९३५** | **९००** | **९.०००** | **३२४** | **३.२४०** | **९०** | **९.०००** | **१** | **०.१००** | **३०९०** | **६०.०००** | **१५२१.७५** | **२७.२७५** |
| | **आयुक्तालयस्तर रक्कम** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | |
| | **एकूण महाराष्ट्र राज्य** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | |

## राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसित करणेचा कार्यक्रम सन २०२०-२०२१ मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च २०२१ अखेर

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | जिल्हा | बियाणे उत्पादन १० वर्षाच्या आतील वाणांचे | | | | प्रात्यक्षिके | | | | शेतीशाळा | | | | एकूण आर्थिक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | | साध्य | | लक्षांक | साध्य |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक |
| १ | ठाणे | २४० | २.४०० | २२५.३५ | २.२५४ | ६० | ५.४०० | २१०.०० | ५.३७२ | १५ | २.१०० | १५.०० | २.१०० | १५.९०० | ११.३६० |
| २ | पालघर | ३४० | ३.४०० | .. | .. | ८० | ७.२०० | ८०.०० | ४.६५८ | १७ | २.३८० | १७.०० | २.३८० | २१.७८० | १३.५३८ |
| ३ | रायगड | ५०० | ५.००० | .. | .. | ११५ | १०.३५० | ११५.०० | १०.३४४ | २९ | ४.०६० | २९.०० | ४.०६० | ३२.०१० | ३२.५८४४ |
| ४ | रत्नागिरी | ३१० | ३.१०० | ३०३.०० | ३.०३० | ६५ | ५.८५० | ६५.०० | ५.५४० | १८ | २.५२० | १८.०० | २.५२० | १९.२७० | १२.००० |
| ५ | सिंधुदुर्ग | ३१० | ३.१०० | .. | .. | ८० | ७.२०० | १३५.०० | १०.४८० | १८ | २.५२० | १८.०० | २.५२० | २०.६२० | १३.००० |
| | **ठाणे विभाग** | **१७००** | **१७.०००** | **५२८** | **५.२८४** | **४००** | **३६.०००** | **६०५** | **३६.३९४** | **९७** | **१३.५८०** | **९७** | **१३.५८०** | **१०९.५८०** | **८२.४८२** |
| ६ | नंदुरबार | ९० | ०.९०० | .. | .. | २० | १.८०० | २०.०० | ०.९३५ | २ | ०.२८० | २.०० | ०.२८० | ५.२८० | १.२६५ |
| | **नाशिक विभाग** | **९०** | **०.९००** | **..** | **..** | **२०** | **१.८००** | **२०.००** | **०.९३५** | **२** | **०.२८०** | **२.००** | **०.२८०** | **५.२८०** | **१.२६५** |
| ७ | अहमदनगर | ५० | ०.५०० | .. | .. | १० | ०.९०० | १०.०० | ०.९०० | २ | २.८० | २.०० | ०.२८० | २.८८० | १.१८० |
| | **पुणे विभाग** | **५०** | **०.५००** | **..** | **..** | **१०** | **०.९००** | **१०.००** | **०.९००** | **२** | **२.८०** | **२.००** | **०.२८०** | **२.८८०** | **१.१८०** |
| ८ | सांगली | ७० | ०.७०० | .. | .. | २० | १.८०० | .. | .. | २ | ०.२८० | १.०० | ०.१४० | ४.५८० | ०.१४० |
| ९ | कोल्हापूर | ४९० | ४.९०० | २९३.०५ | २.९३१ | १२० | १०.८०० | १२०.०० | १०.५६७ | २१ | २.९४० | २१.०० | २.१३० | ३०.३४० | १५.६२७ |
| | **कोल्हापूर विभाग** | **५६०** | **५.६००** | **२९३.१** | **२.९३१** | **१४०** | **१२.६००** | **१२०** | **१०.५६७** | **२३** | **३.२२०** | **२२** | **२.२७०** | **३४.९२०** | **१५.७६७** |
| १० | विकृसंके. कर्जत-रायगड | ३०० | ३.००० | २२२ | २.२२० | १५ | १.३५० | .. | .. | १ | ०.१४० | .. | .. | ४.४९० | २.२२० |
| ११ | कृसंके. शिरगाव, ता. रत्नागिरी | ३०० | ३.००० | १९० | १.८९६ | १५ | १.३५० | १५.०० | १.३५० | १ | ०.१४० | १.०० | ०.१४० | ४.४९० | ३.३८६ |
| | को.कृ.वि. दापोली | **..६००** | **६.०००** | **४१२** | **४.११६** | **३०** | **२.७००** | **१५** | **१.३५०** | **२** | **०.२८०** | **१** | **०.१४०** | **८.९८०** | **५.६०६** |
| | **एकूण एकंदर कार्यक्रम** | **३०००** | **३०.०००** | **१२३३** | **१२.३३०** | **६००** | **५४.०००** | **७७०** | **५०.१४५** | **१२६** | **१७.६४०** | **१२४** | **१६.५५०** | **१६१.६४०** | **१०६.३०१** |
| | **आयुक्तालयस्तर रक्कम** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **१.६३०** | **०.९५२** |
| | **एकूण महाराष्ट्र राज्य** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **१६३.२७०** | **१०७.२५३** |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम सन २०२१-२२

कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुधारित मशागत पध्दती व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रती हेक्टरी उत्पादन वाढविणे यासाठी सन २०१३-१४ पर्यंत कापूस तंत्रज्ञान अभियान- II अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सघन कापूस विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत होता. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत सदर योजना बंद करण्यात आली असून सन २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके या अंतर्गत कापूस आधारित पीक पध्दतीस चालना देण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ मध्ये १० हेक्टरचा एक प्रमाणे १९२ प्रकल्पांद्वारे रु. ४६७.०० लाखाचा रकमेचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात आंतरपिके - मूग, उडीद इत्यादी) आणि देशी/सरळ वाणाच्या कापसाची अतीघन लागवड पद्धतीच्या चाचण्या हे घटक राबविण्यात येत आहेत.

**या कार्यक्रमाची उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत :-**

१. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्याच्या गरजेसोबतच नगदी पिकांचीही गरज भागविण्यासाठी कापूस पिकांतर्गत अन्नधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

२. या अंतर्गत कापूस आधारित पीक पध्दतीस चालना देणे.

३. कापूस पिकात मूग, उडीद इ. कडधान्याच्या आंतरपिकास प्रोत्साहन देणे.

४. कापूस पिकात एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, कापसाच्या देशी/सरळ वाणांची अतीघन लागवड, आयोजित करून कापूस उत्पादनास चालना देणे.

**समाविष्ट जिल्हे :** (१) बुलढाणा, (२) अकोला, (३) वाशिम, (४) अमरावती, (५) यवतमाळ, (६) वर्धा, (७) नागपूर, (८) चंद्रपूर, (९) धुळे, (१०) जळगाव, (११) औरंगाबाद, (१२) जालना, (१३) बीड, (१३) नांदेड, (१५) परभणी, (१६) अहमदनगर

### रा.अ.सु.अ.- व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम सन २०२१-२२ (६०:४०)

(रक्कम रुपये लाखात)

| अ.क्र | बाब/घटक | परिमाण (एकक) | अनुदान दर | भौतिक लक्ष (सुधारित) | भौतिक अपेक्षित साध्य | आर्थिक लक्ष (सुधारित) | आर्थिक साध्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | एकात्मिक पीक व्यवस्थापन आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (आयसीएम) | हेक्टर | रक्कम रु. ८०००/- प्रती हेक्टर | ६८० | ६८० | ५४.४० | ५४.४० |
| २ | आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके कापूस पिकात आंतरपिके (मूग, उडीद) | हेक्टर | रक्कम रु. ८०००/- प्रती हेक्टर | ५४० | ५४० | ४३.२० | ४३.२० |
| ३ | कापसाच्या देशी वाणांची अतीघन लागवड पद्धतीची प्रात्यक्षिके | हेक्टर | रक्कम रु. १०,०००/- प्रती हेक्टर | ३०० | ३०० | ३०.०० | ३०.०० |
| ४ | पिक संरक्षण औषधे व बायो-एजंटसचे वितरण | हेक्टर | प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% कमाल रु. ५००/हेक्टर | ४७५०० | ४७५०० | २३७.५० | २३७.५० |
| ५ | राज्यस्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी प्रशिक्षण | संख्या | रक्कम रु. ४०,०००/- प्रशिक्षण | ३ | ३ | १.२० | १.२० |
| ६ | कॉटन श्रेडर्स | संख्या | * | ११० | ११० | ९८.०० | ९८.०० |
| ७ | देशी व अती लांब धाग्याच्या कापसाचे बीजोत्पादन | हेक्टर | रु. ९००० प्रती हेक्टर | ३० | ३० | २.७० | २.७० |
| | | | **एकूण** | | | ४६७.०० | ४६७.०० |

* अ.जा., अ.ज. व महिला यांच्यासाठी किंमतीच्या ५०% कमाल रु. १.०० लाख/- प्रति युनिटच्या मर्यादेत तर इतर लाभार्थ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% कमाल रुपये ०.८० लाख प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य.

## रा.अ.सु.अ.- व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम सन २०२२-२३ (६०:४०)

(रक्कम रुपये लाखात)

| अ.क्र | बाब/घटक | परिमाण (एकक) | अनुदान दर | भौतिक लक्ष सुधा. | आर्थिक लक्ष सुधा. |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ७ |
| १ | एकत्मिक पिक व्यवस्थापन आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (आयसीएम) | हेक्टर | रक्कम रु. ८०००/- प्रती हेक्टर | ६८० | ५४.४० |
| २ | आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके देशी आणि अती-लांब धाग्यांच्या कापसाचे बिजोत्पादन | हेक्टर | रक्कम रु. ९०००/- प्रती हेक्टर | ५० | ४.५० |
| ३ | आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके कापूस पिकात आंतर पिके (मुग, उडीद) | हेक्टर | रक्कम रु. ८०००/- प्रती हेक्टर | ७४० | ५९.२० |
| ४ | कापसाच्या देशी/सरळ वाणांची अतीघन लागवड पद्धतीची प्रात्यक्षिके | हेक्टर | रक्कम रु. १००००/- प्रती हेक्टर | ७०० | ७०.०० |
| ५ | पिक संरक्षण औषधे व बायो-एजंटसचे वितरण | हेक्टर | प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% कमाल रु. ५००/- हेक्टर | ४५२८० | २२६.४० |
| ६ | राज्यस्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी प्रशिक्षण | संख्या | रक्कम रु. ४०,०००/- प्रशिक्षण | ३ | १.२० |
| ७ | कॉटन श्रेडर्स | संख्या | * | ११० | ९८.०० |
| | | | **एकूण** | **५१३.७०** .. | **५१३.७०** |

* अ.जा., अ.ज., व महिला यांच्यासाठी किंमतीच्या ५०% कमाल रु. १.०० लाख/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत तर इतर लाभार्थ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% कमाल रु. ०.८० लाख प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य.

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास योजना सन २०२१-२०२२ (६०:४०)

ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्वाचे नगदी पीक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती झाली आहे. उसाच्या वाढीस लागणारे अनुकूल हवामान राज्यात उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य आज देशात साखर उत्पादन व साखर उताऱ्याबाबत आघाडीवर आहे. परंतु, सरासरी प्रती हेक्टरी ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रगत ऊस शेती तंत्रज्ञान जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे अगत्याचे आहे. राज्यात ऊसाखाली सरासरी ९.०५ लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी उत्पादकता ८३ मे. टन प्रती हेक्टर आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ऊस पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकतेत ८९ मे. टनापर्यंत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके कार्यक्रमांतर्गत ऊस विकास योजना कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत एक डोळा, पट्टा पध्दतीचा अवलंब करून आंतरपिकाची प्रात्याक्षिके, उती संवर्धित रोपांची निर्मिती, मनुष्यबळ विकास व शुगरकेन लिफ श्रेडर वाटप हे घटक राबविण्यात येत आहेत. उती संवर्धनामुळे उसाच्या सुधारित वाणांची निरोगी रोपे तयार करून ठिकठिकाणी त्यापासून बेणे मळे तयार करणे सुलभ होते.

**योजनेची उद्दिष्टे :-**

(१) उसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करून उत्पादकता वाढविणे.

(२) दर्जेदार बेण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी उती संवर्धित रोपांचे वाटप करणे.

(३) तंत्रज्ञान प्रसारासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.

(४) तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रिय स्तरावर ऊस पिकात हरभरा इ. आंतरपिकाची प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे.

**समाविष्ट जिल्हे :-** (१) औरंगाबाद, (२) जालना, (३) बीड, (४) लातूर, (५) उस्मानाबाद, (६) नांदेड, (७) परभणी, (८) हिंगोली, (९) अहमदनगर, (१०) पुणे, (११) सोलापूर, (१२) सातारा, (१३) सांगली, (१४) कोल्हापूर

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास योजना कार्यक्रम सन २०२१-२२ (६०:४०)

(रुपये लाखात)

| अ.क्र | योजनेतील घटक | परिमाण (एकक) | अनुदानाचा दर | भौतिक | | आर्थिक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्ष (सुधारित) | अपेक्षित साध्य | लक्ष (सुधारित) | अपेक्षित साध्य |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १. | एक डोळा पट्टा पध्दतीचा अवलंब व आंतरपिकाची पीक प्रात्याक्षिके | हेक्टर | रक्कम रु. ९०००/- प्रती हेक्टर | २४०० हेक्टर | २४०० हेक्टर | २१६.०० | २१६.०० |
| २. | उती संवर्धित रोपे | संख्या | रु. ३.५०/- प्रती रोप | २.८६ लाख | २.८६ लाख | १०.०० | १०.०० |
| ३. | राज्यस्तरीय प्रशिक्षण | संख्या | रु. ४००००/- प्रती प्रशिक्षण | ४ | ४ | १.६० | १.६० |
| ४. | पिकसंरक्षण व औषधे व बायो एजंटसचे वितरण | हेक्टर | किमतीच्या ५०% | १६२० | १६२० | ८.१० | ८.१० |
| ५. | शुगरकेन लिफ श्रेडर वाटप | संख्या | * | २८ | २८ | ३१.५० | ३१.५० |
| ६. | मुलभूत बियाणे उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य | हेक्टर | रु. ४०००/- प्रति हेक्टर | १२ | १२ | ४.८० | ४.८० |
| | | | **एकूण** | | | **२७२.००** | **२७२.००** |

*अ.जा.,अ.ज., व महिला यांच्यासाठी किंमतीच्या ५०% कमाल रु. १,२५,०००/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत तर इतर लाभार्थ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% कमाल रु. १,००,०००/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य.

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास योजना कार्यक्रम सन २०२२-२३ (६०:४०) (प्रस्तावित)

(रुपये लाखात)

| अ.क्र | योजनेतील घटक | परिमाण (एकक) | अनुदानाचा दर | भौतिक | आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | एक डोळा पट्टा पध्दतीचा अवलंब व आंतरपिकाची पीक प्रात्याक्षिके | हेक्टर | रक्कम रु. ९०००/- प्रती हेक्टर | २७०० हेक्टर | २४३.०० |
| २ | उती संवर्धित रोपे | संख्या | रु. ३.५०/- प्रती रोप | २.८६ लाख | १०.०० |
| ३ | मूलभूत बियाणे उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य | हेक्टर | रु. ४०,०००/- प्रती हेक्टर | १२ लाख | ४.८० |
| ४ | राज्यस्तरीय प्रशिक्षण | संख्या | रु. ४००००/- प्रती प्रशिक्षण | ४ | १.६० |
| ५ | पिक संरक्षण औषधे व बायो एजंटसचे वितरण | हेक्टर | किमतीच्या ५०% रु. ५००/- हेक्टर मर्यादेत | १६६० | ८.३० |
| ६ | शुगरकेन लिफ श्रेडर वाटप | संख्या | * | २८ | ३१.५० |
| | | | **एकूण** | .. .. | **२९९.२०** |

*अ.जा.,अ.ज. व महिला यांच्यासाठी किंमतीच्या ५०% कमाल रु. १,२५,०००/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत तर इतर लाभार्थ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% कमाल रु. १,०,०००/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य.

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान

**(भात, गहु, कडधान्य, भरडधान्य-मका व पौष्टिक तृणधान्य)**

राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या दि. २९ मे, २००७ रोजी झालेल्या त्रेपन्नाव्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविण्याचा निर्णय झाला. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भात, गहू आणि कडधान्य या पिकांचे उत्पादन वाढीच्या मोहिमांचा समावेश होतो.

सन २००७-०८ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत भात, गहू व कडधान्य पिकासाठी राबविण्यात येत आहे. यामध्ये क्षेत्र विस्ताराद्वारे उत्पादकता वाढ करणे व उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्देश आहेत. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भरडधान्य तसेच ऊस व कापूस या नगदी पिकांचा समावेश अभियानामध्ये करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९ या चालू वर्षीपासून सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार अभियानात पौष्टिक तृणधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. खालीलप्रमाणे पिकनिहाय जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आले आहेत.

**भात -** नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. (८)

**गहू -** बीड, सोलापूर, नागपूर. (३)

**कडधान्य -** सर्व जिल्हे (३४)

**भरडधान्य - मका -** नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, जालना. (७)

**पौष्टिक तृणधान्य -** ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती व यवतमाळ. (२६)

## अ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) (अंतिम)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | एकूण कडधान्य लक्षांक भौतिक | लक्षांक आर्थिक | साध्य भौतिक | साध्य आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| | **अ) सलग गट प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| | १) तूर | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | २५२५ | २२७.२५ | १२०० | ५६.९९१ |
| | २) मूग | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ५१०० | ४५९.०० | २२५९ | १०६.५९३ |
| | ३) उडीद | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | २५५६ | २३०.१२ | १७५७ | ७६.१६० |
| | ४) हरभरा | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ६५०० | ५८५.०० | १४७८५ | ११३१.२०४ |
| | **एकूण गट प्रात्यक्षिके** | | **हेक्टर** | **१६६८१** | **१५०१.३७** | **२००४७** | **१३८८.६३०** |
| | **ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| | तूर + सोयाबिन | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | १८११९ | १६३०.७१ | ८०२१ | ४८७.३४ |
| १ | **क) पीक पध्दतीवर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| | १) मूग नंतर रब्बी ज्वारी | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ६९० | १०३.५० | २८० | २१.५१५ |
| | २) मूग नंतर गहू | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४५० | ६७.५० | ३०० | २३.१२० |
| | ३) उडीद पिकानंतर रब्बी ज्वारी | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | १३०० | १९५.०० | ९१० | ६२.५३३ |
| | ४) उडीद पिकानंतर गहू | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४५० | ६७.५० | ३९० | ३५.२९९ |
| | ५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ५१७० | ७७५.५० | ३२४८ | ३६१.१३७ |
| | ६) बाजरी नंतर हरभरा | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | १२३५ | १८५.२५ | १००० | ११८.८७६ |
| | **एकूण पीक पद्धतीवर आधारीत प्रात्यक्षिके** | | **हेक्टर** | **९२९५** | **१३९४.२५** | **६१२८** | **६०३.२७९** |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ अ) ते १ क)** | | **हेक्टर** | **४४०९५** | **४५२६.३३** | **३४१५१** | **२४६१.५६७** |
| | **अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे बियाणे उत्पादन व वितरण** | | | | | | |
| | **अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील)** | | | | | | |
| | i) तूर | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | ५२०० | २६०.०० | ५१३.६४ | २५.६८२ |
| | ii) मूग | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | ३३०० | १६५.०० | ४५.४० | २.२७० |
| | iii) उडीद | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | ३८३ | १९.१५ | ४८.३० | २.४१५ |
| | iv) हरभरा | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | २८२०० | १३३२.१० | ५४०३०.३० | १३४९.९४३ |
| | **एकूण २ अ** | | **क्विं.** | **३७०८३** | **१७७६.२५** | **५४६३८** | **१३८०.३१०** |
| | **ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील)** | | | | | | |
| | i) तूर | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. २५००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | २९०० | ७२.५० | २९०.९० | ७.२७३ |
| | ii) मूग | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. २५००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | १२०० | ३०.०० | ३१.५० | ०.७८८ |

## अ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) (अंतिम)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | एकूण कडधान्य लक्षांक भौतिक | लक्षांक आर्थिक | साध्य भौतिक | साध्य आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | iii) उडीद | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. २५००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | ४५० | ११.२५ | ८८.४६ | २.२१२ |
| | iv) हरभरा | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १२००/- प्रति क्विं. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | क्विं. | १४४०० | ३६०.०० | १०४८८.४० | १२५.१७७ |
| | **एकूण २ ब** | | | **१८९५०** | **४७३.७५** | **१०८९९.३०** | **१३५.४४९** |
| **एकूण २ अ ते २ ब** | | | | **५६०३३** | **२२५०.००** | **६५५३७.३०** | **१५१५.७५९** |
| **क) प्रमाणित बियाणे उत्पादन (१० वर्षाच्या आतील)** | | | | | | | |
| | i) तूर | रु. २०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ८५०० | ४२५.०० | ५६०७.८० | १४०.१९५ |
| | ii) मूग | रु. २०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ५००० | २५०.०० | ७५०.८९ | १८.७७२ |
| | iii) उडीद | रु. २०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | १५५० | ७७.५० | ४२ | १.०६७ |
| | iv) हरभरा | रु. २०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ३१५१० | १४९७.५० | ८०६३४.३० | २०१५.८६२ |
| | **एकूण २ क** | | | **४६५६०** | **२२५०.००** | **८७०३५.८०** | **२१७५.८९६** |
| **३ अ) एकात्मिक कीड व अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन** | | | | | | | |
| | i) सूक्ष्म मुलद्रव्ये | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४६००० | १८४.०० | .. | ... |
| | ii) पीक संरक्षण औषधे | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | २५००० | १५५.९९ | .. | .. |
| | iii) तणनाशके | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ७१००० | २१३.०० | .. | .. |
| | **एकूण ३ अ** | | | **१४२०००** | **५५२.९९** | **..** | **..** |
| **३ ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | | | | | | |
| | i) पीक संरक्षण औषधे | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/- प्रति हे. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | हेक्टर | २९०००० | १४५०.०० | ११४९५८ | ५०८.००६ |
| | ii) तणनाशक | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/- प्रति हे. यापैकी किमान प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील | हेक्टर | ४९४०२ | २४७.०१ | २२७९ | १०.८९९ |
| | **एकूण ३ ब** | | | **३३९४०२** | **१६९७.०१** | **११७२३७** | **५१८.९०५** |
| | **एकूण ३ अ ते ब** | | | **४८१४०२** | **२२५०.००** | **११७२३७** | **५१८.९०५** |

## अ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) (अंतिम)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | एकूण कडधान्य लक्षांक भौतिक | लक्षांक आर्थिक | साध्य भौतिक | साध्य आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | **अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे)** | | | | | | |
| | अ) कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानानुसार | | | | | | |
| | १) पेरणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १६० | ३२.०० | ४६ | ९.६२८ |
| | २) पेरणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. १६०००किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १९० | ३०.४० | ६९ | १२.८५१ |
| | ३) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३०० | २२५.०० | .. | .. |
| | ४) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above35 BHP) (Other farmers) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३९० | २३४.०० | .. | .. |
| | ५) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 2o to 35 BHP)(SC/ST/S&M/Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ६४० | ३२२.५६ | १३२ | ५६.१३१ |
| | ६) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. ४०३००किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३८० | १५३.१४ | १६० | ६१.६४६ |
| | ७) बहूपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP)(SC/ST/S&M/Women) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १६० | ४००.०० | २८ | २९.४३० |
| | ८) बहूपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १९० | ३८०.०० | ४८ | ४४.२८५ |
| | ९) पॉवर टिलर (8 BHP & above) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १९० | १६१.५० | १३८ | ११०.९२१ |
| | १०) पॉवर टिलर ( 8 BHP & above) (Other farmers) | रु. ७०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३९० | २७३.०० | १४८ | ९७.५४९ |
| | | **एकूण ४ अ** | | **२९९०** | **२२११.६०** | **७६९** | **४२२.४४१** |
| | **ब) सिंचन साधने व पंप संच** | | | | | | |
| | i) पाण्याचा स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (Rs.20/-per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes) | 50% of cost lmtd to Rs. 50/- per meter of HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC pipes and Rs.20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer / beneficiary for water carrying pipe | मीटर | ५००००० | १००.०० | २३९९७ | ७.७८५ |
| | ii) पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २९९७ | २९९.७० | ३०२ | २७.७६४ |

## अ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) (अंतिम)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | एकूण कडधान्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्षांक | | साध्य | |
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| **क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण** | | रु. १४०००/- प्रति | संख्या | १०९० | १५२.६० | १०८७ | १३७.०५९ |
| **ड) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण** | | | | | | | |
| | i) जिल्हा स्तर | | | ३१ | ४४९.५० | ३१ | ३३१.५१० |
| | iii) राज्य स्तर | | | २ | ३८.५० | २ | ३८.५० |
| | | **एकूण ४ ड** | | **३३** | **४८८.००** | **३३** | **३८३.४१२** |
| **इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी** | | | | | | | |
| | १) शेतकरी गटाकरिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is less) | मिनी डाळ मिल रु. १२५०० किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल त | संख्या | २३० | २८८.३७ | .. | .. |
| | २) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता) (Actual cost 25.00 lakh based on state PWD DSR) | गोदाम बांधकाम रु. १२५००००/- किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४१ | ५१२.५० | २ | २५.०० |
| | ३) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ Clearing & Grading Unit (actual cost Rs. 20 lakh) | बीज प्रक्रिया संच रु. १०००००० /- किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १९ | १९०.००० | .. | .. |
| | | **एकूण ४ इ** | | **२९०** | **९९०.८७** | **२** | **२५.००** |
| | | **एकूण ४अ ते ४ इ** | – | | **४२४२.७७** | | **९९०.०६०** |
| | | **एकूण एकंदर** | | | **१५५१९.१००** | **..** | **७६६२.१८६** |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| **सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | | |
| **अ) सलग गट प्रात्यक्षिके** | | | | | |
| | १) तूर | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ७००० | ६३०.००० |
| | २) मूग | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ३६९२ | ३३२.२८० |
| | ३) उडीद | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | २५५२ | २२९.६८० |
| | ४) हरभरा | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ७७०० | ६९३.००० |
| | **एकूण गट प्रात्यक्षिके** | | **हेक्टर** | **२०९४४** | **१८८४.९६०** |
| | **ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके** | | | | |
| | तूर + सोयाबिन | रु. ९०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ७९९९ | ७१९.९१० |
| १ | **क) पीक पध्दतीवर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | |
| | १) मूग नंतर रब्बी ज्वारी | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ७०० | १०५.००० |
| | २) मूग नंतर गहू | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४०० | ६०.००० |
| | ३) उडीद पिकानंतर रब्बी ज्वारी | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ८२५ | १२३.७५० |
| | ४) उडीद पिकानंतर गहू | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ३०० | ४५.००० |
| | ५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४००० | ६००.०० |
| | ६) बाजरी नंतर हरभरा | रु. १५०००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ८०० | १२०.०० |
| | **एकूण पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके** | | **हेक्टर** | **७०२५** | **१०५३.७५०** |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ अ) ते १ क)** | | **हेक्टर** | **३५९६८** | **३६५८.६२०** |
| **अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे बियाणे उत्पादन व वितरण** | | | | | |
| **अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील)** | | **किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते** | | | |
| | १) तूर | रु. ५०००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | ४००० | २०००.०० |
| | २) मूग | रु. ५०००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | ४३५ | २१.७५० |
| | ३) उडीद | रु. ५०००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | ३००० | १५०.००० |
| | ४) हरभरा | रु. ५०००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | २२००० | ११००.०० |
| | **एकूण २ अ** | | **क्विं.** | **२९४३५** | **१४७१.७५०** |
| **ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील)** | | **किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते** | | | |
| | १) तूर | रु. २५००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | २००० | ५०.००० |
| २ | २) मूग | रु. २५००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | ३०० | ७.५०० |
| | ३) उडीद | रु. २५००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | १००० | २५.००० |
| | ४) हरभरा | रु. २५००/- प्रति क्विं. - ” - | क्विं. | ११००० | २७५.००० |
| | **एकूण २ ब** | | | **१४३००** | **३५७.५००** |
| | **एकूण २ अ ते २ ब** | | | **४३७३५** | **१८२९.२५०** |
| **क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्विं.)(१० वर्षाच्या आतील)** | | | | | |
| | १) तूर | रु. ५०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ६४८५ | ३२४.२५० |
| | २) मूग | रु. ५०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ४००० | २००.०० |
| | ३) उडीद | रु. ५०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | ११०० | ५५.००० |
| | ४) हरभरा | रु. ५०००/- प्रति क्विं. | क्विं. | २५००० | १२५०.००० |
| | **एकूण २ क** | | | **३६५८५** | **१८२९.२५०** |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| **३ अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन** | | | | | |
| १) | सूक्ष्म मूलद्रव्ये | रु. ५०० प्रति हे., किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | हेक्टर | ३६००० | १८०.००० |
| २) | जिप्सम | रु. ७५० प्रति हे., किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | हेक्टर | १३१०३ | ९८.२७३ |
| ३) | जैविक खते | रु. ३०० प्रति हे., किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | हेक्टर | ९२००० | २७६.००० |
| | **एकूण ३ अ** | | | **१४११०३** | **५५४.२७३** |
| **३ ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | | | | |
| १) | पीक संरक्षण औषधे | रु. ५०० प्रति हे., किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | हेक्टर | २२०००० | ११००.००० |
| २) | तणनाशक | रु. ५०० प्रति हे., किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | हेक्टर | ३५००० | १७५.००० |
| | **एकूण ३ ब** | | | **२५५०००** | **१२७५.०००** |
| | **एकूण ३अ ते ब** | | | **३९६१०३** | **१८२९.२७३** |
| **४ फ्लेक्झी घटक** | | | | | |
| **अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे)-**(कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानानुसार) | | | | | |
| १) | पेरणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १३७ | २७.४०० |
| २) | पेरणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १६५ | २६.४०० |
| ३) | रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above35 BHP) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २५६ | १९२.००० |
| ४) | रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above35 BHP) (Other farmers) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३३५ | २०१.००० |
| ५) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) above 20 to 35 BHP) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५५० | २७७.२०० |
| ६) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (Above 20 to 35 BHP) (Other farmers) | रु. ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३२७ | १३१.७८१ |
| ७) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/Women) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १३७ | ३४२.००० |
| ८) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १६४ | ३२८.००० |
| ९) | पॉवर टिलर ( 8 BHP & above) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १६४ | १३९.४०० |
| १०) | पॉवर टिलर ( 8 BHP & above) (Other farmers) | रु. ७०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३३५ | २३४.५०० |
| | **एकूण ४ अ** | | | **२५७०** | **१९००.१८१** |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - कडधान्य कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| **ब)** | **सिंचन साधने व पंप संच** | | | | |
| १) | पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (Rs. 20/- per meter for laminated woven lay flat tubes | 50% of cost lmtd to Rs. 50/- per meter of HDPE pipes. Rs. 35/- per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary | मीटर | ४१८९३२ | ८३.७८६ |
| २) | पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के किंवा जे कमी असेल ते | संख्या | २९६० | २९६.००० |
| | **एकूण ४ ब** | | | .. | **३७९.७८६** |
| | **एकूण ४ (अ) ते ४ (ब)** | | | .. | **२२७९.९६७** |
| **क)** | पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण | रुपये १४,००० प्रति | संख्या | ९०१ | १२६.१४० |
| **ड)** | **प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण** | | | | |
| | i) जिल्हा स्तर | | .. | .. ३१ | ४४९.५०० |
| | iii) राज्य स्तर | | .. | .. २ | ३८.५०० |
| | **एकूण ४ ड** | | .. | .. .. | **४८८.०००** |
| | **ई) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी** | | | | |
| १) | शेतकरी गटाकरिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is less) | रु. १२५०००/- किंवा किंमतीच्या ६० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १५० | १८७.५०० |
| २) | FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता) (Actual cost 25.00 lakh based on state PWD DSR) | रु. १२५००००/- किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३० | ३७५.००० |
| ३) | FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/Cleaning & Grading Unit (actual cost Rs. 20 lakh) | रु. १०००००/- किंवा किंमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ८ | ८०.००० |
| | **एकूण ४ ई** | | | .. | **६४२.५००** |
| | **एकूण ४ अ ते ४ इ** | | | .. | **३५३६.६०७** |
| | **एकूण राअसुअ कडधान्य** | | | .. | **१२६८३.०००** |

## ब. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य : मका, सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) अंतिम

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| **१** | **पिक प्रात्याक्षिके : मका** | | | | | |
| | अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पीक प्रात्यक्षिके | ६,०००/-हेक्टर | ६१३३ | ३६८.००० | ६२४२ | २९६.८७५ |
| | ब) आंतर पीक प्रात्यक्षिके | ६,०००/- हेक्टर | २३० | १३.८०० | ६९ | ३.६३८ |
| | **एकूण (अ) व (ब)** | | **६३६३** | **३८१.८००** | **६३११** | **३००.५१३** |
| **२** | **प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | | | |
| | संकरित बियाणे : मका | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १०,०००/ हेक्टर मर्यादेत | ६३२ | ६३.१५० | ६१ | ४.६१० |
| | **एकूण बियाणे वितरण** | | **६३२** | **६३.१५०** | **६१** | **४.६१०** |
| **३** | **एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM)** | | | | | |
| | पिक संरक्षण औषधे | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/ हेक्टर मर्यादेत | ६७४० | ३३.७०० | ६६८३ | ३०.६६५ |
| | **एकूण - एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | **६७४०** | **३३.७००** | **६६८३** | **३०.६६५** |
| **४** | **फ्लेक्झी निधी- प्राथमिक प्रक्रिया युनिट** | | | | | |
| | मका सोलणी यंत्र (Make Sheller) | SMAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | १०५ | १०.५०० | १ | १.०० |
| | **एकूण - फ्लेक्झी निधी** | | **१०५** | **१०.५००** | **१** | **१.००** |
| | **एकूण कार्यक्रम - भरडधान्य (मका) १ ते ४** | | **–** | **४८९.१५०** | **...** | **३३६.७८७** |

## सन २०२१-२२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-भरडधान्य (मका) वार्षिक कृती आराखडा

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | मंजूर अर्थसाहाय्य दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| **१** | पिक प्रात्यक्षिके : मका | | | | |
| | अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पीक प्रात्यक्षिके | रुपये ६००० प्रती हेक्टर | हेक्टर | ५७२० | ३४३.२०० |
| | ब) आंतर पीक प्रात्यक्षिके | रुपये ६००० प्रती हेक्टर | हेक्टर | ६२० | ३७.२०० |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके** | | | **६३४०** | **३८०.४००** |
| | प्रमाणित बियाणे वितरण | | | | |
| **२** | संकरित बियाणे : मका | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १०,००० क्विंटल मर्यादेत | क्विंटल | २२७६ | २२७.६०० |
| | **एकूण बियाणे वितरण** | | | **२२७६** | **२२७.६००** |
| **३** | पिक व मृदसंधारण व्यवस्थापन | | | | |
| | **अ)** एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन (INM) | | | | |
| | i) सूक्ष्म मूलद्रव्ये (Micro-Nutrients) | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० हेक्टर मर्यादेत | हेक्टर | २५०० | १२.५०० |
| | ii) जैविक खते (Bio-fertilizers) | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ३०० हेक्टर मर्यादेत | हेक्टर | ३५०० | १०.५०० |
| | **एकूण (INM)** | | | **६०००** | **२३.०००** |

## सन २०२१-२२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य (मका) वार्षिक कृति आराखडा

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | **ब)** एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) | | | | | |
| | i) तणनाशके (Weddicides) | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० हेक्टर मर्यादेत | हेक्टर | | ३५५० | १७.७५० |
| | ii) रासायनिक/जैविक घटक | किंमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० हेक्टर मर्यादेत | हेक्टर | | १४६५० | ७३.२५० |
| | **एकूण (IPM)** | | | | **१८२००** | **९१.०००** |
| | **एकूण (अ व ब)** | | | | **२४२००** | **११४.०००** |
| ४ | प्लेक्झी निधी | | | | | |
| | i) मका सोलणी यंत्र (मनुष्य/बैल चलित) | SNAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | संख्या | | १० | १.००० |
| | ii) मका सोलणी यंत्र (यंत्र चलित २०-३५ BHP) | SNAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | संख्या | | ३७ | ३७.००० |
| | **एकूण फ्लेक्झी निधी** | | | | **४७** | **३८.०००** |
| | **एकूण एकंदर भरडधान्य (मका)** | | | | | **७६०.०००** |

**राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी) सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर)** (अंतिम) (रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | मापदंड | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| | **समूह पीक प्रात्यक्षिके : (१० हे. समूह प्रात्यक्षिक)** | | | | | |
| | १) खरीप ज्वारी | ६०००/- हेक्टर | २५९०५ | १५५४.३०२ | ३२३०९ | ११३६.२८९ |
| १ | २) बाजरी | ६०००/- हेक्टर | २९५८ | १७७.४५० | ३९८१ | १३४.२६५ |
| | ३) नाचणी | ६०००/- हेक्टर | ३४७ | २०.८३० | ५८१ | १६.७०४ |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके** | | **२९२१०** | **१७५२.५८२** | **३६८७१** | **१२८७.२५८** |
| | **प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | | | |
| | **अ) संकरित ज्वारी (१० वर्षापेक्षा कमी)** | १००००/- क्विंटल | ५८३ | ५८.३३० | ११.४८ | ०.७३९ |
| | **ब) सुधारित बियाणे** | | | | | |
| | १) ज्वारी (१० वर्षापेक्षा कमी) | ३०००/- क्विंटल | १५०० | ४५.००० | ५५२ | १०.०४० |
| २ | २) बाजरी (१० वर्षापेक्षा कमी) | ३०००/- क्विंटल | ५०० | १५.००० | २७ | ०.८२१ |
| | ३) नाचणी (१० वर्षापेक्षा कमी) | ३००००/- क्विंटल | .. | ०.००० | .. | ०.००० |
| | ४) ज्वारी (१० वर्षापेक्षा जास्त) | १५००/- क्विंटल | १०१५० | १५२.२५० | १०७५ | ५.२९७ |
| | **एकूण सुधारित बियाणे** | | **१२१५०** | **२१२.२५०** | **१६५५** | **२०.१५८** |
| | **एकूण प्रमाणित बियाणे वितरण (अ+ब)** | | **१२७३३** | **२७०.५८०** | **१६६६** | **२०.८९७** |
| | **प्रमाणित बियाणे उत्पादन (सुधारीत बियाणे १० वर्षाआतील)** | | | | | |
| | १) ज्वारी | ३०००/- क्विंटल | ४९२६ | १४७.७८० | ११७६४ | ३१२.९२१ |
| ३ | २) बाजरी | ३०००/- क्विंटल | १६०० | ४८.००० | १९६२ | ५५.८७० |
| | ३) नाचणी | ३०००/- क्विंटल | १४१ | ४.२३० | १६ | २.३४६ |
| | **एकूण बियाणे उत्पादन (३)** | | **६६६७** | **२००.०१०** | **१३७४२** | **३७१.१३६** |
| | **एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन** (INM) | | | | | |
| ४ | १) सूक्ष्म अन्नद्रव्ये | रु. ५००/- हेक्टर | २२००० | ११०.००० | १२६९५ | ५५.५०३ |
| | २) जैविक खते | रु. ३००/- हेक्टर | २१८८६ | ६५.६५८ | ३५४३९ | ५८.१८६ |
| | | **एकूण** | **४३८८६** | **१७५.६५८** | **४८१३४** | **११३.६८९** |
| | **एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** (IPM) | | | | | |
| ५ | १) तणनाशके | रु. ५००/- हेक्टर | ७३००० | ३६५.००० | ३१५८७ | १४१.३६८ |
| | २) रासायनिक/जैविक घटक | रु. ५००/- हेक्टर | २७७६५ | १३८.८२५ | ७४६२० | ३३०.८७१ |
| | | **एकूण** | **१००७६५** | **५०३.८२५** | **१०६००७** | **४७२.२३९** |
| | **एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्ये व कीड व्यवस्थापन (INM+IPM)** | | **१४४६५१** | **६७९.४८३** | **१५४१४१** | **५८५.९२८** |
| | **फ्लेक्झी घटक** | | | | | |
| | अ) (i) सिंचन सुविधा साहित्य (तुषार संच) | SMAM व PMSKY | ७०७८ | ७२७.००० | ७०४२ | ११९.६७८ |
| | (ii) सिंचन सुविधा साहित्य (पाईप) | मा. सूचनांप्रमाणे | | | | |
| | ब) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र (क्लीनर कम ग्रेडर) | रु. १.०० लाख/युनिट | २७ | २७.००० | ३ | २.६४७६ |
| ६ | क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण | रु. १४००० प्रशिक्षण | ५४ | ७.५६० | ५१ | ६.८३३ |
| | ड) (i) जनजागृती (प्रचार व प्रसिद्धी-जिल्हा स्तर) | रु. १.०० लाख/जिल्हा | २७ | २७.००० | २१ | १६.६३८ |
| | (ii) जनजागृती (जिल्हास्तरीय कार्यशाळा) | रु. २.५० लाख/कार्यशाळा | १९ | ४७.५०० | १५ | ३३.७४१ |
| | **एकूण फ्लेक्झी घटक** | | | **८३६.०६०** | | **१७९.५८८** |
| | **एकूण एकंदर** | | | **३७३८.७१५** | | **२४४४.७५७** |

## क. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात मासिक प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके | | | | | | |
| | अ) श्री पध्दत/ओळीत पुनर्लागवड | ९००० | हेक्टर | २२६९ | २०४.२१० | ३४७० | १४१.४८१ |
| | ब) संकरीत भात | ९००० | हेक्टर | १७१ | १५.३९० | १० | ०.९०० |
| | क) पाण्याचा ताण सहन करणारे/बायोफोर्टाफाईल वाण | ९००० | हेक्टर | ६६७ | ६०.०३० | ८० | ६.१६० |
| | ड) पीक पध्दतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात पिकानंतर कडधान्य हरभरा/चवळी/राजमा/वाल इ.) | १५००० | हेक्टर | ८०६ | १२०.९०० | ८८२ | ८८.४५९ |
| | ई) उन्हाळी भात | ६००० | हेक्टर | ६२५ | .. | २५४ | ४०.५० |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (इ)** | | | **४५३८** | **४००.५३०** | **५१९६** | **२७७.५०३** |
| २ | प्रमाणित बियाणे वितरण | | | | | | |
| | अ) संकरित वाण | १०००० | क्विंटल | १९७ | १९.७०० | .. | .. |
| | ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) | १००० | क्विंटल | ३६११ | ३६.११० | ५६७ | ५.६६५ |
| | क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) | २००० | क्विंटल | ७२२२ | १४४.४४० | १०२० | २०.११२ |
| | **एकूण २ (अ) ते २ (ब)** | | | **११०३०** | **२००.२५०** | **१५८७** | **२५.७७७** |
| ३ | एकात्मिक कीड व अन्नद्रव्य व्यवस्थापन | | | | | | |
| | अ) सूक्ष्म मूलद्रव्ये | ५०० | हेक्टर | २१३८ | १०.६९० | १४१५ | ६.७९२ |
| | ब) पीक संरक्षण औषधे | ५०० | हेक्टर | २२४८६ | ११२.४३० | ६९११ | ३०.९६६ |
| | क) तणनाशके | ५०० | हेक्टर | ५४१४ | २७.०७० | ९६७ | ४.६७६ |
| | **एकूण ३ (अ) ते ३ (क)** | | | **३००३८** | **१५०.१९०** | **९२९३** | **४२.४३५** |
| ४ | **फ्लेक्झी घटक : कृषी औजारे** | | | | | | |
| १) | ड्रम सीडर (above 4 rows) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ४००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ८ | ०.३१० | .. | .. |
| २) | ड्रम सीडर (above 4 rows) (Other farmers) | रु. ३००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३४ | १.०२० | .. | .. |
| ३) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १३ | २.६०० | ०९ | १.७६५ |
| ४) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above 20 to 35 BHP) (Other farmers) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | १.४४० | ११ | २.०७९ |
| ५) | पॉवर वीडर (Engine operated above 2 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. २५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | २.२५० | .. | .. |
| ६) | पॉवर वीडर (Engine operated above 2 BHP) (Other farmers) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १३ | २.६०० | १ | ०.२२४ |
| ७) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३३ | १६.६३२ | ५३ | २७.३०२ |
| ८) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २० | ८.०६० | १२ | ४.९२७ |
| ९) | भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. १००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ५.००० | १५ | १४.४९३ |
| १०) | भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. ८०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.२०० | २ | १.६० |
| ११) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १२.५०० | ७ | ६.६३२ |
| १२) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १०.००० | ४ | ३.६० |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात मासिक प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| **४** | **फ्लेक्झी घटक : कृषी औजारे** (चालू) | | | | | | |
| १३) | स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above 4-8 rows, 8-16 rows) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ८००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ४०.००० | .. | .. |
| १४) | स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above 4-8 rows, 8-16 rows) (Other farmers) | रु. ६५०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ३२.५०० | .. | .. |
| १५) | पॉवर टिलर (8 BHP & above) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ४.२५० | ४ | २.४५३ |
| १६) | पॉवर टिलर (8 BHP & above) (Other farmers) | रु. ७००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ३.५०० | १ | ०.४४ |
| १७) | रिपर (above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) ५० टक्के जे कमी असेल ते | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या | संख्या | ६ | ४.५०० | २ | १.२९५ |
| १८) | रिपर (above 35 BHP) (Other) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | २.४०० | .. | .. |
| १९) | रिपर कम बाईंडर (SC/ST/S&M/ Women) | रु. १५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ७ | १०.५०० | .. | .. |
| २०) | रिपर कम बाईंडर (Other) | रु. १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ६ | ७.२०० | १ | ०.६९२ |
| | **एकूण ४ (१) ते ४ (२०)** | | | **२०१** | **१७०.४६२** | **१२२** | **६३.५०२** |
| **५** | **प्रभावी सिंचन साधने** | | | | | | |
| | अ) पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १५० | १५.००० | ८ | ०.५९१ |
| | ब) पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप | ५०% of cost limtd to Rs. ५०/- per meter of HDPE pipes Rs. ३५/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. १५०००/- per fermer/beneficiery for water carying pipe. | मीटर | १३७१४ | ४.८०० | २१७० | ०.९४० |
| | **एकूण ५ (अ)** | | | **..** | **१९.८००** | **..** | **१.५३१** |
| | **एकूण ४ व ५** | | | **..** | **१९०.२६२** | **..** | **६५.०३३** |
| **६** | **पीक पध्दतीवर आधारित प्रशिक्षण** (Four Sessions) | **१४०००** | **संख्या** | **७२** | **१०.०८०** | **४१** | **५.५३५** |
| **७** | **स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी** | | | | | | |
| | अ) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) | रु. १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १ | १२.५०० | .. | .. |
| | ब) शेतकरी गटाकरिता मिनी राइस मिल | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी असले ते | संख्या | १० | २०.००० | .. | .. |
| | क) स्थानिक वाणांची लागवड (Market-led-extention) किमतीच्या ५० टक्के | रु. ४५०० प्रति हे. | हेक्टर | १२२ | ५.४९० | .. | .. |
| | ड) भात शेतीत मत्स्यपालन | रु. २०००० प्रति एकर | एकर | ६० | १२.००० | .. | .. |
| | **एकूण ७ (अ) ते ७ (क)** | | | | **४९.९९०** | | **२.०००** |
| | **एकूण राअसुअ - भात** | | | | **१००१.३०२** | | **४१६.२८३** |

## इ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिमाण | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके | | | | | |
| | अ) यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | १७५ | १५.७५० |
| | ब) ओळीत पुनर्लागवड | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | २९३ | २६.३७० |
| | क) श्री पद्धत | रु. ९००० - ” - | हेक्टर | १५९१ | १४३.१९० |
| | ड) संकरीत भात | रु. ९००० - ” - | हेक्टर | १२० | १०.८०० |
| | ई) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात पिकांवर कडधान्य-हरभरा/चवळी/राजगा/वाल) | रु. १५००० प्रति हेक्टर | हेक्टर | ५६५ | ८४.७५० |
| **एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (इ)** | | | | **२७४४** | **२८०.८६०** |
| २ प्रमाणित बियाणे वितरण | | प्रति क्विंटल किंवा किमतीच्या ५० % जे कमी असेल ते | | | |
| | अ) संकरित वाण | रु. १०००० - ” - | क्विंटल | १३८ | १३.८०० |
| | ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) | रु. १००० - ” - | क्विंटल | २५३२ | २५.३२० |
| | क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) | रु. २००० - ” - | क्विंटल | ५०६४ | १०१.२८० |
| **एकूण २ (अ) ते २ (क)** | | | | **७७३४** | **१४०.४००** |
| ३ एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन | | प्रति हेक्टर किंवा किमतीच्या ५० % जे कमी असेल ते | | | |
| | अ) सूक्ष्म मूलद्रव्ये | रु. ५०० - ” - | हेक्टर | १५०० | ७.५० |
| | ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन | | | | |
| | अ) पिक संरक्षण औषधे | रु. ५०० - ” - | हेक्टर | १५७६८ | ७८.८४० |
| | ब) तणनाशके | रु. ५०० - ” - | हेक्टर | ३८०० | १९.००० |
| **एकूण ३ (अ) ते ३ (ब)** | | | | **२१०६८** | **१०५.३४०** |
| **४ फ्लेक्झी घटक : कृषी औजारे** | | | | | |
| | १) ड्रम सीडर (above 4 rows) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ४००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ०.२०० |
| | २) ड्रम सीडर (above 4 rows) (Other farmers) | रु. ३००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ०.१२० |
| | ३) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | १.८०० |
| | ४) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above 20 to 35 BHP) (Other farmers) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ७ | १.१२० |
| | ५) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. २५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | २.२५० |
| | ६) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 BHP) (Other farmers) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | १.८०० |
| | ७) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | २४ | १२.०९६ |
| | ८) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. ४०३०० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | १५ | ६.०४५ |
| | ९) भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. १००००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ४.००० |
| | १०) भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) | रु. ८०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.२०० |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात कृती आराखडा २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| **४** | **फ्लेक्झी घटक : कृषी औजारे** | | | | |
| ११) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC/ST/S&M) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | १०.००० |
| १२) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ८.००० |
| १३) | स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above 4-8 rows, 8-16 rows) (SC/ST/S&M) | रु. ८००००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | २४.००० |
| १४) | स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above 4-8 rows, 8-16 rows) (Other farmers) | रु. ६५०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | १९.५०० |
| १५) | पॉवर टिलर (8 BHP & above) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.४०० |
| १६) | पॉवर टिलर (8 BHP & above) (Other) | रु. ७०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | २.८०० |
| १७) | रिपर (above 35 BHP) (SC/ST/S&M/ Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.००० |
| १८) | रिपर (above 35 BHP) (Other) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | २.४०० |
| १९) | रिपर कम बाईंडर (SC/ST/S&M/ Women) | रु. १५०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ७.५०० |
| २०) | रिपर कम बाईंडर (Other) | रु. १२०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ६.००० |
| | **एकूण ४ (अ)** | | | **१३०** | **११९.२३१** |
| **५** | **प्रभावी सिंचन साधने** | | | | |
| | ब) पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | १०६ | १०.६०० |
| | क) पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप. | 50 % of cost lmtd 50/- per meter of HDPE pipes. Rs. 35/- per meter for PVC Pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary for water carrying pipe. | मीटर | ९८२८ | ३.४४० |
| | **एकूण ४ (अ)** | | | | **१४.०४०** |
| | **एकूण ४ (अ व ४ ब)** | | | | **१३३.२७१** |
| | ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण | रु. १४००० प्रति प्रशिक्षण | संख्या | ५० | ७.००० |
| | इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी | | | | |
| | १) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता) (Actual cost-25.00 lakh bassed on state PWD DSR) | रु. १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | १ | १२.५०० |
| | २) शेतकरी गटाकरिता मिनी राइस मिल as per SMAM noms (50% of cost OR 2.00 10 kg. which ever is less. | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ६०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १०.००० |
| | ३) स्थानिक वाणांची लागवड (Market-led-extention) किंमतीच्या ५० टक्के | रु. ४५०० प्रति हेक्टर | हेक्टर | ९४ | ४.२३० |
| | ४) भात शेतीत मत्स्यपालन | रु. २०००० प्रति एकर | संख्या | ४२ | ८.४०० |
| | **एकूण ४ (इ)** | | | | **३५.१३०** |
| | **एकूण फ्लेक्झी घटक** | | | | **१७५.४०१** |
| | **एकूण राअसुअ - भात** | | | | **७०२.००१** |

## ड. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू मासिक प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (माहे मार्च, २०२१ अखेर) अंतिम

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| **१ सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | | | | |
| अ) | सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके | रु. ९००० | हेक्टर | १००९ | ९०.८१० | ६९० | ४९.५०६ |
| ब) | पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या/बायोफोर्टीफाईड वाण | रु. ९००० | हेक्टर | ४३३ | ३८.९७० | २१० | १२.०४३ |
| क) | पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके मूग/उडीद/सोयाबीन नंतर गहू | रु. १५००० | हेक्टर | ३७५ | ५६.२५० | २४० | ३०.९८५ |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ब)** | | | **१८१७** | **१८६.०३०** | **११४०** | **९२.५३** |
| **२ प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | | | | | |
| अ) | आधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) | रु. १००० | क्विंटल | १८६० | १८.६०० | ७८५ | ७.८४८ |
| ब) | आधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) | रु. २००० | क्विंटल | ३७२० | ७४.४०० | १२२२ | २३.२९२ |
| | **एकूण २ (अ) ते २ (ब)** | | | **५५८०** | **९३.०००** | **२००७** | **३१.१४०** |
| **३** | **अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन** | | | | | | |
| | सूक्ष्म मुलद्रव्ये | रु. ५०० | हेक्टर | ५००० | २५.००० | .. | .. |
| | **ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | | | | | |
| i) | पीक संरक्षण औषधे व जैविक घटक | रु. ५०० | हेक्टर | ५६१६ | २८.०८० | २२३२ | ११.१५० |
| ii) | तणनाशके | रु. ५०० | हेक्टर | ३३३३ | १६.६७० | ३३८ | १.६८७ |
| | **एकूण ३ (अ) ते ३ (ब)** | | | **१३९४९** | **६९.७५०** | **२५७०** | **१२.८३७** |
| **४** | **फ्लेक्झी घटक : कृषी औजारे** | | | | | | |
| i) | चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driven) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १.००० | .. | .. |
| ii) | चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driven) (Other) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ०.८०० | .. | .. |
| iii) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (tractor driven above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १.००० | .. | .. |
| iv) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above 20 to 35 bhp) (Other farmers) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ०.६४० | ३ | ०.५९६ |
| ii) | झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor driven above 35 bhp) (SC/ST/S&M/Women) | रु. २८००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १.४०० | .. | .. |
| iv) | झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor driven above 35 bhp) (Other farmers) | रु. २२४०० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १.१२० | .. | .. |
| v) | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (Tractor driven above 35 bhp) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.००० | .. | .. |
| vi) | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (Tractor driven above 35 bhp) (Other farmers) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ३.००० | .. | .. |
| vii) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 bhp) Cabovezo to 35 bhps (SC/ST/S&M/Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ७ | ३.५३० | ४ | १.८१५ |

## ड. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू प्रगती अहवाल सन २०२०-२१ (मार्च, २०२१ अखेर) (समाप्त)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| viii) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 bhp) (Above 20 to 35 bhp) (Other farmers) | रु. ४०३०० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ७ | २.८२० | १० | ४.१७० |
| ix) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 bhp) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५० % जे कमी असेल ते | संख्या | ६ | १५.००० | .. | .. |
| x) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 35 bhp) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ८.००० | .. | .. |
| xi) | पावर टिलर (8 BHP & above) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ९ | ७.६५० | ४ | ३.०९० |
| xii) | पावर टिलर (8 BHP & above) (Other) | रु. ७०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ८ | ५.६०० | ५ | ३.२८८ |
| xiii) | रिपर (Above 35 bhp) (SC/ST/ S&MF/Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ३.००० | .. | .. |
| xiv) | रिपर (Ablve 35 bhp) (Other) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | २.४०० | .. | .. |
| xv) | रिपर कम बाईंडर (SC/ST/ S&MF/Women) | रु. १५०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ६.००० | .. | .. |
| xvi) | रिपर कम बाईंडर (Other) | रु. १२०००० किंवा किमतीच्या ४०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ४.८०० | .. | .. |
| | **एकूण ४ (अ)** | | | **९५** | **७०.७६०** | **२६** | **१२.९६** |
| ब) | पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ९१ | ९.१०० | ९ | ०.८५३ |
| अ) | पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप | 50% of cost lmtd to 50/- per meter of HDPE pipes. Rs. 35/- per meter for PVC Pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary for water carrying pipe. | मीटर | ३९८५० | ७.९७० | ३१५४ | ०.४२० |
| | **एकूण ४ (ब ते क)** | | | **३९९४१** | **१७.०७०** | **..** | **१.२७२** |
| | **एकूण ४ (ब ते क)** | | | **..** | **८७.८३०** | **..** | **१४.२३०** |
| ड) | पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (Four Sessions) | १४००० | संख्या | २५ | ३.५०० | २५ | २.९३९ |
| **इ)** | **स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी** | | | | | | |
| i) | FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost-25.00 lakh based on state PWD DSR) | १२५०००० | संख्या | २ | २५.००० | .. | .. |
| | **एकूण फ्लेक्झी घटक (४ अ ते ४इ)** | | | **..** | **११६.३३०** | **..** | **१७.१६९** |
| | **एकूण एकंदर** | | | **..** | **४६५.११०** | **..** | **१५३.६८१** |

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| **१ सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके** | | | | | |
| अ) | सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | ५४२ | ४८.७८० |
| ब) | पाण्याचा ताण सहन करणारे/बायोफोर्टीफाईड वाण | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | २३३ | २०.९७० |
| क) | पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके- मूग/उडीद/सोयाबीन नंतर गहू | रु. १५००० प्रति हे. | हेक्टर | २०२ | ३०.३०० |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ब)** | | | **९७७** | **१००.०५०** |
| **२ प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | | | |
| अ) | अधीक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) | रु. १००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | क्विंटल | १००० | १०.००० |
| ब) | अधीक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) | रु. २००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | क्विंटल | २००० | ४०.००० |
| | **एकूण २ (अ) ते २ (ब)** | | | **३०००** | **५०.०००** |
| **३ अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन** | | | | | |
| अ) | सूक्ष्म मुलद्रव्ये | रु. ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | हेक्टर | २६८८ | १३.४४० |
| **ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | | | | |
| i) | पीक संरक्षण औषधे व जैविक घटक | रु. ५०० प्रति किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | हेक्टर | ३०२० | १५.१०० |
| ii) | तणनाशके | रु. ५०० हे. प्रति किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | हेक्टर | १७९२ | ८.९६० |
| | **एकूण ३ (अ) ते ३ (ब)** | | | **७५००** | **३७.५००** |
| **४ फ्लेक्झी घटक** | | | | | |
| **अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे)-(कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत मंजूर)** | | | | | |
| १) | चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driver) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ०.६०० |
| २) | चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driver) (Other) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ०.४८० |
| ३) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (tractor driver above 35 bhp ) (SC/ST/S&M/Women) | रु. २०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | १.००० |
| ४) | पेरणी यंत्र (Seed Drill) (above 20 To 35 bhp) (Other farmers) | रु. १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ०.६४० |
| ५) | झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (tractor driven above 35 bhp)(SC/ST/ S&M/Women) | रु. २८००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ०.८४० |
| ६) | झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (tractor driven above 35 bhp) (Other farmers) | रु. २२४०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ०.६७२ |
| ७) | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (tractor driven above 35 bhp) (SC/ST/S&M/Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २ | १.५०० |
| ८) | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (tractor driven above 35 bhp) (Other farmers) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २ | १.२०० |
| ९) | रोटाव्हेटर (tractor driven above 35 bhp) (Above 20 to 35 BHP)(SC/ST/S&M/Women) | रु. ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | २.०१६ |

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू कृती आराखडा सन २०२१-२२ (समाप्त)

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अर्थसहाय्य दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १०) | रोटाव्हेटर (Tractor driven above 35 bhp) (Above 20 to 35 BHP) (Other farmers) | रु. ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | १.६१२ |
| ११) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driver above 35 bhp) | रु. २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ७.५०० |
| १२) | बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driver above 35 bhp) | रु. २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | ६.००० |
| १३) | पावर टिलर (8 BHP & above) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ६ | ५.१०० |
| १४) | पावर टिलर (8 BHP & above) (Other) | रु. ७०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ६ | ४.२०० |
| १५) | रिपर (Ablve 35 bhp) (SC/ST/S&MF/Women) | रु. ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | ३ | २.२५० |
| १६) | रिपर (Ablve 35 bhp) (Other) | रु. ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | २ | १.२०० |
| १७) | रिपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/Women) | रु. १५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १ | १.५०० |
| १८) | रिपर कम बाईंडर (Other) | रु. १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १ | १.२०० |
| | **एकूण ४अ** | | | **५८** | **३९.५१०** |
| **प्रभावी सिंचन साधने** | | | | | |
| ब) | पंप संच | रु. १०००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | ४० | ४.००० |
| क) | पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप | 50% of cost lmtd to Rs. 50/- per meter of HDPE pipes. Rs. 35/- per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary for water carrying pipe | मीटर | १९६०० | ३.९२० |
| | **एकूण ४ ब** | | | | **७.९२०** |
| | **एकूण ४ अ ते ब** | | | | **४७.४३०** |
| ड ) | पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण | रु. १४००० प्रति प्रशिक्षण | संख्या | १८ | २.५२० |
| इ) | स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी | | | | |
| i) | FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost -25.00 lakh based on state PWD DSR) | रु. १२५००० किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | संख्या | १ | १२.५०० |
| | **एकूण एकंदर** | | | | **२५०.०००** |

## इ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) - वार्षिक कृती आराखडा सन २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ. क्र. | बाब | मंजूर अर्थ सहाय्य दर | परिणाम | लक्षांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| **१ पीक प्रात्यक्षिके :** | | | | | |
| १) | ज्वारी | रु. ६०००/- | हेक्टर | ३२८५० | १९७१.०० |
| २) | बाजरी | रु. ६०००/- | हेक्टर | २०००० | १२००.०० |
| ३) | नाचणी | रु. ६०००/- | हेक्टर | ९००० | ५४०.०० |
| ४) | वरई | रु. ६०००/- | हेक्टर | १००० | ६०.००० |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके** | | | **६२८५०** | **३७७१.०००** |
| **२ प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | | | |
| अ) | सुधारित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) | | | | |
| | १) ज्वारी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ३०००/ क्विं. मर्यादेत | क्विंटल | १५००० | ४५०.००० |
| | २) बाजरी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ३०००/ क्विं. मर्यादेत | क्विंटल | ५०० | ३०३.००० |
| | **एकूण** | | | **२५१००** | **७५३.०००** |
| आ) | सुधारित बियाणे (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण) | | | | |
| | ज्वारी | रु. १५००/ क्विंटल | क्विंटल | ७००० | १०५.००० |
| | **एकूण प्रमाणित बियाणे वितरण** | | | **३२१००** | **८५८.०००** |
| **३ प्रमाणित बियाणे उत्पादन** | | | | | |
| **राज्यासाठी शिफारशीत असलेले - १० वर्षातील अधिसूचित वाण** | | | | | |
| १) | ज्वारी | रु. ३०००/-क्विंटल | क्विंटल | १८००० | ५४०.००० |
| २) | बाजरी | रु. ३०००/-क्विंटल | क्विंटल | ५००० | १५०.००० |
| ३) | नाचणी | रु. ३०००/-क्विंटल | क्विंटल | ५०० | १५.००० |
| ४) | वरई | रु. ३०००/-क्विंटल | क्विंटल | १०० | ३.००० |
| | **एकूण बियाणे उत्पादन** | | | **२३६००** | **७०८.००** |
| **४ एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM)** | | | | | |
| १) | सूक्ष्म अन्नद्रव्य | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/क्विं. मर्यादेत | हेक्टर | १०००० | ५०.००० |
| २) | जैविक खते | किमतीच्या ५०% किंवा रु. ३००/ क्विं. मर्यादेत | हेक्टर | २९००० | ८७.००० |
| | **एकूण एकात्मीक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन** | | | **३९०००** | **१३७.०००** |
| **५ एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM)-(६०:४०)** | | | | | |
| १) | तणनाशके | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ५००/क्विं. मर्यादेत | हेक्टर | ४०२०२ | २०१.०१० |
| २) | पिक संरक्षण औषधे | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ५००/क्विं. मर्यादेत | हेक्टर | १८००८० | ९००.४०० |
| | **एकूण एकात्मिक कीड व्यवस्थापन** | | | **२२०२८२** | **११०१.४१०** |
| | **एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (INM) & (IPM)** | | | **२५९२८२** | **१२३८.४१०** |
| **६ फ्लेक्झी घटक** | | | | | |
| | अ) सुधारित कृषी औजारे-SMAM मापदंडाप्रमाणे | | | | |
| | i) रीपर (३५ BHP वरील) | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ७५०००/क्विं. मर्यादेत | संख्या | १२५ | ९३.७५० |
| | ii) थ्रेशर (BHP पेक्षा कमी इलेक्ट्रिक मीटर/पॉवर लिटर/३५ BHP आतील ट्रक्टर) चलीत | किमतीच्या ५० % किंवा रु. ४००००/क्विं. मर्यादेत | संख्या | १२५ | ५०.००० |
| | **एकूण** | | | **२५०** | **१४३.७५०** |
| ब) | पीक पद्धतीवर आधारित शेतकरी प्रशिक्षण | रु. १४००० प्रती प्रशिक्षण | संख्या | ३१ | ४.३४० |
| **क) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र- SMAM मापदंडाप्रमाणे** | | | | | |
| | क्लीनर कम ग्रेडर/Gradient Separator/Spcifi Gravity | रु. १.०० लाख/युनिट | संख्या | ५० | ५०.००० |
| **ड)** | **जनजागृती/प्रचार प्रसिद्धी** | | | | |
| १) | प्रचार व प्रसिद्धी - जिल्हास्तर | रु. १.०० लाख / जिल्हा | | ३१ | ३१.००० |
| २) | जिल्हास्तरीय कार्यशाळा | रु. २.५० लाख / जिल्हा | संख्या | ३१ | ७७.५०० |
| | **एकूण** | | | .. | **१०८.५००** |
| | **एकूण फ्लेक्झी घटक** | | | .. | **३०६.५९०** |
| | **एकूण एकंदर पौष्टिक तृणधान्य** | | | .. | **६८८२.०००** |

## फ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA PULSES) कार्यक्रम (माहे मार्च, २०२१ अखेर) अंतिम मासिक प्रगती अहवाल

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | बाब | अनुदानाचा दर | परिणाम | एकूण TRFAP-PULSES लक्षांक भौतिक | लक्षांक आर्थिक | साध्य भौतिक | साध्य आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| **१ पीक प्रात्यक्षिके** | | | | | | | |
| अ) | हरभरा | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | ९८५० | ८८६.४९७ | १०४७९ | ८५२.०४० |
| ड) | लाखोळी | रु. ९००० प्रति हे. | हेक्टर | १५० | १३.५०० | .. | .. |
| | **एकूण पीक प्रात्यक्षिके १ अ ते १ ड** | | | **१००००** | **९००.००** | **१०४७९** | **८५२.०४०** |
| **२ उत्पादन साधने** | | | | | | | |
| अ) | प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) | | | | | | |
| i) | हरभरा | रु. २५०० प्रति क्विं | क्विंटल | १२००० | ३००.००० | ४६११ | ११५.२८८ |
| ii) | हरभरा (१० वर्षाच्या वरील) | रु. १२०० प्रति क्विं | क्विंटल | .. | .. | १२९४ | १५.५३० |
| | **एकूण २ (i) ते २ (ii)** | | | **१२०००** | **३००.०००** | **५९०५** | **१३०.८१७** |
| ब) | पीक संरक्षण औषधे | रु.५०० प्रति हे. | हेक्टर | १०००० | ५०.००० | ७९२३ | **३६.८३६** |
| | **एकूण २ अ ते २ ब** | | | **..** | **३५०.०००** | **..** | **१६७.६५४** |
| | **पीक पध्दतीवर आधारित प्रशिक्षण** (Four Sessions) | रु. १४००० प्रति हे. | संख्या | १७० | २३.८०० | १६८ | २२.९२२ |
| | **एकूण एकंदर** | | | | **१२७३.८०** | **..** | **१०४२.४१६** |

## ड. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२१-२२ भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-PULSES) कार्यक्रम कृति आराखडा २०२१-२२

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | तपशील | अनुदानाचा दर | भौतिक | लक्षांक आर्थिक केंद्र हिस्सा | लक्षांक आर्थिक राज्य हिस्सा | लक्षांक आर्थिक एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| **१ सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके** | | | | | | |
| अ) | हरभरा | रु. ९००० प्रति हे. | ९३३४ | ५०४.०३६ | ३३६.०२४ | ८४०.०६० |
| ब) | लाखोळी | रु. ९००० प्रति हे. | १४२ | ७.६६८ | ५.११२ | १२.७८० |
| | **एकूण १** | | **९४७६** | **५११.७०४** | **३४१.१३६** | **८५२.८४०** |
| **२ उत्पादन निविष्ठा** | | | | | | |
| **अ)** | **प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षावरील वाण)** | | | | | |
| i) | हरभरा | रु. २५०० प्रति क्विंटल किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | ११३७० | १७०.५५० | ११३.७०० | २८४.२५० |
| ब) | पीक संरक्षण औषधे | रु. ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते | ९४७४ | २८.४२२ | १८.९४८ | ४७.३७० |
| | **एकूण २ अ ते २ ब** | | **..** | **१९८.९७२** | **१३२.६४८** | **३३१.६२०** |
| **३ पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण** | | रु. १४००० प्रती | १६१ | १३.५२४ | ९.०१६ | २२.५४० |
| | | **एकूण एकंदर** | | **७२४.२००** | **४८२.८००** | **१२०७.०००** |

## कृषि क्षेत्रात लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प

कृषी विकासामध्ये स्त्रियांचे महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. राज्यात शेतीची बहुतांशी कामे उदा. खुरपणी, वेचणी, तोडणी इ. महिलांद्वारे सहजसुलभतेने होतात. स्त्री व पुरुषांमध्ये समानता आणून लिंग समभाव प्रतिबिंबीत होण्याच्या अनुषंगाने कृषि विभागाच्या नियोजनामध्ये आणि योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्याने समाविष्ट करून घेतले जाते. कृषि विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमधील ३० टक्के वैयक्तिक लाभ महिलांसाठी राखून ठेवले जातात. यासाठी महाडीबीटी, महसूल अभिलेखे इत्यादी महिलांच्या नावे नसणे सारख्या समस्यांमुळे योजनांमधील देय लाभ संबंधित महिलेस दिले गेले तरी ते त्यांचे नावे नोंदले जाण्यास अडचणीचे ठरते. कृषि विकासामध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषि विभागाच्या अनेक योजनांमधील देय अनुदानाचे लाभ पुरुषाच्या तुलनेत महिलांसाठी वाढीव स्वरूपात देण्यात येतात.

स्थानिक पातळीवर भाजीपाला पिकांची रोपे सहजतेने उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने केवळ महिलांसाठी पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे भाजीपाला लागवडीस प्रोत्साहन मिळण्याबरोबर स्थानिक पातळीवर महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळत आहेत.

समूह शेतीस प्रोत्साहन देत असताना कृषि विभागामार्फत केवळ महिला लाभार्थींचे गट निर्माण करण्यात आले असून, त्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांद्वारेदेखील महिलांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे.

---

## अ) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सन २०१८ मध्ये विकसित केलेले पिकांचे वाण, कृषी यंत्र व पीक उत्पादन तंत्रज्ञान शिफारशी

### अ (१) प्रसारित वाण

**१. हरभरा : फुले विक्रांत :** (फुले जी-०४०५) अधिक उत्पादन देणाऱ्या मर रोगास प्रतिकारक्षम असणाऱ्या हरभऱ्याचा "फुले विक्रांत" (फुले जी-०४०५) हा वाण पश्चिम मध्य भारतासाठी (महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्यप्रदेश व दक्षिण राजस्थान) प्रसारित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * सरासरी उत्पादन २० क्विंटल प्रति हेक्टरी
* उत्पादन क्षमता ४१ क्विंटल प्रति हेक्टरी
* मर रोगास प्रतिकारक्षम
* कालावधी ११० दिवस

**२. संकरित कापूस : फुले चेतना (आर एच बी-१०१४) :** जास्त लांब धाग्याच्या आंतरजातीय संकरित कपाशीच्या "फुले चेतना" (आर एच बी १०१४) या वाणाची महाराष्ट्रात इजिप्शियन कापूस लागवड होणाऱ्या बागायती क्षेत्रासाठी प्रसारित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * सरासरी उत्पादन १७ क्विंटल प्रति हेक्टरी
* तुल्य वाण डीसीएच आणि फुले ३८८ पेक्षा ४४% जास्त उत्पन्न
* अति लांब व तलम धागा

**३. ऊस : व्ही एस आय १२१२१ :** व्ही एस आय १२१२१ या मध्यम - उशिरा पक्व होणारा वाण महाराष्ट्र राज्यातील आडसाली, पूर्वहंगाम व सुरु या हंगामासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * सरासरी उत्पादन १४१ टन प्रति हेक्टरी
* तुल्य वाण को ८६०३२ पेक्षा १८.८५% जास्त
* साखरेचे प्रमाण २०.१६%
* साखर उत्पादन - १६.४५ टन प्रति हेक्टरी
* काणी, रेडरॉट व तांबेरा रोगास मध्यम प्रतिकारक

**४. केळी : फुले प्राईड (बी आर एस २०१३-३) :** फुले प्राईड (बी आर एस २०१३-३) या केळीच्या बुटका, लवकर काढणीस तयार होणारा, झाडे उन्मळून पडणे, खोड मोडणे व घड पडणे यास प्रतिकारक तसेच करपा (सिगाटोका) रोगास सहनशील वाणाची पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * झाडांची सरासरी उंची १.५० मीटर
* सरासरी उत्पादन ९८ टन प्रति हेक्टरी (२२ किलो प्रति झाड)
* काढणीस लागणारा कालावधी ३२० दिवस
* एकसारखा मोठा दंडगोलाकार घड
* सिगाटोका करपा रोगास व फुल किडीस प्रतिकारक्षम

**५. पपई : फुले विजया (जीकेपीएस-२-७) :** पपईचा "फुले विजया" (जीकेपीएस-२-७) हा वाण पपया रिंग स्पॉट या विषाणूजन्य रोगास परिमाणवाचक प्रतिकारक्षम असून फळांचा पिवळसर व घट्ट गर तसेच अधिक उत्पादन देणारा असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * रिंग स्पॉट विषाणूजन्य रोगास प्रतिकारक
* उत्पादन प्रति हेक्टरी ८१ मे.टन (४६ किलो प्रति झाड)
* फळांची संख्या प्रति झाड ३४
* पिवळसर रंगाचा गर

**६. चेरी टोमॅटो : 'फुले जयश्री' (आरएचआरसीटी-१२-६) :** चेरी टोमॅटोच्या 'फुले जयश्री' (आरएचआरसीटी-१२-६) या वाणाची फळे आकर्षक, नारंगी लाल रंगाची, गोलाकार व रसाळ असल्याने हा वाण पश्चिम महाराष्ट्रत लागवडीसाठी प्रसारित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * सरासरी उत्पादन ५३ टन प्रति हेक्टरी
* लायकोपीनचे प्रमाण २.५ मिग्रॅ/१००ग्रॅम
* ॲस्कॉरबीक आम्लाचे प्रमाण ११८ मिग्रॅ/१००ग्रॅम
* गोलाकार नारंगी लाल रंगाची आकर्षक फळे
* विषाणूजन्य रोगांना मध्यम प्रतिकारक्षम

## (२) कृषी यंत्रे

**१. फुले कैरी फोडणी यंत्र :** लोणचे बनविणाऱ्या लघु उद्योगासाठी कार्यक्षमतेने व किफायतशीरपणे कैऱ्या फोडण्याकरिता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे "फुले कैरी फोडणी यंत्राची" शिफारस करण्यात आली आहे.

**वैशिष्टे -** * कैऱ्या फोडणी क्षमता ४० ते ६० किलो ग्रॅम प्रति तास (पारंपरिक पद्धती पेक्षा दुप्पट)
* सोपी हाताळणी (हाताने व पायाने वापरता येते)
* लोणचे बनविणाऱ्या लघु उद्योगासाठी

## (३) पीक उत्पादन तंत्रज्ञान शिफारशी

१. उशिरा मान्सूनआगमनाच्या परिस्थितीत खरीप बाजरी पिकाच्या धनशक्ती वाणाची पेरणी उशीरात उशिरा म्हणजेच २० ऑगस्ट ते ०२ सप्टेंबर (मघा नक्षत्र) (कृषी हवामान आठवडा क्र. ३४-३५) दरम्यान महाराष्ट्राच्या अवर्षण प्रवण विभागातील मध्यम खोल जमिनीमध्ये शाश्वत उत्पादनासाठी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२. उशिरा मान्सून आगमनाच्या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या अवर्षण प्रवण विभागातील हलक्या ते मध्यम खोल जमिनीसाठी आपत्कालीन खरीप सूर्यफूलाची (फुले भास्कर या वाणाची) पेरणी जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात (म्हणजे १६ जुलै ते २९ जुलै दरम्यान, पुष्य नक्षत्र, कृषी हवामान आठवडा क्र. ३०-३१) करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल काळ्या जमिनीत वांग्याचे प्रती हेक्टरी ३५ टन उत्पादन साध्य करण्यासाठी २० टन शेणखत प्रति हेक्टरी मात्रेबरोबर उत्पादन उद्दिष्ट समिकरणानुसार नत्र, स्फुरद आणि पालाश खतमात्रांचा संतुलीत वापर व जमिनीची सुपिकता टिकवण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

**शेणखतासोबत अपेक्षित उत्पादन समीकरण**

**खतामधून द्यावयाचे नत्र कि/हे.** (७.२३ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (०.५२ x जमिनीतील उपलब्ध नत्र, कि/हे.) - (१.५६ x शेणखत, टन/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे स्फुरद कि/हे.** (३.२१ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (३.१० x जमिनीतील उपलब्ध स्फुरद, कि/हे.) - (०.५० x शेणखत, टन/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे पालाश कि/हे.** (४.७४ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (०.२६ x जमिनीतील उपलब्ध पालाश, कि/हे.) - (०.७४ x शेणखत, टन/हे.)

**शेणखतविरहीत अपेक्षित उत्पादन समीकरण**

**खतामधून द्यावयाचे नत्र कि/हे.** (७.६८ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (०.५६ x जमिनीतील उपलब्ध नत्र, कि/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे स्फुरद कि/हे.** (३.४० x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (३.२८ x जमिनीतील उपलब्ध स्फुरद, कि/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे पालाश कि/हे.** (६.०० x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (०.३३ x जमिनीतील उपलब्ध पालाश, कि/हे.)

४. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल काळ्या जमिनीत बागायती हरभऱ्याचे हेक्टरी ३० क्विंटल उत्पादन साध्य करण्यासाठी ५ टन शेणखत प्रति हेक्टरी मात्रेबरोबर उत्पादन उद्दिष्ट समिकरणानुसार नत्र, स्फुरद आणि पालाश खतमात्रांचा संतुलीत वापर व जमिनीची सुपिकता टिकवण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

**शेणखतासोबत अपेक्षित उत्पादन समीकरण**

**खतामधून द्यावयाचे नत्र कि/हे.** (२.५१ x अपेक्षित उत्पादन क्विं/हे.) - (०.१५ x जमिनीतील उपलब्ध नत्र, कि/हे.) - (३.११ x शेणखत, टन/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे स्फुरद कि/हे.** (२.७१ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (१.६३ x जमिनीतील उपलब्ध स्फुरद, कि/हे.) - (२.०३ x शेणखत, टन/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे पालाश कि/हे.** (२.६९ x अपेक्षित उत्पादन टन/हे.) - (०.०९ x जमिनीतील उपलब्ध पालाश, कि/हे.) - (३.०९ x शेणखत, टन/हे.)

**शेणखतविरहीत अपेक्षित उत्पादन समीकरण**

**खतामधून द्यावयाचे नत्र कि/हे.** (२.७५ x अपेक्षित उत्पादन क्विं/हे.) - (०.१७ x जमिनीतील उपलब्ध नत्र, कि/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे स्फुरद कि/हे.** (३.२७ x अपेक्षित उत्पादन क्विं/हे.) - (१.९७ x जमिनीतील उपलब्ध स्फुरद, कि/हे.)

**खतामधून द्यावयाचे पालाश कि/हे.** (३.०५ x अपेक्षित उत्पादन क्विं/हे.) - (०.११ x जमिनीतील उपलब्ध पालाश, कि/हे.)

५. पूर्वहंगामी ऊस आणि त्याच्या सलग ३ खोडव्याच्या उसाचे आणि साखरेचे अधिक उत्पादन व आर्थिक फायद्यासाठी तसेच जमिनीची सुपिकता राखण्यासाठी शिफारशीत खत मात्रेच्या ५० टक्के विद्राव्य खते (१७०:८५:८५ आणि १२५:५८:५८ किलो नत्रः स्फुरद : पालाश प्रति हेक्टर अनुक्रमे), लागणीच्या उसासाठी २५ टन प्रति हेक्टरी शेणखत आणि ॲसिटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणूची बेणे प्रक्रिया आणि खोडव्यासाठी पाचट व्यवस्थापनासह जिवाणू खतांचा (ॲसिटोबॅक्टर, ॲझोटोबॅक्टर, ॲझोस्पिरीलम व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी १.२५० किलो प्रती हेक्टरी) एकत्रित वापर करून खालील तक्त्यानुसार दर आठवड्यास एक या प्रमाणे ४४ हप्त्यात ठिबक सिंचनाद्वारे देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**पूर्वहंगामी ऊस आणि त्याच्या खोडव्यासाठी ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावयाच्या विद्राव्य खतांचे वेळापत्रक**

| आठवडे | अन्नद्रव्यांची मात्रा (कि./हे.) | | | | | | हप्ते |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लागवडीचा ऊस | | | खोडवा ऊस | | | |
| | नत्र | स्फुरद | पालाश | नत्र | स्फुरद | पालाश | |
| २ ते ५ | ७ | ३ | २ | ५ | २ | २ | ४ |
| ६ ते ११ | ३१ | १५ | ५ | २३ | ११ | ३ | ६ |
| १२ ते १५ | ३४ | १७ | ३ | २५ | १२ | २ | ४ |
| १६ ते २१ | ४१ | २० | १० | ३० | १४ | ७ | ६ |
| २२ ते २७ | ३१ | १५ | १० | २२ | १० | ७ | ६ |
| २८ ते ३१ | १४ | ७ | १० | १० | ५ | ७ | ४ |
| ३२ ते ३७ | १४ | ७ | २० | १० | ४ | १४ | ६ |
| ३८ ते ४१ | .. | .. | १४ | .. | .. | ९ | ४ |
| ४२ ते ४५ | .. | .. | १० | .. | .. | ७ | ४ |
| **एकूण** | **१७०** | **८५** | **८५** | **१२५** | **५८** | **५८** | **४४** |

६. पश्चिम महाराष्ट्रातील हलक्या जमिनीत कांद्याच्या अधिक उत्पादन, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये शोषण, अन्नद्रव्यांचा कार्यक्षम वापर आणि आर्थिक फायद्यासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये फुले ग्रेड-II ब (लोह ३%, जस्त ५%, मंगल ०.५%, बोरॉन०.५%, तांबे ०.५%) ची फवारणी ०.३ टक्के प्रमाणे ३५ व ५५ दिवसांनी शिफारशीत खतमात्रेसहीत (१००:५०:५० किलो /हे नत्र : स्फुरद : पालाश + २० टन/हे शेणखत) देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

७. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल जमिनीत कांदा बिजोत्पादनातून अधिक उत्पादन, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये शोषण आणि आर्थिक फायद्यासाठी कांदा गोट लागवडीनंतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये फुले ग्रेड-II ब (लोह ३%, जस्त ५%, मंगल ०.५%, बोरॉन०.५%, तांबे ०.५%) ची फवारणी ०.३ टक्के प्रमाणे ५५ व ६५ दिवसांनी शिफारशीत खतमात्रेसहीत (१००:५०:५० किलो /हे नत्र : स्फुरद : पालाश + २० टन/हे शेणखत) देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

८. महाराष्ट्राच्या उपपर्वतीय विभागात जस्ताची कमतरता असलेल्या हलक्या जमिनीमध्ये मका पिकाच्या अधिक उत्पादन आणि आर्थिक फायद्याकरिता, माती परिक्षणाच्या आधारावर शिफारशीत अन्नद्रव्य व १० टन प्रति हेक्टर शेणखतासोबत २५ किलो प्रती हेक्टर झिंक सल्फेट (एक आठवडा ५०० किलो शेणखतासोबत मुरवून पेरणीपूर्वी) देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

९. महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण विभागातील मध्यम ते खोल काळ्या जमिनीतील रब्बी ज्वारीच्या अधिक धान्य व कडबा उत्पादनासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी तसेच कमी ऊर्जेचा वापर करून जमिनीची सुपिकता टिकविण्यासाठी एक वेळ कुळवणी + पेरणी बरोबर हलकी कुळवणी + तिसऱ्या आठवड्यात एक कोळपणी + २५ किलो नत्र युरीयामार्फत + २५ किलो नत्र पिकांचे अवशेष व सुबाभूळ किंवा इतर हिरवा पाला या दोन सेंद्रिय खतामधून + १२.५ किलो स्फुदर प्रति हेक्टरी सिंगल सुपर फॉस्फेट खतामार्फत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१०. उत्तर महाराष्ट्राच्या अवर्षण प्रवण विभाग (पर्जन्य गट ३ आणि ४) मध्ये अधिक उत्पादन व आर्थिक फायद्यासाठी बी. टी. कपाशीमध्ये शेपु किंवा कोथिंबीर किंवा मेथी किंवा पालक या पिकांची १:३ पद्धतीने आंतरपीक घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

११. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल काळ्या जमिनीत सुरु हंगामी उसाच्या पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी भूमिगत ठिबक सिंचन प्रणालीखाली पीक बाष्पोपर्णोत्सर्जनाच्या ६० टक्के एवढे पाणी संपूर्ण कालावधीत दर दिवसा आड देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१२. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल जमिनीत संकरित टोमॅटोचे अधिक उत्पादन पाण्याचा व खताचा कार्यक्षम वापरासाठी शिफारशीत खतमात्रेच्या ७५% (२२५:११२.५:११२.५ किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रती हेक्टर) विद्राव्य खते ठिबक सिंचनातून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**तक्ता : ठिबक सिंचनातून संकरित टोमॅटो पिकास १८ हप्त्यातून अन्नद्रव्ये देण्याचे प्रमाण**

| लागवडी नंतरचा कालवधी (आठवडे) | नत्राचे प्रमाण | | स्फुरदचे प्रमाण | | पालाशचे प्रमाण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | टक्के | कि. प्रति हे. | टक्के | कि. प्रति हे. | टक्के | कि. प्रति हे. |
| १-२८ (४ आठवडे) | १५ | ३४ | २० | २३ | १५ | १७ |
| २९-५६ (४ आठवडे) | ४० | ९० | ३५ | ३९ | ३० | ३४ |
| ५७-८४ (४ आठवडे) | ३० | ६८ | ३५ | ३९ | ३५ | ३९ |
| ८५-१२६ (६ आठवडे) | १५ | ३४ | १० | ११ | २० | २३ |
| **एकूण** | **१००** | **२२५** | **१००** | **११३** | **१००** | **११३** |

१३. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल जमिनीत रब्बी कांद्याचे अधिक उत्पादन तसेच पाण्याचा व खताचा कार्यक्षम वापरासाठी शिफारशीत खतमात्रेच्या १००% (१००:५०:५० किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रती हेक्टर) विद्राव्य खते ठिबक सिंचनातून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**तक्ता : ठिबक सिंचनातून रब्बी कांद्यास १३ हप्त्यातून खते देण्याचे प्रमाण**

| लागवडी नंतरचा कालवधी (आठवडे) | नत्राचे प्रमाण | | स्फुरदचे प्रमाण | | पालाशचे प्रमाण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | टक्के | कि. प्रति हे. | टक्के | कि. प्रति हे. | टक्के | कि. प्रति हे. |
| १-२१ (३ आठवडे) | २० | २० | ३० | १५.० | १० | ५ |
| २२-४२ (३ आठवडे) | ४० | ४० | ४० | २०.० | २० | १० |
| ४३-७० (४ आठवडे) | ३० | ३० | २५ | १२.५ | ३० | २० |
| ७१-९१ (६ आठवडे) | १० | १० | ५ | २.५ | ४० | १५ |
| **एकूण** | **१००** | **१००** | **१००** | **५०.०** | **१००** | **५०** |

१४. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल जमिनीमधून अधिक उत्पादन, निव्वळ नफा आणि अधिक पाणी वापर क्षमता मिळणेसाठी, मिरची-कलिंगड या पीक पद्धतीची लागवड ४० मायक्रॉन जाडीच्या चंदेरी काळे प्लास्टीक आच्छादन वापरून गादी वाफ्यावर (९० सेंमी) ६० x ४५ सेंमी अंतरावर लागवड करून ठिबक सिंचनाद्वारे पीक बाष्पोपर्णोत्सर्जनाच्या ७० टक्के पाणी द्यावे आणि शिफारशीत खत मात्रेच्या १२५ टक्के खते खालील तक्त्याप्रमाणे दोन्ही पिकांना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

**मिरची पिकाचे खताचे वेळापत्रक**

| अ. नं. | पीक वाढीची अवस्था | दिवस | हप्ते (आठवडे) | खत मात्र किलो/हेक्टर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नत्र | स्फुरद | पालाश |
| १ | पिकांची वाढ व फांद्या | ६० | ६ | २० | १० | १० |
| २ | फुले येण्याची आवस्था | ३० | ४ | ४० | २० | २० |
| ३ | फळे येण्याची अवस्था | ६० | ६ | ४० | २० | २० |
| | | **एकूण** | | **१००** | **५०** | **५०** |

**कलिंगड पिकाचे खताचे वेळापत्रक**

| अ. नं. | पीक वाढीची अवस्था | दिवस | हप्ते (आठवडे) | खत मात्र किलो/हेक्टर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नत्र | स्फुरद | पालाश |
| १ | पिकांची वाढ | १५ | २ | २५ | १२.५ | १२.५ |
| २ | फुले येण्याची आवस्था | ३० | ४ | ५० | २५ | २५ |
| ३ | फळे येण्याची अवस्था | १५ | २ | २५ | १२.५ | १२.५ |
| | | **एकूण** | | **१००** | **५०** | **५०** |

१५. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल जमिनीत संकरित नेपीअर पासून वर्षभर अधिक हिरवा चारा उत्पादन व आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी दोन डोळ्यांच्या मुळे फुटलेल्या कांड्या उभ्या पद्धतीने अथवा मुळे असलेल्या ठोंबाद्वारे ९० x ६० सेंमी अंतरावर लागवड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१६. पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम खोल काळ्या जमिनीत पूर्व हंगामी उसाच्या फुले ०२६५ अधिक ऊस व साखर उत्पादनासाठी पॉलीट्रे मधील ३० ते ३५ दिवसांच्या एक डोळा कांडीच्या रोपांची लागवड सरी अंतर १५० सें. मी. व रोपांमधील अंतर ६० सें. मी. वर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१७. महाराष्ट्राच्या उपपर्वतीय विभागात पेर भात शेतीमध्ये प्रभावी तण नियंत्रण व अधिक आर्थिक फायद्यासाठी, पेरणीनंतर २ ते ३ दिवसांत १५०० मिली प्रेटीलाक्लोर ३०.७ टक्के ई. सी. प्रती हेक्टर आणि परेणीनंतर २५ दिवसांनी ७० ग्रॅम ॲझीमसल्फ्युरॉन ५० टक्के डीएफ प्रती हेक्टरी ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१८. महाराष्ट्राच्या उपपर्वतीय विभागात लागवड पद्धतीच्या भात शेतीमध्ये प्रभावी तण नियंत्रण व अधिक आर्थिक फायद्यासाठी, पुनर्लागवडीनंतर १५ ते २० दिवसांत २०० मिली बायस्पॅरीबॅक सोडीयम १० टक्के एस. सी. प्रती हेक्टर ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारण्याची आणि पुनर्लागवडीनंतर ४५ दिवसांनी एक खुरपणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१९. तुरीच्या वाणांची मर रोगास प्रतिकार क्षमता जलद व खात्रीपूर्वक पडताळण्यासाठी ओडी फीनॉल व बीटा १.३ ग्लुकोनेज या जैवरासायनिक घटकांची पातळी तसेच ओपीजि-०८, स्कार-१ व एएसएसआर १ या आण्विक चिन्हांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२०. सुरु हंगामातील ऊस पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी ओलीनकायटोसान या जैवसंप्रेरकाच्या ५० पीपीएम द्रावणाची लागणीपूर्वी ऊस बेण्यास ३० मिनिटे बेणेप्रक्रिया ; तसेच पिकाचे वय ३०, ६० आणि ९० दिवसाचे असताना फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२१. १०० टक्के राळं वापरुन कॅल्शियमयुक्त उत्तम साठवणूक क्षमता (९० दिवस) असणाऱ्या राळं कुकीजच्या तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यात आली आहे.

२२. ड्रॅगन फळाच्या गरापासून उत्तम प्रतिची जेली तयार करण्यासाठी खालील पद्धतीची शिफारस करण्यात आली आहे.

१. फळांचा गर काढून गर आणि पाणी १:१ या प्रमाणात मिसळून ते २० ते ३० मिनीटे उकळल्यानंतर मलमल कापडाने गाळून द्यावे.

२. गाळलेल्या १ किलो अर्कात ५५० ग्रॅम साखर, ११ ग्रॅम पेक्टीन, २ ग्रॅम सायट्रीक आम्ल, ३०० मिलिग्रॅम पोटॅशियम मेटाबाय सल्फाईट (केएमएस) टाकून मिश्रण ६७° ब्रिक्स येईपर्यंत शिजवावे.

३. तयार झालेली जेली गरम असतांनाच निर्जंतूक केलेल्या प्लॅस्टीक (PET) बाटल्यात भरून, थंड केल्यानंतर त्या सीलबंद कराव्यात. सामान्य तापमानास ९० दिवसापर्यंत जेली सुस्थितीत राहते.

२३. दुधी भोपळ्यापासुन चांगल्या प्रतीचा रस तयार करण्यासाठी खालील पद्धतीची शिफारस करण्यात येत आहे.

१. कोवळ्या फळांची काढणी करावी.

२. फळांचे तुकडे २ मिनिटे ब्लांचिंग करावे.

३. स्क्रु टाईप पल्परच्या सहाय्याने रस गाढून मलमलच्या कपडाने गाळुन घ्यावे.

४. रसामध्ये ६०० पी. पी. एम. सोडिअम बेंझोएट हे परिरक्षक टाकून ८५° से. तापमानाला पाच मिनीटे पाश्चरीकरण केलेला रस निर्जंतूक केलेल्या बाटल्यामध्ये भरुन बाटल्या हवाबंद कराव्यात आणि बाटल्या पुन्हा १५ मिनिटे पाश्चरीकरण करून घ्याव्यात.

२४. महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण विभागामीधल कोरडवाहू रब्बी सूर्यफुलाचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी आणि २५% नत्र आणि स्फुरद या रासायनिक अनद्रव्यांच्या बचतीसाठी पेरणीपूर्वी बियाण्यास द्रवरूप अझोटोबॅक्टर आणि स्फुरद विरघळविणाऱ्या जीवाणू संवर्धकाची प्रत्येकी २५ मिली प्रती किलो या प्रमाणात बीजप्रक्रिया करून हेक्टरी ४० किलो नत्र आणि २० किलो स्फुरद या रासायनिक अनद्रव्यांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२५. भात पिकावरील पर्णकोष करपा आणि खोडकुज या रोगांच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे रोग नियंत्रण प्रणालीची शिफारस करण्यात आली आहे.

* भात बियाणास कार्बेन्डॅझिम ५०% डब्लु. पी. या बुरशीनाशकाची ३ ग्रॅम व त्यानंतर ट्रायकोडर्मा हर्झियानम + सुडोमोनास फ्ल्युरोसन्स या जैवरोग नियंत्रकाची प्रत्येकी ५ ग्रॅम प्रती किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रीया करावी.
* पेरणीवेळी गादीवाफ्यावर ट्रायकोडर्मा हर्झियानम + सुडोमोनास फल्युरोसन्स हे जैवरोग नियंत्रक प्रत्येकी २५ ग्रॅम + भाताच्या पळींजाची राख १०० किलो प्रती गुंठा या प्रमाणात टाकावेत.
* शिफारशीनुसार रासायनिक खतांची मात्रा (न : स्फु : पा - १००: ५० : ५०) बिकेट्स सह अथवा बिकेट्स शिवाय द्यावी.
* भात पुनर्लागवडीनंतर २५, ३५ व ४५ दिवसांनी सुडोमोनास फ्ल्युरोसन्स या जैवबुरशीनाशकाच्या २० ग्रॅम / १० लिटर पाणी या प्रमाणात ३ फवारण्या कराव्यात.
* पर्ण कोष करपा तथा खोडकुज रोगाचा प्रादूर्भाव दिसल्यास गरजेनुसार प्रोपीकोनॅझॉल २५% ई. सी. या बुरशीनाशकाच्या १० मिली प्रती १० लि. पाणी या प्रमाणात १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या कराव्यात.

२६. मावा, तुडतुडे आणि खोडमाशी या किडींचा प्रादूर्भाव आणि या किडींमुळे धान्य उत्पन्नात होणारे नुकसान कमी करणेकरिता गहू पिकाची पेरणी १६ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२७. कपाशीवरील बोंडअळ्यांच्या नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफॉस ५० इसी २० मिली लागवडीनंतर ६० दिवसांनी पहिली फवारणी, इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एस. जी. ४.४ ग्रॅम लागवडीनंतर ८० दिवसांनी दुसरी फवारणी आणि लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ इसी १० मिली लागवडीनंतर १०० दिवसांनी तिसरी फवारणी प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२८. महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण विभागामधील करडईच्या पानावरील अल्टरनेरियाक्करपा रोगाच्या प्रभावी आणि किफायतशीर नियंत्रणासाठी रोगाचा प्रादूर्भाव दिसताच कार्बेन्डॅझिम (१२%) + मॅनकोझेब (६६%) किंवा इप्रोडिऑन (२५%) + कार्बेन्डॅझिम (२५%) या संयुक्त बुरशीनाशकांच्या दोन ग्रॅम प्रती लिटर पाणी या प्रमाणात १५ दिवसांच्या अंतराने गरजेनुसार दोन ते तीन फवारण्या करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२९. पावसाची तीव्रता अनुमानीत करण्यासाठी वापरावयाच्या स्थलनिहाय गुणांकांच्या किमती राहुरीसाठी दहा वर्षानंतर तर सोलापूरसाठी पाच वर्षानंतर पुनःस्थापित कराव्यात.

३०. पावसाची तिव्रता - वारंवारिता आणि कालावधी यातील संबंध दर्शविणाऱ्या समीकरणातील के, ए, बी आणि डी गुणांकाची अनुक्रमे ३.५८, ०.१८७८, ०.६ आणि ०.८४०८ जळगांव विभागाकरिता शिफारस करण्यात आली आहे.

$$\text{आय} = \frac{(\text{के } T^{\text{ए}})}{(t + \text{बी})^{\text{डी}}}$$

आय =पावसाची तीव्रता, सेंमी/तास, T=वारंवारिता, वर्षे, t= पावसाचा कालावधी, तास के, ए, बी आणि डी =स्थानिक गुणांक

३१. अधिक गुणवत्तापूर्ण फळांसाठी व आर्थिक फायदा मिळविण्यासाठी केळीच्या घडांना पॉलीप्रॉपिलीन पिशव्या (१.०० x ०.८०मी) वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३२. ब्रोकोली पिकाचे रब्बी हंगामात गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादनासाठी, ५० टक्के सावलीच्या लाल किंवा पांढऱ्या शेडनेटगृहामध्ये लागवड करून दररोज ठिबक सिंचनातून पीक बाष्पपर्णोत्सर्जनाच्या ९० टक्के पाणी व ८० टक्केशिफारशीत खत मात्रा (१२०:८०:१४० कि.ग्रॅ/हे. नत्र : स्फुरद : पालाश) दिवसाआड देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३३. महाराष्ट्रात अधिक उत्पादन, उत्पादकता तसेच पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी उन्हाळी खरबूज पिकाची लागवड लाल रंगाच्या ५० टक्के सावली असलेल्या शेडनेटगृहात चंदेरी काळ्या रंगाच्या प्लास्टिक आच्छादनाचा (४० मायक्रॉन जाडी) वापर करून प्रतिदिन पीक बाष्पपर्णोत्सर्जनाच्या १०० टक्के पाणी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३४. विविध हवामान केंद्राद्वारे नोंदविण्यात आलेली हवामानाची माहिती एका ठिकाणी संकलित करण्यासाठी व ती माहिती संदर्भीय बाष्पपर्णोत्सर्जन काढण्यासाठी तसेच विविध शास्त्रीय उपयोगाकरिता प्रसारित करण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली मोबाईल व संकेतस्थळ आधारित वेदर डेटा इनपुट रिट्रायव्हल सिस्टिम (WDIRS) वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३५. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या तालुक्यासाठी करडई, मधुमका, कापूस आणि टोमॅटो पिकांची विविध सिंचन पद्धतीद्वारे आठवडानिहाय पाण्याची व सिंचनाची गरज काढण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले तक्ते वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. तसेच विशिष्ट आठवड्यासाठी ठराविक ठिकाणी पाण्याची व सिंचनाची गरज काढण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मध्ये विकसित केलेले नकाशे वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३६. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने शिफारसीत केलेल्या भगवा व विकसित केलेल्या फुले भगवा सुपर जातीच्या लागवडीमुळे महाराष्ट्रातील डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांना १२ वर्षात (२००४-५ ते २०१५-१६) एकूण २१,४२७ कोटीचे उत्पन्न व ६,४२८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झालेला आहे. तसेच डाळींब संशोधन आणि विस्तार कार्यामध्ये १ रुपयाची गुंतवणूक केली असता २१ रु. उत्पन्न व अंतर्गत परतावा दर ४० टक्के असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून डाळींब संशोधन आणि विस्तार कार्यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

३७. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने शिफारसीत केलेल्या तृणधान्य पिकांच्या लागवड तंत्रज्ञानाच्या कमीवर मध्यम व मध्यमवर उच्च अवलंबन गटामध्ये रोजगार, उत्पादन व उत्पन्न यामध्ये तुलनात्मक वाढ व उत्पादन खर्चामध्ये झालेली घट ही खालीलप्रमाणे दिसून आली.

(आकडेवारी टक्क्यामध्ये)

| अ. क्र. | निक/अवलंबन गट | रोजगारामध्ये झालेली वाढ | उत्पादनामध्ये झालेली वाढ | उत्पन्नामध्ये झालेली वाढ | उत्पादन खर्चामध्ये झालेली घट |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | **भात** | | | | |
| | १. कमीवर मध्यम अवलंब गट | १६ | १५ | १२ | ४ |
| | २. मध्यमवर उच्च अवलंब गट | २६ | २६ | २९ | ७ |
| २ | **गहू** | | | | |
| | १. कमीवर मध्यम अवलंब गट | १९ | २४ | २७ | ४ |
| | २. मध्यमवर उच्च अवलंब गट | २७ | ३८ | २९ | १९ |
| ३ | **रब्बी ज्वारी** | | | | |
| | १. कमीवर मध्यम अवलंब गट | १० | १३ | ९ | २ |
| | २. मध्यमवर उच्च अवलंब गट | २४ | ५६ | ४७ | ९ |
| ४ | **बाजरी** | | | | |
| | १. कमीवर मध्यम अवलंब गट | २७ | २८ | १६ | ११ |
| | २. मध्यमवर उच्च अवलंब गट | ३१ | ३४ | १९ | १९ |

३८. सन १९९६-९७ ते २०१४-१५ या कालावधीत तूर, हरभरा, उडीद आणि मुग या कडधान्यांची किमान आधारभूत किमतीतील वाढ ही निविष्ठांच्या किमतीतील वाढीपेक्षा अनुक्रमे १६,२५,३५ आणि २० टक्कयांनी कमी आहे. म्हणून ह्या कडधान्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमती व निविष्ठा किमतीमध्ये समानता ठेवणे गरजेचे आहे.

३९. विस्तार गटामध्ये कृती प्रात्यक्षिके, परिणाम प्रात्यक्षिके आणि गट चर्चा या विस्तार पद्धतीद्वारे भात तंत्रज्ञानाचे शत प्रतिशत अवलंबन झाल्याचे दिसून आले आहे. यावरून इतर भात लागवड क्षेत्रामध्ये सुध्दा शिफारशीत तंत्रज्ञानाचा अवलंबन वाढविण्यासाठी वरील तिन्ही विस्तार पद्धतीचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

४०. तात्विक घटक विश्लेषणाद्वारे अभ्यासलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ९९% शेतकरी कमी व मध्यम तंत्रज्ञान अवलंब गटात मोडतात. तसेच तंत्रज्ञान विघटन विश्लेषणात विद्यापीठाने प्रसारीत केलेल्या तंत्रज्ञानातील खत व्यवस्थापन (४०.९०%), बीजप्रक्रीया (१५.३३%), पीक वाढीचे अवस्थेनुसार पाणी व्यवस्थापन (१३.५५%), पूर्व मशागत (८.७८%), पेरणीची वेळ (८.७१%) आणि सुधारित वाण (७.२१%), या तंत्रज्ञानाचा गहू उत्पादनात प्रामुख्याने सहभाग आढळला. म्हणून अधिकतम गहू उत्पादन मिळविण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांनी पूर्णत्वाने अवलंब करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

४१. तुडतुड्यांचा प्रादूर्भाव, भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मावरून कपाशीचा "जीआयएसव्ही - २७२" हा वाण तुडतुडे या कीडीस प्रतिकारक्षम स्त्रोत म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे.

## संशोधन संचालनालय

## ब) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

### संशोधन शिफारशी २०१७-१८

### (संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती २०१८ मध्ये मंजूर केलेल्या शिफारशी)

**१. विकसित वाण**

| अ.क्र. | पीक | वाण | प्रमुख वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|---|
| **अ) प्रसारित झालेले वाण (शेती पिके)** | | | |
| १ | भात | पीडीकेव्ही तिलक (एसवायई-५०३-७८-३४-२) (तिलक) | उत्पादन : ३८ ते ४० क्विं./हे. कालावधी : १४०-१४५ दिवस भाताची प्रत उत्तम, बारीक आकाराचा आकर्षक दाणा, कडा-करपा रोगास प्रतिबंधक. |
| २ | सोयाबीन | पीडीकेव्ही यलो गोल्ड (एएमएस-१००१) | उत्पादन : २२ क्विं/हे., तेलाचे प्रमाण २१.४४ टक्के, कालावधी ९७ दिवस मुळकुज व विषाणुजन्य रोगास प्रतिकारक, न लोळणारा, न फुटणारा. |
| **ब) प्रसारित झालेले वाण (उद्यानविद्या पिके)** | | | |
| ३ | ग्लॅडीओलस | पीडीकेव्ही गोल्ड (एकेजीएल-०४-१६) | आकर्षक गुलाबी पिवळसर रंगाचा, जास्त फुलाची संख्या, रोग व किडीस मध्यम प्रतिकारक, उत्पादन २.७७ लाख दांड्या/हे. |
| **क) प्रसारित झालेली यंत्रे** | | | |
| ४ | छोट्या ट्रॅक्टर चलीत पंदेकृवि पेरणी व डवरणी यंत्र | | छोट्या ट्रॅक्टर (१८.५ - २५ अश्वशक्ती) चलित पंदेकृवि विकसित पेरणी व डवरणी यंत्राची शिफारस. या यंत्राची क्षेत्र क्षमता ०.४८५ हेक्टर प्रति तास तसेच तण काढणी क्षमता ९०.०२ टक्के एवढी आहे. |
| ५ | छोट्या ट्रॅक्टर चलीत पंदेकृवि स्लॅशर यंत्र | | छोट्या ट्रॅक्टर (१८.५ - २५ अश्वशक्ती) चलित पंदेकृवि विकसित स्लॅशर यंत्राची विविध पिकांचे अवशेष व्यवस्थापनासाठी वापर करण्याची शिफारस. या यंत्राची क्षेत्र क्षमता ०.४०५ हेक्टर प्रति तास आहे. या यंत्राची स्लॅशींग क्षमता ९८.२४ टक्के एवढी आहे. |
| ६ | पंदेकृवि विद्युत चलीत ऊस बेणे/कडबा कापणी यंत्र | | पंदेकृवि निर्मित पावर कटरचा ऊस बेणे व कडबा कापणी करण्याकरिता शिफारस. ऊर्जेची आवश्यक्ता ०.२३ कि. वॅट, क्षमता - बेणे १८०० प्रति तास, कडबा ८० किलो प्रति तास, हिरवा चारा ११० किलो प्रति तास. |
| ७ | पिडीकेव्ही कांदा प्रतवारी यंत्र | | पिडीकेव्ही कांदा प्रतवारी यंत्र (क्षमता २० टन प्रति दिवस (८ तास)) वापरण्याची शिफारस. |
| ८ | पिडीकेव्ही जांभुळगर निष्कासन यंत्र | | पिडीकेव्ही जांभुळगर निष्कासन यंत्राची जांभुळ गर काढण्याकरिता शिफारस. यंत्राची गर निष्कासन क्षमता ८० किलो प्रति तास, गर निष्कासन कार्यक्षमता ९७.१३ प्रतिशत, हे यंत्र अर्ध्या अश्वशक्तीच्या विद्युत मोटारवर चालते, यंत्र चालविण्यास सुलभ आहे. |

## उत्पादन तंत्रज्ञान

**शेती पिके**

१. विदर्भातील पुर्णा खोऱ्यातील खोल काळ्या चोपण जमिनीच गुणधर्म सुधारण्यासाठी तसेच सोयाबीनचे अधिक उत्पादन व आर्थिक मिळकतीकरिता बंदिस्त रुंद वरंबा सरीमध्ये पेरणीनंतर १५-२० दिवसांनी हेक्टरी २.५ टन शेणखत + १.२५ टन जिप्सम टाकण्यासाठी शिफारस करण्यात येते.

२. विदर्भातील खोल काळ्या जमिनीत तुरीचे अधिक उत्पादन, प्रथिनाचे प्रमाण आर्थिक मिळकत तसेच जमिनीची सुपिकता सुधारण्याकरिता शिफारसीत २५ किलो नत्र व ५० किलो स्फुरद सोबत ३० किलो पालाश अधिक गंधक कमतरता असलेल्या जमिनीत २० किलो गंधक प्रती हेक्टरी वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

३. ५० टक्के हिरव्या शेडनेटमधील सिमला मिरचीच्या अधिक व दर्जेदार उत्पादनासाठी तसेच जास्त आर्थिक नफा मिळणेसाठी १८७.५:११२.५:१५० किलो/हे. नत्र, स्फुरद, पालाशची शिफारस करण्यात येते. याप्रमाणे नत्र व स्फुरद या खतांची २५ टक्के बचत होते. शिफारसीत खतापैकी ८४.४० किलो स्फुरद, सिंगल सुपर फॉस्फेटद्वारे लागवडीच्या वेळी मातीत मिसळून व १८७.५:२८:१५० किलो प्रती हेक्टरी नत्र, स्फुरद, पालाश हे युरिया फॉस्फोरिक आम्ल व म्युरेट ऑफ पोटॅश द्वारे लागवडीनंतर ठिबकमधून वीस समान भागात विभागून आठवड्यातून एकदा द्यावे.

४. सोयाबीन पिकाचे अधिक उत्पादन व आर्थिक मिळकतीसाठी शिफारसीत खतांची मात्रा आणि शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत २ टक्के १९:१९:१९ (नत्र, स्फुरद व पालाश) या खताची फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

५. विदर्भातील मध्यम ते भारी जमिनीवर खरीप ज्वारीपासून जास्त उत्पादन व उत्पन्न मिळविण्यासाठी तसेच जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी ज्वारीची लागवड ट्रॅक्टरद्वारे चार ओळी १.५ मिटर रुंद वरंबा सरी पद्धतीने ४५ सें. मी. वर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

६. पुर्व विदर्भात अधिक उत्पादन व आर्थिक मिळकतीकरिता पेरीव धनाची पेरणी २०x१०-१५ सें. मी. वर करण्याची शिफारस करण्यात येते.

७. विदर्भातील मध्यम खोल काळ्या जमिनीत, कोरडवाहू परिस्थितीत जमिनीची मशागत करताना रोटाव्हेटर वापरल्यामुळे येणारा जमिनीतील टणकपणा कमी करण्यासाठी तसेच जमिनीची जलधारण क्षमता आणि पिकांच्या अधिक उत्पादनाकरिता तीन वर्षानी खोल नांगरणी करून दरवर्षी रोटाव्हेटर वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

८. भुईमुग पिकात प्रभावी तण व्यवस्थापनाकरिता तसेच किफायतशीर व अधिक उत्पादनासाठी ईमॅझीथायपर ईमॅझोमॉक्स ७० डब्ल्यूजी ०.०७ कि. ग्रॅ. क्रियाशील घटक/हे. (१०० ग्रॅम/हे.) ह्या तणनाशकाची उगवणीनंतर २० दिवसांनी फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

## उद्यानविद्या

९. केळीची यशस्वी लागवड, उत्तम प्रत व अधिक उत्पादनाकरिता केळीची ग्रॅण्ड नाईन ही जात विदर्भ विभागात लागवडीकरिता शिफारस करण्यात येत आहे.

१०. डाळिंब या फळपिकाच्या यशस्वी व किफायतशीर अभिवृध्दीकरिता गुटी बांधताना शेवाळ व गांडुळ खत (१:१) या प्रमाणात वापर करण्याची शिफारस करण्यात येते.

११. विदर्भ विभागात सिताफळ कलमे मृदुकाष्ट कलम पद्धतीने जानेवारी ते मार्च या काळात करण्यासाठी आठ ते दहा महिन्याचा खुंट वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

१२. विदर्भ विभागात मोगरा फुलांच्या अधिक उत्पादनाकरिता आणि आर्थिक मिळकतीकरिता झाडांची डिसेंबर महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात मध्यम प्रमाणात (जमिनीपासून ३० सें.मी. उंचीवर) छाटणी करण्याची शिफारस करण्यात येते.

## पीक संरक्षण

१३. साठवणुकीतील मुगावरील भुंगा किडीच्या व्यवस्थापनासाठी पंदेकृवि विकसीत हर्बल टॅब्लेट प्रत्येकी ०.५ ग्रॅम वजनाच्या ८ गोळ्या प्रति १० कि. ग्रॅ. मुगामध्ये वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

## कृषि अभियांत्रिकी

१४. बीट रुट पासून मऊ पोताचे बीट रुट जॅम बनविण्याची पीडीकेव्ही प्रक्रिया पद्धती, ज्यामध्ये बीट रुट प्रेशर कुकरमध्ये शिजल्यानंतर मिक्सरमधून तयार केलेल्या लगद्यामध्ये साखर, लिंबु रस, पेक्टीन व प्रिझर्वेटिव्ह टाकून ३० ते ४० मिनिटे गरम करणेची शिफारस करण्यात येत आहे.

१५. यु-पिविसी पाईपचा वापर करुन विकसीत केलेल्या पीडीकेव्ही हाड्रोपोनीक संरचनेची (आकारमान : ३x२x३ मी.) हिरव्या चाऱ्याच्या निर्मितीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

१६. एकात्मिक किटक व्यवस्थापनामध्ये हानिकारक किटकांना शेतामध्ये पकडण्यासाठी पीडीकेव्ही विकसित सौर प्रकाश किटक सापळ्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

१७. निर्वात सौरसंग्रहकाचा वापर करून उच्च औष्णिक क्षमता व जास्त शुध्द जल उत्पादनासाठी ३ सें. मी. पाण्याची पातळी कायम ठेवून पीडीकेव्ही विकसित द्विपात्र सौरजल निक्षारिकरण संयंत्राची शिफारस करण्यात येत आहे.

१८. पीडीकेव्ही सौर फोटोव्होल्टाईक तथा हस्तचलित फवारणी यंत्राची फवारणीकरिता शिफारस करण्यात येत आहे.

१९. मिरची पिकाची जास्तीत जास्त वाढ व उत्पादन मिळविण्यासाठी ८० टक्के बाष्पापर्णोत्सर्जन पुन:पूर्ती इतके पाणी ठिबक सिंचनाने देवून त्याबरोबर चंदेरी रंगाचे पॉलीईथीलीन आच्छादन वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२०. हिवाळ्यात (रब्बी) कारले पिकाची सर्वोत्कृष्ट वाढ व उत्पादन मिळविण्यासाठी ८० टक्के पीक बाष्पापर्णोत्सर्जन इतके पाणी ठिबक सिंचनाने देवून त्याबरोबर काळ्या रंगाचे पॉलीईथीलीन आच्छादन वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२१. नागपूर संत्र्याचे अधिक उत्पादन व दर्जेदार फळे मिळण्याकरिता तसेच अधिक आर्थिक मिळकतीकरिता पाण्यात विरघळणाऱ्या खतांची मात्रा १०२०:३४०:५१० (ग्रॅम/झाड) नत्र : स्फुरद : पालाश ठिबक सिंचनाद्वारे सहावेळा विभागून देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२२. रोपवाटीकेमधील पॉलीबॅगमध्ये माती भरण्यासाठी पीडीकेव्ही माती भरण यंत्राची शिफारस करण्यात येत आहे.

### सामाजीकशास्त्र

२३. विदर्भातील अमरावती महसुल विभागात निवड केलेल्या ८१.८० टक्के शेतकऱ्यांना किटकनाशक फवारणीकरिता द्रावण तयार करण्याचे ज्ञान नसल्याचे आढळून आले. यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे व इतर संस्थाद्वारे या विषयी जनजागृती करण्यात यावी.

# ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती बैठक - २०१७-२०१८

## क) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी

### अ) वाण प्रसारण :

**१. खरीप ज्वारी : परभणी शक्ती (पीव्हीके १००९)**

परभणी शक्ती (पीव्हीके १००९) या खरीप ज्वारीचा अधिक उत्पादन देणारा, लोह व जस्ताचे अधिक प्रमाण असलेला, दाण्यावरील काळी बुरशी, खोडमाशी व खोडकिडीस मध्यम सहनशील असलेला वाण महाराष्ट्रातील खरीप ज्वारी पिकविणाऱ्या क्षेत्रासाठी लागवडीसाठी प्रसारीत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**२. कापूस : (पीए - ७४०)**

देशी कापसाच्या पीए ७४० हा धाग्याचे सरस गुणधर्म असलेला, रस शोषण करणाऱ्या किडी, जिवाणूजन्य करपा, अल्टर्नेरिया व दहिया रोगास सहनशील असलेला वाण मराठवाडा विभागात लागवडीकरिता शिफारस करण्यात येत आहे.

**३. चिंच : शिवाई**

चिंच या फळपिकाचा नियमीत फळे देणारा तसेच अधिक उत्पादनक्षम "शिवाई" हा वाण महाराष्ट्रातील कोरडवाहू विभागासाठी प्रसारित करण्यात येत आहे.

### ब) कृषी यंत्रे प्रसारण

**१. एक बैलचलित टोकण यंत्र :**

वनामकृवि एक बैलचलित टोकन यंत्राची प्रसारण करण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

**यंत्रणेची वैशिष्टे :-**

* क्षमता ०.१८९ हे/तास एवढी आहे.
* लहान व अल्पभुधारक शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त
* पिकामधील पेरणीसाठी / रिलेक्रॉपीगसाठी उपयुक्त

**२. बैलचलित सरीयंत्रासहित तीन पासेचे कोळपे :**

वनामकृवि तीन पासेचे कोळपे सरीसह रुंद वरंबा व सरीवरील पिकातील आंतरमशागत करण्यासाठी प्रसारीत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**यंत्रणेची वैशिष्टे :-**

* बीबीएफने पेरणी केलेल्या जमिनीत कोळपणी व सरी तयार करण्यासाठी उपयुक्त.
* क्षेत्रीय क्षमता ०.२० हे/तास.
* गवत काढण्याची क्षमता ८४ टक्के
* मजुरीवरील खर्चात ६०-७० टक्के बचत

**३. ट्रॅक्टरचलीत रुंदसरी वरंबा टोकण यंत्र व तणनाशक यंत्र :**

वनामकृवि ट्रॅक्टरचलीत पाच फणीच्या बी बी एफ टोकन यंत्राची पेरणी व तणनाशक फवारणी करण्यासाठी प्रसारीत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**यंत्रणेची वैशिष्टे :-**

* रुंदसरी वरंब्यावर टोकण पद्धतीने पेरणी करता येते. सोबतच तणनाशकाची (उगवणी) फवारणी करता येते.
* ४५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने पाच ओळीत बी व खत पेरणी करता येते.
* तणनाशक फवारणी करता येते.
* सोयाबीनसाठी ०.४९ हे/तास एवढी क्षमता आहे.

**४. बैलचलित सौर ऊर्जावर चालणारे तणनाशक फवारणी यंत्र :**

वनामकृवि बैलचलीत सौर फवारणी यंत्रांची तणनाशके फवारणी करण्याकरिता प्रसारित करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**यंत्रणेची वैशिष्टे :-**

* सौर ऊर्जावर चालत असल्याने प्रदूषणरहित फवारणी यंत्र.

* एकूण १२ नोझल्स असून एकत्रित ब्रुम प्रवाह ७.० ते ९ लि./मि. एवढा आहे.

* फवारणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, वेळ, पैशाची बचत होते.

* क्षमता - १.१३ हे/तास तर ओढण शक्ती ३४.१४ किलो एवढी आहे.

## क) पीक उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारित शिफारशी :

**कृषिविद्या :**

१. मराठवाडा विभागातील उशिरा पेरण्यात (२५+५ जुलै दरम्यान) आलेल्या खरीप बाजरीचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी ५ टन शेणखतासोबतच शिफारस खत मात्रा (६०:३०:३० नत्र, स्फुरद व पालाश किलो प्रती हेक्टरी) व १९:१९:१९ या विद्राव्य खताची मात्रा ०.५ टक्के (५० ग्रॅम/१० लीटर पाण्यात)ची फवारणी पेरणीनंतर २०-२५ दिवसांनी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. मराठवाडा विभागातील उन्हाळी हंगामातील बाजरीच्या अधिक उत्पादनासाठी ७५ मि. मी. बाष्पीभवन झाल्यानंतर ६० मि.ली. खोलीचे (फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवसांनी, मार्च महिन्यात १० दिवसांनी एप्रिल महिन्यात ७ दिवसांनी /च्या अंतराने) प्रवाही सिंचन पद्धतीने पाणी देण्याची शिफारस करण्यात येते.

३. मराठवाड्यातील खरीप बाजरीचे अधिक उत्पादन व आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी फेरस सल्फेट ०.७५ टक्के (७५ ग्रॅम प्रती १० लीटर पाण्यात) ची फवारणी पेरणीनंतर २५ ते ३० दिवसांनी करण्याची शिफारस करण्यात येते.

४. बि. टी. कापसातील आकस्मित रोप मरचे प्रमाण कमी राहून कापसाचे अधिक उत्पादन आणि अधिक आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी पूर्व हंगामी कापसाची लागवड करून प्रवाही सिंचन पद्धतीने २० मे नंतर आणि ठिबक सिंचन पद्धतीने ३० मे नंतर किंवा तापमान ३९° से. च्या खाली आल्यानंतर मराठवाडा विभागात करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

५. घन लागवडी खालील अमेरिकन कापसाचे अधिक उत्पादन आणि अधिक आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी कापूस लागवडीनंतर ७५ किंवा ९० दिवसांनी झाडाचा शेंडे खुडण्याची किंवा लागवडीनंतर ७५ दिवसांनी मेपिक्वेट क्लोराईड ५ टक्के ए एस २५० पी पी एम तीव्रतेची (२५ मि. ली. प्रती १० लीटर पाणी) फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात येते.

६. कापूस + सोयाबीन (१:१) आंतरपीक पद्धतीत, अधिक उत्पादन, अधिक आर्थिक मिळकत, निव्वळ आर्थिक मिळकत आणि तण नियंत्रण कार्यक्षमता मिळण्यासाठी लागवडीनंतर परंतु पीक उगवणीपूर्वी ऑक्शिफ्लोरफेन २३.५ टक्के इ सी ०.१ किलो प्रती हेक्टर क्रियाशील घटकाची (४२५ मि. ली. / हे) फवारणी करून पेरणीनंतर ६ आठवड्यांनी कोळपणी करण्यात यावी.

**पीक संरक्षण :**

७. तुरीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी पहिली फवारणी क्लोरॅनट्रानीलीप्रोल १८.५ एस सी ३ मि. ली. प्रती १० लीटर पाणी याप्रमाणे ५० टक्के फुलोरा अवस्थेत आणि दुसरी फवारणी फ्ल्युबेन्डामाईड ३९.३५ एस सी २ मि. ली. प्रती दहा लीटर पाणी याप्रमाणे शेंगा अवस्थेत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

८. तुरीवरील शेंगमाशीच्या व्यवस्थापनासाठी यादृच्छिक पद्धतीने निवडलेल्या शेंगामध्ये १ अळी प्रती २० शेंगा किंवा ५ टक्के शेंगांचे नुकसान किंवा २ टक्के बियाण्यांचे नुकसान अशी आर्थिक नुकसान पातळी निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

९. बाजरी पिकावरील केवडा रोगाच्या नियंत्रणासाठी सुडोमोनास फ्लुरोसंन्स (एम वास एस १४) या जैविक बुरशीनाशकाची ८ ग्रॅम प्रती किलो बियाणे याप्रमाणे बिजप्रक्रिया करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**कृषि अभियांत्रिकी :**

१०. जनावरांच्या मुक्त संचार गोठ्याच्या मोकळ्या जागेमधील फरशीसाठी ४० सें. मी. चा थर, ज्यामध्ये २० सें. मी. चा दबाई केलेला मुरुम त्यावर १० सें. मी. पीसीसी चा थर व त्यानंतर लाल उभ्या विटाच्या एका थराची १:६ सिमेंट मालामध्ये बांधकामाची शिफारस करण्यात येत आहे.

११. वनामकृवि विकसीत प्रक्रियेमध्ये फोम मॅट ड्रॉईंग तंत्रज्ञान वापरुन उत्तम प्रतीची केशर आंबा पोळी बनविण्यासाठी आंब्याच्या रसामध्ये ३ टक्के जीएमएम टाकून ब्लेन्डरद्वारे २ मिनिटे फिरविल्यानंतर आंबा रसाच्या फोमची जाडी ६ मिलीमीटर ठेवून ६० अंश सेल्सिअस तापमानावर १५ टक्के पाण्याच्या अंशपर्यंत ट्रे ड्रायरमध्ये वाळविण्याची शिफारस करण्यात येते.

**अन्न तंत्रज्ञान :**

१२. पनीर दोडा फळांचा ०.५ टक्के संहत काढा व ०.३ टक्के सुक्रॅलोजचा वापर करुन कार्बनयुक्त पनीर दोडा पेय तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे

१३. शेवग्याची पाने, फुले व शेंगा यांची पौष्टिकत्व युक्त भुकटीचा वापर कॅप्सुलच्या स्वरुपात तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यात येते आहे.

१४. सोयाबीन लोण्याची फेलावण्याच्या गुणवत्ता वाढीसाठी ०.२ टक्के गवार डिंकाचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात येते.

**गृहविज्ञान :**

१५. वनामकृवि प्रमाणित आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर सुधारित कार्यस्थळ आराखड्याची पापड व शेवया गृहउद्योग केंद्रातील महिलांचे आरोग्य व कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

१६. वनामकृवि प्रकाशित बालविकासाची उत्कृष्ट तंत्रे - पालकांसाठी मार्गदर्शिका हे पुस्तक बालकांची योग्य काळजी व विकास, विकासात्मक दोष, त्यांची कारणे व निराकरण यावर आधारित असल्याने सर्व स्तरातील पालकांना व शालेय शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि बालकांच्या हितासाठी आवश्यक असणाऱ्या कृती करण्याकरिता अतिशय उपयुक्त असल्याने त्यांना याविषयी शिक्षित करण्यासाठी उत्कृष्ट मार्गदर्शिका म्हणून या पुस्तकाची शिफारस करण्यात येत आहे.

१७. पडदा छपाईकरिता सुती आणि रेशमी कापडावर १० टक्के आंब्याच्या कोयींच्या स्टार्चचा, थीकनींग एजंन्ट म्हणून वापर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

१८. गहु २० टक्के, तांदुळ २० टक्के, मुग डाळ २७ टक्के, सोया डाळ १३ टक्के (सर्व भाजलेले) यांचे पीठ, गाजराची भुकटी १० टक्के, दुधाची भुकटी ८ टक्के, कोथिंबीर भुकटी १ टक्का आणि जीरा भुकटी १ टक्का एकत्र करून बनविलेले उष्मांक, प्रथिने, लोह आणि कॅल्शियम समृध्द वनामकृवि विकसीत WRG पुरक आहार गरम पाण्यात किंवा दुधात मिसळून ७ ते ९ महिने वयोगटातील शिशूला खाऊ घालण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

१९. व्यक्तींच्या रक्तातील ग्लुकोजचे आणि स्निग्धांशाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी वनामकृवि, परभणी विकसित "मल्टिपरपज फंक्शलन फुड मिक्स" सकाळचा नाश्ता ५० ग्रॅम सेवन करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**मृद विज्ञान :**

२०. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यामध्ये जमिनी, चारा पिकांत व गोवंशाच्या रक्तामध्ये आढळलेल्या सुक्ष्म अनद्रव्यांची कमतरता लक्षात घेता या भागातील गोवंशाच्या आहारामध्ये जस्त, मंगल व तांबेयुक्त खनिजांच्या मिश्रणाचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२१. सोयाबीन पिकाचे अधिक उत्पादन, जास्त आर्थिक नफा व जमिनीचे गुणधर्म सुधारण्यासाठी सीडोमोना स्ट्रायटा ह्या जस्त विरघळविणाऱ्या द्रवरुप जिवाणू संवर्धनाची १० मिली लिटर प्रती १० किलो प्रमाणे बीजप्रक्रिया व शिफारशीत खत मात्रेसह (३०:६०:३० नत्र, स्फुरद व पालाश/हे) व रायझोनियम बिजप्रक्रियेसह ३० किलो जस्त सल्फेट देण्याची शिफारस करण्यात येते.

**पाणी व्यवस्थापन :**

२२. उशिरा खरीप हंगामातील मका पिकाचे अधिक उत्पादन व आर्थिक फायद्यासाठी जोड ओळीने (४५ x ३०-७५ सेमी) मक्याची पेरणी करून १२० सेंमी अंतरावरीप इनलाईन ठिबक नळीने एक दिवसाआड एकत्रित बाष्पीभवनाच्या ८० टक्के खोलीचे पाणी देऊन विद्राव्य खताद्वारे नत्र : स्फुरद :

पालाश ११३ : ५७ : ५७ कि./हे., नत्र एकूण मात्रेच्या प्रती १२.५ टक्के याप्रमाणे आठ समान हप्त्यात १० दिवसांच्या अंतराने पेरणीपासून १० दिवस ते ८० दिवसांपर्यंत तसेच स्फुरद व पालाश दोन समान हप्त्यात पेरणीचेवेळी आणि पेरणीनंतर ३० दिवसांनी देण्याची शिफारस करण्यात येते.

**खते देण्याचे वेळापत्रक**

| खते देण्याचा कालावधी | खतांची मात्रा (११३:५७:५७ कि./हे. नत्र:स्फुरद:पालाश) | | | विद्राव्य खते कि./हे. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नत्र | स्फुरद | पालाश | नत्र | स्फुरद | पालाश |
| लागवडीच्या वेळी | .. | २८.५ | २८.५ | .. | ५५ | १९.६ |
| लागवडीनंतर १० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर २० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर ३० दिवसांनी | १४.१३ | २८.५ | २८.५ | ३०.५ | ५५ | १९.६ |
| लागवडीनंतर ४० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर ५० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर ६० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर ७० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |
| लागवडीनंतर ८० दिवसांनी | १४.१३ | .. | .. | ३०.५ | .. | .. |

**कोरडवाहू शेती :**

२३. शेततळ्यातील पाण्याचे बाष्पीभवनाद्वारे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सिटाईल अल्कोहोल २० मिली ग्रॅम प्रति चौ. मिटर या मात्रेत प्रत्येकी १० दिवसांच्या अंतराने वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

२४. मराठवाडा विभागातील मध्यम ते खोल काळ्या जमिनीत बागायती बीटी कपाशीमध्ये लाल्याच्या व्यवस्थापनासाठी, प्रती हेक्टरी अधिक उत्पादन आणि निव्वळ नफा मिळविण्यासाठी १२५ टक्के शिफारशीत रासायनिक खतांची मात्रा (१००:५०:५० नत्र : स्फुरद : पालाश किलो/हेक्टर) ठिबक सिंचनातून देवून सूक्ष्म मुलद्रव्ये ग्रेड - २ (०.५ टक्के) व पोटॅशियम शुनाईट (०.५ टक्के) च्या दोन फवारण्या लागवडीनंतर अनुक्रमे ५५ आणि ७० दिवसांनी कराव्यात अशी शिफारस करण्यात येते.

**जैव तंत्रज्ञान :**

२५. फ्लुरोसेन्ट प्रोब तंत्रज्ञानावर आधारित 'वनामकृवि बीबीटीव्ही-आरे' या जनुकीय निदान संच प्रणालीद्वारे जलद, विश्वासार्ह, अचूक व कमीत कमी दरामध्ये 'केळी पर्णगुच्छ' या रोगाचे केळी पिकाच्या मातृवृक्षापासून तसेच उती संवर्धित रोपापासून निदान करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**विस्तार व शिक्षण :**

२६. एक पीक पद्धती, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ, लग्नायोग्य मुले व मुली तसेच आजारपण या बाबीमुळे आत्महत्या झाल्याचे निदर्शनास आले. यासाठी विस्तार यंत्रणेने सीमांत व लहान शेतकऱ्यांमध्ये एकात्मिक शेती पद्धतीने अवलंबन व जलस्त्रोत निर्मिती व जलसंधारण यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा.

२७. रोग व कीडीच्या प्रादुर्भावामुळे पिकाचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा सावकाराचा तगादा, मुलीच्या लग्नाची विवंचना या कारणामुळे शेतकरी तणावग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले. यासाठी सामूहिक विवाह व शासकीय यंत्रणेद्वारे गावपातळीवर मानसशास्त्रीय समुपदेशन व्हावे.

२८. मराठवाड्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अभ्यासामध्ये खत व्यवस्थापन व रोग व्यवस्थापनाविषयी ज्ञान व अवलंबन कमी असल्याचे दिसून येते. यासाठी विविध कृषी विस्तार यंत्रणा, कृषी विज्ञान केंद्र, रेशीम उद्योग संचालनालय व कृषी विद्यापीठ यांनी विविध विस्तार पद्धतीद्वारे वरील तंत्रज्ञानाचा प्रसार करावा.

---

## ड) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ

### दापोली ४१२ ७१२, जि. रत्नागिरी

**संशोधन शिफारशी २०१८**

### पीक उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारित संशोधन शिफारशी

### अ. नैसर्गिक साधन संपत्ती व्यवस्थापन

**जमीन सुपिकता आणि पीक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन**

१. कोकणातील जांभ्या जमिनीमध्ये हापूस आंब्यांचे अधिक उत्पन्न व नफा मिळवण्यासाठी ३:१:१ किलोग्रॅम नत्र स्फुरद पालाश अधिक ५० किलो शेणखत यांची मात्रा एकत्रितरित्या दहा वर्षावरील प्रती झाडांना देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. खरीप भात पिकास संपूर्ण वाढीच्या काळात अन्नद्रव्यांचा संतुलित पुरवठा करुन अधिक उत्पादन आणि आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी प्रति हेक्टर १७५ कि. कोकण अन्नपुर्णा ब्रिकेट्स (३४:१४:६ टक्के नत्र, स्फुरद, पालाश) वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

३. कोकणातील जांभ्या जमिनीत काजूचे अधिक उत्पादन मिळण्यासाठी शिफारसीत खतमात्रे सोबत काजू पिकाला मोहोरावर आणि बी धरतेवेळी कॉपर सल्फेट ०.१ टक्के अधिक ०.५ टक्के चुना अशा दोन फवारण्या देण्याची शिफारस करण्यात येते.

**जिरायत पिके**

१. दक्षिण कोकण किनारपट्टी विभागात सह्याद्री-३ या संकरित भात वाणापासून खरीप हंगामात अधिक उत्पन्न व निव्वळ नफा मिळण्याकरिता रोपवाटिका २३ व्या हवामान आठवड्यात (४ ते १० जून) पेरुन १५ दिवसांची रोपे पुनर्लागवडीकरिता वापरावीत अशी शिफारस करण्यात येते.

२. दक्षिण कोकण विभागात उसाचे अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी एक डोळा असलेल्या उसाच्या कांडीपासून तयार केलेली रोपे वापरावीत आणि रोपे करण्यासाठी कोकोपीट आणि गांडूळ खत समप्रमाणात घेवून त्यात ५ ग्रॅम ॲसिटोबॅक्टर जीवाणू संवर्धक प्रति किलो प्रमाणात वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

३. उन्हाळी भेंडी पिकापासून अधिक उत्पादन्न व फायदेशीर मिळकतीसाठी कोकण विभागातील जांभ्या जमिनीत प्लास्टीक अस्तरीकरणाचा वापर आणि १२०-४५ x १५ सेंमी अंतराने जोड आळीत लागवड करून खालीलप्रमाणे ठिबक सिंचनाद्वारे दररोज पाणी द्यावे व शिफारशीत मात्रे नुसार (१००:५०:५० किलो नत्र:स्फुरद:पालाश/हे.) विद्राव्य खताचा आठवड्याच्या अंतराने सात समान हप्त्यात (०.३७५ किलो १९:१९:१९ आणि युरिया ०.१५५ किलो/हे) वापर करावा अशी शिफारस करण्यात येत आहे.

| पिकाच्या वाढीचा कालावधी (आठवडा) | पाण्याची मात्रा (ली./मी. लांबी) | एकूण दिलेले पाणी (मि. मी./ हे) |
|---|---|---|
| १ ते ५ | ५२ | ६५.४ |
| ६ ते ९ | ५० | ६२.८ |
| १० ते १३ | ७५ | ९४.२ |
| १४ ते १७ | ४७ | ५८.६ |

**एकात्मिक शेती पद्धती**

१. खरीप हंगामात सेंद्रिय भाताचे अधिक उत्पादन आणि आर्थिक नफा मिळण्यासाठी सह्याद्री-३, सह्याद्री-४, सह्याद्री-५, कर्जत-३, कर्जत-५, कर्जत-८ आणि रत्नागिरी-३ या जातींची शिफारस करण्यात येते. रब्बी-उन्हाळी हंगामात सेंद्रिय भुईमुगाचे अधिक उत्पादन आणि आर्थिक नफा मिळण्यासाठी कोकण गौरव, टि. जी. २६ आणि जे. एल. ७७६ या भुईमूग जातींची शिफारस करण्यात येते.

२. उत्तर कोकण किनारपट्टी विभागात 'भात-भुईमूग' 'भात-मधुमका' आणि 'भात-घेवडा' या सेंद्रीय पीक पद्धतीपासून अधिक उत्पादन आणि आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी खालील तपशिलानुसार विविध स्त्रोतातून अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाची शिफारस करण्यात येते.

| स्त्रोत | खरीप भात | रब्बी पिके | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भुईमूग | मधुमका | घेवडा |
| शेणखत (टन प्रति हेक्टर) | ५.० | १.५ | ६.० | ४.० |
| गिरीपुष्पाचा हिरवा पाला (टन प्रति हेक्टर) | ७.५ | .. | .. | .. |
| निंबोळी पेंड (टन प्रति हेक्टर) | ०.५ | ०.१५० | ०.६ | ०.४ |
| भाताचा पेंढा (टन प्रति हेक्टर) | ४.० | .. | .. | .. |
| गांडूळ खत (टन प्रति हेक्टर) | .. | ०.५ | २.० | १.३ |
| गोमुत्र आणि गांडूळ पाणी यांच्या प्रत्येकी १० टक्के द्रावणाच्या पेरणीनंतर ३० व ६० दिवसांनी दोन फवारण्या (लि./हे.) | .. | .. | ५० | .. |

३. उत्तर कोकण किनारपट्टी विभागात खरीप भात-रब्बी चवळी पीक पद्धतीपासून अधिक उत्पादकता आणि आर्थिक फायदा मिळण्यासाठी दोन्ही पिकांना ७५ टक्के शिफारशीत खत मात्रा (भात-१००:५०:५० किलो नत्र स्फुरद, पालाश प्रति हेक्टर आणि चवळी -२५:५०:० किलो नत्र, स्फुरद, पालाश प्रति हेक्टर), पीक अवशेष २ टन आणि स्फुरद विरघळणारे जिवाणू ३.५ किलो प्रति हेक्टरी सहित भात पिकास गिरीपुष्प ३ टन व ३.५ किलो अझोस्पिरीलम तर चवळी पिकास ३.५ किलो रायझोबियम प्रति हेक्टरी देण्याच शिफारस करण्यात येते.

**सुक्ष्म अनद्रव्ये :**

१. कोकण विभागात शेवरकंदापासून अधिक उत्पादन आणि फायदा मिळण्यासाठी शिफारशीत खत मात्रेसह (शेणखत १० टन + १००:५०:५० किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति हेक्टर) २० किलो मॅग्नेशिअम सल्फेट, १२.५ किलो सल्फेट, १० किलो बोरॅक्स जमिनीतून व ०.५ टक्के सल्फेट फवारणीद्वारे देण्याची शिफारस करण्यात येते.

**ब) उद्यानविद्या :**

**आंबा :** हापूस आंबा पिकामध्ये फळगळ कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी व साक्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एन-ऐटका (N-ATCA) (१० टक्के) आणि फॉलीक ॲसीड (०.२० टक्के) घटक असलेल्या द्रव्याची फवारणी अनुक्रमे ५० टक्के मोहोर फुलल्यावर (१ मि.ली./ली), फळे वाटाण्याच्या आकाराची झाल्यावर (१.५ मि.ली./ली), फळाचा आकार अंडाकृती झाल्यावर (२ मि.ली./ली), आणि फळधारणेनंतर ७५ दिवसांनी (२ मि.ली./ली) करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**काजू :** वेंगुर्ला-४ काजुमध्ये फळगळ कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी थायोप्रोलिन (५ टक्के), फॉलिक ॲसिड (०.१ टक्के) आणि ब्रासिनोलिडस् (५००ppm) हे घटक असलेलया द्रव्याची फवारणी फळधारणा झाल्यावर (१ मि.ली./ली), पहिल्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी (१.५ मि.ली./ली) आणि दुसऱ्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी (२ मि.ली./ली) करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**नारळ :** नारळ बागेत अधिक उत्पादन व नफा मिळवण्यासाठी विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे दालचिनी, जायफळ, काळीमीरी, केळी आणि अननस या पिकांची आंतरपीक म्हणून लागवड करण्याची शिफारस करण्यात येते.

**तेलताड आंतरपिक :** दक्षिण कोकण विभागात तेल ताडाच्या बागेत सुरुवातीच्या कालावधीत (५ वर्षापर्यंत) किफायतशीर उत्पन्नाकरिता केळी, अननस आणि सुरण या पिकांची मिश्रपीक म्हणून लागवड करण्याची शिफारस करण्यात येते.

**अभिवृध्दी :**

जायफळ, कोकमाची कलमे आणि काळीमिरीची छाट कलमे अधिक यशस्वी होण्यासाठी आणि त्यांच्या चांगल्या वाढीसाठी बंद अभिवृध्दी गृहाचा (आकार १०.५ मि. लांबी x ३.१० मि. रुंदी x २ मि. उंची) वापर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**क) पशु आणि मत्स्यविज्ञान :**

१. कोकण विभागातील जर्सी संकरीत वासराच्या अधिक वाढीसाठी खाद्यामधून १.५ किलो ताजा अझोला प्रति दिन देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. व्हॅलीसनेरीया जातीच्या पाणवनस्पतीच्या उत्तम वाढीसाठी वाळू आणि मातीच्या समप्रमाणातील मिश्रणामध्ये म्हशीचे २ टक्के वाळलेले शेण मिसळून त्यात वनस्पतीचे रोपण करून ८०० लक्स प्रकाश प्रखरतेत वाढविण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

३. शेततळ्यात पिंजऱ्यामध्ये स्वोर्डटेल जातीचे बीज १५० नग प्रती चौरसमीटर क्षमतेने साठवणूक करून त्यांना ३२ टक्के प्रथिनयुक्त खाद्य वजनाच्या ८ टक्के प्रमाणात देवून संवर्धन करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

४. मोनोसेक्स संवर्धन पद्धतीत नर तिलापीया (Oreochromic niloticus) माशांच्या अधिक उत्पादनासाठी खाद्यात ३ टक्के स्पायरूलिना पावडर मिसळण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

५. गप्पी माशांच्या उत्तम वाढीसाठी ३ टक्के शतावरी चूर्ण मिश्रीत डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले फिफू खाद्य वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

६. कटला माशाच्या बीजाच्या उत्तम वाढीसाठी आणि जगण्याचे जास्त प्रमाण मिळण्यासाठी पूर्वजैविक म्हणून २ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात सूक्या केळ्यांच्या पावडर बरोबर ०.५ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात प्रजैविक खाद्यात मिसळण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

७. तिलापीया माशाच्या बोटुकलीची उत्तम वाढीसाठी जास्त जगण्याचे प्रमाण मिळवण्यासाठी पूर्वजैविक म्हणून २ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात सूक्या केळ्यांच्या पावडर बरोबर ०.५ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात प्रजैविक खाद्यात मिसळण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

८. मुत्री माशांच्या उत्तम वाढ आणि जास्त जगण्याचे प्रमाण मिळवण्यासाठी ३३ टक्के इन्टेरोमॉर्फा शेवाळयुक्त खाद्य माशांच्या वजनाच्या ५ टक्के प्रमाणात देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

९. किनारी भागात तिलापीया माशांच्या बीजोत्पादनासाठी ० ते ५ पीएसयु क्षारतेच्या निमखाया पाण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**ड) मुलभूत शास्त्रे, अनशास्त्र व तंत्रज्ञान**

**वनस्पती, पशु व मत्स्य जैवतंत्रज्ञान :**

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ विकसित उतीसंवर्धन तंत्र कोकणातील लाल केळीच्या सुक्ष्म अभिवृध्दीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

**अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान -**

१. म्हशीच्या दुधापासून सर्वसाधारण वातावरणीय तापमानात दोन दिवसांची आणि रेफ्रिजरेशन तापमानाला चार दिवसांची टिकवणक्षमता असलेले आले युक्त श्रीखंड बनविण्यासाठी डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली यांनी विकसित केलेल्या निर्मिती प्रक्रियेचा वापर करून दुधाच्या वजनाच्या १ टक्का स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलीस व लॅक्टोबॅसिलस बलगॅरिकस या योगर्ट विरजणाचा व चक्क्याच्या वजनाच्या ५ टक्के या प्रमाणात आल्याच्या रसाचा स्वादद्रव्य म्हणून वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या प्रक्रियेने १५ टक्के बियांच्या कसावा स्टार्च पासून खाद्यवेष्टण तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

३. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या प्रक्रियेने १५ टक्के फणस स्टार्च पासून खाद्यवेष्टण तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

४. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या प्रक्रियेने सोयाबिन दुध व गायीच्या दुधाच्या (२५:७५) मिश्रणापासून पनीर बनविण्याच्या प्रक्रियेची शिफारस करण्यात येत आहे.

५. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या प्रक्रियेने सोयाबिन दुध व गायीच्या दुधाच्या मिश्रणापासून (२५:७५) मायक्रोव्हेव कन्हेक्टीव्ह वाळवणी यंत्रात ५०° से. तापमानास वाळवलेले पनीर क्युब्ज तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

६. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या पद्धतीने २० टक्के काजू बोंडाचा रस, ३ टक्के लिंबाचा रस आणि १ टक्का आल्याचा रस वापरून १५° ब्रिक्स एकूण विद्राव्य घटक असलेले लिंबु रसयुक्त मसालेदार काजू बोंडाचे नेक्टर तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

७. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या सुवर्णा जाती पासून बाटलीबंद आंबा रस तयार करण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

८. कमी स्निग्धांश असलेले व उत्तम प्रतिचे पंकज (पंगॅसियस) माशांचे फिंगर्स बनविण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले बॅटर (मिश्रण) वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

९. म्हशीच्या दुधापासून सर्वोत्तम स्विकार्रहता आणि सर्वसाधारण वातावरणीय तापमानात चार दिवसांची टिकवणक्षमता असलेला छना पोडो बनविण्यासाठी डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली यांनी विकसित केलेल्या निर्मिती प्रक्रियेचा वापर करून छनाच्या वजनाच्या २० टक्के हापूस आंब्याचा रस वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

१०. सर्वसाधारण वातावरणीय तापमानात सहा दिवसांची आणि रेफ्रिजरेशन तापमानाला दहा दिवसांची टिकवण क्षमता असलेला कलाकंद बनविण्यासाठी डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली यांनी विकसित केलेल्या निर्मिती प्रक्रियेचा वापर करून मुळ दुधाच्या वजनाच्या ७.५० टक्के आंब्याचा रस वापरण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

११. मिल्क पुडींग बनविण्यासाठी २ टक्के जिलेटीनचा स्थिरीकरण घटक म्हणून आणि १५ टक्के हापूस आंब्याच्या रसाचा स्वाद घटक म्हणून वापर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

१२. वातावरणीय तापमानाला १२ दिवसांची व रेफ्रिजरेशन तापमानाला सोळा दिवसांची टिकवणक्षमता असलेला पंटूआ बनविण्यासाठी डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली यांनी विकसित केलेल्या निर्मिती प्रक्रियेचा वापर करून छना व खव्याच्या मिश्रणाच्या वजनाच्या २० टक्के खजूर पेस्ट वापरण्याची आणि पॅटूआ ५ तास साखर पाकात मुरवण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. कोकणामध्ये चवळी व घेवडा बियाण्याची उगवणशक्ती (७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त) दोन वर्षांपर्यंत राहण्यासाठी ॲल्युमिनीअम फॉईल बॅग वापरावी.

**इ) पीक संरक्षण :**

**वनस्पती रोग शास्त्र**

१. कोकणातील चिकू पिकावरील फायटोफ्थोरा पामीव्होरा या बुरशीमुळे उद्‌भवणाऱ्या फळगळ रोगाच्या किफायतशीर व प्रभावी व्यवस्थापनासाठी बागेच्या स्वच्छतेबरोबरच पावसाळ्याच्या सुरूवातीला ट्रायकोडर्मा हरझीयानम हे जैविक बुरशीनाशक २५० ग्रॅम प्रती झाड या प्रमाणात झाडाच्या विस्ताराखाली पसरावे. त्यानंतर एक टक्का बोर्डोमिश्रणाच्या तीन फवारण्या द्याव्यात. बोर्डोमिश्रणाची पहिली फवारणी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला करावी व इतर दोन फवारण्या एक महिन्याच्या अंतराने करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**कृषि किटकशास्त्र**

१. नारळावरील इरिओफाईड कोळीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी शिफारशीत नत्र, स्फुरद, आणि पालाश, अझादीरॅक्टीन, बोरॉन, मॅगनिज, मॉलिब्डेनम या सुक्ष्म अनद्रव्ययुक्त गोळ्या ४.५ किलो प्रति मात्र प्रति वर्ष याप्रमाणे वर्षातून तीन वेळा जून, ऑक्टोबर आणि फेब्रुवारीमध्ये विभागून देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

२. आंब्यावरील तुडतुड्याच्या नियंत्रणासाठी बुप्रोफेझीन २५ एस. सी. २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

३. काजूवरील बोंड व बी पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी डायक्लोरोव्हॉस ७६ टक्के प्रवाही १० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यातून फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

४. भात पिकावरील खोडकिडा व पाने गुंडाळणारी अळीच्या नियंत्रणासाठी कारटाप हायड्राक्लोराईड ४ टक्के दाणेदार १८.७५ किलो किंवा क्लोरॅन्ट्रानीलीपोल ०.४ टक्के दाणेदार १० किलो किंवा फिप्रोनिल ०.३ टक्के दाणेदार २०.८ किलो प्रती हेक्टर या प्रमाणात पहिली मात्रा रोपवाटीकेमध्ये २-३ दिवस पुनर्लागवडीपूर्वी आणि दुसरी मात्रा पुनर्लागवडीनंतर ३०-३५ दिवसांनी आवश्यकतेनुसार देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**कृषि अभियांत्रिकी :**

**कृषि प्रक्रिया अभियांत्रिकी :**

१. मका, तांदूळ आणि कुळीथ यांच्या ५०:३०:२० मिश्रणापासून ट्विन स्क्रु एक्स्ट्रुडर संयत्राने १५०° से. बॅरल तापमान आणि २२५ फेरे प्रति मिनिट स्क्रु वेग वापरुन खाण्यासाठी योग्य 'केकेव्ही क्रिस्प' बनविण्याच्या प्रक्रियेची शिफारस करणेत येत आहे.

**प्रक्षेत्र संरचना अभियांत्रिकी**

२. डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. विकसीत बांबूच्या कळक व मेस या वाणांपासून बनविलेले बांबू कुटीर संरचनेची कोकणासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

बांबू कुटीर बनविण्यासाठी लागणाऱ्या साहितयाची तपशीलवार माहिती

| अ.क्र. | बांबू कुटीरचा भाग | साहित्य | तपशिल |
|---|---|---|---|
| १ | कॉलम | कळक | १०० ते १३० मिमी व्यास |
| २ | बीम व परलिन | मेस | ७० मिमी व्यासाचे |
| ३ | भिंतीसाठी | बांबू मॅट | १४ मिमी आणि मिमी जाडीचे बांबू मॅट |
| ४ | फॉल सिलींग | बांबू मॅट | ३ मिमी बांबू मॅट |

**विद्युत आणि अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत**

३. डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. विकसित एकत्रित कार्बनीकरण व द्रवीकरण संयंत्राची जैवभारापासून कोळसा (५० किलोग्रॅम प्रति बॅच) व कच्चे जैव तेल निर्मितीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

**जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी**

४. डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. विकसित कमी खर्चाची कालसापेक्ष जमिनीतील ओलाव्यावर आधारित स्वयंचलित सिंचन प्रणालीचा विविध पिकांच्या सिंचनासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

५. कोकण विभागातील वाळुयुक्त चिकनमाती आणि वाळूयुक्त पोयटा चिकनमातीमध्ये भूपृष्ठाखाली १५ से. मी. खोलीवर उपनळी गाडून पिकांना सिंचन करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**कृषि यंत्रे आणि शक्ती विभाग**

१. दापोली विभागातील विविध वयोगटातील पुरुष व स्त्री मजुरांचे ऑक्सिजन वापर दर (+१० टक्के) अंदाजीत करण्याची पुढील समिकरणांची शिफारस करण्यात येत आहे.

| | वयोगट (वर्षे) | समिकरणे |
|---|---|---|
| **पुरुष** | १८-३० | OCR=०.०१९HR - १.२७८८ |
| | ३०-४० | OCR=०.०१९५HR - १.२८१४ |
| | ४०-५० | OCR=०.०२०८HR - १.४८६१ |
| **स्त्रिया** | १८-३० | OCR=०.०१२३HR - ०.८४४३ |
| | ३०-४० | OCR=०.०१२५HR - ०.८७२४ |
| | ४०-५० | OCR=०.०१२२HR - ०.८३८६ |

OCR=Oxygen Coygen Consumption Rate HR = Heart Rate

**फ) सामाजिक शास्त्रे :**

**कृषी अर्थशास्त्र**

१. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षक रसायनांचा अवास्तव वापर केल्यामुळे प्रती हेक्टरी रु. ५,७१८/- इतका अतिरिक्त खर्च होतो. त्यामुळे खर्च कमी होण्यासाठी आणि रासायनिक औषधांचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना विद्यापीठाच्या आंबा संशोधन प्रणालीचा अवलंब करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याची शिफारस करण्यात येते.

२. (अ) कोकण विभागात रु. ११००/- कोटीचे आंब्याचे काढणीनंतर नुकसान होत आहे. म्हणून तालुकास्तरावर काढणीपश्चात व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची शिफारस करण्यात येते.

(ब) दक्षिण कोकणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरावर नियंत्रित बाजारपेठ आहे. परंतु या जिल्ह्यातील आंब्याच्या क्षेत्राची वाढ विचारात घेता कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात आंबा व इतर पिकांसाठी बाजार आवाराची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात येते.

(क) आंबा बागायतदारांना काढणीपश्चात हाताळणी व विपणन व्यवस्थापन बदलांबाबत विस्तार यंत्रणेबाबत प्रशिक्षण देण्याची शिफारस करण्यात येते.

३. दक्षिण कोकणातील आंब्याच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन केले असता ७ वर्षांनंतर प्रति हेक्टरी २९.३१ क्विंटल वाढीव उत्पन्न मिळाल्याने निव्वळ नफा रु. ५३,१८९/- ने वाढल्याचे आढळून आले. तसेच फवारणी आणि फळे काढणीच्या खर्चामध्ये ३२.१० टक्के बचत झाल्याचे आढळून आले. म्हणून जून्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रसारित केलेल्या तंत्रज्ञानाने आंबा बागायतदारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विस्तार यंत्रणेमार्फत खास योजना कार्यान्वित करून ती राबविण्याची शिफारस करण्यात येते.

**विकसित व प्रसारीत केलेले पिकांचे वाण :**

**भात :**

भाताचा आखूड दाण्याचा, बुटका, न लोळणारा, १३० ते १३५ दिवसांत तयार होणारा, बीएआरसीकेकेवी-१३ (ट्रॉम्बे कर्जत कोलम) या वाणाची कोकण विभागात लागवडीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. या वाणाचे भरडाईचे प्रमाण ७३.७ टक्के असून तांदुळ ६७.९८ टक्के आहे. या वाणाचा तांदुळ पारदर्शक व उत्तम गुणवत्ता असलेला असून अमायलोजचे प्रमाण २३.०९ टक्के आहे. हा वाण खोडकिडीस साधारण प्रतिकारक असून सरासरी उत्पादन ४.० ते ४.५ टन/हेक्टर इतके आहे.

**कॅशिया 'कोकण कॅशिया' :**

सालीचे जास्त उत्पादन, सालातील तेलाचे प्रमाण जास्त असणारा आणि क्यूमारीनचे प्रमाण योग्य असणारा कॅशियाचा 'कोकण कॅशिया' हा वाण कोकण विभागात लागवडीसाठी प्रसारीत करण्यात येत आहे. या पासून सरासरी २०१८ ग्रॅम सुक्या सालीचे उत्पन्न मिळते. तसेच सालीमध्ये २.४० टक्के एवढे तेलाचे प्रमाण आहे.

**जायफळ 'कोकण संयुक्ता' :**

नर व मादी फुले एकाच झाडावर असणारा आणि मोठ्या आकाराच्या जायफळाचे अधिक उत्पादन देणारा 'कोकण संयुक्ता' हा वाण कोकण विभागात लागवडीसाठी प्रसारित करण्यात येत आहे. सदर जातीच्या झाडाला सरासरी ५०० फळे प्रती वर्षी येतात. तसेच फळाचे वजन ९.२० ग्रॅम इतके असून तेलाचे प्रमाण २६ टक्के इतके आढळते.

**यंत्रे व अवजारे :**

**के. के. व्ही. शंकु कोळपे**

महिला वर्गासाठी श्रमशास्त्रीय दृष्ट्या विकसीत के. के. व्ही शंकु कोळप्याची भात शेतीत कोळपणी करण्यासाठी प्रसारीत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

**यंत्रांची वैशिष्टे**

* भात शेतीतील तण काढण्यासाठी उपयुक्त
* एकूण वजन ५.७२ कि. ग्रॅ.
* वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे वापरताना फ्लोटवर चिखल साचत नाही.
* शंकुवरील पात्यांच्या नाविन्यपूर्ण रचनेमूळे भातशेतीतील तण काढण्याचे काम जलद व चांगले होवून श्रमाची बचत होते.
* शंकु कोळप्याची कार्यक्षमता -०.०११ हेक्टर/तास
* तण काढण्याची कार्यक्षमता -७९.८२
* वजनास हलके, अधिक चांगली पकड आणि समतोल रचना यामुळे वापरास सोईस्कर
* श्रमशास्त्रीयदृष्ट्या अीयासातून तयार केल्याने महिलांकरीता सुलभ
* रक्कम रुपये ८००/-

---

## तक्ता-एक TABLE-I

**(दोन) वित्तीय आवश्यकता :(ii) Financial Requirement :**

(रुपये हजारात) (Rs. in Thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष खर्च २०१८-२०१९ Actuals, 2018-2019 | | | अर्थसंकल्प २०१९-२०२० Budget Estimates 2019-2020 | | | सुधारलेले अंदाज २०२०-२०२१ Revised Est. 2020-2021 | | अर्थसंकल्प अंदाज २०२१-२०२२ Budget Est. 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजनेतर Non-Plan | योजनांतर्गत Plan | एकूण Total | योजनेतर Non-Plan | योजनांतर्गत Plan | एकूण Total | योजनेतर Non-Plan | योजनांतर्गत Plan | योजनेतर Non-Plan | योजनांतर्गत Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **अ -- कार्याचे वर्गीकरण--** | | | | | | | | | | |
| (अ) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी | 2960300 | 560100 | 3520400 | 2996300 | 483600 | 3479900 | 4705700 | 527500 | 5038595 | 400000 |
| (ब) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला | 2054248 | 68000 | 2122248 | 2408990 | 89956 | 2498946 | 2692992 | 348000 | 4876825 | 1039521 |
| (क) वसंतराव नाईक मराठा कृषी विद्यापीठ, परभणी | 1532067 | 102062 | 1634129 | 2366129 | 155000 | 2521129 | 2534020 | 349500 | 2981840 | 521516 |
| (ड) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली | 1139392 | 8833810 | 9973202 | 1694540 | 13586826 | 15281366 | 1571597 | 170569 | 1972984 | 290000 |
| (इ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन मंडळाला सहाय्यक अनुदाने | 34748 | .. | 34748 | 12205 | .. | 12205 | 14664 | .. | 34552 | .. |
| राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना | .. | 134000 | 134000 | .. | 421700 | 421700 | .. | 200000 | .. | 350000 |
| डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50000 | .. | 100000 |
| (फ) कृषि विद्यापीठांना कर्ज | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एकूण (अ) स्थूल | | | | | | | | | | |
| वजा वसुली | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| **एकूण (अ) निव्वळ** | **7720755** | **9697972** | **17418727** | **9478164** | **14737082** | **24215246** | **11518973** | **1645569** | **14904796** | **2701037** |
| **ब--वित्त व्यवस्थेची साधने--** | | | | | | | | | | |
| मागणी क्र. प्रधान शिर्ष | | | | | | | | | | |
| डी -३ २४१५ | 7720755 | 9697972 | 17418727 | 9478164 | 14737082 | 24215246 | 11518973 | 1645569 | 14904796 | 2701037 |
| डी-३ ६२१६ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एकूण (क) स्थूल | **7720755** | **9697972** | **17418727** | **9478164** | **14737082** | **24215246** | **11518973** | **1645569** | **14904796** | **2701037** |

# कृषी सांख्यिकी

शेतीविषयक साधनांची उपलब्धता, शेतीविषयक संशोधन व विस्तार, शेतीमालासंबंधित व्यापार, शेतीविषयक नियोजन इत्यादींसाठी विश्वसनीय आकडेवारीची आवश्यकता असते. या माहितीचा उपयोग, आयात निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी व स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने करावयाचे नियोजन इत्यादिसाठी करण्यात येतो. पीक कापणीच्या प्रयोगांचे क्षेत्रकाम प्रामुख्याने मंडळ निरीक्षक/कृषि सहाय्यक व ग्रामसेवकास देण्यात येते. पीक कापणी प्रयोगांचे क्षेत्रकामाचे पर्यवेक्षण प्रामुख्याने कृषी, महसूल व ग्रामविकास खात्यातील अधिकारी करतात. यासंबंधी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचे संकलन व विश्लेषण अहवाल सांख्यिकी विभागामार्फत तयार करण्यात येतो.

महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने नैऋत्य मान्सुनच्या पावसावर अवलंबून आहे. निरनिराळ्या ठिकाणी पडणाऱ्या पावसाची नोंद महसूल मंडळस्तरावर स्थापन केलेल्या स्वयंचलीत हवामान केंद्रात करण्यात येते. राज्यात सद्य:स्थितीत प्रत्येक महसूल मंडळास एक अशाप्रमाणे एकूण २११९ ठिकाणी पर्जन्यमापक केंद्रे कार्यरत आहेत. सदरची माहिती जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत दररोज शासनास सादर केली जाते.

राज्यात हंगामनिहाय, जिल्हानिहाय, पेरणी झालेल्या पिकांची माहिती विनाविलंब उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने कृषी विभागाचे सांख्यिकी विभागामार्फत राज्यातील पीक परिस्थितीची साप्ताहिक माहिती विभागीय कार्यालयाकडून गोळा केली जाते व त्या माहितीवर आधारित राज्यातील हवामान, पेरणी व पीक परिस्थितीचा साप्ताहिक अहवाल शासनास सादर केला जातो.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी १९९९-२००० पासून रब्बी २०१५-१६ पर्यंत राबविण्यात आलेली असून आता ती बंद करण्यात आलेली आहे. खरीप २०१६ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये अधिसूचीत केलेल्या पिकामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

---

## (अ) योजनेचे नाव :- कृषी उत्पादन

कृषी उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टिने राज्यात अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढविण्याच्या कामात गती येते. सन २०१७-२०१८ ते २०२०-२१ चे अंतिम अहवाल व सन २०२१-२२ चे द्वितीय पुर्वानुमान (खरीप + रब्बी) अहवाल तसेच पीकनिहाय उत्पादनाचे लक्षांक व साध्य खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे.

(उत्पादन लाख टनात)

| | २०१७-२०१८ (अंतिम) | | २०१८-१९ (अंतिम) | | २०१९-२० (अंतिम) | | २०२०-२१ अंतिम | | २०२१-२२ (खरीप+रब्बी) द्वि. पु. अ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य |
| तांदूळ (खरीप) | ४५.६३ | २६.६८ | ३८.४० | ३१.४४ | ३४.१० | २७.०२ | ३४.८८ | ३०.२७ | ३७.२० | ३२.३७ |
| गहू | २०.४९ | १८.८५ | २०.४९ | १२.४९ | १७.२३ | १७.९३ | १७.२३ | २०.७१ | १७.२३ | १६.६२ |
| खरीप ज्वारी | १४.४० | ५.४७ | ५.७५ | ४.३० | ४.१० | २.७३ | ६.०० | ३.८१ | ६.६० | १.७३ |
| रब्बी ज्वारी | १७.१५ | १८.४२ | २०.०२ | ७.६८ | १९.११ | १५.९२ | १९.५७ | १८.०५ | २०.९३ | १३.६२ |
| बाजरी | १४.५० | ६.६९ | ९.४३ | ३.३२ | ६.५८ | ५.१२ | ६.८३ | ९.०६ | ६.५० | ४.५८ |
| नाचणी | १.१६ | १.०६ | १.१४ | ०.९४ | २.०३ | ०.८७ | १.८८ | ०.९४ | २.०३ | ०.९४ |
| मका (खरीप+रब्बी+उन्हाळी) | ३३.६० | ३१.२५ | ३८.७४ | १७.६६ | ४०.०९ | १९.६० | ३८.४७ | ३५.८८ | ४३.०१ | ३०.५५ |
| एकूण तृणधान्य खरीप | १०५.७८ | ६१.७७ | ८५.०२ | ५३.८६ | ७८.५२ | ४६.४८ | ८०.९३ | ७०.५० | ८४.९१ | ६३.०८ |
| एकूण रब्बी तृणधान्य | ४०.९२ | ४६.३६ | ४८.३४ | २४.०१ | ४४.४३ | ४१.८४ | ४३.५५ | ४७.४९ | ४८.०२ | ३७.५३ |

| | २०१७-२०१८ (अंतिम) | | २०१८-१९ (अंतिम) | | २०१९-२० (अंतिम) | | २०२०-२१ अंतिम | | २०२१-२२ (खरीप+रब्बी) द्वि. पु. अ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य | लक्ष | साध्य |
| कडधान्ये खरीप | २८.८२ | १५.८४ | २८.८२ | १२.३४ | २०.८५ | १५.३७ | २२.०१ | १९.७४ | २३.४७ | १४.४८ |
| कडधान्ये रब्बी + उन्हाळी | १९.४९ | २१.०१ | २१.४० | १४.४९ | २१.४१ | २३.१२ | २१.४१ | २४.७१ | २३.१० | २८.०३ |
| **एकूण कडधान्ये** (खरीप + रब्बी + उन्हाळी) | **४८.३१** | **३६.८४** | **५०.२२** | **२६.८३** | **४२.२५** | **३८.४९** | **४३.४२** | **४४.४४** | **४६.५६** | **४२.५१** |
| **एकूण अन्नधान्ये** (खरीप + रब्बी + उन्हाळी) | **१९६.८५** | **१४६.२८** | **१८७.१७** | **१०६.३०** | **१६७.४०** | **१३०.६७** | **१७०.११** | **१६६.४६** | **१८२.०१** | **१४३.१४** |
| कापूस (रुई) | १०२.६० | ६०.९४ | १०६.४० | ६५.९३ | १०५.८८ | ६६.३९ | १०७.४० | १०१.१० | १०५.८८ | ७१.१२ |
| ऊस | ७८०.०० | ८३१.३८ | ८२०.०० | ८९७.७१ | ९१३.५० | ६९३.१३ | ८२२.०० | १११६.४२ | ९०२.५० | १११२.०० |
| तेलबिया (खरीप + रब्बी + उन्हाळी) | ५६.९० | ४२.०८ | ५२.८८ | ४८.८५ | ५७.७० | ५१.७८ | ५८.२२ | ६७.१९ | ६०.९० | ५६.९१ |

कापसाचे उत्पादन लाख गाठीत असून एक गाठ १७० किलोची आहे.

**टीप** :- (१) सन २०१७-१८ ते २०२०-२१ मधील खरीप, रब्बी व उन्हाळी पिकांचे उत्पादनाचे अंदाज अंतिम पुर्वानुमान आधारित आहेत. (२) सन २०२१-२२ मधील (खरीप+रब्बी) पिकाचे उत्पादनाचे अंदाज द्वितीय पुर्वानुमान अहवालानुसार आहेत.

## (ब) योजनेचे नाव :- कृषिविषयक माहितीच्या आकडेवारीचे प्रतिवृत्त वेळेवर देण्याची योजना (१००% केंद्र योजना)

राज्यातील प्रमुख पिकांच्या क्षेत्राची आकडेवारी बिनचूक व वेळेवर उपलब्ध व्हावी यादृष्टीने सदर योजना सन १९६८-६९ पासून भारत सरकारचे १०० टक्के आर्थिक सहाय्याने कार्यान्वित झाली. तद्नंतर सन १९७९-८० ते २००६-०७ पर्यंत एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून व उर्वरित ५० टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून प्राप्त होत होते. सदरची योजना सन २००७-०८ पासून १००% केंद्र योजना म्हणून राज्यात राबविण्यात येत आहे. ही योजना वेतनाधीन असून योजनेतील नियमित काम करण्यासाठी मंजूर असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी वर्ग यांचे वेतन व भत्ते भागविणेसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

सर्वेक्षण पद्धतीने प्रमुख पिकाखालील क्षेत्राची हंगामनिहाय आकडेवारी गोळा करण्यात येऊन क्षेत्राचे अंतिम अंदाज तयार करून केंद्र व राज्य शासनास सादर करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हंगामनिहाय क्षेत्राच्या अंतिम आकडेवारीचा उपयोग शासनाच्या विविध धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येतो. या योजने अंतर्गत कृषी विभागाने विहित केलेल्या क्षेत्राच्या नमुना कार्डद्वारे राज्यातील एकूण गावांपैकी दरवर्षी निवडलेल्या २० टक्के गावांची हंगामनिहाय क्षेत्राची आकडेवारी महसूल विभागाकडील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त करून घेण्यात येते. ही आकडेवारी जिल्हा/विभाग स्तरावर हंगामनिहाय संकलित करून आयुक्तालयस्तरावर पिकनिहाय/जिल्हानिहाय/तालुकानिहाय क्षेत्राचे अंदाज दरवर्षी हंगामनिहाय अंतिम करण्यात येतात. तसेच जमिनीच्या वापरानुसार नऊ प्रकारचे वर्गीकरण क्षेत्राची अंदाजित आकडेवारी अंतिम करणेकामी वरीलप्रमाणेच नमुना कार्डाद्वारे महसूल विभागाकडून आकडेवारी प्राप्त करून घेण्यात येते व अंदाज अंतिम करण्यात येतात.

**भौतिक व आर्थिक लक्ष्य व साध्य**

रक्कम रु. लाखात

| अ.क्र. | बाब | २०२०-२१ | | २०२१-२२ | | २०२२-२३ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य |
| १ | पर्यवेक्षीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण | १६ | १६ | १६ | .. | १६ |
| २ | यादृच्छिक गावांची निवड | ८,८०० | ८,८०० | ८,८०० | ८,८०० | ८,८०० |
| ३ | तक्त्यांची छाननी व नोंदणी | ५४,००० | काम प्रगती | ५४,००० | काम प्रगती | ५४,००० |
| ४ | तक्त्यांचे संकलन व पृथःकरण | ५४,००० | पथावर आहे. | ५४,००० | पथावर आहे. | ५४,००० |
| ५ | अहवाल तयार करणे | ५ | ४ | ५ | .. | ५ |
| ६ | आर्थिक लक्ष्य/साध्य (रु. लाखात) | ३९५.०० | २३७.४० | ४००.०० | १५८.६६ डिसेंबर, २०२१ अखेर | ४६०.०० |

## (क) योजनेचे नाव :- पिकाचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना (१०० टक्के केंद्र योजना)

सदर योजना सन १९७५ मध्ये केंद्र शासनाने १०० टक्के अनुदानाने सुरू केली आणि पुढे सन १९७९-८० पासून एकूण खर्चाच्या ५० टक्के एवढे अनुदान दरवर्षी सन २००६-०७ पर्यंत मिळत होते. सन २००७-०८ पासून १०० टक्के केंद्र योजना म्हणून राज्यात राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या कामाचे स्वरूप व नियोजन एन.एस.एस.ओ. फरीदाबाद यांच्याकडून कळविले जाते व त्यानुसार राज्यांतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तिन्ही हंगाम मिळून तलाठ्यांनी केलेल्या पीक पाहणीचे पर्यवेक्षण १३२० गावे व मंडळ निरीक्षक/ ग्रामसेवक यांनी केलेल्या पीक कापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण (खरीप व रब्बी मिळून १३०० प्रयोग) कृषी खात्यातील कृषी पर्यवेक्षकांकडून केले जाते तेवढेच पर्यवेक्षण एन.एस.एस. ओ. कडील अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते. अशा प्रकारच्या उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचे आधारे अभ्यास करून पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा घडवून आणण्याच्यादृष्टीने दरवर्षी होणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये चर्चा केली जाते व उपाययोजना सूचविली जाते.

योजनेचा मुख्य उद्देश पटवाऱ्यांनी पीक पाहणीत नोंदविलेले क्षेत्र तसेच मंडळ निरीक्षक व ग्रामसेवक यांनी केलेल्या पीक कापणी प्रयोगाची शास्त्रशुध्द पूर्व नियोजित पद्धतीने पर्यवेक्षण करून आकडेवारी मिळविणे व पर्यवेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे प्रमुख पीकांचे क्षेत्रफळाबाबतचे व उत्पन्नाचे अंदाज तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये व आकडेवारीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे.

सदरची योजना वेतनाधीन असून योजनेतील नियमित काम करणेसाठी मंजूर असलेला अधिकारी/कर्मचारीवर्ग यांचे वेतन व भत्ते भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

**भौतिक व आर्थिक लक्ष्य व साध्य**

| अ.क्र. | कामाचे स्वरूप | २०२०-२१ | | २०२१-२२ | | २०२२-२३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य |
| १ | पर्यवेक्षिय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग | १६ | १६ | १६ | ८ | १६ | .. |
| २ | यादृच्छिक गावांची निवड | ८८०० | ८८०० | ८८०० | ८८०० | ८८०० | .. |
| ३ | क्षेत्रीय कामाची तपासणी | | | | | | |
| | अ) क्षेत्र प्रगणन केलेली गावे | १३२० (ख+र+उ) | ११७२ | १३२० (ख+र+उ) | २९५ | १३२० (ख+र+उ) | .. |
| | ब) पीक कापणी प्रयोग | १३०० | १२६८ | १३०० (ख+र) | २६२ | १३०० (ख+र) | .. |
| ४ | गाव नमुना नं. ११ ची तपासणी | १३२० | ११७२ | १३२० (ख+र+उ) | २९५ | १३२० (ख+र+उ) | .. |
| ५ | आर्थिक लक्ष्य व साध्य (रु. लाखात) | २५०.०० | १०१.५१ | २५५.०० | ८८.३५ डिसेंबर, २०२१ अखेर | २६०.०० | .. |

## योजनेचे नाव :- (ड) महाराष्ट्र राज्यातील शेतमाल उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा निर्माण करण्याची कायमस्वरुपी योजना (अे. पी. सी.)

| | | |
|---|---|---|
| **१) योजना सुरू होण्याचे वर्ष** | ... | सन १९७९ |
| **२) कृषी खात्याचा सहभाग** | ... | सदर सर्वेक्षणासाठी त्रैवार्षिक गाव समूहाचे नियोजन करण्यासाठी लागणारी क्षेत्रविषयक माहिती गोळा करून नियोजन करणे व निरनिराळ्या कृषी विद्यापिठांसाठी निवडलेले गाव समूह सहसंचालक शेतमाल भाव समिती कक्ष यांना पाठविणे. |
| **३) उद्दिष्टे** | ... | योजनेत समाविष्ट पिकांच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यास पणन संचालनालयामार्फत शेतमाल किमान आधारभूत दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे. |
| **४) लक्ष्य** | ... | दर तीन वर्षांसाठी २७९ गांवाचे समूह (क्लस्टर) निवडून, निवडलेल्या पिकांचे प्रती हेक्टरी क्विंटल उत्पादन खर्च काढून केंद्रिय शेतमाल खर्च व किंमत आयोगास किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी शिफारस करणे. सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीसाठी २७९, गावसमूहांची निवड करून सहसंचालक शेतमालभाव समिती कक्ष, मुंबई यांना कळविण्यात आले आहे. |
| **५) साध्य** | ... | सन २०२१-२२ ते २०२३-२०२४ या तीन वर्षांसाठी गाव समूह निवड करण्यात आली आहे. उत्पादन खर्च काढण्यासाठी आवश्यक माहिती एकत्रित करून संकलन करण्याची कार्यवाही चालू. |
| **६) आर्थिक तरतूद** | ... | या योजनेतील मंजूर पदे कृषी खात्याच्या एक खिडकी योजनेंतर्गत विलीन झाल्यामुळे या योजनेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येत नाही. |
| **७) योजनेची अंमलबजावणी** | ... | योजनेची अमंलबजावणी मंत्रालय स्तरावरील शेतमाल भाव समिती कक्ष, कृषी आयुक्तालय व राज्यातील चार कृषी विद्यापीठे यांचे संयुक्त सहकार्याने करण्यात येते. |

## योजनेचे नाव :- (इ) पीक सर्वेक्षण योजना--महाराष्ट्र राज्यातील पिकांच्या उत्पन्नाचा अंदाज व आढावा काढण्याची योजना

| | | |
|---|---|---|
| **१) योजनेची सुरूवात** | ... | सन १९४४. |
| **२) उद्दिष्टे** | ... | १) जिल्हा पातळीवर व राज्य पातळीवर निरनिराळ्या पिकांच्या दर हेक्टरी सरासरी उत्पन्नाचे विश्वासार्ह अंदाज काढणे.<br>२) पिकांच्या पूर्वानुमानासाठी आवश्यक लागणारी बिनचूक माहिती वेळेवर उपलब्ध करणे<br>३) पिकांची पैसेवारी निश्चित करण्यासाठी तालुका पातळीवर १० वर्षांची पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी उपलब्ध करणे.<br>४) निरनिराळ्या पिकांसाठी निवडलेल्या गावात शेतकऱ्यांनी अवलंबिलेल्या मशागतीसंबंधी तसेच बी-बियाणे, खताचा वापर इत्यादिसंबंधी माहिती गोळा करणे.<br>५) पिकांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ स्तरावरील ३ ते ५ वर्षांची सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी उपलब्ध करणे.<br>६) पीक विमा योजनेसाठी चालू वर्षाची पिकांची दर हेक्टरी सरासरी उत्पन्नाची माहिती कळविणे. |
| **३) समाविष्ट पिके** | ... | सध्या या पद्धतीचा वापर करून राज्यातील खालील पिकांवर राज्यव्यापी पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येत आहेत.<br>(१) भात (२) बाजरी (३) खरीप ज्वारी (४) रागी (नाचणी) (५) रब्बी ज्वारी (६) गहू (७) हरभरा (८) कापूस (९) ऊस (१०) तंबाखू (११) भुईमूग (१२) तूर (१३) तीळ (१४) जवस (१५) खुरासणी (१६) करडई (१७) सूर्यफुल (१८) मका (१९) उन्हाळी भात (२०) उन्हाळी सूर्यफुल (२१) उन्हाळी भुईमूग (२२) मूग (२३) उडीद (२४) सोयाबीन, (२५) र. तीळ (२६) र. सूर्यफूल (२७) र. मका. |

**४) साध्य** ... सन २०२०-२१ मध्ये खरीप हंगामात ८५७४२ रब्बी हंगामात २५४७२ व उन्हाळी हंगामात ३९८३ असे एकूण ११५१९७ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले. तर सन २०२१-२२ या खरीप हंगामात ८७१२५, रब्बीमध्ये २९६४४ तर ४९३४ उन्हाळी हंगामात असे एकूण १२१७०३ एवढ्या प्रयोगांचे आयोजन केले आहे.

**५) आर्थिक तरतूद** ... योजनेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येत नाही तथापि मजुरी या शिर्षाखाली (डी-३००१) संचालन व प्रशासन, (००) (०१) कृषी आयुक्तालय (२४०१ ०१३६) या लेखाशिर्षाखाली रु. १२.७६ लाख एवढी आर्थिक तरतूद सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली आहे.

## योजनेचे नाव :- (फ) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

खरीप हंगाम २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

**योजनेत समाविष्ट पिके**

**अन्नधान्य (तृणधान्य व कडधान्य) :** खरीप व उन्हाळी भात, खरीप व रब्बी ज्वारी (जिरायत व बागायत) बाजरी, गहू, (बागायत) नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, हरभरा.

**गळीत धान्य :** कारळे, खरीप व उन्हाळी भूईमूग, तीळ, सोयाबीन

**नगदी पिके :** कापूस व कांदा.

**योजनेचा उद्देश :**

१. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

२. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

३. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

४. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे.

**योजनेची वैशिष्ट्ये :**

१. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

२. खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे.

३. विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादेइतकी राहील.

४. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम २ टक्के व रब्बी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

५. या योजने अंतर्गत ७० टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

६. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाचे ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

**योजनेत सहभागी शेतकरी :**

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.

**प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत मागील तीन वर्षातील योजनेचे आर्थिक लक्ष्य व साध्य (राज्य शासन हिस्सा)**

| प्रधानमंत्री पीक विमा वर्ष | अनुदान (रु. लाख) (राज्य हिस्सा) | | योजनेचे आर्थिक लक्ष्य व साध्य मंजूर नुकसानभरपाई रक्कम (रु. लाख) |
|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | |
| २०१७-१८ | १५१७१०.८७ | १५१७१०.८७ | २७०७८१.०० |
| २०१८-१९ | १७२३७९.९८ | १७२३७९.९८ | ४६६८०१.०० |
| २०१९-२० | २३४५८४.१६ | २३४५८४.१६ | ५५३७२८.०० |
| २०२०-२१ | १७४४४८.८४ | १७४४४८.८४ | *१११६३५.०० अंतरिम दि. २५-०१-२०२२ अखेर |

**मागील तीन वर्षातील योजनेचे भौतिक साध्य**

| हंगाम | अधिसूचित पीक तालुके | अधिसूचित पीक मंडळ |
|---|---|---|
| खरीप - २०१८ | २३५ | १०५८७ |
| रब्बी - २०१८-२०१९ | ४१७ | ४५६१ |
| खरीप - २०१९ | २५३ | १०९५२ |
| रब्बी - २०१९-२०२० | २९५ | २९०६ |
| *खरीप - २०२० | १८८ | १०१५९ |
| रब्बी - २०२०-२०२१ | ३८५ | ४३३१ |
| खरीप - २०२१ | १८६ | १०९४८ |
| रब्बी - २०२१-२०२२ | ३९१ | ४६५१ |

## योजनेचे नाव :- (ज) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात तसेच वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, जनावरांच्या चावण्यामुळे (रेबीज) मृत्यू, वाहन अपघात व इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, तसेच नक्षली हल्ले, दंगल यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस/त्याच्या कुटुंबास लाभ देण्याच्या दृष्टीने शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन २०१५-२०१६ पासून सुरू केली आहे.

सन २०१६-१७ मध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविणेसाठी दिनांक १ डिसेंबर २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे यांचेकडे रु. ३१.०४ कोटी विमा हप्ता भरण्यात आला होता.

सन २०१७-१८ मध्ये दिनांक ०८ डिसेंबर २०१७ ते ०७ डिसेंबर २०१८ या कालावधीसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे यांचेकडे रु. ४३.४० कोटी विमा हप्ता भरण्यात आला असून योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झालेली आहे.

सन २०१८-१९ मध्ये दिनांक ०८ डिसेंबर २०१८ ते ०७ डिसेंबर २०१९ या कालावधीसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे यांचेकडे रु. ४७.२६ कोटी विमा हप्ता रक्कम भरण्यात आली असून योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.

सन २०१९-२० मध्ये दिनांक १० डिसेंबर २०१९ ते ०९ डिसेंबर २०२० या कालावधीत युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स लि. यांचेकडे रु. ९७.९८ कोटी विमा हप्ता रक्कम भरण्यात आली असून योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.

सन २०२१-२२ मध्ये दि. ७ एप्रिल, २०२१ ते ६ एप्रिल, २०२२ या कालावधीत युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स लि. यांचेकडे रु. ८८.३७ कोटी विमा हप्ता रक्कम भरण्यात आली असून योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.

**गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा सन २०१५-१६ पासून प्रगती अहवाल पुढीलप्रमाणे आहे (माहे जानेवारी, २०२२ अखेर)**

| वर्ष | विमा कंपनीचे नाव | प्राप्त दावे | मंजूर दावे | कार्यवाहीत | नामंजूर | अपूर्ण प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०१६-१७ | ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., पुणे | ३३८७ | २४२८ | .. | ९५९ | .. |
| २०१७-१८ | ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., पुणे | ३५४५ | २७२९ | .. | ८१३ | .. |
| २०१८-१९ | ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., पुणे | ३८५७ | २८२५ | २१ | १००० | .. |
| २०१९-२० | दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. | ५९१५ | ३८०९ | ३६१ | ११३५ | ६७२ |
| २०२१-२२ | दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., नवी मुंबई | १२४८ | ५४८ | २९३ | १०९ | २८९ |

---

# जागतिक कृषी गणना (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना)

**१. प्रास्ताविक**

जागतिक कृषी गणना हा राष्ट्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यांत १९७०-७१ मध्ये सुरू करण्यात आला. दर पाच वर्षांनी कृषी गणना करण्यात येते. महाराष्ट्रात आतापर्यन्त एकूण १० कृषी गणनेचे काम करण्यात आलेले आहे.

सन २०१५-२०१६ मध्ये घेण्यात आलेली कृषी गणना ही महाराष्ट्रातील १० वी कृषी गणना आहे. केंद्र शासनाचे नियत वेळापत्रकानुसार अकरावी कृषी गणना २०२०-२१ चे काम जुलै २०२१ पासून सुरू होणार आहे. कृषी गणनेमध्ये महसूल खात्यातील गाव पातळीवरील भूमि अभिलेख्यांच्या सर्व नोंदीनुसार संकलन करून पुनर्वर्गीकरण केले जाते. यासाठी वहिती खाते हा घटक धरण्यात येतो.

शेतीच्या रचनेचे स्वरूप व स्थिती यासंबंधी वहिती खाते घटक धरुन राज्यातील सर्व वहिती खात्यांची **एका ठराविक वर्षासाठी सांख्यिकीय पध्दतीने माहिती गोळा करण्याचा शासन प्रणित उपक्रम म्हणजे कृषी गणना होय.** कृषी गणनेची खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे आहेत.

१) शेतीची रचना आणि शेतीच्या संबंधी वहिती खात्याच्या विशेष बाबीमधील खातेदारांची संख्या व जमिनीचा वापर, पशुधन, कृषी यंत्रसामुग्री आणि औजारे, रासायनिक खतांचा वापर इ. सांख्यिकीय आकडेवारीचा तपशील देणे.

२) नवीन कृषी विकास कार्यक्रम तयार करण्यासाठी आणि सदर कार्यक्रमाचे मूल्यमापनासाठी आवश्यक असलेले मूल्यस्थिर चिन्ह (बेंचमार्क) आकडेवारी देणे.

३) भविष्यात कृषी सर्वेक्षण घेण्यासंबंधात कुटुंबे व वहिती खाते यांचा मूलभूत साचा पुरविणे.

४) चालू कृषी सांख्यिकीय योजनेचा विस्तार करण्यासाठी पायाभूत आकडेवारी पुरविणे.

५) लघुक्षेत्र धारकांच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या कृषिविषयक प्रगतीच्या योजना आखणे.

६) जिल्हावार विकासाकरिता दीर्घ मुदतीच्या नियोजनासाठी अंमलात आणावयाचे धोरण ठरविणे.

कृषी गणना २०१०-२०११ प्रमाणेच कृषी गणना २०१५-२०१६ चे काम करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यातील गावांमधील वहिती खातेदार, वहिती क्षेत्र व त्यांचे आकारमान गटाप्रमाणे तसेच सामाजिक गटनिहाय माहिती विहित प्रपत्रात गोळा केली जाते. नमुना पध्दतीच्या कृषी गणनेसाठी २० टक्के निवडलेल्या गावातून वहिती खातेदारनिहाय विखुरलेले वहिती क्षेत्र वहिवाटीनुसार वहिती क्षेत्र तसेच जमिनीच्या वापरानुसार वर्गीकरण व पिकवार क्षेत्राची माहिती गोळा केली जाते. इनपूट सर्व्हेसाठी राज्यात ७ टक्के निवडलेल्या प्रत्येक गावातून निवडलेले २० वहिती खातेदार वापर करीत असलेले बी-बियाणे, खते, औषधे तसेच अवजारे, यंत्रे व घेतलेले कर्ज यासंबंधी माहिती गोळा केली जाते.

कृषी गणनेचे काम महसूल विभागामार्फत करण्यात येते. त्याप्रमाणेच कृषी गणना २०१५-१६ चे काम महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे. व तद्नंतर इनपूट सर्व्हे २०१६-१७ चे काम कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

**२. वित्तीय आवश्यकता :-** (आकडे लाखांत)

| सन २०१७-१८ मध्ये प्रत्यक्ष झालेला खर्च | सन २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष झालेला खर्च | सन २०१९-२० मध्ये अंदाजित खर्च |
|---|---|---|
| १४४.१८ | ५७९.०७ | ७८०.०० |

**३. कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतेचे स्पष्टीकरण :--**

कार्यालयीन खर्च, प्रवास भत्ता, वेतन, इंधन, प्रशिक्षणे याव्यतिरिक्त कृषी गणनेचे काम करण्यासाठी सूचनापुस्तिका व प्रपत्रे छपाई व वितरण करणे तसेच कृषी गणनेच्या कामाप्रित्यर्थ क्षेत्रिय अधिकारी/कर्मचारी यांना मानधनाचे वाटप करणे इत्यादी यासाठी निधीची आवश्यकता असते.

**४. कर्मचारीविषयक गोषवारा :--**

सदर योजनेमध्ये १३ मंजूर पदे असून मंजूर पदांची नावे वेतनश्रेणी व संख्या पुढीलप्रमाणे :--

| अ.क्र | पदनाम | | वेतनश्रेणी | | मंजूर पदे |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | उप आयुक्त, कृषी गणना (एम.ए.एस.वर्ग-१) (सहसंचालकाचे पदावनत केलेले पद) | ... | एस्-२३ | रु. ६७७००-२०८७०० | १ |
| २ | सांख्यिक, कृषी गणना (एम.ए.एस.वर्ग-१) | ... | एस्-२० | रु. ५६१००-१७७५०० | १ |

| अ.क्र | पदनाम | | वेतनश्रेणी | मंजूर पदे |
|---|---|---|---|---|
| ३ | तंत्र अधिकारी (सांख्यिक) (एम.ए.एस.वर्ग-२) | ... | एस्-१६ ४४९००-१४२४०० | १ |
| ४ | वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (वर्ग-२) कनिष्ठ | ... | एस्-१५ ४१८००-१३२३०० | १ |
| ५ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक (वर्ग-३) | ... | एस्-१३ ३५४००-११२४०० | २ |
| ६ | सहाय्यक अधीक्षक (वर्ग-३) | ... | एस्-१३ ३५४००-११२४०० | १ |
| ७ | वरिष्ठ लिपिक / लघु टंकलेखक, गट-क | ... | एस्-८ २५५००-८११०० | १ |
| ८ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (वर्ग-३) | ... | एस्-१५ ४१८००-१३२३०० | १ |
| ९ | लिपिक गट-क (वर्ग-३) | ... | एस्-६ १९९००-६३२०० | १ |
| १० | वाहनचालक गट-क | ... | एस्-६ १९९००-६३२०० | १ |
| ११ | शिपाई गट-ड | ... | एस्-१ १५०००-४७६०० | २ |
| | | | **एकूण** | **१३** |

**वहिती खातेदार व वहिती क्षेत्राबाबतची माहिती -** सन १९७६-७७ ते २०१५-१६ पर्यंत

| आकारमान गट | | वहिती खातेदार व वहिती क्षेत्राबाबतची माहिती | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वहिती खातेदार संख्या (लाखात) वहिती क्षेत्र (लाख हेक्टर) | | | | | | | | |
| | | १९७६-१९७७ | १९८०-१९८१ | १९८५-१९८६ | १९९०-१९९१ | १९९५-१९९६ | २०००-२००१ | २००५-२००६ | २०१०-२०११ | २०१५-२०१६ |
| अत्यल्प | खातेदार | १५.०५ | १९.२६ | २४.८८ | ३२.७५ | ४२.६६ | ५३.०६ | ६१.१८ | ६७.०९ | ७८.१५ |
| (० ते ०.९९ हेक्टर पर्यंत) | क्षेत्र | ७.०६ | ९.७३ | १२.३२ | १६.१८ | २०.८७ | २६.४७ | २८.०१ | ३१.८६ | ३४.४९ |
| अल्प | खातेदार | ११.४२ | १५.४१ | २१.०४ | २७.२८ | ३१.७६ | ३६.०६ | ४१.५० | ४०.५२ | ४३.३९ |
| (१.०० ते १.९९ हेक्टर पर्यंत) | क्षेत्र | १६.७६ | २३.३४ | ३१.३५ | ३९.८३ | ४६.०६ | ५१.२७ | ५२.४८ | ५७.३९ | ५७.७१ |
| अंशत: मध्यम | खातेदार | १३.३९ | १६.८६ | १९.५७ | २१.२६ | २१.५२ | २२.७४ | २४.५२ | २१.५९ | २३.२७ |
| (२.०० ते ३.९९ हेक्टर पर्यंत) | क्षेत्र | ३८.३३ | ४८.१८ | ५५.२० | ५८.८० | ५८.७२ | ६१.०९ | ६१.३० | ५७.६५ | ६०.२६ |
| मध्यम | खातेदार | १३.५२ | १३.९२ | १३.१७ | ११.७१ | ९.४३ | ८.६५ | ९.२५ | ७.१० | ७.३४ |
| (४.०० ते ९.९९ हेक्टर पर्यंत) | क्षेत्र | ८३.३८ | ८४.४९ | ७८.६२ | ६८.५६ | ५४.३६ | ४८.८० | ४८.८५ | ३९.९३ | ४०.९९ |
| मोठा | खातेदार | ४.२६ | ३.१८ | २.३६ | १.७१ | १.१६ | ०.८७ | ०.७० | ०.६८ | ०.६९ |
| (१०.०० हेक्टर व त्यापेक्षा अधिक) | क्षेत्र | ६५.५२ | ४७.८८ | ३६.०३ | २५.८८ | १८.७९ | १३.३८ | ९.४१ | १०.८४ | ११.६१ |
| एकूण खातेदार | | ५७.६४ | ६८.६३ | ८१.०२ | ९४.७१ | १०६.५३ | १२१.३८ | १३७.१५ | १३६.९८ | १५२.८५ |
| एकूण वहिती क्षेत्र | | २११.०५ | २१३.६२ | २१३.५२ | २०९.२५ | १९८.८० | २०१.०१ | २००.०५ | १९७.६७ | २०५.०६ |

## २०१५-२०१६ च्या कृषी गणनेनुसार राज्य पातळीवरील संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे

(आकडे लाखात)

| अ.क्र. | बाब | | क्षेत्र (हे. आर.) | टक्केवारी | खातेदार (संख्या) | टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | **एकूण वहिती** | ... | २०५.०६ | .. | १५२.८५ | .. |
| | अ) निव्वळ पेरलेले | ... | १७९.५५ | ८७.५६ | .. | .. |
| | ब) चालू पड | ... | १४.७६ | ७.२० | .. | .. |
| | **निव्वळ पिकाखालील** | ... | १९४.३४ | ९४.७७ | .. | .. |
| | क) पिकाखाली नसलेले | ... | १०.७२ | ५.२३ | .. | .. |
| | ड) गैर कास्तकारी | ... | N.A. | N.A. | .. | .. |
| २ | **ओलिताखालील** | ... | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. |
| | अ) पूर्णत: ओलित | ... | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. |
| | ब) अंशत: ओलित | ... | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. |
| ३ | **विहिरीखालील ओलित** | ... | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. |
| ४ | **वापरातील विहिरींची संख्या** | ... | उ. ना. | .. | .. | .. |
| | अ) मोटारपंप असलेल्या विहिरींची संख्या | ... | उ. ना. | उ. ना. | .. | .. |
| | ब) डिझेलपंप असलेल्या विहिरींची संख्या | ... | उ. ना. | उ. ना. | .. | .. |
| | क) पंप संच नसलेल्या विहिरींची संख्या | ... | उ. ना. | उ. ना. | .. | .. |
| ५ | **एकूण पिकाखालील** | ... | २२८.१३ | .. | २५०.९४ | .. |
| | **१) एकूण खाद्यपिके** | ... | १३९.१४ | ६०.९९ | १६३.६९ | ६५.२३ |
| | अ) तृणधान्य | ... | ७९.८८ | ३५.०१ | ८५.४३ | ३४.०४ |
| | ब) कडधान्य | ... | ३५.४९ | १५.५६ | ५२.८० | २१.०४ |
| | क) इतर | ... | २३.७७ | १०.४२ | २५.४६ | १०.१४ |
| | **२) एकूण अखाद्यपिके** | ... | ८८.९९ | ३९.०१ | ८७.२५ | ३४.७७ |
| | **३) प्रमुख खाद्यपिके** | ... | .. | .. | .. | .. |
| | १) ज्वारी | ... | ३३.६७ | १४.७६ | ३२.६९ | १३.०२ |
| | २) तांदूळ | ... | २०.९१ | ९.१७ | १६.३२ | ६.५० |
| | ३) गहू | ... | ८.७२ | ३.८२ | ७.७८ | ३.१० |
| | ४) हरभरा | ... | १४.७१ | ६.४५ | १२.५६ | ५.०१ |
| | ५) तूर | ... | १२.९६ | ५.६८ | २६.५० | १०.५६ |
| ६ | **खात्याच्या वर्गीकरणानुसार** | | एकूण व. क्षेत्र | | एकूण व. खातेदार | |
| | **१) वहिती खातेदार** | | २०५.०६ | | १५२.८५ | |
| | अ) वैयक्तिक खाती | ... | १९३.०६ | ९४.१४ | १४४.९८ | ९४.८५ |
| | ब) संयुक्त खाती | ... | १०.९३ | ५.३३ | ७.५९ | ४.९६ |
| | क) संस्थेची खाती | ... | १.०७ | ०.५३ | ०.२८ | ०.१९ |
| | **२) भू-आकारमान गटनिहाय** | | | | | |
| | अ) अत्यल्प भू-धारक | ... | ३४.४९ | १६.८१ | ७८.१६ | ५१.१३ |
| | ब) अल्प भू-धारक | ... | ५७.७१ | २८.१४ | ४३.३९ | २८.३९ |
| | क) इतर | ... | ११२.८६ | ५५.०४ | ३१.३१ | २०.४८ |
| | **३) सामाजिक गटनिहाय** | | | | | |
| | अ) अनुसूचित जाती | ... | १२.७९ | ६.२४ | १०.३० | ६.७४ |
| | ब) अनुसूचित जमाती | ... | १५.१० | ७.३६ | ८.५६ | ५.६० |
| | क) इतर | ... | १७६.१० | ८५.८७ | १३३.७१ | ८७.४७ |
| | ड) संस्था | ... | १.०७ | ०.५३ | ०.२८ | ०.१९ |

उ. ना. : उपलब्ध नाही.

## सनियंत्रण व मूल्यमापन कक्ष

**(१) प्रास्ताविक :**

शासन निर्णय, क्र. कृषी व सहकार विभाग क्र. कृषी आ-४२८०/१८३०८-२/१४ अे, दिनांक ०९-०२-१९८१ तसेच शासन निर्णय क्र. कृषी व पदुम विभाग निर्णय क्र. आकृवि/१२९८/प्रक्र-६१/१५-अे, दिनांक २९ मे, १९९८ व कृषि, पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आ. कृ. वि./१२०८/प्र. क्र.-७२/१५-अे/दि. २२ मे, २००९ अन्वये खात्याच्या पुनर्रचनेनुसार कृषी आयुक्तालयात, संनियंत्रण व मूल्यमापन कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. कृषी संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) यांच्या नियंत्रणाखाली सदर कक्षाचे कामकाज पार पाडले जाते.

**(२) मंजूर पदांची माहिती :**

सदर कक्षाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी खालीलप्रमाणे एकूण १४ पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी (रू.) | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | प्रमुख, संनियंत्रण व मूल्यमापन (कृषी उपसंचालक म. कृ. से. गट अ) | .. | १ | १ | .. |
| २. | कृषी अधिकारी (गट ब कनिष्ठ) | .. | २ | २ | .. |
| ३. | कृषी पर्यवेक्षक | .. | ४ | २ | २ |
| ४. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | .. | १ | .. | १ |
| ५. | वरिष्ठ लिपिक | .. | १ | .. | १ |
| ६. | कनिष्ठ लिपिक | .. | २ | १ | १ |
| ७. | वाहन चालक | .. | १ | .. | १ |
| ८. | नाईक | .. | १ | .. | १ |
| ९. | शिपाई | .. | १ | १ | .. |
| | एकूण पदे | .. | १४ | ७ | ७ |

**(३) संनियंत्रण मूल्यमापनाचा उद्देश :**

एखाद्या चालू योजनेची अंमलबजावणी व लक्ष साध्य योग्यरित्या होत आहे की नाही ते पाहणे, योजना राबविताना योजनेची प्रगती पाहणे हा संनियंत्रणाचा मुख्य उद्देश आहे, तर योजना राबविल्यानंतर त्या योजनेचे लक्षांकानुसार काम झाले आहे किंवा कसे हे तपासणे, योजनेचा प्रभाव व परिणामकारकता तपासणे, योजना योग्य पध्दतीने राबविली गेली किंवा कसे ते तपासून अडचणींवर उपाय सुचविणे योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाली हे पाहता येणे व लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया, अंमलबजावणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिप्राय जाणून घेऊन त्याप्रमाणे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल वेळीच करता यावे हा मूल्यमापनाचा मुख्य उद्देश आहे.

**(४) अंतर्गत मूल्यमापन :**

मूल्यमापन दोन प्रकारे पार पाडले जाते. अंतर्गत मूल्यमापन व बाह्य मूल्यमापन, यामध्ये संनियंत्रण व मूल्यमापन या कक्षाद्वारे अंतर्गत मूल्यमापन केले जाते. याकरिता कृषी आयुक्तालयात कार्यरत असलेले कृषी संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी संचालक (मृद व जलसंधारण), कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषी संचालक (फलोत्पादन), कृषी संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) यांच्या शिफारशी घेऊन मा. आयुक्त, कृषी यांचे मान्यतेने विविध कृषी योजनांचे मूल्यमापन केले जाते. क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांशी व अधिकाऱ्यांशी नियमित पाठपुरावा करून मूल्यमापनाचे क्षेत्रिय काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येतात.

**(५)** सन २०२१-२२ पर्यंत संनियंत्रण व मूल्यमापन कक्षामार्फत एकूण ४८ मूल्यमापन अहवाल प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.

**(६)** आत्मा योजनेचे Third Party Evaluation करणेकरिता मा. सचिव कृषि व पदुम यांना प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.

**(७)** सन २०२१-२२ मधील Result Formework Document (RFD) ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

**(८)** सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या कालावधीतील मागेल त्याला शेततळे या योजनेचे मूल्यमापन सुरू करण्यात आले आहे.

(९) सन २०१५-१६ ते सन २०१९-२० या कालावधीतील केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रती थेंब अधिक पिक सूक्ष्म सिंचन या योजनेचे मूल्यमापन सुरू करण्यात आले आहे.

## तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र योजनेत्तर योजना (२४०१ ०२६१) १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना

**१) प्रस्तावना व उद्देश :**

राज्यामध्ये एकूण १८३ तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रे आहेत. तसेच आन्विक्षा-नि-प्रात्याक्षिके प्रक्षेत्रे ९ आहेत. असे एकंदर १९२ प्रक्षेत्रे आहेत.

निरनिराळ्या अन्नधान्य पिकांच्या सुधारलेल्या जातीच्या उत्तम प्रतीचे खात्रीशीर बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे तसेच आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याच्या पद्धती शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व व प्रात्यक्षिकद्वारे दाखविणे, परिसरातील शेतकऱ्यांना बिजोत्पादन तंत्रज्ञानाची माहिती देणे हा सुद्धा तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्राचा उद्देश आहे. तसेच या योजने अंतर्गत प्रक्षेत्रावर वेतन, मजुरी, अतिकालीक भत्ता, दुरध्वनी, वीज आणि पाणी शुल्क, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडे कर तसेच गौण बांधकामे, सामुग्री व पुरवठा या बाबीसाठी अनुदान असून विविध पिकांचे बीजोत्पादन करणे तसेच शेती संलग्न पुरक कार्यक्रम जसे गांडूळ कल्चर, गांडूळ खत उत्पादन, जैविक नियंत्रणाचे घटक उतपादित करणे, नाडेप पद्धतीने कंपोष्ट खत तयार करणे, निम पावडर, निम आर्क उत्पादन करणे असे विविध उपक्रम घेऊन तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रावर राबविणेत येतात.

**२) वित्तीय आवश्यकता**

| योजनेचे नाव | सन २०२०-२१ तरतूद (रु. लाखात) | सन २०२०-२१ खर्च (रु. लाखात) | सन २०२१-२२ तरतूद (रु. लाखात) |
|---|---|---|---|
| तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र योजनेतर योजना (२४०१ ०२६१) १०० टक्के राज्यपुरस्कृत योजना | ४५५५.१० | २८२९.०० | ४६०६.५० |

## केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय विस्तार व तंत्रज्ञान (एनएमएईटी) अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियान (नवीन योजना)

**१) प्रस्तावना व उद्देश :**

राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत (एनएमएईटी) २०१४-१५ पासून बियाणे व लागवड साहित्य-उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. गुणवत्तापूर्ण / प्रमाणित बियाणेचे उत्पादन वाढविणे, बियाणे बदल दर वाढविणे (एस.आर.आर.) विशेषतः भात, हरभरा, भुईमूग इ. पिकांचा बियाणे बदल दर वाढविणे, ग्राम बिजोत्पादनाच्या माध्यमातून बियाणे उत्पादनात वाढ आणि शेतकऱ्यांकडील स्वतःच्या बियाणेची गुणवत्ता वाढविणे, शेतकऱ्यांकडील बियाणेवर बीज प्रक्रिया मोहीम राबविणे, सार्वजनिक व खाजगी बियाणे क्षेत्रास आर्थिक सहाय्य देऊन बियाणे साखळी बळकट करणे, प्रचलित वाणाऐवजी नवीन वाणाचा वापर वाढविणेसाठी नवीन संशोधित वाणास प्रसिद्धी देणे, बियाणे उत्पादने प्रक्रियेमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे.

**२) वित्तीय आवश्यकता सन २०१९-२० मधील साध्य :** (रुपये लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | मंजूर तरतूद | | | वितरीत निधी | | | दि. ३१-०३-२०१९ अखेर खर्च | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्र | राज्य | एकूण | केंद्र | राज्य | एकूण | केंद्र | राज्य | एकूण |
| १ | अनु. जाती | ६०० | ४०० | १००० | ४८०.६४ | २००.०० | ६८०.६४ | २७८.८५ | १८५.९ | ४६४.७५ |
| २ | अनु. जमाती | १५६.९३ | १०४.६२ | २६१.५५ | १७०.२८ | ३४.५२ | २०४.८० | ५१.८८ | ३४.५२ | ८६.३० |
| ३ | सर्वसाधारण | १६०० | १०६६ | २६६६ | ८१५.६२ | ५३३.०० | १३४८.६२ | ३८५.५९ | २५७.०६ | ६४२.६५ |
| | **एकूण-** | **२३५६.९३** | **१५७०.६२** | **३९२७.५५** | **१४६६.५४** | **७६७.५२** | **२२३४.०६** | **७१६.२२** | **४७७.४८** | **११९३.७०** |

**टीप :** भौतिक साध्य- हरभरा-१७२२५ क्विंटल, गहू- १८६७१ क्विंटल, भुईमूग-३८३०७ क्विंटल, (एकूण बियाणे वितरण- ३९७२७ क्विंटल)

***सन २०२१-२२ चे नियोजन :** (रुपये लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | मंजूर तरतूद | | | वितरीत निधी | | | दि. ३१-१२-२०२१ अखेर खर्च | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्र | राज्य | एकूण | केंद्र | राज्य | एकूण | केंद्र | राज्य | एकूण |
| १ | अनु. जाती | ६०० | ४०० | १००० | ३७१.६५ | .. | ३७१.६५ | .. | .. | .. |
| २ | अनु. जमाती | १८५१ | ४०० | २२५१ | १७०.२८ | .. | १७०.२८ | .. | .. | .. |
| ३ | सर्वसाधारण | २००० | १३०० | ३३०० | १९०.५७ | .. | ४९०.५७ | .. | .. | .. |
| | **एकूण** | **२३५६.९३** | **२१००** | **६५५१** | **१०३२.५०** | **..** | **१०३२.५०** | **..** | **..** | **..** |

या योजनेअंतर्गत खरीप २०२१ हंगामात भात पिकाचे ७५२१ क्विंटल बियाणे वाटप करण्यात आले असून, रब्बी, उन्हाळी २०२१-२२ हंगामात गहु-६६२५० क्विंटल, हरभरा-८५००० क्विंटल व उन्हाळी भुईमूग-१४२०० क्विंटल बियाणे वितरण लक्षांक वाटप करण्यात आलेले आहे.

## वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था

**१) योजनेची माहिती व उद्देश :**

राज्यातील कृषी विकासाच्या कार्यक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेऊन कृषी आणि कृषि संलग्न विभागाशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथे वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था दिनांक १ जुलै, १९९२ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. दिनांक २९ मे, १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये कृषी विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली. या शासन निर्णयान्वये वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ही राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आली.

वनामती ही शिखर संस्था एक अग्रणी आणि नामांकित प्रशिक्षण संस्था म्हणून तातडीने विकसित करून यशदा, पुणे तथा मॅनेज, हैद्राबाद या अग्रगण्य संस्थांच्या धर्तीवर कार्यान्वित होण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. वनामती नागपूर व तिच्या सात संलग्न प्रशिक्षण संस्था (नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर, खोपोली व पुणे) करिता इमारतीचे बांधकाम, नूतनीकरण, वसतिगृह तसेच साधनसामग्री इ. बाबींसाठी वनामती नागपूर यांना या योजनेंतर्गत सहायक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.

(१) वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ही शासनस्तरावरुन राज्यस्तरीय योजना म्हणून राबविण्यात येते.

(२) सन २०२०-२१ या वर्षासाठी सदर योजनेंतर्गत रु. ५९५.९८ लाख निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. परंतु शासनाने रु. ६००.०० लाख अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर केल्याचे दर्शविलेली आहे. तथापि शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही.

(३) सन २०२१-२२ साठी रु. ७१८.४७ लाख निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आलेली होती त्यापैकी रक्कम रु. ६००.०० लाख अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. तथापि, शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही.

(४) सन २०२२-२३ साठी रु. ७८९०.१९ लाख मागणी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

## राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणांचा व क्षमताबांधणीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे (पूर्वीची कृषी प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे ही योजना)

**१) प्रस्ताविक :**

कृषी विभागातील मानवी साधनसंपत्तीचा आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान प्रसारासाठी प्रभावी वापर होण्याच्या दृष्टीने अधिकारी/कर्मचारी यांचे व्यावसायिक ज्ञान वाढविणे आणि त्यादृष्टीने आवश्यक सोई-सुविधांचा विस्तार करून प्रशिक्षण संस्था बळकट करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील कृषी विकासाच्या कार्यक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेवून कृषि आणि कृषी संलग्न विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने **नागपूर येथील राज्यस्तरीय शिखर संस्था वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था आणि तिच्या सात संलग्न प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था** अनुक्रमे नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापूर, नाशिक व खोपोली या ठिकाणी राज्यात कार्यरत आहेत. या आठही प्रशिक्षण संस्थांद्वारे कृषी आणि कृषी संलग्न विषयाचे प्रशिक्षणविषयक कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच गरजेनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये फेरबदल करून राज्याच्या कृषी-विषयक प्रशिक्षण गरजा विचारात घेऊन या आठही कृषी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विविध प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात येते. ही योजना राज्यात सन २०००-२००१ पासून राबविण्यात येत असून सन २०१३-१४ पासून सदरची योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

**२) वित्तीय आवश्यकता**

| | | |
|---|---|---|
| सन २०१९-२० वर्षातील मंजूर तरतूद | : | रुपये ७४९.०० लाख |
| सन २०१९-२० मधील खर्च | : | रुपये ६६६.०६ लाख (८२.९४ शिल्लक) |
| सन २०२०-२१ वर्षातील प्रस्तावित मागणी | : | रुपये १२७.९५ लाख |
| सन २०२०-२१ मधील उपलब्ध निधी | : | ०.०० |
| सन २०२०-२१ मधील खर्च | : | रुपये ८२.९४ लाख (सन २०१९-२० मधील शिल्लक निधी) |

**३) कार्यक्रमाचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण**

कृषी विभागामध्ये वर्ग-१/वर्ग-२ / कृ. अ./कृ. प./कृ. स. या तांत्रिक प्रवर्गामध्ये एकूण १८५०० अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रती वर्षाला साधारणत: २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना वनामती व प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते. कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांचे व्यावसायिक ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी व आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसारणासाठी प्रशिक्षण तसेच मानवी साधन संपत्तीचा आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसारासाठी प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने तसेच अधिकाऱ्यांचे व्यावसायिक ज्ञान वाढविणेकरिता कृषी प्रशिक्षण संस्था बळकट करणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रमुख प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था नागपूर तसेच पुणे, कोल्हापूर, खोपोली, नाशिक, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद येथील सात विभागीय प्रशिक्षण संस्थेत गरजेनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. तसेच या योजनेद्वारे अधिकारी/कर्मचारी त्याचबरोबर आत्मा संस्थेतील विविध समिती सदस्य यांच्या प्रशिक्षणांसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी तरतूद केली जाते.

## राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे

**१) योजनेची माहिती व उद्देश :**

राज्य शासन सेवेत सर्वस्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दिनांक २३-९-२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.२ नुसार विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत कृषि विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांशी संबंधित तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

**२) वित्तीय आवश्यकता :**

| | |
|---|---|
| सन २०२०-२१ वर्षातील मंजूर तरतूद | रुपये १००.०० लाख |
| सन २०२०-२१ मधील उपलब्ध निधी | रुपये ३७.५० लाख |
| सन २०२०-२१ मधील खर्च | रुपये ३७.५० लाख |
| सन २०२१-२२ (मंजूर तरतूद) | रुपये १००.०० लाख |
| सन २०२१-२२ मधील उपलब्ध निधी | योजना स्थगित |
| सन २०२१-२२ मधील खर्च | ०.०० |
| सन २०२२-२३ वर्षातील प्रस्तावित मागणी | रुपये ८८९.८० लाख |

## गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे (१०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना) (लेखाशिर्ष- २४०१ अे ७८२)

**१) योजनेची माहिती व उद्देश :**

सन २०२२ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन दुप्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्टीकोनास अनुसरुन पुरक उत्पादन वाढविण्यासाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रिया व पणन यासाठी सामुहिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमिनधारणा कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शेती, शेती करण्याची आधुनिक पद्धती व काटेकोर नियोजन याचा अवलंब करणे. एका समुहातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामुहिकरित्या नियोजनबद्ध शेती करणे. त्यादृष्टीने शेतकरी गटांमार्फत उत्पादक कंपनीमार्फत गट शेतीस प्रोत्साहन देणे या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये प्रतिवर्ष २०० शेतकरी गट/उत्पादक कंपन्यांना विविध उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत प्रति शेतकरी गटास रु. १.०० कोटी पर्यंत अनुदान देय आहे.

**२) वित्तीय आवश्यकता :**

| | |
|---|---|
| सन २०२०-२१ मधील प्रस्तावित मागणी - | रुपये २४०८३.४४ लाख |
| सन २०२०-२१ मधील मंजूर तरतूद - | रुपये ११०००.०० लाख |
| सन २०२०-२१ मधील उपलब्ध निधी - | रुपये ४१२५.०० लाख |
| सन २०२०-२१ मधील खर्च - | रुपये ४१२५.०० लाख |
| सन २०२०-२१ मधील समर्पित निधी - | रुपये ०.०० लाख |
| सन २०२१-२२ वर्षातील प्रस्तावित मागणी | रुपये ३५३४२.५१ लाख |
| सन २०२१-२२ मधील मंजूर तरतूद | रुपये ७५००.०० लाख |
| सन २०२१-२२ वर्षात प्राप्त निधी | रुपये ३७५०.०० लाख |

(मागील उर्वरित कार्यक्रमासाठी)

**(Spillover Programme)**

सन २०२१-२२ मधील खर्च ९.१८ लक्ष (दि. २८-१-२०२२ पर्यंत)

सन २०२२-२३ वर्षातील प्रस्तावित मागणी रुपये १३०००.०० लाख

**(Spillover Programme proposed new scheme)**

## राज्याच्या कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा)

आत्मा यंत्रणांना कृषी विस्ताराच्या नावीन्यपूर्ण बाबी राबविण्याकरिता विकेंद्रीत नियोजन व अंमलबजावणीसाठी मुभा देणेत आली आहे. सोबतच जिल्ह्याचा यथार्थदर्शी संशोधन व विस्तार आराखडा (SREP) तयार करणे, गरजेवर आधारित "Carfeteria" कृति कार्यक्रमही ठरवून देण्यात आला आहे. त्यात याथार्थदर्शी संशोधन व विस्तार आराखडा (SREP) तयार करणे, शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्याक्षिके, शेतकरी अभ्यास दौरे, शेतकरी गट संघटन, शेतकरी-शास्त्रज्ञ सुसंवाद आणि शेतीशाळा अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. हे उपक्रम ठरवून देताना त्यासाठी गरजेनुरुप विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आत्मा संस्थांना आहे.

महाराष्ट्रातील शेती स्पर्धाक्षम व्हावी, शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाची कार्यक्षमता वाढावी, या कामी विविध संशोधन संस्था, कृषि विद्यापीठे, प्रयोगशील शेतकरी यांचे सहकार्य लाभावे, उत्पादन वाढीसोबत उत्पन्न वाढावे आणि हे साध्य करण्यासाठी सक्षम, संवेदनशील, सहभागी कृषी विस्तार यंत्रणा उभी रहावी तसेच संशोधन, कृषी व संलग्न विभाग आणि शेतकऱ्यांमध्ये कार्यक्षम समन्वय प्रस्थापित करावयाची कार्यवाही करणेत येत आहे. शेतकऱ्यांच्या गटांचे रुपांतर शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये (FPCs) होऊन स्वयंपूर्ण, सशक्त शेतकरी वर्ग निर्माण व्हावा, पर्यायाने कृषी उत्पादन व निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे हा आत्मा संस्था स्थापनेमागचा मूळ उद्देश आहे.

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | वर्ष | मंजूर कार्यक्रम | शिल्लक | उपलब्ध निधी | खर्च झालेला निधी\ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २०१७-१८ | रु. १०३१४.७८<br>**(केंद्र-६०६५.९९)**<br>**(राज्य** - ४२४८.७९) | १ एप्रिल, २०१७ रोजी<br>**शिल्लक-७३४.६२**<br>(केंद्र- ५६९.४३)<br>(राज्य- १६५.१९) | ७५४१.७८<br>**(केंद्र-४५२५.०७)**<br>(राज्य- ३०१६.७१)<br>(३१ मार्च २०१९ अखेर) | ५९१५.८९<br>**(केंद्र-३४७३.७८)**<br>(राज्य-२४४२.११)<br>(३१ मार्च २०१९ अखेर) |
| २ | २०१८-१९ | रु. ११३८२.६८<br>**(केंद्र-६८२९.६१)** | १ एप्रिल, २०१८ रोजी<br>**शिल्लक-२५८४.७४**<br>**(राज्य** - १६२६.६०)<br>(राज्य- ९५८.१४) | ..<br>**५१७१.५७**<br>(केंद्र- ३१०२.७)<br>(राज्य- २०६८.६६) | ..<br>**६९८८.३६**<br>(केंद्र-४११६.७४)<br>(राज्य- २८७१.६२) |
| ३ | २०१९-२० | रु. ११७५९.७३<br>(केंद्र-६७९५.५२)<br>(राज्य - ४९६४.२१) | १ एप्रिल, २०१९ रोजी<br>**एकूण-१०९०.८२**<br>(केंद्र-६५४.४९)<br>(राज्य- ४३६.३३) | ..<br>**६३७६.००**<br>(केंद्र- ३८२५.६०)<br>(राज्य- २५५०.४०) | (मार्च २०२०)<br>**एकूण-६७१८.९८**<br>(केंद्र-३९५९.६७)<br>(राज्य- २७५९.३१) |
| ४ | २०२०-२१ | रु. १२७२८.१७<br>(केंद्र-७३७६.५९)<br>(राज्य - ५३५१.५८) | १ एप्रिल, २०२० रोजी<br>**एकूण-१००८.२३**<br>(केंद्र-६०४.९४)<br>(राज्य- ४०३.२९) | ..<br>**एकूण-७३०१.२५**<br>(केंद्र- ४३८०.७५)<br>(राज्य- २९२०.५०) | (मार्च २०२१)<br>**एकूण-४९७३.९५**<br>(केंद्र- २९१९.६४)<br>(राज्य- २०५४.३१) |
| ५ | २०२१-२२ | रु. १२५१२.१३<br>**(केंद्र-७२४६.९६)**<br>(राज्य - ५२६५.१७) | **एकूण-४०८५.१०**<br>(केंद्र-२१३०.५४)<br>(राज्य-१९५४.५६) | **एकूण- २०८३.३३**<br>(केंद्र-१२५०.००)<br>(राज्य-८३३.३३) | (डिसेंबर २०२१ अखेर)<br>**एकूण-४०७३.१९**<br>(केंद्र-२३७७.५१)<br>(राज्य-१६९५.६८) |

## राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध कृषी पुरस्कार

राज्यात दरवर्षी कृषी व संलग्न क्षेत्रात अति उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या शेतकरी/संस्था/गटास महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत कृषिरत्न, कृषीभूषण, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती), जिजामाता कृषिभूषण, शेतीमित्र, शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यानपंडीत, कृषी सेवारत्न, युवा शेतकरी इ. पुरस्कार मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.

वर नमूद केलेल्या पुरस्कारांची माहिती व स्वरुप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे विषद करण्यात येत आहे.

## १. पीक स्पर्धा-

राज्यात सन १९५९-६० पासून पिकस्पर्धा राबविण्यात येत आहे. रब्बी हंगाम सन २०२० पासून पिकस्पर्धेचे स्वरूप व निकष बदलण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक उत्पादन घेण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची निर्मिती करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका पातळीवर पिकस्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तालुक्यामध्ये ज्या पिकाखालील लागवड क्षेत्र १००० हेक्टरहून अधिक आहे, अशा सर्व पिकांकरीता पिकस्पर्धा आयोजित केली जात आहे.

*खरीप व रब्बी हंगामात पुढील पिकांचा समावेश राहील. (एकूण १७ पिके)

खरीप पिके-भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी,मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भूईमूग, सुर्यफुल (एकूण-११ पिके) रब्बी पिके-ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस, तीळ (एकूण-६ पिके)

*स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी किमान आवश्यक क्षेत्र : सर्व पिकांसाठी १० आर. (०.१० हेक्टर)

*पिकस्पर्धासाठी तालुका पातळीवर सर्वसाधारण गटातील किमान १० स्पर्धक तर आदिवासी गटातील किमान ५ स्पर्धकांचा सहभाग आवश्यक असून त्यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी रु. ३०० प्रति शेतकरी प्रति पिक याप्रमाणे प्रवेश शुल्क आहे.

**पारितोषिकाच्या स्वरूप खालीलप्रमाणे-**

| अ. क्र. | स्पर्धा पातळी | सर्वसाधारण व आदिवासी गट बक्षिस रुपये | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पहिले | दुसरे | तिसरे |
| १. | तालुका पातळी | ५,००० | ३,००० | २,००० |
| २. | जिल्हा पातळी | १०,००० | ७,००० | ५,००० |
| ३. | विभाग पातळी | २५,००० | २०,००० | १५,००० |
| ४. | राज्य पातळी | ५०,००० | ४०,००० | ३०,००० |

***सन २०१६ अखेर देण्यात आलेले एकूण पुरस्कार-३००**

## २. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार - (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या-१)

कृषी क्षेत्रातील कृषि विस्तार, कृषी प्रक्रीया, निर्यात, कृषी उत्पादन, पीक फेरबदल, कृषी उत्पादनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी मध्ये अति उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या शेतकरी अथवा संस्थेस हा पुरस्कार देण्यात येतो. धनादेश रक्कम रुपये ७५,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर १९ कृषिरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

## ३. वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या-०८)

कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय विकास, फलोत्पादन व ग्रामिण विकास, ज्यामध्ये बायोगॅसचा वापर, शेतकऱ्यांचा विकास इत्यादी संलग्न क्षेत्रात अद्वितीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी / संस्था / गटांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. धनादेश रक्कम रोख रुपये ५०,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर २६४ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

## ४. कृषिभूषण (सेंद्रीय शेती) पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या-०८)

विविध माध्यमातून सेंद्रीय शेतीचा अवलंब, इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन तसेच या संकल्पनेचा प्रचार व प्रसिद्धी करणाऱ्या निवडक शेतकऱ्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. धनादेश रक्कम रोख रुपये ५०,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर ५५ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

## ५. जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या -०८)

शेती क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव व्हावा व अशा महिलांच्या कार्याने प्रभावित होऊन इतर महिलांमध्ये जागृती निर्माण करण्याकरिता या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. धनादेश रक्कम रोख रुपये ५०,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, पतीसह सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर १०२ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

**६. वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या -०८)**

ज्या व्यक्ती / संस्था शेती, पत्रकारीतेद्वारे किंवा इतर अन्य मार्गाने कृषी क्षेत्रात बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना / व्यक्तींना / संस्थाना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. धनादेश रक्कम रोख रुपये ३०,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर ७२ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

**७. उद्यान पंडित पुरस्कार (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या -८)**

फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करणारे शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धेची भावना निर्माण करुन फलोत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २००१ पासून उद्यान पंडित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. धनादेश रक्कम रोख रुपये २५,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर १९८ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

**८. वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या - ४०)**

**उद्देश :** शेतीमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर, शेती पुरक व्यवसाय, स्वतःच्या कल्पनेने नवनवीन पद्धतीने पीक लागवड व इतर शेतकऱ्यांना शेती तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना / संस्थांना शेतीनिष्ठ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. धनादेश रक्कम रोख रुपये ११,०००/-, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर १३९६ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

**९. युवा शेतकरी पुरस्कार :**

१८ ते ४० वयोगटातील युवा शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनिय कार्याबद्दल प्रोत्साहन मिळावे म्हणून या शेतकऱ्यांना सन २०२० पासून "युवा शेतकरी" पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. धनादेश रक्कम रु. ३०,०००/- स्मृती चिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक/पतीसहअसे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

**१०. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार : (एकूण द्यावयाची पुरस्कार संख्या - २)**

**उद्देश :** राज्यातील शेतीविषयक उत्पन वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व मोलाचे कार्य करणाऱ्या कृषी विभागातील एका अतिउत्कृष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यास सन २०१४ पासून हा पुरस्कार देऊन गौरविणेत येत आहे. स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सन २०१६ अखेर ०६ पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

## शेतकरी मासिक

१) **प्रास्ताविक :** सन १९६५ सालापासून कृषी विभागामार्फत शेतकरी मासिक नियमित प्रकाशित करण्यात येत आहे. मे, २००९ पासून संपूर्ण ५६ पानी मासिकाची चाररंगी छपाई करण्यात येत आहे. कृषिविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध शासकीय योजना, निरनिराळ्या यशोगाथा, शेतकऱ्यांच्या समस्यांना उत्तरे इत्यादी माध्यमातून ज्ञान तळागाळाच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या मासिकाच्या माध्यमातून करण्यात आला व शेतकऱ्यांचा त्यास अतिशय उत्तम प्रतीसाद मिळत असून हे मासिक वाचून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेती पध्दतीत वापर करून उत्पन्न यशस्वीरित्या वाढविले आहे. त्यामुळे हे महत्त्वपूर्ण मासिक यापुढेही नियमित चालविण्याची आवश्यकता आहे.

**वित्तीय आवश्यकता :-**

(रुपये लाखात)

| वर्ष | सरासरी वर्गणीदार संख्या | वर्गणीद्वारे जमा रक्कम रुपये | जाहिरातीद्वारे जमा रक्कम | एकूण जमा रक्कम |
|---|---|---|---|---|
| २०१५-१६ | १४०६३३ | २८८.०० | १२.०० | ३००.०० |
| २०१६-१७ | १११२८८ | २७८.२२ | ८.५५ | २८६.७७ |
| २०१७-१८ | ११२१५० | १९४.६९ | २.४६ | १९७.१५ |
| २०१८-१९ | ५४९९८ | १३७.४६ | १.९६ | १३९.४२ |
| २०१९-२० | ४८३७२ | १२०.९३ | २.१४ | १२३.०७ |
| २०२०-२१ | ५८३२९ | १४५.८२ | २.१४ | १४७.९६ |
| २०२१-२२ (अंदाजित) | ७०००० | १७५.०० | १.९६ | १७६.९६ |

सन २०२०-२१ साठी वर्गणीदारांकडून व जाहिरातीपोटी रुपये १४७.९६ लाख महसूल जमा झालेला आहे.

सध्या कार्यालयात १६ पदे मंजूर असून त्यामध्ये ९ पदे रिक्त आहेत. सन २०२०-२१ मध्ये सरासरी ५८३२९ वर्गणीदार करण्यात आलेले आहे.

वर्गणी व जाहिरातीद्वारे माहे मार्च-२०२१ अखेर रुपये १४७.९६ लाख महसूल जमा झाला आहे. सन २०२१-२२ साठी रु. ४३८.१४ लाख तरतूद केली असून रु. ३८४.०० लाख इतका निधी मंजूर झाला. तसेच सन २०२२-२३ करिता ४३२.७४ लाख इतकी तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

## शेतकरी मासिक कार्यालयातील पदांबाबतची माहिती

| अ.क्र. | पदनाम | मंजूर पदे | | | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | एकूण | | |
| | **वर्ग-१** | | | | | |
| १ | कृषी उपसंचालक | १ | .. | १ | १ | .. |
| | **वर्ग-२** | | | | | |
| २ | तंत्र अधिकारी | १ | .. | १ | १ | .. |
| ३ | कृषी अधिकारी | २ | .. | २ | १ | १ |
| | **वर्ग-३** | | | | | |
| ४ | अनुवादक (कृषी अधिकारी स्तर) | .१ | .. | १ | .. | १ |
| ५ | अधीक्षक | .. | १ | १ | .. | १ |
| ६ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | .. | १ | १ | .. | १ |
| ७ | कृषी पर्यवेक्षक | .. | १ | १ | १ | .. |
| ८ | कृषी सहाय्यक | .. | १ | १ | .. | १ |
| ९ | वरिष्ठ लिपीक | १ | १ | २ | २ | .. |
| १० | लिपीक | १ | १ | २ | .. | २ |
| ११ | शिपाई | .. | ३ | ३ | १ | २ |
| | एकूण | ७ | ९ | १६ | ७ | ९ |

## बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)

**१. योजनेचे संक्षिप्त स्वरूप** : अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांकरिता आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) सन १९९२-९३ पासून राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, पुणे, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या १६ जिल्ह्यात आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत) व ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या २९ जिल्ह्यात आदिवासी उपयोजना (क्षेत्राबाहेरील) योजना राबविण्यात येते.

सदर योजना दीर्घ कालावधीपासून राबविण्यात येत असल्याने योजनेच्या पुनर्विलोकनासाठी शासनाने समिती गठीत केली होती. सदर समितीच्या शिफारसी व प्राप्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेवून दि. ९/८/२०१७ चे शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ पासून आदिवासी उपयोजना सुधारित केली आहे, तसेच दिनांक ३०/१२/२०१७ चे शासन पूरक पत्रान्वये सदर योजना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या नावाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

**२. योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये** : अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे.

**३. योजनेत समाविष्ट असलेले घटक व घटकनिहाय आर्थिक मापदंड खालीलप्रमाणे**

| अ.क्र. | बाब | | अनुदान मर्यादा रुपये |
|---|---|---|---|
| १ | नवीन विहीर | | रु. २,५०,०००/- च्या मर्यादेत |
| २ | जुनी विहीर दुरुस्ती | | रु. ५०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ३ | इनवेल बोअरिंग | | रु. २०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ४ | वीज जोडणी आकार | | रु. १०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ५ | शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण | | रु. १,००,०००/- च्या मर्यादेत |
| ६ | परसबाग | | रु. ५००/- च्या मर्यादेत |
| ७ | सूक्ष्म सिंचन संच | अ. ठिबक सिंचन | रु. ५०,०००/- च्या मर्यादेत किंवा |
| | | ब. तुषार सिंचन | रु. २५,०००/- च्या मर्यादेत |
| ८ | पंप संच | | रु. २०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ९ | एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप | | रु. ३०,०००/- च्या मर्यादेत |

**४. लाभार्थी निवड करण्यासाठीचे निकष :**

४.१) लाभार्थी हा आदिवासी शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याजवळ त्याच्या स्वतःच्या नावे ६.०० हेक्टर पेक्षा कमी किंवा ०.२० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन असावी. (नवीन विहिरीच्या लाभासाठी किमान क्षेत्र ०.४० हेक्टर आवश्यक)

४.२) अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन रुपये १,५०,०००/- पर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांना संबंधित तहसिलदार यांचेकडून उत्पनाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहिल.

**५. लाभार्थ्याची निवड :- सदर योजनांतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्विकारण्यात येतात.**

लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येते.

## बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)

**६. नियतव्यय**

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | सन २०२०-२१ | | सन २०२१-२२ | सन २०२२-२३ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूर | खर्च | मंजूर कार्यक्रम | प्रस्तावित |
| १ | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत) | ७७२८.८७ | ७७२८.८७ | ६२२५.८० | ६८४८.३८ |
| २ | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राबाहेरील) | ३८५७.४७ | ३८५७.४७ | ३२४३.४६ | ३५६७.८१ |

## डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

**१. योजनेचे संक्षिप्त स्वरुप** : अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यासाठी सन १९८२-८३ पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व मा. मंत्री (वित्त) यांनी घोषित केलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून (Moisture Security) सध्याची प्रचलित विशेष घटक योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने राबविण्यास शासनाने दि. ५/१/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

**२. योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये** : अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते.

**३. योजनेत समाविष्ट असलेले घटक व घटकनिहाय आर्थिक मापदंड खालीलप्रमाणे.**

| अ.क्र. | बाब | | अनुदान मर्यादा रुपये |
|---|---|---|---|
| १ | नवीन विहीर | | रु. २,५०,०००/- च्या मर्यादेत |
| २ | जुनी विहीर दुरूस्ती | | रु. ५०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ३ | इनवेल बोअरींग | | रु. २०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ४ | पंप संच | | रु. २०,०००/- च्या मर्यादेत |
| ५ | वीज जोडणी आकार | | रु. १०,०००./- च्या मर्यादेत |
| ६ | शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण | | रु. १,००,०००/- च्या मर्यादेत |
| ७ | सूक्ष्म सिंचन संच | अ) ठिबक सिंचन किंवा | रु. ५०,०००/- च्या मर्यादेत किंवा |
| | | ब) तुषार सिंचन | रु. २५,०००/-च्या मर्यादेत |

**४. लाभार्थी निवड करण्यासाठीचे निकष :--**

४.१ **जमीन धारणा :** ज्या शेतकऱ्याजवळ त्याच्या स्वत:च्या नावे ६.०० हेक्टर पेक्षा कमी किंवा ०.२० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल अशा शेतकऱ्यांची निवड करावी. जमीन धारणेसाठी ७/१२ व ८अ उतारा घेण्यात यावा. (नवीन विहिरीच्या लाभासाठी किमान ०.४० हे क्षेत्र आवश्यक)

४.२ **जातीबाबतचा दाखला :** लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) यादीमध्ये अनुसूचित जातीच्या/नवबौद्ध व्यक्तीचे नाव असेल त्याला ग्रामसेवक/तलाठी/गट विकास अधिकारी यांचे सहीचे कागदपत्र ग्राह्य धरले जातील. याच धर्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीसाठी ज्या योजना असतील त्या योजनेकरिता समाजकल्याण विभागाच्या दिनांक ७ जानेवारी, १९९७ चे परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे पुन्हा तहसिलदार यांच्या सहीचा जातीचा दाखला आवश्यक राहणार नाही.

४.३ **उत्पनाचा दाखला :** अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ज्या शेतकऱ्यांची जमीनधारणा ६ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन रुपये १,५०,०००/- पर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांना संबंधित तहसिलदार यांचेकडून उत्पनाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहील.

**५. लाभार्थीची निवड :-**

सदर योजनेंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज स्वीकारण्यात येतात. लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येते.

## डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

**६. नियतव्यय**

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव | सन २०२०-२१ मंजूर | सन २०२०-२१ खर्च | सन २०२१-२२ मंजूर कार्यक्रम | सन २०२२-२३ प्रस्तावित |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना | २६६४६.१९ | २६६४६.१९ | २७१८३.०६ | २९९०१.३७ |

## केंद्र पुरस्कृत कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान २०२०-२१

**१. योजनेचे संक्षिप्त स्वरूप** : राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा निर्माण करणे व अनुदानावर कृषी अवजारांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा करणे.

**२. योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये** : राज्यातील कृषी क्षेत्रातील ऊर्जा वापर वाढविणे. भाडे तत्त्वावर कृषी औजारांच्या सेवा-सुविधांसाठी केंद्रे स्थापित करणे. कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देण्याचे दृष्टीने शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे/औजारे खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.

**३. योजनेत मंजूर घटक** : १. शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे/अवजारे खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.

२. शेतकऱ्यांना भाडे तत्वावर कृषी अवजारांच्या सेवा-सुविधांसाठी कृषी औजारे बँक स्थापित करण्यासाठी अर्थसहाय्य.

सदर उपअभियानात केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के आर्थिक सहभाग आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांत नमूद केलेली अवजारे खरेदी करण्यासाठी लाभार्थींना अनुदान दिले जाते. सदर उपअभियानांतर्गत मंजूर घटकांसाठी अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | घटक | अनुदान मर्यादा |
|---|---|---|
| १ | शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे/अवजारे खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. | केंद्र शासनाने औजारे प्रकारनिहाय विहीत केलेल्या मर्यादेनुसार |
| २ | भाडे तत्त्वावर कृषी औजारांच्या सेवा-सुविधांसाठी केंद्रे स्थापन करणे. | |
| | १. रु. १०.०० लाखपर्यंत अवजारांच्या गुंतवणुकीचे केंद्रासाठी एकूण रकमेच्या ४० टक्के | रु. ४.०० लाखपर्यंत |
| | २. रु. २५.०० लाखपर्यंत अवजारांच्या गुंतवणुकीचे केंद्रासाठी एकूण रकमेच्या ४० टक्के | रु. १०.०० लाखपर्यंत |
| | ३. रु. ४०.०० लाखपर्यंत अवजारांच्या गुंतवणुकीचे केंद्रासाठी एकूण रकमेच्या ४० टक्के | रु. १६.०० लाखपर्यंत |
| | ४. रु. ६०.०० लाखपर्यंत अवजारांच्या गुंतवणुकीचे केंद्रासाठी एकूण रकमेच्या ४० टक्के | रु. २४.०० लाखपर्यंत |
| ३. | निवडक गावांमध्ये कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन (कृषि औजारे बँक) रु. ८.०० लाखापर्यंत | |
| ४. | उच्च तंत्रज्ञान व उच्च उत्पादनक्षम औजारांचा हब स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य रु. ४०.०० लाखापर्यंत | |

सन २०२१-२२ मध्ये रु. ५९.८६ कोटी निधी पुनर्जीवित करून केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच सन २०२१-२२ करिता रु. १५२४६.९३ लाख निधीचे वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे.

## राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम

राज्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तथापि, शेती कामासाठी मजूरांचा प्रश्न गंभीर आहे. सध्याचे मजूरीचे दर व त्यामुळे शेतीसाठी येणारा खर्च, मजूरांच्या अभावामुळे शेतीची कामे वेळेवर न होणे आणि प्रत्यक्ष शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यामुळे शेती व्यवसाय हा खडतर होत आहे.

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठाचा खर्च कमी करून उत्पादनामध्ये वाढ करावयाची झाल्यास पारंपारीक शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाद्वारे शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पेरणी, कापणी पश्चात प्रक्रिया यांत्रिकीकरणाद्वारे करणे गरजेचे आहे. यांत्रिकीकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे शक्य आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे यंत्र/अवजारे शेतकरी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदी करू शकत नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे आहे. केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येतो. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान व एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम या अंतर्गत सुद्धा अल्प प्रमाणात यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. तथापि, शेतकऱ्यांकडून असणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात या योजनांमधून शेतकऱ्यांना कृषी औजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. यापूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. तथापि, सद्यस्थितीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. त्यामुळे, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून फारसा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. तसेच, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमध्ये ट्रॅक्टर, ऊस कापणी यंत्र, पॉवर टिलर यासारख्या जास्त किंमतीच्या यंत्राना अनुदान अनुज्ञेय नाही. परंतु, सदर यंत्राची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे केंद्र शासन पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना प्रभावीपणे राबविण्यास मर्यादा आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून कृषी औजाराची करण्यात येत असलेली मागणी विचारात घेऊन राज्य शासनाची स्वतंत्र कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय सन २०१८-१९ पासून घेण्यात आला असून दरवर्षी किमान ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसारच करावयाची असून याअंतर्गत कृषी यंत्र औजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य आणि कृषी औजारे बँकेच्या स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य या घटकांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

सन २०१९-२० मध्ये सदर कार्यक्रमासाठी रु. ४०.०० कोटी आणि २०२०-२१ मध्ये रु. ३८.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. सन २०२१-२२ साठी रु. ९०.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

## वार्षिक योजना सन २०२२-२०२३ ची आखणी : योजनांसाठी नियतव्यय मागणी

(रक्कम रु. लाखात)

| अ. क्र. | योजनेचे नाव | केंद्र/राज्य हिस्सा | स्त्रोत | वर्गीकरण | लेखाशीर्ष | सन २०२०-२०२१ पुनर्जिवित अखर्चित निधी | सन २०२०-२०२१ प्राप्त २०१९-२०२० च्या मंजूर कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष प्राप्त निधी | सन २०२०-२०२१ एकूण उपलब्ध निधी | सन २०२०-२०२१ प्रत्यक्ष खर्च | सन २०२१-२०२२ पुनर्जिवित अखर्चित | सन २०२१-२०२२ प्रशासकीय मान्यता (पुनर्जिवित निधी निधीसह) | सन २०२१-२०२२ मार्च २०२२ अखेर अपेक्षित खर्च | सन २०२२-२०२३ आवश्यक नियतव्यय (मागणी) विदर्भ अपेक्षीत | मराठवाडा | उर्वरित महाराष्ट्र | अविभाज्य | एकूण (१४ ते १७) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १ | कृषी | | | सर्वसाधारण | २४०१-२५१३ | ६३८.१८० | ३१५७.२०० | ३७९५.३८० | ९५६.२९५ | २८३९.०८५ | ९१८७.२४५ | ६३४८.१६० | २५६४.२४६ | २०८८.३४६ | ५९९७.४०७ | .. | १०६५०.०० |
| | यांत्रिकीकरण | केंद्र | केंद्र | विघयो | **२४०१ बी १८८** | १८५२.२२० | ६००.००० | २४५२.२२० | १५८.५७० | २२९३.६५० | ४०९३.६५० | १८००.०० | ५७७.८५६ | ४७०.३११ | १३५१.५३२ | .. | २४००.०० |
| | उपअभियान | | शासन | टीएसपी | २४०१ अे४५९ | १११९.४१० | ३००.००० | १४१९.४१० | ५६५.०१९ | ८५४.३९१ | १८५४.३९१ | १०००.००० | ४६९.५११ | ३८२.३७८ | १०९८.१११ | .. | १९५०.०० |
| | | | | ओटीएसपी | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | एकूण | | **३६०९.८१०** | **४०५७.२००** | **७६६७.०१०** | **१६७९.८८४** | **५९८७.१२६** | **१५१३५.२८६** | **९१४८.१६०** | **३६११.६१४** | **२९४१.३३६** | **८४४७.०५१** | **..** | **१५०००.००** |
| | | | | सर्वसाधारण | २४०१-२५१३ | ४२५.४५३ | २१०४.८०० | २५३०.२५३ | ६३७.५२७ | १८९२.७२६ | ६१२४.८३० | ४२३२.१०७ | १७०९.४९८ | १३९२.२३२ | ३९९८.२७० | .. | ७१००.०० |
| | | | राज्य | विघयो | **२४०१ बी१९७** | १२३४.८१३ | .. | १२३४.८१३ | १०५.७१० | ११२९.१०३ | २७२९.१०० | १२००.००० | ३८५.२३३ | ३१३.७४४ | ९०१.०२३ | .. | १६००.०० |
| | | राज्य | स्तर | टीएसपी | २४०१ अे४४१ | ७४६.२७३ | २००.००० | ९४६.२७३ | ३७६.३४६ | ५६९.९२७ | १२३६.२६१ | ६६६.६६७ | ३१३.०११ | २५४.९२२ | ७३२.०६७ | .. | १३००.०० |
| | | | | ओटीएसपी | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | एकूण | | **२४०६.५४०** | **२३०४.८००** | **४७११.३४०** | **१११९.५८३** | **३५९१.७५७** | **१००९०.१९१** | **६०९८.७७३** | **२४०७.७४२** | **१९६०.८९८** | **५६३१.३६०** | **-** | **१००००.००** |
| | | | | सर्वसाधारण | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | विघयो | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | डीपीडीसी | टीएसपी | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | ओटीएसपी | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | एकूण | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | **एकूण राज्य हिस्सा** | | | | **२४०६.५४०** | **२३०४.८००** | **४७११.३४०** | **१११९.५८३** | **३५९१.७५७** | **१००९०.१९१** | **६०९८.७७३** | **२४०७.७४२** | **१९६०.८९८** | **५६३१.३६०** | **-** | **१००००.००** |
| | | **एकूण (केंद्र/राज्य हिस्सा)** | | | | **६०१६.३५०** | **६३६२.००** | **१२३७८.३५०** | **२७९९.४६७** | **९५७८.८८३** | **२५२२५.४७७** | **१५२४६.९३३** | **६०१९.३५६** | **४९०२.२३३** | **१४०७८.४११** | **-** | **२५०००.००** |
| **राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **राज्य स्तर** | | **सर्वसाधारण** | **२४०१ अे ९१३** | **..** | **३८००.०००** | **३८००.०००** | **..** | **३८००.००** | **१२८००.००** | **१२८००.०००** | **३६११.६२०** | **२९४१.३३८** | **८४४७.०४२** | **..** | **१५०००.००** |

## तक्ता क्रमांक १

## पैदासकार, पायाभूत व प्रमाणित बियाणे उत्पादन

(आकडे क्विंटलमध्ये)

| अ. क्र. | बियाण्याचा प्रकार | पीक | २०१८-२०१९ (प्रत्यक्ष) | २०१९-२०२० (प्रत्यक्ष) | २०२०-२०२१ (अंदाजित) | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | पैदासकार बियाणे | तृणधान्य | १.५९ | २.३७ | २.९६ | |
| | | कडधान्य | २५.०० | ७.५० | ८.२० | |
| | | तेलबिया | ०.१२ | ०.०९ | ०.१७ | |
| | | कपाशी | ०.७५ | १.०५ | ०.८५ | |
| | | एकूण | २७.४६ | ११.०१ | १२.१८ | |
| २. | पायाभूत बियाणे | तृणधान्य | १६३०८ | ११५२६ | १२९४६ | |
| | | कडधान्य | १६६२६ | १६२७२ | १८५९६ | |
| | | तेलबिया | ८७४६८ | ३१३२० | १४७०४ | |
| | | कपाशी | .. | ५३ | ६ | |
| | | ज्युट | ६७ | ७७ | ११९ | |
| | | एकूण | १२०४६९ | ५९२४८ | ४६३७१ | |
| ३. | प्रमाणित बियाणे | तृणधान्य | १६३२२२ | १६५०२४ | १४८९५६ | |
| | | कडधान्ये | १८४२३७ | १९८४०१ | २०८१८७ | |
| | | तेलबिया | ६९५४६४ | २८३२२९ | १७४८४७ | |
| | | कपाशी | ८९६ | ६३९ | २४२ | |
| | | ज्युट | १६४४ | ३९७ | ६५० | |
| | | हिरवळीची खते | ७८२१ | ७३४७ | ६५० | |
| | | चारा पिके | ११७६३ | १०२०० | ६१०५ | |
| | | एकूण | १०६५०४७ | ६६५२३७ | ५३९६३७ | |

## तक्ता क्रमांक २

## महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला यांची माहिती

(आकडे रु. लाख)

| अ. क्र. | वर्ष | प्रमाणित बियाणे उत्पादन (क्विंटल) | बिजोत्पादनाखालील क्षेत्र (हे.) | विक्रीची किंमत (रु. लाख) | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | २०१८-२०१९ | १०६५४७ | ८९९८४ | ५२१२३ | |
| २. | २०१९-२०२० | ६६५२३७ | ९०३९८ | ५२३७५ | |
| ३. | २०२०-२०२१ | ५३९६३७ | ९०६२९ | ३८२८६ | |

## तक्ता क्रमांक ३

## महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ अकोला, यांचेकडील भाग भांडवलापोटी खालीलप्रमाणे रकमा जमा

| अ. क्र. | वर्ष | रक्कम रुपये | शेरा |
|---|---|---|---|
| १. | २०१८-२०१९ | ४१८.४४ | |
| २. | २०१९-२०२० | ४१८.४४ | |
| ३. | २०२०-२०२१ | ४१८.४४ | |

## सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (SMSP) अंतर्गत बिज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवण केंद्र उभारणी (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)

**१. योजनेचा उद्देश व ठळक वैशिष्ट्ये :**

कृषी क्षेत्रामध्ये विविध पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर उच्चप्रतीचे गुणवत्तापूर्ण व जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींचे प्रमाणित/ सत्यप्रत, बियाणे उपलब्ध करुन देणे.

सदर योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून ५०० मेट्रीक टन क्षमतेच्या प्रत्येक बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्रासाठी रु. ६०.०० लाख किंवा प्रत्यक्ष उभारणीसाठी येणारा खर्च यापैकी जे कमी असेल तितके अर्थसहाय्य देय आहे. **अ.** मशिन किंमत (अंदाजे) - २४.०० लाख

**ब.** बांधकाम किंमत (अंदाजे) - ३६.०० लाख.

**२. योजनेचे स्वरुप - लाभार्थी पात्रता व निकष :**

**अ.** सदर बिज प्रक्रिया केंद्र विविध शेतकरी बियाणे उत्पादन संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपन्या (FPO), स्वयंसहाय्यता गट (SHG), अनधान्य उत्पादक संघ (CIG), सहकारी संस्था, राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेली संस्था यांचेमार्फत उभारणी केल्यास अर्थसहाय्य देय राहील.

**ब.** सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या संस्थेकडे संस्थेच्या नावाने स्वत:ची जमीन व आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

**३. वित्तीय आवश्यकता :** योजनेचे प्राप्त निधी व खर्च + सुधारित

| वर्ष | आर्थिक (रु. कोटी) | | भौतिक | |
|---|---|---|---|---|
| | प्राप्त निधी | खर्च | मंजूर प्रकल्प | प्रकल्प पूर्ण |
| २०१९-२०२० व २०२०-२१ | १६.९३ | ९.३३ | २१ | १६ |
| २०२१-२०२२ | १५.०० | .. | १० | .. |

## पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप )

**१. प्रास्ताविक :-** पावसाची अनियमितता, त्यामध्ये पडणारा खंड आणि त्यानुसार हवामानात होणारे चढ-उतार यामुळे पिकांवरील कीड आणि रोगांच्या वाढीकरिता विशिष्ट अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊन पिकांचे कीड-रोगांमुळे नुकसान होते. कीड रोगांपासून वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच सोयाबीन, कापूस, भात, तूर व हरभरा या पिकांखालील क्षेत्र व त्यांचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता राज्यात सन २००९-१० पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (राकृवियो) पीकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प राबविण्यात आला. प्रकल्पाची उपयुक्तता विचारात घेऊन सन २०१३-१४ पासून सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नियमित राज्य योजनेतून करण्यात येत आहे.

**२. उद्देश :-** १. शेतकऱ्यांमध्ये कीड-रोगांची ओळख निर्माण करणे, त्यांना प्रशिक्षित करून कीड-रोगांचे वेळीच व्यवस्थापन करणे.

२. कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावाबाबत जागरुकता निर्माण करणे व पुढील संभाव्य नुकसान टाळून उत्पादनात वाढ करणे.

३. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस या पिकांचे सर्वेक्षण करून प्रमुख कीड-रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने शेतकऱ्यांना वेळीच उपाययोजना सूचविणे.

४. कीड-रोग प्रादुर्भावित क्षेत्रासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत DBT तत्त्वावर पीक संरक्षण औषधे उपलब्ध करून देणे.

५. कीड-रोगांच्या आकस्मिक प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे.

६. वारंवार येणाऱ्या कीड रोगांबाबत सांख्यिकी माहिती संकलित करणे व कायम स्वरुपाच्या व्यवस्थापनाबाबत कृषि विद्यापीठांच्या सहाय्याने शिफारशी निश्चित करणे.

७. राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्र (भारतीय कृषी संशोधन परिषद), नवी दिल्ली, राज्यातील कृषी विद्यापीठे, राज्याचा कृषि विभाग, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर, केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र, हैद्राबाद, राष्ट्रीय वनस्पती आरोग्य व्यवस्थापन संस्था, हैद्राबाद; इत्यादी संस्थांच्या मदतीने सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस या पिकांवरील कीड रोगांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना उपाययोजना सुचविणे, कीड व्यवस्थापनाबाबतच्या शिफारशी तयार करणे आणि या अनुषंगाने कृषी खात्यातील कर्मचारी व शेतकरी यांना प्रशिक्षण देणे.

**३. प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र :- खरीप :** राज्यातील सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी व ऊस पिकांखालील संपूर्ण पेरणी क्षेत्र.

**रब्बी :-** कोकण विभाग वगळता राज्यातील हरभरा, रब्बी ज्वारी व मका पिकाखालील संपूर्ण पेरणी क्षेत्र.

**नियतव्यय :** रक्कम रु. लाखात

| सन २०२०-२१ | | | सन २०२१-२२ | सन २०२२-२३ |
|---|---|---|---|---|
| मंजूर तरतूद | प्राप्त निधी | प्रत्यक्ष खर्च | मंजूर तरतूद | प्रस्तावित तरतूद |
| ५०००.०० | १६५०.०० | १३५०.६० | ५५००.०० | ३०००.०० |

**४. प्रमुख बाबी :-** (१) कीडींचे सर्वेक्षण, व्यवस्थापन व सल्ला पध्दती-
(२) शेतकऱ्यांमध्ये कीडरोगाबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
(३) आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कीटकनाशकांचा पुरवठा करणे.

**५. सहभागी संस्था**

(१) कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
(२) राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्र, नवी दिल्ली
(३) केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर
(४) केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र, हैद्राबाद
(५) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
(६) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
(७) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
(८) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली
(९) राष्ट्रीय वनस्पती आरोग्य व्यवस्थापन संस्था, हैद्राबाद
(१०) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी), मुंबई

**६. योजनेचे कार्यक्षेत्र व सर्वेक्षणासाठीच्या प्रमुख किडी व रोग :-** राज्यातील सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस पिकाखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर होणारा कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणणे.

| अ. क्र. | पीकाचे नाव | क्षेत्र (लाख हे.) | प्रमुख कीडी व रोग |
|---|---|---|---|
| १ | सोयाबीन | ४६.०० | तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी, हेलिकोव्हर्पा उंट अळी, खोड माशी व चक्री भुंगा, |
| २ | कापूस | ३९.४१ | तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी, तुडतुडे, फुलकिडे व पांढरी माशी, शेंदरी बोंडअळी, ठिपक्याची व अमेरिकन बोंडअळी, |
| ३ | भात | १५.४५ | खोड किडा, गादमाशी, लष्करी अळी, तुडतुडे, निळे भुंगेरे, करपा, जीवाणूजन्य करपा व तपकिरी ठीपके |
| ४ | तूर | १३.२४ | शेंगा पोखरणारी अळी, शेंगमाशी, पाने व फुले गुंडाळणारी अळी |
| ५ | हरभरा | २१.४७ | घाटे अळी व मर रोग |
| ६ | मका | १०.९४ | अमेरिकन लष्करी अळी |
| ७ | ज्वारी | १५.०९ | अमेरिकन लष्करी अळी |
| ८ | ऊस | १२.३२ | हुमणी व अमेरीकन लष्करी अळी |
| | **एकूण** | **१७३.९२** | |

## जैविक कीडनियंत्रक प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण कार्यक्रम २०२१-२०२२

राज्यात एकूण दहा जैविक कीडनियंत्रण प्रयोगशाळा आहेत. सदर प्रयोगशाळेमध्ये जैविक खते व जैविक कीडनाशकांचे उत्पादन करून शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात येत आहे. सदर प्रयोगशाळा औरंगाबाद, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, धुळे, जळगांव, परभणी, नांदेड व अहमदनगर या ठिकाणी कार्यरत आहेत. सदर प्रयोगशाळेत वर्षनिहाय खालीलप्रमाणे जैविक घटकांचे उत्पादन केले जाते. सन २०१६-१७ पासून प्रयोगशाळांमध्ये द्रवरुप जैविक खतांचेदेखील उत्पादन सुरु करण्यात आले आहे.

| अ.क्र. | घटक/युनिट | युनिट | जैविक घटक उत्पादन (किलो) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ |
| १ | ट्रायकोडर्मा | किलो | १२०८९९.०० | .. | .. | .. | २६९८ |
| २ | बिव्हेरिया | किलो | २६३४८.०० | ३४५७० | .. | ७९३५ | .. |
| ३ | व्हर्टिसिलीयम | किलो | २६२१४.०० | ४४१४७ | ८८१२ | १२०११ | .. |
| ४ | सुडोमोनास | किलो | १०००.०० | .. | .. | .. | .. |
| | | एकूण | १७४४६१.०० | ७८७१७ | ८८१२ | १९९४६ | २६९८ |
| महसूल जमा (रु. लाख) | | | १६३.१३ | १०१.६३ | १३.३९ | २५.०० | ०.४० |

***द्रवरूप जैविक खते उत्पादन -**

**सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ मधील तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-**

| अ.क्र. | जैविक खत उत्पादन (लिटर) | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | रायझोबियम | ३१९०२ | ८८२२.४ | २१०५ | ५७८४.४० | ३४ | ४०८७ |
| २. | ॲझोटोबॅक्टर | २१३६३ | ५४२९.३५ | ३०१२.२५ | १७७५.८० | १२० | २३९ |
| ३. | ऑसिटोबॅक्टर | २६४४ | ९७०.०० | १००३ | १९७०.०० | .. | ६८० |
| ४. | पीएसबी | ३४४२२ | १२०६४.०० | ५४४८ | ७९४५.५ | ५३६ | ७८६ |
| ५. | द्रवरुप जिवाणू संघ | ८३६७४ | ९८८८६.०० | १३३५७१ | ११७४८६.५० | ६६४६५ | ८१६६२ |
| ६. | के.एम.बी. | .. | ४००.०० | १०१९ | .. | .. | .. |
| | **एकूण** | **१७४००५** | **१२६५७१.७५** | **१४६१५८.२५** | **१३४९६२.२०** | **६७१५५** | **८७४५४** |
| | **महसूल जमा (रु. लाख)** | **४२५.००** | **६०९.७२** | **४८७.१४** | **१७२.६५** | **५३५.६३** | **१५२.७९** |

## राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा बळकट करणे

## (बीज परीक्षण, खत नियंत्रण, कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा व कीडनाशक उर्वरित अंश चाचणी प्रयोगशाळा)

**योजनेची माहिती व उद्देश -** महाराष्ट्र राज्याचे कृषी विभागात बीज परीक्षण, खत नियंत्रण व कीटकनाशकांच्या एकूण १२ प्रयोगशाळा आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

**बीज परीक्षण प्रयोगशाळा -** महाराष्ट्र राज्यात पुणे, परभणी व नागपूर येथे अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळांची ५३००० बियाण्याचे नमुने तपासण्याची वार्षिक क्षमता आहे. या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये बियाणे अधिनियम, १९६६ व बियाणे नियम, १९६८ अन्वये गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी घेतलेले व बीज प्रमाणिकरणासाठी उत्पादकांनी पाठविलेले खाजगी नमुने तपासले जातात.

**खत नियंत्रण प्रयोगशाळा -** महाराष्ट्र राज्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व कोल्हापूर येथे खत नियंत्रण प्रयोगशाळा आहेत. यांची नमुने तपासण्याची वार्षिक क्षमता एकूण २२,००० नमुने आहे. या सर्व प्रयोगशाळेमधून खत (नियंत्रण) आदेश १९८५ अन्वये गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी घेतलेले तसेच शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या खत नमुन्यांची तपासणी केली जाते. सर्व खत नियंत्रण प्रयोगशाळेत जैविक खत परीक्षणाची सोय निर्माण करण्यात आली असून या प्रयोगशाळेत जैविक खतांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केले जाते. तसेच सर्व खत चाचणी प्रयोगशाळेत सूक्ष्म मूलद्रव्य तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

**कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा -** महाराष्ट्र राज्यात पुणे , ठाणे , औरंगाबाद व अमरावती येथे कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची एकूण ८००० नमुने तपासण्याची वार्षिक क्षमता आहे. या प्रयोगशाळेमधून कीटकनाशक अधिनियम १९६८ अन्वये गुणवत्ता नियंत्रण निरिक्षकांनी घेतलेले तसेच मोहिमे अंतर्गत घेतलेले कीटकनाशकांचे नमुने तपासले जातात.

प्रयोगशाळांसाठी अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यात आल्यामुळे प्राप्त होणारे नमुने ३० दिवसाचे आत तपासणे शक्य झाल्यामुळे नमुने कालबाह्य होण्याचे प्रमाणात लक्षणीय घट झालेली आहे.

## कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळेची बळकटीकरण करणे

**४. योजनेची माहिती व उद्दिष्ट :-** आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाची निर्यात करण्यासाठी कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, मालाची साठवण योग्यप्रकारे करण्याकरिता तसेच पॅकींग, ग्रेडिंग, वाहतूक इ. साठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे. या बाबी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची मूल्यवृध्दी होण्यासाठी गरजेच्या आहेत. याकरिता पुणे व नागपूर येथे कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या. परदेशात कीडनाशक उर्वरित अंश विरहित अथवा सहनशक्ती कमाल मर्यादेच्या आत असलेल्या शेतमालाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतीमाल पाठविण्यापूर्वी कीडनाशक उर्वरित अंशाची तपासणी करून त्याची गुणवत्ता तपासल्यास शेतकरी व निर्यातदारांना त्याचा निश्चित फायदा होतो.

प्रयोगशाळेत अद्ययावत उपकरणांमुळे एका नमुन्यातून १४७ कीटकनाशकांचे उर्वरित अंश तपासणी केली जात आहे.

सन २०२१-२२ साठी राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण व किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा बळकटीकरणाकरिता राकृवियो अंतर्गत कार्यक्रम मंजूर नाही. सदर प्रयोगशाळांसाठी लेखाशिर्ष २४०१-०३०५ योजनेत्तर योजनेंतर्गत मंजूर तरतूद व प्राप्त अनुदान खालीलप्रमाणे :--

| आर्थिक तरतूद | पूरक मागणी | प्रशासकीय मान्यता | प्राप्त अनुदान |
|---|---|---|---|
| रु. २६३६.१३ लाख | – | रु. २६३६.१३ लाख | रु. १९६६.५४ लाख (डिसेंबर-२०२१ अखेर) |

## मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी योजना

राज्यामध्ये १९५७ मध्ये पुणे येथे व सन १९५९ मध्ये नागपूर येथे मृद चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली. शासन निर्णय क्र. आकृती/१२९८/ प्रक्र.६१/१५अे, दिनांक २९/५/१९९८ आदेशान्वये कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेनुसार मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी योजनेचे एकत्रीकरण करण्यात आलेले असून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक अशा एकूण ३१ मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळा कार्यान्वित आहेत. जिल्हा स्तरावरील मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी योजनेचे काम जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी यांचेकडे देण्यात आलेले असून विभागीयस्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक यांचे नियंत्रण आहे. आयुक्तालयस्तरावर कृषी उपसंचालक मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी यांचे तांत्रिक नियंत्रण आहे. सदरची योजना कृषी संचालक (निवगुनि) यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे. योजनानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे.

### (अ) मृद चाचणी योजना

**उद्देश-** मृद चाचणी योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मृद नमुन्यांचे पृथःकरण करून प्रमुख पीक अन्नद्रव्यांचे प्रमाण निश्चित करणे व त्याचे आधारे निरनिराळ्या पिकाकरिता खताच्या शिफारशी देणे तसेच जमिनीत काही विशेष दोष आढळून आल्यास ते शेतकऱ्यांच्या नजरेस आणून त्यावर योग्य ती उपाययोजना सुचविणे.

शासनाचे नवीन धोरणानुसार सन २०१४-१५ पासून शेतकऱ्यांच्या मृद नमुन्याची तपासणी नत्र, स्फूरद, पालाश, सामु व क्षारता या गुणधर्मासाठी प्रती नमुना रु. ३५/- प्रमाणे शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मृद नमुन्यांच्या महत्त्वाच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मासाठी सखोल तपासणी करण्याची सोय प्रती नमुना रु. २७५/- प्रमाणे शुल्काची आकारणी करण्यात येत आहे. जमिनीत आढळून आलेल्या अन्नद्रव्याच्या प्रमाणानुसार कृषी विद्यापीठाने केलेल्या शिफारसीमध्ये सहास्तरीय पध्दतीनुसार योग्य तो बदल करून पिकांचे उत्पादन मिळण्यासाठी खताची शिफारशी देण्यात येतात. जमिनीची सुपीकता कायम ठेवून भरघोस पीक उत्पादनासाठी खताचा समतोल वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अलिकडील काळामध्ये बागायती पिके तसेच फळबाग पिकांच्या उत्पादनामध्ये सूक्ष्म मूलद्रव्यांना सुध्दा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तेव्हा जस्त,लोह, तांबे व मंगल या चार सूक्ष्म मूलद्रव्यांसाठी मृद नमुन्यांची तपासणी प्रती नमुना रु. २००/- या प्रमाणे शुल्क आकारणी करून घेण्यात येते. (कोणत्याही एका घटकात रु. १००/-) राज्यातील ३१ मृद चाचणी प्रयोगशाळेत सूक्ष्म मूलद्रव्ये तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सिंचनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याची प्रत शेतकऱ्यास माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने पाणी नमुन्याचा आम्ल-विम्ल निर्देशांक, एकूण विद्राव्य क्षारांचे प्रमाण व प्रकार इ. गुणधर्मासाठी प्रती नमुना रु. ५०/- प्रमाणे शुल्क आकारणी करून सर्व प्रयोगशाळेत तपासण्याची सोय करण्यात आलेली आहे.

### राज्यातील योजनेतर योजना :-- अ मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षा मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा योजना

या योजनेंतर्गत प्रयोग शाळेच्या दैनंदिन खर्चासाठी, सर्वेक्षणासाठी तसेच प्रयोग शाळेकडील कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते, प्रयोगशाळांचे भाडे व कर इतर आकस्मिक खर्चासाठी राज्याकडून योजनेतर योजना मृद सर्वेक्षण आणि अन्विक्षा यातून अनुदान उपलब्ध होते. बाबी खालीलप्रमाणे.

(१) ०१ - वेतन
(२) ०२ - मजुरी
(३) ०३ - अतिकालीक भत्ता
(४) ०६ - दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क
(५) ११ - देशातंर्गत प्रवास खर्च
(६) १३ - कार्यालयीन खर्च
(७) १४ - भाडेपट्टी व कर
(८) १६ - प्रकाशने
(९) २१ - सामुग्री व पुरवठा
(१०) २७ - लहान बांधकामे
(११) ५१ - मोटार वाहने

(रक्कम रुपये लाख)

| अ. क्र. | योजनेचे नाव | प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२० | प्रत्यक्ष खर्च २०२०-२१ | मंजूर तरतूद २०२१-२२ | प्रस्तावित २०२२-२३ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | (००) १०१, मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी, (००)(०२) मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण प्रयोगशाळा, दत्तमत (२४०२ ००३२) (योजनेत्तर) | २९२६.१२ | २९२८.४६ | २९२८.४६ | ३२८१.४९ |
| २ | कृषी उनती योजना-मृदा आरोग्य पत्रिका (कें.पु.) ६०:४० टक्के केंद्र व राज्य (२४०२अे०४१) (२४०२अे०५९) | १४२४.४७ | ७२३.४१ | १३३३.०० | ३७१३.४० |
| ३ | मृद आरोग्य व्यवस्थापन (उपअभियान) ६०:४० टक्के केंद्र व राज्य (२४०२ १०४६) (२४०२ - अे ०१२) | .. | १५०.०० | ५००.०० | ५००.०० |

**(ब) जमीन आरोग्यपत्रिका योजना :-**

**जमीन आरोग्यपत्रिका अभियान :-** महाराष्ट्र शासनाने मृद चाचणीचे महत्त्व लक्षात घेवून जमिनीची आरोग्यपत्रिका शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे ही संकल्पना राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या दिले जाणारे मृद पृथ:करण अहवाल एका हंगामापुरती माती तपासणी करून पुढील पीकासाठी खतांच्या शिफारशी देण्यापुरत्या मर्यादित आहेत. सन २०१५-१६ ते २०१६-१७ या दोन वर्षामध्ये राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेत मातीची बागायत क्षेत्र २.५ हे. व जिरायत क्षेत्रासाठी १०.०० हे. क्षेत्रामधून प्रत्येकी एक मृद नमुना काढण्यात येणार असून त्याचे विश्लेषण करून त्या क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्यपत्रिका वाटप करण्यात येऊन खत वापराविषयी, व जमिनीचे आरोग्य टिकवणे विषयी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ पासून त्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना कार्यरत आहे. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची उपलब्धतेचे प्रमाण ६० : ४०% असे आहे.

राज्यामध्ये मृद चाचणी तपासणीसाठी शासकीय ३१ व योजनंतर्गत समाविष्ट असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय २२४ अशा एकूण २५५ मृद चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. सदर प्रयोगशाळांची मृद नमुने तपासणीची वार्षिक क्षमता २२.५० लाख आहे.

सन २०१५-१६ व २०१६-१७ (1st Cycle) मध्ये एकूण देण्यात आलेल्या २३.४७ लाख उद्दीष्टांनुसार २७.२२ लाख मृद नमुन्यांची तपासणी करुन एकूण १३१.४५ लाख शेतकऱ्यांना जमिनी आरोग्यपत्रिकेचे वितरण करण्यात आलेले आहे.

मृद आरोग्यपत्रिका योजनेची (2nd Cycle) (सन २०१७-१८ व २०१८-१९) चे काम माहे एप्रिल २०१७ पासून सुरु झाले असून (2nd Cycle) मधील एकूण देण्यात आलेल्या उद्दिष्ट - २८.५२ लाख, त्यापैकी काढण्यात आलेले मृद नमुने २७.८२ लाख, एकूण जमीन आरोग्यपत्रिकाचे उद्दिष्ट १३०.९८ लाख असून त्यापैकी १३०.५३ लाख जमीन आरोग्य पत्रिका शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या आहेत.

**जमीन आरोग्य पत्रिका (पथदर्शी प्रकल्प) २०१९-२० :-** सन २०१९-२० पासून जमीन आरोग्यपत्रिका (पथदर्शी प्रकल्प) योजने अंतर्गत राज्यातील ३५१ तालुक्यामध्ये प्रत्येकी एक गाव याप्रमाणे ३५१ गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्या गावामधील शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीतील २.०७ लाख मृद नमुने काढण्याचे व तपासणीचे उद्दिष्टे होते. २५ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत २.०१ लाख मृद नमुने तपासणी करून २.०१ जमीन आरोग्यपत्रिकेचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले. निवडलेल्या गावात प्रति गाव ५० हे. याप्रमाणे एकूण १५,२७८ हे. वर जमीन आरोग्य पत्रिके आधारीत पीक प्रात्याक्षिकांचे व प्रति गाव एक शेतकरी मेळावा याप्रमाणे ३३४ मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले.

**जमीन आरोग्य पत्रिका (पथदर्शी प्रकल्प) २०२०-२१ :-** केंद्र शासनाने २०२०-२१ मध्ये कोविड १९ मुळे माती नमुने काढणे, तपासणे व जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण करणेही बाब स्थगित केली आहे. सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार योजनेत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये १० गावांची निवड करून प्रति गाव १ प्रशिक्षण, १ प्रात्याक्षिक अशा एकूण ३५०९ प्रशिक्षण व प्रात्याक्षिक आयोजन करण्यात आले.

**भूमी पोषण अभियान सन २०२१-२२ :-** सन २०२१-२२ करिता जमीन आरोग्यपत्रिका व जमीन आरोग्य व्यवस्थापन या योजना एकत्रितपणे "भूमी पोषण अभियान" या नावाने राबविणे केंद्र शासनाकडून प्रस्तावित आहे. सदर अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ करिता यासाठी केंद्र शासनाकडे रक्कम रुपये ३८६.३६ लाख इतका वार्षिक कृति आराखडा सादर करण्यात आलेला आहे.

**(क) मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना :-**

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि खताचा संतुलित वापर या पीक उत्पादन वाढीच्या प्रमुख सूत्राच्या वापरास प्रोत्साहन देणेच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय जमिनीचे आरोग्य व सुपीकता व्यवस्थापन प्रकल्प हा कार्यक्रम सन २००८-०९ या वर्षापासून देशात व राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. सदरचा उपक्रम पूर्ण झाला असून त्यातील काही बाबींच्या अंतर्भावासह सन २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत जमीन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यातील बाबी खालीलप्रमाणे सदर घटकांसाठी केंद्र व राज्य निधी उपलब्धतेचे प्रमाण ६० : ४०% असे आहे.

(१) मृद चाचणीची सुविधा निर्माण करण्यासाठी फिरत्या तसेच स्थायी स्वरुपाच्या मृद चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना करणे.

(२) शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण.

(३) एकात्मिक अनद्रव्य व्यवस्थापन आणि खताचा संतुलित वापरावर आधारित शेतकरी प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.

(४) एकात्मिक अनद्रव्य व्यवस्थापन आणि खताचा संतुलित वापरावर आधारित अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आयोजन करणे.

(५) एकात्मिक अनद्रव्य व्यवस्थापन आणि खताचा संतुलित वापरावर आधारित पीक प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे.

(६) खत नियंत्रण प्रयोगशाळांची स्थापना करणे.

सन २०१७-१८ मध्ये योजनेसाठी केंद्र हिस्सा रु. ७२०.०० लाख व राज्य हिस्सा रु. ४८०.०० लाख अशी एकूण रु. १२००.०० लाख रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. यामध्ये स्थायी मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणी, मिनी लॅब उभारणी तसेच शासकीय मृद व खत चाचणी प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण करणे इ. बाबींचा समावेश करण्यात आलेला होता. सन २०१८-१९ मध्ये या योजने अंतर्गत शासकीय मृद व खत चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे या घटकासाठी केंद्र हिस्सा रु. ४६५.१२ लाख व राज्य हिस्सा रु. ३१०.०८ लाख एकूण रुपये ७७५.२० लाख चा कार्यक्रम मंजूर करणेत आला आहे.

**(ड) इतर कार्ये :-**

सन २०१९-२० मध्ये योजने अंतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या शिफारशीनुसार सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खते, जैविक खते व भूसूधारक यांचा वाटप व शेतकरी मेळावा या घटकांसाठी केंद्र शासनाने रक्कम रुपये १४२४.४७ लाख तरतूद केली होती. तसेच २०२०-२१ मध्ये योजने अंतर्गत राज्यातील प्रयेक तालुक्यामध्ये १० गावांची निवड करून अशा एकूण ३५१० गावांची निवड करून प्रति गाव एक शेतकरी प्रशिक्षण व पीक प्रात्यक्षिक या घटकाकरिता रक्कम रुपये ९४८.७५ लाखाचा वार्षिक कृति आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.

**(अ) प्रमुख अन्नद्रव्याचा तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय सुपीकता निर्देशांक व सुपीकता पातळी तयार करणे**

जिल्हा मृद सर्वेक्षण आणि मृद चाचणी प्रयोगशाळेमार्फत तसेच जिल्ह्यातील खाजगी मृद चाचणी प्रयोगशाळांमार्फत त्या वर्षामध्ये तपासण्यात आलेल्या मृद नमुन्यांवर आधारित तालुक्याचा तसेच जिल्ह्याचा सुपीकता निर्देशांक व सुपीकता पातळी तयार करण्यात येते. या सुपीकता निर्देशांकांचा उपयोग जिल्ह्यातील प्रमुख पीकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या खताची मात्रा निश्चित करण्यासाठी तसेच तालुका, जिल्हास्तरावर तसेच राज्यस्तरावर आवश्यक असणाऱ्या सेंद्रिय, रासायनिक आणि जैविक खताचे नियोजन करण्यासाठी तसेच त्यानुसार खत पुरवठ्याचे धोरण ठरविण्यासाठी उपयोगात आणले जाते.

**(ब) सूक्ष्म मूलद्रव्यांची जिल्हानिहाय कमतरता पातळी निश्चित करणे**

राज्यातील सर्व म्हणजेच ३१ मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये तसेच काही खाजगी मृद चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये मृद नमुन्यातील जस्त, लोह, तांबे आणि मंगल या सूक्ष्म मूलद्रव्याची पातळी तपासण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. त्या वर्षामध्ये प्रयोगशाळांमार्फत तपासणी करण्यात आलेल्या मृद नमुन्यांवर आधारित सूक्ष्म मूलद्रव्यांची जिल्हानिहाय कमतरता पातळी निश्चित करण्यात येते. सदर कमतरता पातळीचा उपयोग सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा वापर करणेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा पुरवठा हा तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावरुन नियोजन करण्यासाठी व खत पुरवठ्याचे धोरण ठरविण्यासाठी करण्यात येते.

---

## (२) प्रगती अहवाल

**विभागवार मृद व जल नमुने तपासणी अहवाल माहे मार्च २०२१ जिमृसमृचा. प्रयोगशाळांचा १ एप्रिल, २०२० पासूनचा प्रगतीदायक अहवाल**

| अ. क्र. | जिल्हे | सर्वसाधारण मृद नमुने | | | सूक्ष्म मुलद्रव्ये नमुने | | | विशेष नमुने | | | पाणी नमुने | | | जमा महसूल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | आवक | तपासलेले | लक्ष्य | आवक | तपासलेले | लक्ष्य | आवक | तपासलेले | लक्ष्य | आवक | तपासलेले | रुपये लाखात |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| एकूण राज्य | ३४ | २००००० | ४२२१५ | ३१७१८ | २०००० | १०४७७ | ९५६५ | २०००० | १०५९७ | १०४६४ | २०००० | ४५४१ | ४५६१ | ५३.६१ |

(सर्वसाधारण मृद नमुने सूक्ष्म मुलद्रव्ये नमुने लक्ष सारखे आहे. )

## राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती)

परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. सदर योजना गट आधारित असून एका गटात ५० शेतकऱ्यांचे ५० एकर क्षेत्र घेण्यात येते. प्रथम वर्षी निवड केलेल्या गटाला सलग तीन वर्षापर्यंत लाभ देण्यात येतो.

**योजनेचे उद्देश :-** शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करून त्याचा पुरवठा करणे व त्याप्रमाणे त्यांना प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने (पीजीएस-इंडिया) प्रमाणिकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, पॅकींग, लेबलींग, ब्रँडींग करणे, विक्री व्यवस्थापन करणे हे योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत.

**योजनेची सद्यस्थिती :-** योजनेअंतर्गत वर्षनिहाय प्रगती पुढीलप्रमाणे आहे.

| वर्ष | गट संख्या | लाभार्थी संख्या | क्षेत्र हेक्टर |
|---|---|---|---|
| २०१६-१७ | ९३२ | ४०७६२ | २०३४६ |
| २०१७-१८ | ३२६ | ११८०३ | ७१६० |
| २०२०-२१ | ३५० | ७३४१ | ७००० |
| २०२०-२१ | २० | ५६५ | ४०० |
| **एकूण** | **१६२८** | **६०४७१** | **३४९०६** |

*** सेंद्रिय प्रमाणिकरण :** राज्यात पीजीएस-इंडिया अंतर्गत १.६५ लाख हेक्टर व राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती प्रकल्पांतर्गत ३.७२ लाख हेक्टर असे एकूण ५.३७ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय प्रमाणिकरणाचे आहे.

* जैविक खेती पोर्टलवर ३९.२६७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

**सन २०२१-२२ या वर्षाचे परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत घटकनिहाय नियोजन :**

| अ.क्र. | घटकाचे नाव | योजनेचे वर्ष | गट (संख्या) | आर्थिक कार्यक्रम (रु. लाख) केंद्र हिस्सा (६० टक्के) | राज्यहिस्सा (४० टक्के) | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | परंपरागत कृषी विकास योजना | तिसरे वर्ष | ९३२ गट | ४.०० | २.६६ | ६.६६ |
| २. | परंपरागत कृषी विकास योजना | तिसरे वर्ष | ३२६ गट | १८६.७९ | १२४.५३ | ३११.३२ |
| ३. | परंपरागत कृषी विकास योजना | पहिले/दुसरे वर्ष | ३५० गट | ३४१.८६ | २२७.९० | ५६९.७६ |
| ४. | परंपरागत कृषी विकास योजना (आकांक्षित जिल्हे) | पहिले/दुसरे वर्ष | २० गट | ६३.३६ | ४२.२० | १०५.५४ |
| | **एकूण** | – | – | **५९६.०१** | **३९७.२९** | **९९३.३०** |

## डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन ही १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना गट आधारित असून एका गटात ५० शेतकऱ्यांचे ५० एकर क्षेत्र घेण्यात येते. प्रथम वर्षी निवड केलेल्या गटाला सलग तीन वर्षांपर्यंत लाभ देण्यात येतो. सदर योजना प्रथम टप्प्यात विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त/नैराश्यग्रस्त अशा बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

**योजनेचे घटक :** शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करून त्याचा पुरवठा करणे, सनियंत्रण पद्धती, दिर्घ मुदतीचे प्रशिक्षण, गट मार्गदर्शक पद्धती, तृतीय पक्ष प्रमाणिकरण, सेंद्रिय मालाचे समूह स्वरुपातील बाजार व विक्री व्यवस्थापन, शेतकरी उत्पादक कंपनी संकल्पना, प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया उद्योग उभारणी, निर्गमन व्यवस्था इत्यादी मुख्य घटक आहेत.

**योजनेची सद्यस्थिती :** योजने अंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये ३५५ गट निवडण्यात आले असून सन २०२१-२२ मध्ये नवीन ४५ गटांची निवड करण्यात येणार आहे.

**सन २०२१-२२ मधील योजनेचा भौतिक व आर्थिक कार्यक्रम :**

| अ.क्र. | घटक | गट संख्या | आर्थिक कार्यक्रम (रु. लाखात) |
|---|---|---|---|
| १. | डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (दुसरे वर्ष) | ३५५ | १०००.०० |
| २. | डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (पहिले वर्ष) | ४५ | |
| | **एकूण** | **४००** | **१०००.००** |

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सन २००७ पासून एक विशेष अतिरिक्त केंद्र सहाय्य योजना म्हणून कार्यान्वत करण्यात आली. यात राज्यांना त्यांचा एकात्मिक कृषी विकास साधनाकरीता कृषी व कृषी संलग्न विभाग निवडण्याची तसेच सदर विभागांची जिल्हा व राज्याचे नियोजन करतांना समावेश करण्याची मुभा देण्यात आली.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजना मध्ये यशस्वीपणे राबविण्यात आली आहे. यात विविध प्रकारचे प्रकल्प राबविण्यात आले. यात प्रामुख्याने पीक उत्पादन, फलोत्पादन, कृषि यांत्रिकीकरण, नैसर्गिक साधन संप्पती, बाजार व्यवस्थापन तसेच काढणी पश्चात व्यवस्थापन, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवस्थापन, मत्स्यव्यवस्थापन, विस्तार इत्यादी विभागाचे प्रकल्प राबविण्यात आले. सन २००७-०८ ते २०१३-१४ पर्यंत अतिरीक्त केंद्र साह्यातील योजना म्हणून राबविण्यात आली. त्यानंतर सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना १०० टक्के अर्थ सहाय्यातील योजना म्हणून राबविण्यात आली. त्यानंतर सन २०१५-१६ पासून ६०:४० केंद्र : राज्य याप्रमाणे अर्थ साहाय्याने राबविण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ पासून सर्वसाधारण, अ. जाती आणि अ. जमाती या प्रवर्गाच्या प्रमाणात निधी प्राप्त होत आहे.

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये योजना राबवितांना किंवा राबविल्याने राज्याकडून आलेले अनुभव किंवा इतर यंत्रणांना आलेले अनुभव व त्याप्रमाणे योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरीता सूचना प्राप्त झाल्या. त्याप्रमाणे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरिता व पुनर्ज्जीवन करण्याकरीता सुधारित कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला व त्याप्रमाणे १४ व्या वित्त आयोगात त्याप्रमाणे योजना सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ पर्यंत राबविण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार केंद्र शासनामार्फत देण्यात आल्या आहेत.

**योजनेची ठळक उद्दीष्टे**

१. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास शेतकऱ्यांना अधिक स्वावलंबी बनविणे, शेतकऱ्यांना विकास करतांना जोखीम घेणे आणि कृषिला व्यवसायाभिमुख बनविणे हा मुख्य उद्देश आहे.

२. शेतकऱ्यांना काढणी पूर्व व काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देणे जेणेकरुन साठवणूक सुविधामध्ये वाढ होणे व उत्तम प्रतिचा माल उत्पादन होणे व विक्री करीता बाजार उपलब्ध करुन देणे.

३. राज्यांना नियोजन प्रक्रियेत कृषि व कृषि संलग्न विभागाचे प्रकल्प राबविण्यामध्ये पुरेसी स्वायत्तता व लवचिकता प्रदान करणे.

४. राज्यांना अधिक निधी पुरवून कृषि व कृषि संलग्न विभागात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे व उत्पादन ते विक्री व्यवस्थापनात प्रोत्साहन देणे.

५. शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे उत्पन वाढविण्यास मदत करणे यात एकात्मीक शेती व्यवस्थापनाद्वारे मशरुम उत्पादन, मधुमक्षीका पालन, सुवासिक वनस्पती लागवड, पुष्प लागवड यात उच्च तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यास प्रोत्साहीत करणे.

६. राष्ट्रीय पातळीवरील प्राधान्य क्रमवारीत असलेले प्रकल्प प्राधान्याने विशेष योजनेच्या माध्यमातून राबविणे.

७. राज्यातील युवकांना कुशल प्रशिक्षणाद्वारे नाविन्यपूर्ण आणि कृषी व्यवसायभिमुख आधार घेऊन कृषी व्यवस्थापन मॉडेल तयार करणे व त्याद्वारे युवकांना कृषिकडे आकर्षित करणे व बळ देणे.

## केंद्र शासनाच्या सुधारिक सूचनेप्रमाणे निधी वाटपाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

| अ. क्र. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार निधी वितरण तपशील | टक्केवारी |
|---|---|---|
| १. | नियमीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना एकंदर | ७० |
| | **अ.** पायाभूत सुविधा | ५० |
| | १ काढणीपूर्व पायाभूत सुविधा | २० |
| | २ काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा | ३० |
| | ३ सर्वसाधारण पायाभूत सुविधा | ५० |
| | **ब.** मुल्यवृद्धी उत्पादनवाढ प्रकल्प (पीपीपी आयएडी) (कृषि व्यवसाय) | ३० |
| | **क.** लवचीक निधी (उत्पादन वृद्धी) | २० |
| | **एकूण (अ+ब+क)** | **७०** |
| २. | विशेष योजना - (केंद्र शासन स्तर) | २० |
| ३. | नाविन्य पूर्ण व कृषी व्यवसाय वृद्धी प्रकल्प (केंद्र शासन स्तर) | १० |
| | **एकूण (१+२+३)** | **१००** |

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमध्ये प्रथम प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वकष जिल्हा कृषी आराखडा तयार करुन अनुषंगाने राज्य कृषी आराखडा तयार केलेला आहे. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत यामध्ये Infrastructure Development Plan समावेश करण्यात आलेला आहे. सदरहू आराखडा तयार करताना केवळ शेतीचा विचार न करता शेतीसह पशुसंवर्धन, मस्त्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, लघु पाटबंधारे, जलसंधारण व सहकार विभाग, रेशीम विकास विभाग इ. सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केलेला आहे. यात आता सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ करीता राज्याच्या सुधारित प्रकल्प सादर करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत सन २०१४-१५ पर्यंत १००% केंद्राचे अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. त्यात सन २०१५-१६ पासून सुधारणा करुन केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के असे देण्यात येत आहे. ४ टक्के कृषी व कृषी सलग्न क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आलेले आहे. यात राज्यांना स्थानिक गरजेनुसार प्रकल्पाची निवड करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी राज्यांचा जिल्हा स्तरावर व राज्य स्तरावरील उपलब्ध साधन सामुग्रीचा विचार करावयाचा आहे.

सन २००७-०८ ते २०२१-२२ पर्यंत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने कृषी व कृषी संलग्न विभागांच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली असून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करुन दिलेला आहे. वर्षनिहाय व विभागनिहाय निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे (दि. २५ जानेवारी, २०२२ अखेर)

## सन २००७-०८ ते सन २०२१-२२ या वर्षातील निधीचा तपशील

(रक्कम रु. कोटी)

| अ. क्र. | वर्ष | राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीने मंजूर केलेले (नवीन) प्रकल्प मूल्य | केंद्र शासनाने मंजूर केलेला निधी | केंद्र (६०% टक्के) | राज्य (४०% टक्के) | एकूण | खर्च | सादर केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २००७-०८ | १३२.१० | १२८.२० | .. | .. | १२८.२० | १२८.२० | १२८.२० |
| २ | २००८-०९ | ३८८.८७ | २६१.७७ | .. | .. | २६१.७७ | २६१.७७ | २६१.७७ |
| ३ | २००९-१० | ४०९.८१ | ४०४.३९ | .. | .. | ४०४.३९ | ४०४.३९ | ४०४.३९ |
| ४ | २०१०-११ | १०७४.३५ | ६५३.०० | .. | .. | ६५३.०० | ६५३.०० | ६५३.०० |
| ५ | २०११-१२ | ११९८.५२ | ७२७.६७ | .. | .. | ७२७.६७ | ७२७.६७ | ७२७.६७ |
| ६ | २०१२-१३ | ७६३.७१ | १०५८.५८ | .. | .. | १०५८.५८ | १०५८.५८ | १०५८.५८ |
| ७ | २०१३-१४ | ८४९.७१ | १०१४.२२ | .. | .. | ९५९.६९ | ९५९.६९ | ९५९.६९ |
| ८ | २०१४-१५ | १०६३.४६ | १०२५.९९ | .. | .. | ९४२.०९ | ९४२.०९ | ९४२.०९ |
| ९ | २०१५-१६ | १२१२.२१ | ७३०.०० | ४३८.०० | २९२.०० | ७३०.०० | ७३०.०० | ७३०.०० |
| १० | २०१६-१७ | ४४२.३४ | ७०८.०० | २५०.९१ | १६७.२७ | ४१८.१८ | ४१८.१८ | ४१८.१८ |
| ११ | २०१७-१८ | १४०८.२६ | ६५०.०२ | ३९८.६१ | २६५.७४ | ६६४.३५ | ६६४.३५ | ६६४.३५ |
| १२ | २०१८-१९ | २९०.०८ | ४०६.७५ | २४४.०६ | १६२.७० | ४०६.७६ | ४०४.५७ | ४०४.५७ |
| १३ | २०१९-२० | ३३२.७० | ४१८.४४ | २५३.५४ | १६९.०३ | ४२२.५७ | ४०९.६७ | ४०९.६७ |
| १४ | २०२०-२१ | ८.१२ | ४७८.१० | १९९.६१ | १३३.०७ | ३३२.६८ | १३१.६५ | १०३.०८ |
| १५ | २०२१-२२ | १२८.३५ | ४०१.८२ | .. | .. | .. | .. | .. |
| | **एकूण** | **९७०२.५९** | **९०६६.९५** | **१७८४.७३** | **११८९.८१** | **८१०९.९३** | **७८९३.८१** | **७८६५.२४** |

**टीप :** १. सन २०१४-१५ पर्यंत १०० टक्के केंद्रीय सहाय्य

२. सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के

३. सन २०२१-२२ करीता निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.

## RKVY Agency Wise Project Sanction for 2021-22

| Sr. No. | Name of Agency/Project | Sanction Year |
|---|---|---|
| 1 | Construction of new Irrigation well for Scheduled caste and Scheduled Tribes farmer having annual income upto Rs. 1.50 lakh. | 2019-20 |
| 2 | Construction of new Irrigation well for Scheduled caste and Scheduled Tribes farmer having annual income upto Rs. 1.50 lakh.. | 2021-22 |
| **i** | **Director (Extension)** | |
| 3 | Establishment of Biological Control Laboratory for mass production of bio-agents against sugarcane insect pests and diseases and dissemination of technology for enhanced cane and sugar productivity in Maharashtra (IISR, Lucknow). | 2017-18 |
| 4 | Agriculture Mechanization. | 2021-22 |
| **ii** | **Director (Q.C.)** | |
| 5 | Construction of training/conference hall at KVK Ghatkhed, Amravati. | 2018-19 |
| **iii** | **Director (ATMA)** | |
| 6 | Turmaric mechanization and post-harvest management project. | 2017-18 |
| 7 | Development of multi chamber and multi commodity cold storage with export assisting infrastructure and processing unit at Vashi, Navi Mumbai. (NAFED). | 2019-20 |
| **iv** | **Director (Planning & Processing)** | |
| 8 | Low cost Onion Storage Structure. | 2021-22 |
| 9 | Financial Assistance for Protected cultivation. | 2021-22 |
| 10 | Value chain intervention in Onion through Building Storage Structure *(Nafed-MahaFPC) :* | 2018-19 |
| 11 | Financial Assistance for Protected cultivation. | 2019-20 |
| 12 | Grading, sorting and aseptic processing of fruits and vegetables linked with backward integration. | 2019-20 |
| 13 | Punya Shloki Ahilyabai Holkar Nursary Scheme (NHM). | 2021-22 |
| 14 | Individual Farm Pond lining. | 2021-22 |
| **v** | **MD (MSHMPB)** | |
| **I** | **Commissioner Agriculture** | |
| 15 | Transfer of integrated crop management and technology developed by PDKV Akola. | 2015-16 |
| 16 | Adoption of high yieldingvarieties of Mustard along with low cost production technology in Four District of Nagpur Division. | 2021-22 |
| 17 | Establishment of Pesticide Residue Testing laboratory for monitoring of Toxicants in commercial crops of Vidarbha Region. | 2021-22 |
| 18 | Establishment of Breeder Seed & Certified Seed Production Centre of Groundnut, Safflower & Sunflower at Dr. PDKV Akola. | 2021-22 |
| **i** | **Dr. PDKV, Akola** | |
| 19 | Strengthening of Laboratory at Khar Land Research Station, Panvel and capacity building of farmers in soil health and fish production. | 2017-18 |
| 20 | Production of bio formulations using advanced techniques on commercial scale for enhanced plant health and productivity. | 2021-22 |
| 21 | Facilitation for Value addition in Manga Bamboo to generate bamboo entrepreneurs in Kokan Region. | 2021-22 |
| **ii** | **Dr. BSKKV, Dapoli** | |
| **2** | **MCAER (SAUs)** | |
| 22 | Setting up of grain cleaning unit in 31 APMCs including Civil work, Machinery & Electrical works. | 2017-18 |
| 23 | Setting up godowns in 108 APMCs for implementing agriculture produce pleadge loan scheme in the state of Maharashtra. | 2017-18 |

| Sr. No. | Name of Agency/Project | Sanction Year |
|---|---|---|
| **3** | **MD (MSAMB)** | |
| 24 | Development of multi chamber cold storage with PHM infrastructure & processing unit at 8 centers in MSWC **(29 SLSC revised name)**. | 2017-18 |
| 25 | Development of Agro warehousing & logistic park at Jhambargaon, Aurangabad. | 2021-22 |
| **4** | **MD (MSWC)** | |
| 26 | Creation of BSL-III Laboratory for Avian Influenza and other Zoonotic pathogens at Disease Investigation Section, Aundh, (DIS) **(revision in project cost 29 SLSC Rs. 5,615 Cr.).** | 2016-17 |
| 27 | Dairy development programme in Vidharbha & Marathwada Region. | 2017-18 |
| 28 | Establishment a National Reference Testing Laboratory for Veterinary Biological in Institute of Veterinary Biological Products, Aundh, (IVBP) **(revision in project cost 29 SLSC Rs. 2.35 cr.).** | 2017-18 |
| 29 | PPP goat farming project at Solapur District by Srujan Organic Commodities Pvt. Ltd. Solapur. | 2019-20 |
| 30 | Improving A. I. Delivery System. | 2021-22 |
| 31 | Construction of training centre & administrative building of Maharashtra State verterinary council Nagpur (For continuous education of registered veterinary practitioners of M. S.). | 2021-22 |
| **5** | **Commissioner (AH)** | |
| 32 | Modernization and Capacity enhancement of dairy unit of Jalgaon District Co-op. milk union. | 2016-17 |
| 33 | Modernization and Capacity enhancement of the milk processing and byproduct unit of Jalgaon disrict Co-op. milk union. | 2016-17 |
| 34 | Expansion of existing Dairy Processing Plant from 30 TLPD to 1 LLPD, Marathwada Agro Process farmer Producer Company Ltd. Kalamb, Dist. Osmanabad. | 2019-20 |
| 35 | Construction of new Dairy Processing Unit of 10 TLPD Dattasai Multi State Co-op. Milk & Milk products Ltd., Chilwadi, Tal. & Dist. Osmanabad. | 2019-20 |
| 36 | Construction of new Dairy processing Unit of 25 TLPD, Rajamrut Multistate Co-op. Milk Union Ltd., Phulambri, Dist. Aurangabad. | 2019-20 |
| 37 | Financial assistance under the scheme of RKVY Yojana for establishment of Dairy unit and other allied items at Shri Tatyasaheb Korenagar at Warnanagar, Dist. Kolhapur. | 2019-20 |
| 38 | Setting up of BMC along with AMC & Milk Processing Plant 100 TLPD capacity M/s. Subhash Anna Kul Co-op dudhutpadak & processing Ltd., Galanwadi, Tal. Daund, Dist. Pune. | 2020-21 |
| 39 | M/s. Shree Chatrapati Shahu Milk & Agro Producer Company Ltd. Vhannur, Dist. Kolhapur for expansion & modification of Main Dairy & Milk Products Manufaturing plant from 50 to 100 TLPD. | 2021-22 |
| 40 | M/s. Vaijanath Milk & Milk product producer company Ltd. Shinoli, Tal. Chandgad, Dist. Kolhapur for expansion of Main Dairy plant from 15 to 50 TLPD. | 2021-22 |
| **6** | **Commissioner (DD)** | |
| 41 | Strengthening of Fishery Training Institute, Exhibition Hall and Museum at Alibag Dist. Raigad. (**Resanction in 29 SLSC**) | 2010-11 |
| 42 | Providing infrastructure & post harvesting facility to fishermen at 6 fish landing centers. | 2016-17 |
| 43 | Pilot Project of Fish Feed Mill Plant. | 2017-18 |
| 44 | Assistance to the Fishermen Seed Production Centre & Portable Hatcheries. | 2017-18 |
| 45 | Assistance to inland Fish farmer for Fingerling Rearing. | 2017-18 |
| 46 | Mesh Size Regulation at Cod End for Sustainable Fishing in Marine Sector. | 2017-18 |
| **7** | **Commissioner (Fisheries)** | |

## केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत "एक जिल्हा एक उत्पादन" (ODOP-One District One Product) या आधारावर राबविली जात आहे. सदर योजना असंघटीत क्षेत्रासाठी राबविली जात आहे. योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

योजनेंतर्गत नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबीया, मत्सोत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इ. मध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत उद्योगांचे विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/स्तरवृद्धी किंवा नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी इ. चा समावेश आहे. सदर योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी गट/कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ. सहभागी होणेसाठी पात्र आहेत. सदर योजनेस दि. २३-१२-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाची मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील वैयक्तिक, शेतकरी उत्पादक, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सदर योजना महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर समाविष्ट) राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यास पाच वर्षाकरिता २१९९८ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे सक्षमीकरणाचा भौतिक लक्षांक व रु. ९२१.५३ कोटीचा आर्थिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे.

**अर्थसहाय्य**

१. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना भांडवली गुंतवणूकीकरिता बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर केले जातात.

२. शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरिता बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर केले जातात.

३. अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशिनरी घेण्याकरिता प्रती सदस्य रु. ४०,०००/- बीज भांडवल रक्कम देण्यात येणार आहे. सदर घटकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (MSRLM) नवी मुंबई यांचेमार्फत केली जाते. त्यासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील NRLM PORTAL वर Online अर्ज सादर केले जातात.

४. गट लाभार्थ्यांना ब्रँडींग व मार्केटींगसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५०% अनुदान दिले जाणार आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.

५. अर्जदार व इच्छूक लाभार्थींना प्रशिक्षणाकरिता १००% अनुदान देय आहे.

६. योजनेंतर्गत इन्क्युबेशन सेंटर या घटकासाठी शासकीय संस्थांना १००%, खाजगी संस्थांना ५०%, अनुसूचित जाती व जमाती संस्थांना ६०% कमाल २७५.०० लाख अनुदान देय आहे.

### प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी २०२०-२१ व २०२१-२२ चा कार्यक्रम (रु. लाख)

| वर्ष | केंद्र शासनाने मंजूर कार्यक्रम | राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता | प्राप्त निधी | खर्च निधी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| २०२०-२१ | ४४३१.५९ | ०.०० | २७५७.४६ | १९९३.३३ | सन २०२०-२१ मध्ये १००% निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाला असून राज्य हिश्याची रक्कम पुढील चार वर्षात समप्रमाणात समायोजित होणार आहे. |
| २०२१-२२ | २१२६६.०० | ६८०८.३५ | २२०७.४१ | १०६.६७ | |

## मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना दि. २० जून २०१७ च्या शासन निर्णय अन्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षाकरिता लागू करण्यात आली असून राज्य शासनाद्वारे प्रतिवर्षी किमान ५०.०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या योजनेंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया इत्यादीवर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे.

योजनेमधील घटक - या योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे ३ घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

घटक क्र. १ - कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृध्दी व आधुनिकीकरण

घटक क्र. २ - शीतसाखळी योजना

घटक क्र. ३ मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनांसाठी सन २०२१-२२ ची मागणी व सन २०२२-२३ साठी प्रस्तावित कार्यक्रम

रु. लाखात

| अ. क्र. | वर्ष | अनुदान मागणी | शेरा |
|---|---|---|---|
| १ | २०२०-२१ | ६०००.०० | अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. ६०००.०० लाख रकमेपैकी रक्कम रु. १९८०.०० लाख रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून रक्कम रु. १५००.०० लाख निधी प्राप्त झाला असून रु. १५००.०० लाख खर्च झाला आहे. |
| २ | २०२१-२२ | ७५००.०० | रक्कम रु. ७५००.०० लाख निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. |
| ३ | २०२२-२३ | ७५००.०० | प्रस्तावित कार्यक्रम |

## रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करणे

१. योजनेचा उद्देश : ऐन खरीप व रब्बी हंगामात खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करणे.

२. योजनेचे घटक : (१) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन या नोडल एजंसी यांना खत खरेदीसाठी बँक गॅरंटी देणे.

(२) रासायनिक खताचा साठा करण्यासाठी या एजंसीना राज्यात खताची वाहतूक, गोदामामध्ये रासायनिक खताची चढाई व उतराई इ. बाबीकरिता येणारा खर्चाची प्रतिपूर्ती करणे.

३. योजनेची संक्षिप्त माहिती :

ऐन हंगामात केंद्र शासनाकडून किंवा खत पुरवठादार कंपन्यांकडून खताचा मागणीप्रमाणे पुरवठा न झाल्यास खत टंचाई भासू नये म्हणून संरक्षित खत साठा करणेबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येतो.

४. सन २०२१-२२ करीता रक्कम रुपये २०००.०० लाख तरतूद आहे.

सन २०२२-२३ करीता रक्कम रुपये २०००.०० लाख तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

---

## राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA)

केंद्र शासनाने शाश्वत कृषी उत्पादकतेसाठी सन-२०१४-१५ पासून राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान (NMMI), राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती प्रकल्प (NPOF) , राष्ट्रीय मृदा आरोग्य व सुपीकता व्यवस्थापन प्रकल्प (NPMSH&F), आणि कोरडवाहू शाश्वत शेती कार्यक्रम (RADP) या योजनांचे एकत्रिकरण करून हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी तंत्रज्ञान हा केंद्रबिंदू ठेवून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) कार्यान्वित केले आहे.

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानामध्ये (NMSA), खालील चार घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ह्या चार घटकांची स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे.

१. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)

२. वातावरण बदल व शाश्वत शेती-सनियंत्रण, रचना व संजालन (CCSAMMN)

३. शेती जलव्यवस्थापन (OFWM)

४. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (SHM)

### अभियानाची उद्दिष्टे:

१. स्थानिक परिस्थितीला अनुरुप एकात्मिक शेती पध्दतीद्वारे कोरडवाहू क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविणे.

२. कोरडवाहू शेतीमधील जोखीम कमी करून शाश्वतता निर्माण करणे.

३. कोरडवाहू शेती हवामान बदलाच्या परिणामांसाठी सक्षम करणे.

४. सुयोग्य मृदा व्यवस्थापन व जल व्यवस्थापन उपाययोजनांद्वारे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा शाश्वत व कार्यक्षम वापर करणे.

५. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सुसंगत कृषि तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतकऱ्यांची क्षमता वाढविणे.

### अ. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)

पर्यावरण, कृषी उत्पादकता आणि लाखो ग्रामीण कुटुंबाच्या उपजिविकांच्या दृष्टीने कोरडवाहू कृषी उत्पादन असणाऱ्या क्षेत्रास महाराष्ट्रात विशेष महत्त्व आहे. राज्याच्या उत्पादक जमिनीपैकी/ क्षेत्रापैकी ८३ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे.

कोरडवाहू शेती ही अत्यंत जोखमीची व गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. तथापि, या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केल्यास कृषी उत्पादनात मोठी वाढ साध्य करता येईल एकात्मिक शेती पध्दतीतून कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व कृषी आधारित पूरक उद्योगधंद्याची योग्य सांगड घातल्यास उत्पादकतेत वाढ करता येणे शक्य होईल.

केंद्र शासनाने शाश्वत कृषी उत्पादकतेसाठी सन २०१४-१५ पासून हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) कार्यान्वित केले आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कोरडवाहू शाश्वत शेती विकास कार्यक्रम सन २०११-१२ पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत होता. एप्रिल २०१४ पासून कोरडवाहू शाश्वत शेती विकास कार्यक्रमामध्ये (RADP) आवश्यक बदल करून, कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) हा घटक राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) समाविष्ट करून सन २०१४-१५ पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

### ब. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) घटकाचा उद्देश :

१. शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत शाश्वत वाढ करून नवीन उपजिविकेच्या साधनांची उपलब्धता करणे व त्याआधारे त्यांचे जीवनमान उंचावणे.

२. बहुवार पीक पध्दती, पीक बदल, आंतर पीक पध्दती यांचा वापर तसेच फळपिके, पशुधन, वनिकी, मधमाशी पालन इ. शेतीपध्दतींचा समावेश करून शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न देण्याबरोबरच नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यास सक्षम करणे.

३. नैसर्गिक संसाधन तसेच विविध पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमातून निर्माण झालेल्या संसाधनांच्या क्षमतेचा प्रस्तावित एकात्मिक शेती पध्दतीस स्थैर्य देण्यासाठी सुयोग्य वापर करणे.

### ● कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) घटकातील समाविष्ट बाबी :

**१. एकात्मिक शेती पध्दती :**

अ) पीक आधारित शेती पध्दती

ब) पशुधन आधारित शेती पध्दती

क) फलोत्पादन आधारित शेती पध्दती

ड) कृषी-वनिकी आधारित शेती पध्दती

**२. मूल्यवर्धन व शेती विकास :-**

अ) मधुमक्षिकापालन

ब) मुरघास युनिट

क) काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व प्रक्रिया युनिट

ड) हिरवळीचे खत

इ) गांडूळ खत व सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन

ई) हरीतगृह उभारणी

फ) शेडनेट उभारणी

**टीप : --** सन २०१४-१५ मध्ये सदर योजना १००% केंद्र पुरस्कृत होती तथापि सन २०१६-१७ पासून ६०:४० केंद्र व राज्य हिस्सा या तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे.

**योजनेची प्रगती :--**

**योजनेची प्रगती सन २०२०-२०२१**

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | केंद्र /राज्य पुरस्कृत योजनेची यादी | मंजूर कार्यक्रम | प्राप्त निधी | खर्च निधी |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) २०२०-२१ | २६१५.५२ | २५४८.२४ | २०५९.१५ |

**नियोजन सन २०२१-२२ व २०२२-२३**

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | केंद्र /राज्य पुरस्कृत योजनेची यादी | मंजूर कार्यक्रम | मुक्त निधी | | खर्च निधी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य |
| १ | २ | ३ | ४ | | ५ | |
| १ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) सन २०२१-२२ | २६६१.२२ | ३३३.९३ | २२२.६२ | ५२.६२ | ३५.०८ |
| २ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) सन २०२२-२३ | २९२७.३४ (प्रस्तावित) | .. | .. | .. | .. |

# नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
# Project on Climate Resilient Agriculture (PoCRA)

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस दिनांक १८ मे, २०१८ पासून सुरूवात झालेली आहे. प्रकल्पाचा कालावधी सन २०१८ ते सन २०२४ पर्यंत ६ वर्षासाठी आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ४०००.०० कोटी असून यांमध्ये जागतिक बँकेचा वाटा रु. २८०० कोटी (७०%) व राज्य शासनाचा वाटा रु. १२०० कोटी (३०%) आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १५ जिल्ह्यातील (औरंगाबाद, बीड, जालना, जळगाव, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ व वर्धा) ५१४२ गावे निवडली आहेत. प्रकल्पाचा उद्देश हा "महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे."

**प्रकल्पातील मुख्य घटक :**

अ. प्रकल्पाचे हवामान अनुकूल कृषी पद्धतीस प्रोत्साहन
ब. काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मूल्य साखळी प्रोत्साहन
क. हवामान अनुकूल कृषी पद्धतीसाठी संस्थात्मक विकास, ज्ञान व धोरणे
ड. प्रकल्प व्यवस्थापन

**प्रकल्पातून राबविण्यात येणाऱ्या बाबी :**

प्रकल्पातून वैयक्तिक लाभाच्या बाबी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतकरी गट / बचत गटांना अर्थसहाय्य, मृद व जलसंधारण कामे, शेतीशाळा, क्षमता बांधणी, कृषि-हवामान सल्ला सेवा, इ. याबाबी राबविण्यात येतात. लाभार्थी निवडीस मंजूरी निवडलेल्या गावाचे संबंधित ग्रामपंचायतीत स्थापन झालेल्या ग्राम कृषि संजीवनी समितीमार्फत देण्यात येते. प्रकल्पाचा लाभ घेणेकरिता अर्ज करणे व काम पूर्ण केल्यानंतर अर्थसहाय्याचे हस्तांतरण करणे याकरिता PoCRA-DBT हे पोर्टल कार्यरत आहे.

**प्रकल्पातून देण्यात आलेला लाभ :**

प्रकल्पातून सुमारे ३ लाख शेतकऱ्यांना रु. १३७४.०८ कोटी, सुमारे ३०,००० हे वरील मृद व जलसंधारण कामांकरिता रु. १९.७१ कोटी व ७०४ कृषि व्यावसायिक प्रकल्पांना रु. ६८.७२ कोटी अर्थसहाय्य वितरीत केले आहे.

**प्रकल्पाची वित्त विषयक माहिती :**

* सन २०२१-२२ साठी मूळ मंजूर तरतूद : रु. ५००.०० कोटी
* सन २०२१-२२ साठी प्राप्त निधी : रु. ७५०.०० कोटी
* सन २०२१-२२ साठी सुधारीत प्रस्तावित तरतूद : रु. १३५०.०० कोटी
* सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च : रु. ७१४.४६ कोटी
* सन २०२१-२२ साठी मंजूर पुरवणी मागणी : रु. ६००.०० कोटी
* प्रकल्पावर आतापर्यंत झालेला खर्च (आज अखेर) : रु. १६३५.५४ कोटी
* जागतिक बँकेकडून आलेला परतावा : रु. ११३६.६२ कोटी
* सन २०२२-२३ करिता प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय तरतूद : रु. १४००.०० कोटी

**प्रकल्पाची धोरणात्मक भागीदारी :**

ICAR IIT-Bombay, CSSRI, NBSS&LUP, TISS, YASHADA, GSDA, GIPE, कृषि विद्यापिठे, कृषि विज्ञान केंद्र.

---

## मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प

राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांना संघटीत करून शेतकऱ्यांचे गट व कंपन्या स्थापन करणे, गटशेतीवर भर देणे आणि त्या माध्यमातून शेतमालाचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांचा बाजार संपर्क वाढविणे यासाठी राज्यात सुमारे ५००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिलांचे ४०६ लोकसंचलीत साधन केंद्र व १११६ प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रात पिकविल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यामध्ये या संघटीत शेतकऱ्यांचा सहभाग घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

**प्रकल्पाचे उदिष्ट :-** "राज्यात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम व समावेशी मूल्यसाखळ्या विकसित करणे"

**प्रकल्प गुंतवणूकआराखडा :-** प्रकल्पाचा कालावधी ७ वर्षे असून एकूण अंदाजित प्रकल्प खर्च रु. २१०० कोटी इतका आहे. त्यापैकी सुमारे रु. १४७० कोटी जागतिक बँक (आयबीआरडी) कडून अल्प व्याजदरांचे कर्ज व महाराष्ट्र शासनाचे रु. ५६० कोटी, तर ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन (व्हीएसटीएफ) च्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (सीएसआर) सुमारे रु. ७० कोटी इतका असणार आहे.

**प्रकल्प अंमलबजावणी संरचना :-** प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग हा नोडल विभाग असून त्यासह शासनाच्या सात विभागांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष (संलग्न यंत्रणांच्या माध्यमातून) सहभाग राहणार आहे. १) कृषी, २) कृषी पणन, ३) सहकार, ४) पशुसंवर्धन, ५) ग्राम विकास, ६) महिला व बाल विकास आणि ७) पुणे महानगरपालिका.

राज्यस्तरावर प्रकल्प संनियंत्रणासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली असून सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वयासाठी सचिव, कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली "स्मार्ट सोसायटी" स्थापन करण्यात आलेली आहे. या सोसायटीच्या अंतर्गत एक "प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष" आणि सर्व संलग्न विभागांमध्ये "प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष" स्थापन करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर विभागीय आणि जिल्हा पातळीवरही प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात येत आहेत.

**प्रकल्पाची सद्यस्थिती :-** जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. जागतिक बँकेसमवेत दि. २४ जानेवारी, २०२० रोजी विविध करार करण्यात आलेले आहेत. Project effectiveness date दि. २३ मार्च, २०२० आहे. जवळपास दोन वर्षापासून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाकरिता नवीन ४६७ पदांच्या निर्मितीस मंजूरी प्रदान करणे, तसेच प्रकल्पाकरिता एकूण ५०४ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करणेबाबतचा निर्णय दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत १५ जिल्ह्यांतील ४७ समुदाय आधारीत संस्थांचे २६ पथदर्शी उप प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहे. या पथदर्शी प्रकल्पाद्वारे अंदाजे ६५,००० शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. समुदाय आधारीत संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी, महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनन्नोती अभियानांतर्गत स्थापित झालेले महिला बचत गटांचे प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापित झालेले लोकसंचलित साधन केंद्र इ. समावेश आहे. २६ मंजूर पथदर्शी उप प्रकल्पांची एकूण किंमत रु. ६०.७१ कोटी असून प्रकल्प अनुदान रुपये ३६.४३ कोटी आहे व समुदाय आधारीत संस्थाचा लाभार्थी हिस्सा रु. २४.२८ कोटी आहे. मंजूर पथदर्शी उपप्रकल्पातील ४७ समुदाय आधारीत संस्थांचा लाभार्थी हिस्सा रु. २४.२८ कोटी आहे. मंजूर पथदर्शी उपप्रकल्पातील ४७ समुदाय आधारीत संस्थांपैकी २६ संस्थांना हप्ता रक्कम रु. ११.७४ कोटी वितरीत करण्यात आलेले आहे.

कृषि विस्तारासाठी सहाय्य म्हणून प्रथमच मुल्यसाखळी विकास शाळा व घटक मंजूर पथदर्शी उप प्रकल्पातील सर्व ४७ समुदाय आधारीत संस्थांकडे राबविण्यात आलेला आहे. या घटकासाठी सन २०२०-२१ मध्ये संचालक, आत्मा मार्फत रु. ३६.७२ लाख खर्च झालेले आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये १५ जिल्ह्यातील मंजूर पथदर्शी उप प्रकल्पातील ३२ समुदाय आधारीत संस्थांकडे मुल्यसाखळी विकास शाळा हा घटक राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता संचालक, आत्मा यांना रक्कम रु. १४५.८१ लाख अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे.

"स्मार्ट कॉटन" हा उपप्रकल्प राज्यातील कापूस उत्पादक १२ जिल्ह्यातील ४६५ गावांमध्ये ५८२६८ शेतकऱ्यांकडे राबविण्यात येत आहे. यामध्ये "स्मार्ट कॉटन" मुल्यसाखळी विकास शाळेचे आयोजन करण्यात येत आहे. यासाठी संचालक, आत्मा यांना रक्कम रु. ३३१.४८ लाख अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. या माध्यमातून स्वच्छ व एकजीनशी कापूस उत्पादन घेण्यात आले असून रुई आधारीत कापूस विक्रीची प्रक्रिया "पीआययु महाकॉट" मार्फत सुरू आहे.

प्रकल्पामार्फत दिनांक १० सप्टेंबर, २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीनुसार समुदाय आधारीत संस्था व संस्थात्मक खरेदीदार यांचेकडून उत्पादक भागीदारी उप प्रकल्प व बाजार संपर्कवाढ उप प्रकल्पासाठी मुल्यसाखळी विकासाचे अर्ज मागविण्यात आले होते. जाहिरातीनुसार ५,६६७ समुदाय आधारीत संस्थांनी अर्ज सादर केलेले होते. छाननीअंती पात्र होणाऱ्या व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांनी शिफारस केलेल्या ४६१ समुदाय आधारीत संस्थांना सविस्तर

प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास प्राथमिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. समुदाय आधारीत संस्थांमार्फत सनदी लेखापाल (CA) व सनदी अभियंता (Chartered Engineer) तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेच्या क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी विभागनिहाय प्राथमिक मान्यता दिलेल्या समुदाय आधारीत संस्थेचे प्रतिनिधी, संपर्क अधिकारी व संबंधित इतर अधिकारी यांना सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणेकरिता ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणेकरिता तज्ञ प्रशिक्षकाना वनामती, नागपूर मार्फत प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. तद्नंतर तज्ञ प्रशिक्षक क्षेत्रीय यंत्रणा व संस्थेच्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देवून सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणेकरिता सहाय्य करत आहेत. समुदाय आधारीत संस्थांमार्फत सादर केलेल्या व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांनी शिफारस केलेल्या परिपूर्ण सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात येणार आहे.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्रकल्पास रु. १८.४१ कोटी अनुदान प्राप्त असून त्यापैकी रु. ७.१३ कोटी विविध प्रकल्प घटकांवर खर्च झालेले आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु. १४२.५८ कोटीची तरतूद शासनाने केलेली असून प्रकल्पास रु. १९.२३ कोटी अनुदान प्राप्त झालेले आहेत. त्यापैकी रक्कम रु १२.११ कोटी खर्च झालेले आहेत. आजअखेर स्मार्ट प्रकल्पाच्या विविध घटकांवर रक्कम रु. २३.९१ कोटी अनुदान खर्च झालेले आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रकल्पासाठी रु. ३२५.०० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे. जागतिक बँकेच्या समयबद्ध कार्यक्रमानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

---

## सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांचा तपशील

| अ.क्र. | पदनाम | मंजूर | वेतन बँड | ग्रेड वेतन | सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | |
| १ | आयुक्त कृषी | 1 | 37400-67000 | 10000 | S-30 : 144200-218200 |
| २ | संचालक | 5 | 37400-67000 | 8700 | S-27 : 118500-214100 |
| ३ | कृषी सह संचालक | 14 | 15600-39100 | 7600 | S-25 : 78800-209200 |
| ४ | कृषी सह संचालक (आस्था) | 1 | 15600-39100 | 7600 | S-25 : 78800-209200 |
| ५ | अधीक्षक कृषी अधिकारी (संवर्ग) | 46 | 15600-39100 | 6600 | S-23 : 67700-208700 |
| ६ | कृषी उप संचालक म. कृ. से. गट-अ | 202 | 15600-39100 | 5400 | S-20 : 56100-177500 |
| ७ | वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी | 2 | 15600-39100 | 6600 | S-23 : 67700-208700 |
| ८ | प्रशासकीय अधिकारी | 11 | 9300-34800 | 5000 | S-18 : 49100-155800 |
| ९ | सहाय्यक संचालक (लेखा) | 2 | 15600-39100 | 5400 | S-20 : 56100-177500 |
| १० | म.कृ.से. वर्ग-२ | 800 | 9300-34800 | 4600 | S-16 : 44900-142400 |
| ११ | लेखा अधि, वर्ग-२ | 47 | 9300-34800 | 4600 | S-16 : 44900-142400 |
| १२ | सा. रा. से. वर्ग-२ | 44 | 9300-34800 | 4400 | S-15 : 41800-132300 |
| १३ | स्वीय सहाय्यक | 6 | 9300-34800 | 4400 | S-15 : 41800-132300 |
| १४ | म.कृ.से.वर्ग-२ (क) कृषी अधिकारी | 1652 | 9300-34800 | 4400 | S-15 : 41800-132300 |
| १५ | कृषी/कनिष्ठ अभियंता | 8 | 9300-34800 | 4400 | S-15 : 41800-132300 |
| १६ | कृषी पर्यवेक्षक | 2726 | 9300-34800 | 4200 | S-13 : 35400-112400 |
| १७ | कृषी सहाय्यक | 11599 | 5200-20200 | 2400 | S-8 : 25500-81100 |
| | (७ वर्षाच्या पात्र सेवेनंतर) | | 5200-20200 | 2800 | S-10 : 29200-92300 |
| १८ | अधीक्षक | 93 | 9300-34800 | 4300 | S-14 : 38600-122800 |
| १९ | सहाय्यक अधीक्षक | 404 | 9300-34800 | 4200 | S-13 : 35400-112400 |
| २० | वरिष्ठ लिपिक | 883 | 5200-20200 | 2400 | S-8 : 25500-81100 |
| २१ | लिपिक /टंकलेखक | 2056 | 5200-20200 | 1900 | S-6 : 19900-63200 |
| २२ | आरेखक | 34 | 5200-20200 | 2800 | S-10 : 29200-92300 |
| | (४ वर्षाच्या पात्र सेवेनंतर) | | 9300-34800 | 4300 | S-14 : 38600-122800 |
| २३ | अनुरेखक | 1978 | 5200-20200 | 2000 | S-7 : 21700-69100 |
| | (७ वर्षाच्या पात्र सेवेनंतर) | | 5200-20200 | 2400 | S-8 : 25500-81100 |
| २४ | सहाय्यक ग्रंथपाल | 1 | 5200-20200 | 2000 | S-7 : 21700-69100 |
| २५ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | 18 | 9300-34800 | 4400 | S-15 : 41800-132300 |
| २६ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | 73 | 9300-34800 | 4300 | S-14 : 38600-122800 |
| २७ | लघुटंकलेखक | 74 | 5200-20200 | 2400 | S-8 : 25500-81100 |
| २८ | वाहन चालक | 603 | 5200-20200 | 1900 | S-6 : 19900-63200 |
| २९ | यंत्रवाला | 1 | 5200-20200 | 2400 | S-8 : 25500-81100 |
| ३० | टिलर ऑपरेटर | 15 | 4440-7440 | 1300 | S-1 : 15000-47600 |
| ३१ | नाईक/दप्तरी | 115 | 4440-7440 | 1600 | S-3 : 16600-52400 |
| ३२ | शिपाई/रखवालदार | 2852 | 4440-7440 | 1300 | S-1 : 15000-47600 |
| ३३ | स्वच्छक/क्लिनर | 21 | 4440-7440 | 1300 | S-1 : 15000-47600 |
| ३४ | माळी/रोपमळामदतनीस | 627 | 5200-20200 | 1800 | S-5 : 18000-56900 |
| ३५ | ग्रेड-१/ प्रशिक्षित मजूर | 463 | 4440-7440 | 1300 | S-1 : 15000-47600 |
| ३६ | प्रयोगशाळा सहाय्यक/मदतनीस/ परिचर | 25 | 4440-7440 | 1300 | S-1 : 15000-47600 |
| | **एकूण . .** | **27502** | | | |

**तक्ता दोन**

**अंतर्गत लेखापरिक्षणाच्या कृती आराखड्याचा गोषवारा, सन २०२२-२३**

| अ.क्र | कार्यालयाचे नाव / विभाग | | अंतर्गत लेखा परिक्षण करावयाचे वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मागील वर्ष | चालू वर्ष | एकूण घटक-वर्ष |
| १ | वि.कृ.स.सं., ठाणे | .. | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २ वर्षे |
| २ | वि.कृ.स.सं., नाशिक | .. | २०१८-१९<br>२०१९-२०<br>२०२०-२१ | २०२१-२२ | ४ वर्षे |
| ३ | वि.कृ.स.सं., पुणे | .. | २०१९-२०<br>२०२०-२१ | २०२१-२२ | ३ वर्षे |
| ४ | वि.कृ.स.सं., कोल्हापूर | .. | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २ वर्षे |
| ५ | वि.कृ.स.सं., औरंगाबाद | .. | २०१९-२०<br>२०२०-२१ | २०२१-२२ | ३ वर्षे |
| ६ | वि.कृ.स.सं., लातूर | .. | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २ वर्षे |
| ७ | वि.कृ.स.सं., अमरावती | .. | २०१९-२०<br>२०२०-२१ | २०२१-२२ | ३ वर्षे |
| ८ | वि.कृ.स.सं., नागपूर | .. | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २ वर्षे |
| | | | | **एकूण घटक वर्ष** | **२१ वर्षे** |

# संचालन व प्रशासन
# Directorate and Administration

**अनिवार्य : (Committed) :** **तक्ता-१ TABLE-1** (रुपये हजारात) (Rs. in Thousand)

| अ. क्र. | तपशील | प्रत्यक्ष खर्च सन २०२०-२०२१ Actual Exp. 2020-21 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२१-२०२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारीत अंदाज सन २०२१-२०२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२०२३ Budget Estimates 2022-23 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **मागणी क्र. डी-२** | | | | | **Demand No.D-2,** |
| | **२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण** | | | | | **2235-Social Security & Welfare** |
| १ | इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (२२३५ ३१५९) | 2360 | 9760 | 7320 | 9760 | Other Social Security & Welfare Programme Deposit linked Insurance Scheme. (2235 3159) |
| | **मागणी क्र. डी-३** | | | | | **Demand No.D-3,** |
| | **२४०१-पीक संवर्धन** | | | | | **2401-Crop Husbundary** |
| | (००) (००१) **संचालन व प्रशासन** | | | | | 001-**Directorate & Administration** |
| २ | (००) (००१) कृषि आयुक्तालय (भारित) (२४०१ ०१२७) | 62 | 800 | 600 | 800 | 001-Commissionerate of Agriculture (committed) (2401 0127) (Charged) |
| ३ | (००) (००१) कृषि आयुक्तालय (२४०१ ०१३६) | 3803931 | 6644800 | 6303002 | 6666177 | (00) (01) Commissionerate of Agriculture (2401 0136) |
| ४ | (००) (०२) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१ ०१४५) | 7105477 | 11318738 | 10741492 | 11730340 | (00) (02) Divisional and District Agriculture Offices. (2401 0145) |
| ५ | (००) (०३) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१ ०१५४) | 89095 | 158323 | 150094 | 171057 | (00) (03) District Agriculture Officers. (2401 0154) |
| ६ | (००) (००७) जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (२४०१ ०१६३) | 1184227 | 1553989 | 1470834 | 1691393 | (00) (07) Establishment Grants to Zilla Parishads (2401 0163) |
| ७ | (००) (०८) संगणक सेवा-कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेवरील खर्च (२४०१ १४७३) | .. | 112 | 84 | 118 | (00) (08) Computer Services. Expenditure on Computerisation service in the Directorate of Agriculture (2401 1473) |
| | **१०३ बि-बियाणे** | | | | | **103-Seeds** |
| ८ | (००) (०१) तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्रे (२४०१ ०२६१) | 282876 | 460646 | 438618 | 479516 | (00) (01) Taluka Seed Multiplication Farm (2401 0261) |
| ९ | (००) (०२) बिज रासायनिक खत नियंत्रण व किडनाशक चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) | 202876 | 263613 | 242824 | 267480 | (00) (02) Seed testing, Fertilizer Control and Pesticides testing laboratories (2401 0305) |

**तक्ता-एक** (चालू) **TABLE-I-***Contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **१०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण** | | | | | **109-Extension & Farmers Training** |
| १० | (०१) (०१) कृषि विषयक माहिती पथक (२४०१ ०७३५) | 6544 | 10820 | 9628 | 11781 | (01) (01) Agriculture Information Unit (2401 0735) |
| ११ | (०१) (०२) शेतकरी मासिक (२४०१ ०७४४) | 19650 | 38400 | 31346 | 39340 | (01) (02) Shetkari Magazine (2401 0744) |
| १२ | (०१) (४६) वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन व तिच्या सात संलग्न संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२४०१ ४२५८) | 75589 | 119932 | 113025 | 128556 | (01) (46)Grant-in-aid to Vasantrao Naik State Agricultural Management Training Institute Nagpur and its Seven allied Institutes. (2401 4258) |
| | **११० पिक विमा** | | | | | **110 Crop Insurance** |
| १३ | (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा) (२४०१ ए ६६४) | 17456741 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | (00) (08) Supplementrary Grant for Pradhanmantri Crop Insurance Scheme (2401 A 664) |
| १४ | (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुरक अनुदान (२४०१ बी ०५२) | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | (00) (10) Supplementrary Grant for Pradhanmantri Crop Insurance Scheme (2401 B 052) |
| | **मागणी क्र. डी-३**<br>**२४०२-मृद व जलसंधारण** | | | | | **Demand No. D-3**<br>**2402-Soil and Water Conservation** |
| | **१०१-मृद सर्वेक्षण व चाचणी** | | | | | **101-Soil Survey Testing** |
| १५ | (००) (०२) मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा (२४०२ ००३२) | 206717 | 312582 | 295916 | 313666 | (00) (02) Soil Survey and Trial & Soil Analysis Chemical Laboratories (2401 0032) |
| | **मागणी क्र. डी-३**<br>**२४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण** | | | | | **Demand No. D-3**<br>**2415-Agricultural Research and Education** |
| | **१२०-इतर संस्थांना सहाय्य** | | | | | **120-Assistance to other Institutions** |
| १६ | महाराष्ट्र कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहाय्यक अनुदान (२४१५ ००६१) | 12010 | 34552 | 18161 | 35193 | Grants in aid to Maharashtra Council of Agricultural Education and Research (2415 0061) |

**तक्ता-एक** (चालू) **TABLE-I-***Contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मागणी क्र. डी-७** | | | | | **DEMAND No. D-7** |
| | **२७०२ लहान पाटबंधारे** | | | | | **2702 Minor Irrigation** |
| १७ | १०४ आयाकट विकास | | | | | 104 Ayacut Development |
| | (००) (०१) अन्विक्षा नि प्रयोग निर्देशन प्रक्षेत्रे (२७०२ १९३३) | 1688 | 3969 | 3771 | 6000 | (00) (01) Trial Cum Demonstration Farms (2702 1933) |
| | **मागणी क्र. डी-११** | | | | | **DEMAND No. D-11** |
| | **७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे** | | | | | **7610 Loans to Govt. Servants etc.** |
| १८ | २०१ घरबांधणी अग्रीम (७६१० ०२११) | 49022 | 199100 | 149325 | 199100 | 201 House Building Advance (7610 0211) |
| १९ | २०२ मोटी वाहन खरेदी अग्रीम (७६१० ०२२९) | 928 | 4050 | 3038 | 3745 | Advances for purpose of motor vehicle (7610 0229) |
| २० | २०३ इतर वाहन खरेदी अग्रीम (७६१० ०२३८) | .. | 25 | 19 | 25 | 203 Advances for purchase of other conveyances (7610 0238) |
| २१ | २०४ संगणक खरेदी अग्रीम (७६१० १९२२) | 440 | 1835 | 1376 | 1835 | Advances for purposes of computer (7610 1922) |
| | **एकूण सर्व** | **..** | **..** | **..** | **..** | **Total** |

(कार्यक्रम/राज्य हिस्सा) **Scheme (State Share)**

# राज्य (कार्यक्रम) (State Scheme)

वित्तीय आवश्यकता : **Financial Requirements :**

**तक्ता-दोन TABLE II**

(रुपये हजारात) **(Rs. in Thousand)**

| अ. क्र. | तपशील | प्रत्यक्ष खर्च सन २०२०-२०२१ Actual Exp. 2020-21 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२१-२०२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारीत अंदाज सन २०२१-२०२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२०२३ Budget Estimates 2022-23 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **मागणी क्रमांक डी-३** | | | | | **DEMAND No. 3** |
| | **२४०१ पीक संवर्धन** | | | | | **2401 Crop Husbandary** |
| | **१०२-अन्नधान्य पिके** | | | | | **102-Food Grains Crops** |
| १ | (००) (३०) पिकावरील किडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (१०० टक्के राज्य योजना) (२४०१ ९२४२) | 135060 | 250000 | 187500 | 250000 | (00) (30) Crop pest surveilance and advisory project (plan) (100% State Plan)(2401 9242) |
| २ | (००) (३३) कृषि उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए २३४) | 650555 | 932300 | 932300 | 1030000 | (00) (33) Krushi Unnati Yojana-National food Security Mission-Food Grain Crops (CSS) (State Share 40%) (2401 A234) |
| ३ | (००) (३४) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना (१०० टक्के राज्य योजना) (२४०१ ए ७९१) | 150000 | 750000 | 562500 | 1150000 | (00) (34) Chief Ministers Agriculture and Food processing Scheme (100% State Plan) (2401 A791) |
| ४ | (००) (३६) प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ बी ३४८) | .. | 333300 | 333300 | 600000 | (00) (36) Pradhan Mantri Micro Food processing Industry Scheme (CSS) (State Share 40%) (2401 B348) |
| | **१०३-बी-बियाणे** | | | | | **(103)-Seeds** |
| ५ | (००) (२७) कृषि उन्नती योजना बियाणे व लागवड उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए १५४) | 25707 | 130000 | 130000 | 130000 | (00) (27) Krushi Unnati Yojana-Seed Plantation Sub-Mission (CSS) (State Share 40%) (2401 A 154) |
| ६ | (००) (२८) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)आणि कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारभूत दर यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत (१०० टक्के राज्य कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२४०१ ए ९२२) | 200000 | 250000 | 187500 | 250000 | (00) (28) To give difference between Minimum Support Price (MSP) and Agriculture Produce Market Committee Based rate to seed growing farmers (100% State Plan Scheme) (Scheme) (2401 A 922) |

**तक्ता-दोन** (चालू) **TABLE-II-***Contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **१०५-खते व रासायनिक खते** | | | | | **105-Manures and Fertilizers** |
| ७ | (००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसहाय्य (राज्य) (२४०१ ८२०८) | .. | 200000 | 150000 | 300000 | (00)(31) Subsidy to meet expenditure for Supply of DAP and complex fertilizers (Scheme) (2401 8208) |
| ८ | (००) (३६) कृषि उन्नती योजना परंपरागत कृषि विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए०६५) | 73313 | 106600 | 106600 | 62400 | (00) (36) Krushi Unnati Yojana-Paramparagat Krushi Yojana (CSS) (State Share 40%)(GEN)(2401 A065) |
| ९ | (००) (३७) सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती (राज्य कार्यक्रम) डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनसाठी मिशन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बोर्ड यांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४०१ ए९३१) | 21718 | 100000 | 75400 | 100000 | (00)(37) Sendriya Sheti/ Vishmukta Sheti (State Scheme) For Implementation of Dr. Panjabrao Deshmukh Jaivik Sheti Mission Grant in Aid to Mission Project to Management Board (Scheme) (2401 A931) |
| | **१०८-वाणिज्यिक पिके** | | | | | **108-Commercial crop.** |
| १० | (०१) (१६) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कापूस (कें. पु. योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए २५२) | 8507 | 13800 | 13800 | 13800 | (01) (16) Krushi Unnati Yojana-National Food Security Mission Cotton (CSS) (State Share 40%) (GEN) (2401 A 252) |
| ११ | (०२) (११) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-ऊस-(कें. पु. योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए २४३) | 11349 | 17200 | 8154 | 17200 | (02) (08) Krushi Unnati Yojana-National Food Security Mission Sugarcane (CSS) (State Share 40%)(GEN) (2401 A 243) |
| १२ | (०२) (१२) ऊस पिकांखालील क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याची योजना (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना देय व्याजाचा राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२४०१ ए८१५) | .. | 1 | 1 | .. | (02) (12) Scheme for Micro Irrigation of Sugarcane Crops (State Share of Interest payable to District Central Co-operative Bank) (Scheme)(2401 A815) |

**तक्ता-दोन** (चालू) **TABLE-II-***Contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **१०९-विस्तार व प्रशिक्षण** | | | | | **109-Extension and Training.** |
| १३ | (०१) (०३) पिक स्पर्धा (२४०१ ०७५३) | .. | 36444 | 18222 | 66846 | (01)(03) Crop Competition (2401 0753) |
| १४ | (०१) (३९) शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरा (राज्य योजना) (२४०१ ४३६५) | .. | 10000 | 1 | 20000 | (01) (39) Study tours of Farmers outside the Country. (State Plan) (2401 4365) |
| १५ | (०१)(४३) कृषि उन्नती योजना राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांनाविस्तार विषयक सुधारणाकरिता सहाय्य उपअभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ४४३६) | 159960 | 266600 | 266600 | 266600 | (01) (43) Krishi Unnati Yojana-Sub Mission on Support to State Agriculgture Extension Programme for Extension Reforms (CSS) (State share 40%) (2401 4436) |
| १६ | (०१)(४७) वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (राज्य योजना) (२४०१ २६४९) | .. | 60000 | 4500 | 60000 | (01) (47) Establishment of Vasantrao Naik Khrishi Vyavasthapan Prashishan Sanstha (State Plan) (2401 2649) |
| १७ | (०१)(५३) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए२७२) | 78412 | 133300 | 133300 | 110201 | (01)(53)Krushi Unnati Yojana-National Mission on Sustainable Agriculture RAD Prog. (CSS) (State Share-40%) (Gen) (2401 A272) |
| १८ | (०१)(५४) जिल्हा कृषि महोत्सव योजना (राज्य योजना १०० टक्के) (२४०१ ए६९१) | .. | 68000 | 1 | 68000 | (01)(54) District Agriculture Festival Scheme (State share 100%) (2401 A691) |
| १९ | (०१)(५५) गट शेतीस प्रोत्साहन व सबली-करणासाठी शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देणे (राज्य योजना १०० टक्के) (२४०१ ए७८२) | 412500 | 750000 | 450000 | 350000 | (01)(55) Implementation of Group Farming Scheme for promotion and strengthening of Grop Farming (State share 100%)(2401 A782) |
| | **११०-पीक विमा** | | | | | **110 Crop Insurance Schemes** |
| २० | (००) (०६) शेतकरी अपघात विमा योजना (राज्य योजना) (२४०१ ४४२७) | 452342 | 1000000 | 750000 | 1000000 | (00)(06) Personal Accident Insurance Schemes for Farmers (State Plan) (2401 4427) |
| २१ | (००) (०७) हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना (राज्य योजना) (२४०१ ९४०२) | 4909600 | 2500000 | 2500000 | 3000000 | (00)(07) Weather Based Fruit Crop Insurance Schemes (State Plan) (2401 9402) |

**तक्ता-दोन** (चालू) **TABLE-II-*Contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **११३-कृषि अभियांत्रिकी** | | | | | **113 Agriculture Engineering** |
| २२ | (००) (१६) कृषि उन्नती योजना-अभियांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ८७३६) | 234344 | 400000 | 400000 | 440000 | (00) (16) Krishi Unnati Yojana-Agricultural Mechanization Sub Mission (CSS) (State Share 40%) (2401 8736) |
| २३ | (००)(१८) राज्य पुरस्कृत कृषि अभियांत्रिकीकरण योजना (कार्यक्रम) (२४०१ ए९१३) | 380000 | 1500000 | 1125000 | 4000000 | (00)(18)State Sponsored Agricultural Mechanization Scheme (Scheme) (2401 A913) |
| | **११५-लहान/सीमान्त शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना** | | | | | **115 Scheme of small/Marginal Farmers and Agricultural Labour** |
| २४ | (००)(०२) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प) (बाह्य हिस्सा ७० टक्के) (कार्यक्रम) (२४०१ ए६४६) | 4899998 | 3500000 | 9800000 | 3090000 | (00) (02) Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Prakalpa Project on Climate Resilient Agriculture) (Externanl Share 70%) (Scheme) (2401 A646) |
| २५ | (००) (०३) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प) (राज्य हिस्सा ३० टक्के) (कार्यक्रम) (२४०१ ए६५५) | 1798705 | 1500000 | 3700000 | 1335800 | (00) (03) Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Prakalpa (Project on Climate Resilient Agriculture) (State Share 30%) (2401 A655) |
| २६ | (००) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प (राज्य हिस्सा २७.५९ टक्के) (कार्यक्रम) (२४०१ ए९५१) | 32979 | 425800 | 319350 | 300000 | (00)(04) State of Maharashtra Agri. Business and Rural Transformation Programme (SMART) (State Share 27.59%) (2401 A951) |
| २७ | (००)(०५) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प (राज्य हिस्सा ७२.४१ टक्के) (कार्यक्रम) (२४०१ ए९६९) | 151121 | 1000000 | 210475 | 700000 | (00)(05) State of Maharashtra Agri. Business and Rural Tranformation Programme (external Share 72.41%) (Scheme) (2401 A969) |

**तक्ता-दोन** (चालू) **TABLE-II-***Contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **८००-इतर खर्च** | | | | | **800-Other Expenditure** |
| २८ | (००)(०२) विशेष घटक योजना-विशेष घटक योजनेखाली बि-बियाणे इ. साठी अर्थसहाय्य (२४०१ २४४२) | 245424 | 300000 | 295000 | 400000 | (00)(02) 800 Other Expenditure (00)(02) Speial Component Plan Input subsidy under S.C.P. (2401 2442) |
| २९ | (००)(११) कृषि उनती योजना-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ए २२५) | 616700 | 1500000 | 1500000 | 1503100 | (00)(11) Krushi Unnati Yojana-Financial Assistances under Rashtriya Krushi Vikas Yojana (CSS) (State Share 40%) (2401 A 225) |
| | **मागणी क्र. डी-३** | | | | | **Demand No. D-3** |
| | **२४०२-मृद व जलसंधारण** | | | | | **2402-Soil and Water Conservation** |
| | **१०१-मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी** | | | | | **101-Soil Survey and Testing** |
| ३० | (००) (१५) कृषि उन्नती योजना-मृदा आरोग्य व्यवस्थापन-उप अभियान (कें.पु.यो.) (योजना) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०२ ए०१२) | 6000 | 20000 | 19551 | 20000 | (00) (15) Krishi Unnati Yojana-Soil Health Management Sub Mission (CSS) (State Share 40%) (GEN) (2402 A012) |
| ३१ | (००) (१७) कृषि उन्नती योजना-मृदा आरोग्य पत्रिका (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०२ ए०५९) | 28904 | 53300 | 17614 | 53300 | (00) (17) Krishi Unnati Yojana-Soil Health Card (CSS) (State Share 40%) (2402 A059) |
| | **मागणी क्र. डी-७** | | | | | **Demand No. D-7** |
| | **सचिवालयीन-आर्थिक सेवा-३४५१** | | | | | **Secretariat-Economics Services-3451** |
| ३२ | (००) (०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (कृषि) (३४५१ २९६२) | 3750 | 10000 | 7500 | 50000 | (00) (01) Training for Government Employees (Agriculture) (3451 2962) |
| ३३ | (०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी १७-संगणक खर्च (३४५१ २७८२) | 61250 | 250000 | 150000 | 250000 | (02) (04) Implementation of E-Governance Programme (Agriculture) 17-Computer Expenses (3451 2782) |

## केंद्र (कार्यक्रम) Central (Scheme)

**वित्तीय आवश्यकता : Financial Requirements :** **तक्ता-तीन TABLE III** (रुपये हजारात) (Rs. in Thousand)

| अ. क्र. | तपशील | प्रत्यक्ष खर्च सन २०२०-२१ Actual Exp. 2020-21 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२१-२२ Budget Estimate 2021-22 | सुधारीत अंदाज सन २०२१-२२ Revised Estimate 2021-22 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२३ Budget Estimate 2022-23 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **मागणी क्रमांक डी-३** | | | | | **DEMAND No. 3** |
| | **२४०१ पीक संवर्धन** | | | | | **2401-Crop Husbandary** |
| | **००१-संचालन व प्रशासन** | | | | | **001-Direcctorate & Administration** |
| | **१०२-अन्नधान्य पिके** | | | | | **102-Food Grain Crops** |
| १ | (००) (२५) कृषि उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अनधान्य पिके (कें. पु. यो.) (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ ४६१४) | 981380 | 1400000 | 1400000 | 2000000 | (00) (25) Krushi Unnati Yojana National Food Security Mission Food Grain Crops (CSS) (Central Share 60%) (SCSP) (2401 4614) |
| २ | (००) (३५) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ बी-३३९) | .. | 500000 | 500000 | 900000 | (00) (35) Pradhan Mantri Micro Food Processing Industry Scheme (Central Share 60%) (2401 B-339) |
| | **१०३-बी बियाणे** | | | | | **103-Seeds** |
| ३ | (००) (२३) निवडक क्षेत्रात बियाणे (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ ३९९५) | 16701 | 200000 | 200000 | 240000 | in selected area (CSS) (Central Share 100%) (2401 3995) |
| | **१०५-खते व रासायनिक खते** | | | | | **105-Fertilisers** |
| ४ | (००) (३५) कृषि उनती योजना परंपरागत योजना) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ ए ०५६ ) | 109970 | 160000 | 160000 | ..93700 | Paramparagat Krushi Vikas Yojana (Centrally Sponsored Scheme) (CSS) (Central Share-60%) (Gen.) (2401 A 056) |
| | **१०७-रोप संरक्षण** | | | | | **107-Plant Protection** |
| ५ | (००)(१६)-रोप संरक्षण उप अभियान (१०० टक्के कें. पु.यो.) (२४०२ ९५३६) | .. | 100 | 100 | .. | (00) (16) Plant protection Submission (100% Centrally Sponsored Scheme) (2401 9536) |
| | **१०८-वाणिज्यिक पीके** | | | | | **108-Commercial Crop** |
| ६ | (०१) (०२) सधन कापूस विकास कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ २५४२) | 12760 | 20800 | 20800 | 20800 | (01) (02) Intensive Cotton Development Programme (CSS) (Central Share 60%)(2401 2542) |
| ७ | (०२) (०८) विदर्भ, मराठवाडा व खानदेश प्रदेशात ऊस विकास कार्यक्रम (कें. पु. यो.) (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ ४०५१) | 17023 | 26000 | 12192 | 26000 | (02) (08) Sugarcane Development Programme in Vidarbha, Marathwada and Khandesh Region. (CSS) (Central Share 100%) (2401 4051) |

**वित्तीय आवश्यकता : Financial Requirements :** **तक्ता-तीन** (चालू) **TABLE III-***Contd.* (रुपये हजारात) (Rs. in Thousand)

| अ. क्र. | तपशील | प्रत्यक्ष खर्च सन २०२०-२१ Actual Exp. 2020-21 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारीत अंदाज सन २०२१-२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२३ Budge Estimates 2022-23 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **१०९-विस्तार व प्रशिक्षण** | | | | | **(109) Extension & Training.** |
| ८ | (०१) (४४) कृषि उन्नती योजना राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणां करिता सहाय्य उप अभियान (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ९० टक्के) (२४०१ ४४४५) | 240000 | 400000 | 400000 | 400000 | Krishi Unnati Yojana Sub Mission Support to state Ext. Programme (CSS) for extenssion reforms (Central Share 60%) (2401 4445) |
| ९ | (०१)(५१) राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (६० टक्के कें.पु.यो.) (२४०१ ९५५४) | 117702 | 200000 | 200000 | 200000 | (01)(51) National Mission for sustainable Agriculture Rainted Area Development Progremme (Central Share 60%) (2401 9554) |
| | **१११-कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी** | | | | | **111-Agricul. Economic & Statistics** |
| १० | (००) (०९) कृषिविषयक माहितीच्या आकडेवारीची तत्परतेने पुरवठा करणे (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ २५६९) | 3197 | 40000 | 40000 | 46000 | (00)(09) Statistics timely reporting of Agricultural Intelligency. (CSS) (Central Share 100%) (2401 2569) |
| ११ | (००) (१०) जागतिक कृषि गणना (कें.पु.यो.)(केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ ०९९६) | 1492 | 16900 | 16900 | 63000 | (00) (10) World Agricultural census (CSS) (Central Share 100%) (2401 0996) |
| १२ | (००) (११) पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा | 1669 | 25500 | 25500 | 26000 | of Crop statistic (CSS) (2401 2578) |
| | **११३-कृषि अभियांत्रिकी** | | | | | **113-Agriculture Engineering** |
| १३ | (००)(०८) कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (२४०१ २५१३) | 351515 | 600000 | 600000 | 660000 | (00)(08) Promotion of Agriculture Mechanisation (CSS) (Central Share 60%) (2401 2504) |
| | **८००-इतर खर्च** | | | | | **800-Other Expenditure** |
| १४ | (००) (०९) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य (के.पु.यो.) (२४०१ ८२३५) | 1787500 | 2250000 | 2250000 | 2500000 | (00) (09) Financial Assistance under Rashtriya Krushi Vikas Yojana (CSS) (2401 8235) |

**वित्तीय आवश्यकता : Financial Requirements :** **तक्ता तीन-**समाप्त **TABLE III-***Concld.* (रुपये हजारात) (Rs. in Thousand)

| अ. क्र. | तपशील | प्रत्यक्ष खर्च सन २०२०-२१ Actual Exp. 2020-21 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारीत अंदाज सन २०२१-२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२३ Budge Estimates 2022-23 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **मागणी क्रमांक डी-३**<br>**२४०२-मृद व जलसंधारण**<br>**१०१-मृदसर्वेक्षण व चाचणी** | | | | | **DEMAND No. 3**<br>**2402 Soil and Water Conservation**<br>**101-Soil Survey and testing** |
| १५ | (००) (१३) मृदा आरोग्य व्यवस्थापन उप अभियान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०२ १०४६) | 9000 | 30000 | 29335 | 30000 | (00) (13) Soil health Management (SHM) submission (CSS) (Central Share 60%) (2402 1046) |
| १६ | (००)(१६) कृषि उन्नती योजना-मृदा आरोग्य पत्रिका (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०२ ए ०४१) | 43357 | 80000 | 26571 | 80000 | (00) (16)Krushi Unnati Yojana-Soil Health Card (CSS) (Central Share 60%) (GEN) (2402 A 041) |

**सन २०२०-२१ मधील अनिवार्य (Committed) वैधानिक मंडळनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती अविभाज्य भागासह**

(रक्कम रुपये) (Amount in Rs.)

| अ. क्र. | प्रधान शिर्ष | एकूण प्रत्यक्ष खर्च | विदर्भ विकास मंडळ | मराठवाडा विकास मंडळ | उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ | अविभाज्य | एकूण | Major Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **१** | **मागणी क्रमांक डी-३** | | | | | | | **DEMAND No. D-3** |
| | २४०१ पीक संवर्धन | 30655940018 | 3717458602 | 2922588697 | 24015892719 | .. | 30655240018 | 2401 Crop Husbandary |
| | २४०२ मृद व जलसंधारण | 206716827 | 58200727 | 50754546 | 97761554 | .. | 206716827 | 2402 |
| | २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण | 12009832 | .. | .. | 12009832 | .. | 12009832 | 2415 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-३** | **30874666677** | **3775659329** | **2973343243** | **24125664105** | **..** | **30874666677** | **Total Demand No. D-3** |
| **२** | **मागणी क्र. डी-७** | | | | | | | **DEMAND No. D-7** |
| | २७०२ लहान बांधकामे | 1687913 | .. | 1687913 | .. | .. | 1687913 | 2702 |
| | ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3451 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-७** | **1687913** | **..** | **1687913** | **..** | **..** | **1687913** | **Total Demand No. D-7** |
| **३** | **मागणी क्र. डी-११** | | | | | | | **DEMAND No. D-11** |
| | ७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे | 29463050 | 5973050 | 9505700 | 13984300 | .. | 29463050 | 7610 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-११** | **29463050** | **5973050** | **9505700** | **13984300** | **..** | **29463050** | **Total Demand No. D-11** |
| | **कृषी विभाग एकूण** | **30905817640** | **3781632379** | **2984536856** | **24139648405** | **..** | **30905817640** | **Total** |

**टीप -** १) उर्वरीत महाराष्ट्राचा खर्च मराठवाडा व विदर्भाच्या खर्चापेक्षा जास्त दिसण्याचे कारण सर्व मुख्य केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा निधी, उदा. RKVY सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, पुणे-१ यांच्या स्तरावरून आहरीत पुणे कोषागारातून आहरीत केला जात असल्याने तो मा. महालेखापाल, मुंबई कार्यालयाकडे पर्यायाने उर्वरीत महाराष्ट्रात जास्तीचा खर्च दिसतो. मात्र असे असले तरी सदरचा आहरीत केलेला निधी पूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात वितरीत केला जातो व तिथे तो खर्च केला जातो.

२) उपरोक्त खर्चात जिल्हा योजनांचा (DPDC) तसेच (RTGS) खर्चाचा समावेश नाही.

३) उपरोक्त खर्चामध्ये कृषि विभागाच्या इतर योजनांचा म्हणजेच २०५३, २०७५, २२३५, २२४५, २४३५, २५०५, २५५१, ४४०२, २४५०, ४५१५ इत्यादिंचा समावेश नाही.

**सन २०२०-२१ मधील कार्यक्रम (Scheme) वैधानिक मंडळनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती अविभाज्य भागासह**

(रक्कम रुपये) (Amount in Rs.)

| अ. क्र. | प्रधान शिर्ष | एकूण प्रत्यक्ष खर्च | विदर्भ विकास मंडळ | मराठवाडा विकास मंडळ | उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ | अविभाज्य | एकूण | Major Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **१** | **मागणी क्रमांक डी-३** | | | | | | | **DEMAND No. D-3** |
| | २४०१ पीक संवर्धन | 38936387311 | 800406663 | 663995703 | 37471984945 | .. | 38936387311 | 2401 Crop Husbandary |
| | २४०२ मृद व जलसंधारण | 87261000 | .. | .. | 87261000 | .. | 87261000 | 2402 |
| | २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2415 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-३** | **39023648311** | **800406663** | **663995703** | **37559245945** | **..** | **39023648311** | **Total Demand No. D-3** |
| **२** | **मागणी क्र. डी-७** | | | | | | | **DEMAND No. D-7** |
| | २७०२ लहान बांधकामे | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2702 |
| | ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा | 58732235 | 3750000 | .. | 54982235 | .. | 58732235 | 3451 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-७** | **58732235** | **3750000** | **..** | **54982235** | **..** | **58732235** | **Total Demand No. D-7** |
| **३** | **मागणी क्र. डी-११** | | | | | | | **DEMAND No. D-11** |
| | ७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7610 |
| | **एकूण मागणी क्र. डी-११** | **..** | **..** | **..** | **..** | **..** | **29463050** | **Total Demand No. D-11** |
| | **कृषी विभाग एकूण** | **39082380546** | **804156663** | **663995703** | **37614228180** | **..** | **39082380546** | **Total** |

**टीप -** १) उर्वरीत महाराष्ट्राचा खर्च मराठवाडा व विदर्भाच्या खर्चापेक्षा जास्त दिसण्याचे कारण सर्व मुख्य केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा निधी, उदा. RKVY सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, पुणे-१ यांच्या स्तरावरून आहरीत पुणे कोषागारातून आहरीत केला जात असल्याने तो मा. महालेखापाल, मुंबई कार्यालयाकडे पर्यायाने उर्वरीत महाराष्ट्रात जास्तीचा खर्च दिसतो. मात्र असे असले तरी सदरचा आहरीत केलेला निधी पूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यात वितरीत केला जातो व तिथे तो खर्च केला जातो.

२) उपरोक्त खर्चात जिल्हा योजनांचा (DPDC) तसेच (RTGS) खर्चाचा समावेश नाही.

३) उपरोक्त खर्चामध्ये कृषि विभागाच्या इतर योजनांचा म्हणजेच २०५३, २०७५, २२३५, २२४५, २४३५, २५०५, २५५१, ४४०२, २४५०, ४५१५ इत्यादिंचा समावेश नाही.

क्यू १८२-(२५० पु.)अे४*-३.२०२२

शासकीय मुद्रणालय, कोल्हापूर